वार्षिक रिपोर्ट

Annual Report

2019-20

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2019-20

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
Pension Fund Regulatory & Development Authority

बी–14 / ए, छत्रपति शिवाजी भवन, कुतुब संस्थानिक क्षेत्र, कटवारिया सराय, नई दिल्ली–110016
B-14/A, Chhatrapati Shivaji Bhawan, Qutub Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi-110016
Fax : 91-11-26517507 www.pfrda.org.in

यह रिपोर्ट पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
(रिपोर्ट, रिटर्न और विवरणी) नियमों 2015
के प्रारूप अनुसार है।

सुप्रतिम बंदोपाध्याय
अध्यक्ष
Supratim Bandyopadhyay
CHAIRPERSON

पेंशन निधि विनियामक और
विकास प्राधिकरण
बी–14/ए, प्रथम तल, छत्रपति शिवाजी भवन,
कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय,
नई दिल्ली–110016
दूरभाष 91-11-26517095, 45063672
फैक्स 91-11-26517507
ई–मेल chairman@pfrda.org.in
वेबसाईट www.pfrda.org.in

PENSION FUND REGULATORY
AND DEVELOPMENT AUTHORITY
B-14/A, First Floor
Chhatrapati Shivaji Bhawan,
Qutub Institutional Area, Katwaria Sarai,
New Delhi-110016
Tel 91-11-26517095, 45063672
Fax 91-11-26517507
E-mail chairman@pfrda.org.in
Website www.pfrda.org.in

प्रेषण पत्र

फा.सं.पीएफआरडीए/09/02/0001/2020 – वार्षिक रिपोर्ट विभाग दिसबर 11, 2020

सेवा में

सचिव
वित्तीय सेवाएं विभाग,
वित्त मत्रालय,
भारत सरकार,
ससदमार्ग, जीवनदीप भवन,
नई दिल्ली –110001

विषय– वित्त वर्ष 2019–20 के लिए पीएफआरडीए की वार्षिक रिपोर्ट ।

महोदय,

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 की धारा 46(2) के प्रावधान के अनुसार, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियाँ आपको प्रेषित करते हुए मुझे अति प्रसन्नता हो रही है ।

भवदीय

(सुप्रतिम बंदोपाध्याय)

विषय–वस्तु

लक्ष्य एवं उद्देश्यों का वक्तव्य		13
उद्देश्य		13
परिकल्पना		13
अध्यक्ष का संदेश		15
बोर्ड के सदस्य		17
प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी		18
संक्षिप्तियां		19
भाग I		
नीतियां और कार्यक्रम		22
1.1	वैश्विक आर्थिक परिदृश्य की सामान्य समीक्षा	22
1.1.1	मुद्रास्फीति	23
1.1.2	वैश्विक वस्तुओं की कीमतें	23
1.1.3	वैश्विक आर्थिक परिवेश	23
1.1.4	बॉन्ड और इक्विटी बाजार	24
1.2	घरेलू अर्थव्यवस्था	25
1.2.1	भारत में समष्टि अर्थशास्त्र विकास	25
1.2.2	मुद्रास्फीति	25
1.2.3	मौद्रिक प्रबंधन	26
1.3	वित्तीय बाजार	27
1.3.1	जी–सेक बाजार	27
1.3.2	कॉर्पोरेट बांड बाजार	28
1.3.3	इक्विटी बाजार	28
1.4	वैश्विक पेंशन बाजार की समीक्षा	29
1.4.1	वर्ष 2019 में ओईसीडी क्षेत्र में पेंशन निधि आस्तियां	29
1.4.2	वर्ष 2019 में इक्विटी निवेश	30
1.5	एनपीएस के लिए बजट 2020 में प्रमुख घोषणा	31
1.6	भारतीय जनसांख्यिकी और वृद्धावस्था आय सुरक्षा	31

1.7	भारतीय पेंशन परिदृश्य	31
1.8	वर्ष के दौरान पीएफआरडीए के लक्ष्यों की संक्षेप में समीक्षा	34
1.9	एनपीएस के तहत मध्यस्थ इकाईयां	35
1.9.1	राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित मध्यस्थ तथा अन्य इकाईयां तथा अधिनियम के तहत आने वाली पेंशन योजनाएं	35
1.9.2	खाते के प्रकार	38
भाग II		
एनपीएस के तहत निधियों का निवेश		40
2.1	पेंशन निधियां (पीएफ्स)	40
2.1.1	पेंशन निधियों के कार्य	40
2.1.2	सरकारी क्षेत्र अर्थात् (सीजी और एसजी), एनपीएस स्वावलम्बन और एपीवाई के लिए पेंशन निधियों की सूची	41
2.1.3	निजी क्षेत्र एनपीएस योजनाओं के लिए पेंशन निधियों (पीएफ्स) की सूची	41
2.2	योजनाएं	41
2.3	पीएफआरडीए द्वारा विनियमित और प्रशासित विभिन्न योजनाओं को एक्सपोजर	47
2.4	पेंशन निधियों से संबंधित विनियम, अधिसूचनाएं, जारी प्रमुख परिपत्र/दिशानिर्देश	48
2.5	निरीक्षण	49
भाग III		
प्राधिकरण के कार्य		50
3.1	मध्यस्थों का पंजीकरण तथा स्थगन, निरसन आदि	50
3.2	योजनाओं, उनकी नियम और शर्तों का अनुमोदन, जिनमें पेंशन निधियों के कोष के प्रबंधन के सम्बन्ध में नियम है तथा ऐसी योजनाओं के तहत निवेश दिशानिर्देश हैं	53
3.3	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अभिदाताओं का निकास	53
3.3.1	पीएफआरडीए(एनपीएस के तहत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015, और उसके तहत किए गए संशोधन	53
3.3.2	एनपीएस के तहत आंशिक प्रत्याहरण	55
3.4	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली तथा अधिनियम के अंतर्गतअन्य पेंशन योजनाओं के तहत अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए की गई गतिविधियाँ	61
3.5	अभिदाताओं की शिकायतों के निवारण के लिए तंत्र तथा ऐसी शिकायतों के निवारण के लिए किये गए क्रियाकलाप	62
3.5.1	वित्त वर्ष 2019–20 के लिए प्राप्त, सुलझाई गई और लंबित शिकायतों की संख्या	63

3.5.2	वित्त वर्ष 2019–20 के लिए राज्यवार प्राप्त शिकायतें	63
3.6	सेवानिवृत्ति सलाहकारों के लिए प्रमाणन कार्यक्रम	64
3.7	प्राधिकरण तथा मध्यस्थों द्वारा आंकड़ों का संकलन, जिनमें अध्ययन, अनुसंधान तथा परियोजनाओं को शुरू करना शामिल है	65
3.8	अभिदाताओं तथा सामान्य जनता के लिए पेंशन, सेवानिवृत्ति बचत तथा सम्बंधित मुद्दों पर उठाये गए कदम तथा मध्यस्थ इकाईयों के प्रशिक्षण विवरण	65
3.8.1	वित्तीय साक्षरता	65
3.8.2	वित्तीय अभिकरणों और अन्य अभिकरणों के साथ समन्वय कार्यक्रम	66
3.8.3	एनपीएस जागरूकता, संचार और सोशल मीडिया	66
3.8.4	सोशल मीडिया पर पीएफआरडीए	67
3.8.5	जनसंपर्क अभिकरण	68
3.8.6	प्रशिक्षण	68
3.8.7	एनपीएस और एपीवाई सूचना सहायता पटल	69
3.9	वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान आयोजित सम्मेलन/बैठकें और उठाए गए अन्य पहल	69
3.9.1	केंद्र और राज्य सरकार क्षेत्र के तहत सम्मेलन	69
3.9.2	सरकारी क्षेत्र में एनपीएस के सुलभ कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदम	70
3.9.3	कोर्पोरेट क्षेत्र के तहत सम्मेलन	72
3.9.4	अटल पेंशन योजना के तहत सम्मेलन/कार्यक्रम और बैठकें	72
3.10	पेंशन निधियों के प्रदर्शन	74
3.11	विनियमित आस्तियां	77
3.12	वित्त वर्ष के दौरान प्राधिकरण द्वारा प्रभारित या संकलित किए जाने वाले अन्य शुल्क या प्रभार	78
3.13	मध्यस्थ इकाईयों की लेखापरीक्षा के दौरान मांगी गई सूचना, किये गए निरीक्षण, जांच, अन्वेषण तथा पेंशन निधियों से सम्बंधित अन्य इकाईयां संगठन	80
3.13.1	जांच और अन्वेषण	80
3.13.2	निरीक्षण और लेखापरीक्षा	80
3.14	अन्य	82
3.14.1	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली तथा अधिनियम के अधीन अन्य पेंशन योजनाओं के तहत शामिल अभिदाताओं (श्रेणीवार) की संख्या	82
3.14.2	उपस्थिति अस्तित्व	85
3.14.3	प्रबंधन के अधीन परिसंपत्तियां	85

3.14.4	केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण, उसकी भूमिका तथा कार्य	86
3.14.5	पेंशननिधियों	94
3.14.6	न्यासी बैंक	95
3.14.7	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत अभिरक्षक	98
3.14.8	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास	100
3.14.9	सेवानिवृत्ति सलाहकार	101
3.14.10	पेंशन के क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा की गई अन्य कार्य	102
भाग IV		
4.1	पेंशन सलाहकार समिति	103
4.2	नव निर्मित और संशोधित विनियम	103
4.3	अभिदाता शिक्षा तथा सुरक्षा निधि के उपयोगीकरण पर समिति का गठन	104
4.4	पीएफआरडीए में सूचना तकनीकी और साइबर सुरक्षा पर स्थायी समिति	104
भाग V		
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के लिए संगठनात्मक मुद्दे		105
5.1	पीएफआरडीए बोर्ड का गठन	105
5.2	प्राधिकरण की बैठकें	105
5.3	पीएफआरडीए में कर्मचारियों की संख्या	105
5.4	पीएफआरडीए में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ और ओबीसी प्रकोष्ठ की स्थापना	106
5.5	कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए समिति	106
5.6	कर्मचारी कल्याण समिति	106
5.7	पीएफआरडीए में कर्मचारियों का प्रशिक्षण	106
5.8	राजभाषा का प्रचार	106
5.9	सूचना का अधिकार	107
5.10	संसदीय प्रश्न	107
5.11	अन्य गतिविधियाँ	107
5.12	पीएफआरडीए के खाते	107
भाग VI		
कोई भी महत्वपूर्ण क्षेत्र जो अभिदाताओं के हित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है		109

6.1	अभिदाताओं के हितों को प्रभावित करने वाले कुछ क्षेत्र	109
6.2	एपीवाई में शामिल होने के लिए 40 साल की आयु सीमा	109
6.3	वैधानिक दायित्व जिनका प्राधिकरण ने पालन नहीं किया है	109
6.3.1	न्यूनतम आश्वासित रिटर्न्स योजना (मार्स)	109
भाग VII		
अधिनियम के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अन्य पेंशन योजनाओं के अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए प्राधिकरण द्वारा उठाए गए कोई भी अन्य उपाय		110
7.1	प्राधिकरण द्वारा उनके अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए की गई अन्य पहल	110
अनुलग्नक की सूची		
अनुलग्नक I		
पेंशन सलाहकार समिति का गठन		112
अनुलग्नक II		
राज्यानुसार पीओपी–एसपी की संख्या		113
अनुलग्नक III		
तुलन पत्र		114

लक्ष्य और उद्देश्यों का वक्तव्य

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (रिपोर्ट, रिटर्न और विवरणी) नियम, 2015 के नियम 9(2)(ग) के तहत

उद्देश्य

पीएफआरडीए के व्यापक उद्देश्य पीएफआरडीए अधिनियम 2013 की प्रस्तावना में शामिल हैं जो कि निम्नलिखित है :

ऐसे प्राधिकरण की स्थापना करना, जो कि वृद्धावस्था आय को बढ़ावा दे, पेंशन निधियों को विकसित और विनियमित करे, जिससे पेंशन निधियों की योजनाओं के अभिदाताओं तथा उनसे जुड़े एवं प्रासंगिक मामलों की रक्षा की जा सके।

परिकल्पना

नागरिकों की वृद्धावस्था आय आवश्यकताओं की दीर्घकालिक पूर्ति हेतु एक संगठित पेंशन प्रणाली का प्रसार एवं विकास करते हुए एक आदर्श विनियामक की भूमिका अदा करना।

अध्यक्ष का संदेश

विश्व कोविड–19 महामारी का सामना कर रहा है। अब तक दस लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है और इसमें वृद्धि जारी है। इस अभूतपूर्व घटना ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है जिसके परिणाम स्वरूप वैश्विक विकास में हाल ही में सबसे अधिक गिरावट देखी गई है। हालांकि, ऐसी स्थिति में भी आशावादी बने रहने के कारण हैं: अधिक परीक्षण, बेहतर उपचार, सुधार की दर में वृद्धि और वैक्सीन परीक्षणों का अंतिम चरण में होना, इन सभी ने हमारी अर्थव्यवस्था को बल प्रदान किया है। इस महामारी के दौरान, पीएफआरडीए ने अपने एनपीएस/एपीवाई अभिदाताओं का समर्थन करने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं: चाहे वह मौद्रिक हों (एनपीएस के तहत आंशिक निकासी के एक उद्देश्य के रूप में कोविड –19 के उपचार की अनुमति देना और एपीवाई अंशदान के ऑटो–डेबिट को रोकना) या परिचालन सुविधा सम्बंधी।

कोविड–19 से उत्पन्न संकट तथा जीडीपी पर इसके नकारात्मक प्रभाव और शेयर बाजार में परिणामी अस्थिरता के बावजूद, एनपीएस को ऐसे विवेकपूर्ण ढंग से विनियमित और प्रबंधित किया जा रहा है कि यह काफी हद तक इस संकट का सामना करने में सक्षम है। वर्तमान संकेतों से, हम यह आशा कर सकते हैं कि आने वाले महीनों में सबसे खराब दौर को पीछे छोडते हुए अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार आएगा।

हमारे देश में जनसांख्यिकीय परिवर्तन हमें निकटस्थ वृद्धावस्था के मुद्दों से निपटने के लिए समय पर कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या रिपोर्ट 2017 के अनुसार, भारत में 2050 तक 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या 19 प्रतिशत होने की उम्मीद है, जो कि वर्तमान के 10 प्रतिशत के स्तर से लगभग दोगुना होगा। ऐसे परिदृश्य में, उन्हें अपनी आजीविका के लिए एक आत्मनिर्भर नियमित आय की आवश्यकता है। बढ़ती दीर्घायुता और घटती प्रजनन क्षमता ने वयस्क आबादी को बढ़ा दिया है। इसी समय, बदलती सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के कारण, कई परिवारों में पारंपरिक परिवार सहायता प्रणाली समाप्त होती दिख रही है, और यह आत्मनिर्भर आय सुरक्षा के उद्देश्य के लिए प्रमुख कारणों में से एक है।

प्राधिकरण का उद्देश्य, देश में एक स्थायी पेंशन प्रणाली का निर्माण करना और समाज के सभी वर्गों को पेंशन कवरेज प्रदान करना है। यह हमें हमारे पेंशन उत्पादों पर विचार करने तथा उनके गुणों को उन्नत करने के लिए प्रेरित करता है और हमारा प्रयास उन्हें बाजार में उपलब्ध अन्य दीर्घकालिक निवेश उत्पादों से बेहतर बनाना है। पीएफआरडीए, वर्षों से, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) संरचना के तहत सभी हितधारकों के उत्पादों, योजनाओं और कार्यक्रमों में नवाचारों के लिए संस्था–निर्माण, क्षमता विकास और सक्षम ढांचे पर ध्यान केंद्रित करके पेंशन क्षेत्र को विकसित करने में लगा हुआ है। हमारा प्रमुख उद्देश्य संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में पेंशन कवरेज की पर्याप्तता और दायरे में सुधार और विस्तार करना है।

इस महामारी के बावजूद, 30 सितंबर, 2020 तक, कुल 374.32 लाख अभिदाता एनपीएस (एपीवाई सहित) में नामांकित हुए और 22.17 प्रतिशत की वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि दर्ज की गई, जबकि प्रबंधन के तहत आस्तियां (एयूएम) बढकर 4,94,930 करोड़ हो गई, जिससे 33.26 प्रतिशत की वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि दर्ज की गई।

एक लंबी अवधि का वित्तीय उत्पाद होने के कारण पेंशन प्राप्त करने के लिये एक व्यक्ति को उसकी कामकाजी आयु के दौरान संचय चरण में कोष निर्माण के लिए निरंतर योगदान करने की आवश्यकता होती है। इसलिए, पेंशन के लिए जल्दी बचत करना अनिवार्य है। जितना शीघ्र हम पेंशन के लिये संचयन शुरु करते हैं, परिपक्वता पर उतना ही अधिक लाभ हम प्राप्त करते हैं। इस संदर्भ में, वित्तीय साक्षरता का कार्य – पेंशन से सम्बंधित मामलों, सेवानिवृत्ति की योजना बनाना/ बचत के साथ–साथ विभिन्न डिजिटल/सामाजिक मीडिया और एक समर्पित वेबसाइट विकसित करने के माध्यम से पेंशन क्षेत्र के व्यापक जनादेश को पूर्ण करने के रूप में प्रमुख हो जाता है।

मेरे लिए वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए पीएफआरडीए की इस वार्षिक रिपोर्ट को साझा करना प्रसन्नता का विषय है। यह रिपोर्ट प्राधिकरण की प्रमुख गतिविधियों और पहलों को साझा करने का प्रयास करती है। मुझे आशा है कि यह रिपोर्ट भारत में पेंशन प्रणाली की कार्यक्षमता के विषय में समझ बढ़ाएगी। हम रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया का स्वागत करते हैं।

अंत में, मैं वृद्धावस्था आय सुरक्षा के अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारत को पेंशन समाज बनाने के लिए, पीएफआरडीए की प्रतिबद्धता और निष्ठा को दोहराता हूं।

अध्यक्ष

बोर्ड के सदस्य

(पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम 23) की धारा 4 के तहत नियुक्त।

(i) अध्यक्ष

श्री सुप्रतिम बंदोपाध्याय, अध्यक्ष, पीएफआरडीए, 21 फरवरी 2020 से अब तक

(ii) पूर्णकालिक सदस्य

श्री प्रमोद कुमार सिंह, पूर्णकालिक सदस्य (विधि) 03 मार्च 2020 से अब तक

डॉ. दीपक मोहंती, पूर्णकालिक सदस्य (अर्थशास्त्र) 1 सितंबर 2020 से अब तक

प्रो. (डॉ) मनोज आनंद, पूर्णकालिक सदस्य (वित्त) 1 अक्टूबर 2020 से अब तक

(iii) अल्पकालिक सदस्य

1. सुश्री. एनी जॉर्ज मैथ्यू, (आईएएस 1988) अतिरिक्त सचिव, व्यय विभाग 12 दिसम्बर 2014 से अब तक।
2. सुश्री सुजाता चतुर्वेदी, (आईएएस 1989) संयुक्त सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, 16 जनवरी 2020 से अब तक।
3. श्री मदनेश कुमार मिश्रा, (आईआरएस 1990) संयुक्त सचिव, वितीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, 03 नवम्बर 2017 से अब तक अल्पकालिक सदस्य।

प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारीगण

(31.03.2020 तक के अनुसार)

कार्यकारी निदेशक

श्री अनंत गोपाल दास

श्री प्रवीण त्रिवेदी

मुख्य महाप्रबंधक

श्रीमती ममता रोहित

श्रीमती सुमीत कौर कपूर

श्री वेंकटेश्वर्लू पेरी

श्री आशीष कुमार

महाप्रबंधक

श्री के. मोहन गाँधी

श्री प्रवेश कुमार

श्री मोनो मोहन गोगोई फूकोन

श्री अखिलेश कुमार (एनपीएस न्यास में तैनात)

श्री विकास कुमार सिंह

श्री सुमित कुमार

श्री पी. अरुमुगारंगराजन

मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री सतीश के. नागपाल

लोकपाल

श्री अर्नब राय

वार्षिक रिपोर्ट दल

श्री आशीष कुमार, मुख्य महाप्रबंधक

श्रीमती मंजू भल्ला, उपमहाप्रबंधक

श्री मनीष मनी, प्रबंधक

संक्षिप्तियां

एआईएफ	वैकल्पिक निवेश निधि
एपीवाई	अटल पेंशन योजना
एपीवाई एसपी	एपीवाई–सेवाप्रदाता
एएसपी	वार्षिकी सेवा प्रदाता
एयूएम	प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति
बीएसई	बम्बई शेयर बाजार
सीएबी	केंद्रीय स्वायत्त निकाय
सीएजीआर	संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर
सीबीओ	कॉर्पोरेट शाखा ऑफिस
सीईओ	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सीजी	केंद्र सरकार
सीजीएमएस	केंद्रीय शिकायत प्रबंधन प्रणाली
सीएचओ	कॉर्पोरेट मुख्य कार्यालय
सीआईएसओ	मुख्य सूचना और सुरक्षा अधिकारी
सीओआर	पंजीकरण प्रमाणपत्र
सीपीआई	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
सीपीआईओ	केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी
सीआरए	केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण
सीएसजीएल	ग्राहकों की सहायक सामान्य खाताबही
डीबी	परिभाषित लाभ
डीडीओ	आहरण और संवितरण कार्यालय
डीसीसीबी	जिला केंद्रीय सह–कारी बैंक
डीएफएस	वित्तीय सेवाएं विभाग
डीटीए	खजाना और लेखा निदेशालय
डीटीओ	जिला खजाना कार्यालय
ईपीएफ	कर्मचारी भविष्य निधि
ईपीएफओ	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
ईपीएस	कर्मचारी पेंशन योजना
ईआरएम	त्रुटि आशोधन मोड्यूल
एफएटीसीए	विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम
एफएक्यू	अधिकांशतः पूछे जाने वाले प्रश्न
एफआईआई	विदेशी संस्थानिक निवेशक
फिन–टेक	वित्तीय तकनीक

संक्षिप्तियां

एफआरसी	निधि प्राप्ति पुष्टिकरण
एफडी	सावधि जमा
एफपीआई	विदेशी संविभाग निवेश
एफआरसी	फण्ड प्राप्ति पुष्टिकरण फाइल
एफएसडीसी	फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डेवलपेमेंट काउंसिल
एफवाई	वित्त वर्ष
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीसेक	सरकारी सुरक्षा
आईएफएससी	इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड
आईएमएफ	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
आईओएस	आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम
आईपिन	इन्टरनेट पर्सनल आइडेंटीफिकेशन संख्या
टीपिन	टेलीफोनिक पर्सनल आइडेंटीफिकेशन नंबर
आईआरडीएआई	भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
आईआरएफ–एफसी	इंटर रेगुलेटरी फोरम फॉर मानिटरिंग फाइनेंशियल कांगलोमरेटस
केवाईसी	अपने ग्राहक को जाने
एमएफआई	सूक्ष्म वित्त संस्थान
एमएफएमजी	मैक्रो फाइनेंशियल एंड मानीटरिंग ग्रुप
एमआईएस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
मोबाइल एप	मोबाइल एपलिकेशन
एनएवी	कुल आस्ति मूल्य
एनबीएफसी	गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
एनसीएफई	नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एडयूकेशन
एनआईएसएम	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्किट
एनएलएओ	एनपीएस लाइट खाता कार्यालय
एनपीसीआई	नेशनल पेमेंटस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
एनपीएस	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
एनपीएससीएएन	एनपीएस कॉन्ट्रिब्यूशन एकाउंटिंग नेटवर्क
एनपीएसटी	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास
एनआरआई	अनिवासी भारतीय
एनएसडीएल	नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड
एनएसई	राष्ट्रीय शेयर बाजार
ओईसीडी	आर्थिक सहयोग और विकास संगठन
ओएमओ	खुले बाजार के परिचालन

ओटीपी	वन टाइम पासवर्ड
पीएसी	पेंशन सलाहाकार समिति
पीएएन	स्थायी खाता संख्या
पीएओ	वेतन और लेखा कार्यालय
पीआरएओ	प्रधान लेखा कार्यालय
पीएफ	पेंशन निधि
पीएफएम	पेंशन निधि प्रबंधक
पीओपी	उपस्थिति अस्तित्व
पीओपी–एसपी	उपस्थिति अस्तित्व सेवा प्रदाता
पीपीपी	क्रय शक्ति पारदर्शिता
प्रान	स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या
क्यूआर कोड	क्विक रिस्पांस कोड
आरए	सेवानिवृत्ति सलाहाकार
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
आरआरबी	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
रिबिट	रिजर्व बैंक इंफोर्मेशन टेक्नोलोजी प्राइवेट लिमिटेड
आआरबी	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आरटीआई	सूचना का अधिकार
एससीएफ	अभिदाता अंशदान फाइल
सेबी	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
एसजी	राज्य सरकार
एसएचसीआईएल	स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
एसओटी	संव्यवहार प्रकथन
टीबी	न्यासी बैंक
टीजीएफआईएफएल	टेक्नीकल ग्रुप ऑन फाइनेंशियल इनक्लूशन एंड फाइनेशियल लिटरेसी
ट्रांन–आईडी	लेनदेन आईडी
यूनएफपीए	संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि
यूओएस	असंगठित क्षेत्र
डब्ल्यूईओ	विश्व आर्थिक परिदृश्य
डब्ल्यूपीआई	थोक मूल्य सूचकांक
डब्ल्यूटीएम	पूर्णकालिक सदस्य

भाग I
नीतियां और कार्यक्रम

पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 की प्रस्तावना, भारत में वृद्धावस्था आय सुरक्षा के लक्ष्य को निर्धारित करती है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को एक सुसंगत और वित्तीय रूप से स्थायी पेंशन प्रणाली की परिकल्पना करने और उसे लागू करने के लिए एक प्रणालीगत दृष्टिकोण रखने के लिए परिकल्पित किया गया है। भारत में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की शुरूआत ने परिभाषित लाभ से परिभाषित अंशदान प्रणाली में स्थानांतरित होकर एक बड़ा उदाहरण पेंश किया है। इस प्रणाली की सफलता विभिन्न कारकों जैसे नियमित/एकस्वरूप बचत तंत्र, विवेकपूर्ण दिशानिर्देश और विसंचयीकरण के दौरान आहरण के कारण न्यायिक गिरावट पर निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय क्षेत्र में वैश्विक और घरेलू विकास द्वारा पेंशन क्षेत्र प्रभावित होता है। एक निर्णायक बिंदु पर पहुँचने पर पेंशन आस्तियां, संसाधनों को पूंजी बाज़ार ओर बुनियादी ढांचे की ओर मोड़कर अर्थव्यस्था को विभिन्न तरीकों से प्रभावित करती हैं।

वैश्विक और घरेलू विकास जीडीपी विकास दर, मुद्रास्फीति, वस्तु की कीमतों, साथ ही मौद्रिक और राजकोषीय नीति प्रतिक्रियाओं में परिलक्षित होते हैं जो वित्तीय बाजार के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, चाहे यह इक्विटी बाजार हो, सरकारी प्रतिभूति बाजार या बांड बाजार। यह भाग वैश्विक और घरेलू पेंशन बाजारों के विकास में देरी से बचने के लिए वैश्विक और घरेलू अर्थव्यवस्था की समीक्षा करता है।

1.1 वैश्विक आर्थिक परिदृश्य

दुनिया की अर्थव्यवस्था ने 2020 में डी ग्रोथ का अनुभव किया है। विश्व आर्थिक परिदृश्य (डब्लयूईओ) रिपोर्ट अक्टूबर 2020 के अनुसार वैश्विक विकास –4.4 फीसदी कम होने का अनुमान है, जो कि जून 2020 डब्लयूईओ अपडेट के –4.9 के पूर्वानुमान से कम गंभीर संकुचन है। संशोधित अनुमान, दूसरी तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद के अनुमानित परिणामों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन दर्शाता है, अधिकतर उन उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, जहां तालाबंदी के बाद की उम्मीद की तुलना में जल्द ही सुधार शुरू हो गया। वैश्विक विकास 2021 में 5.2 प्रतिशत अनुमानित है, जो कि जून 2020 डब्लयूईओ अपडेट के 5.4 प्रतिशत के अनुमान से कुछ कम है।

रिपोर्ट बताती है कि, 2021 में गिरावट के बाद, वैश्विक विकास धीरे–धीरे मध्यम होकर लगभग 3.5 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। 2021 जीडीपी को 2019 की जीडीपी से 2 प्रतिशत नीचे छोड़ते हुए 2021 में उन्नत अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 3.9 प्रतिशत तक मजबूत होने का अनुमान है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 2021 में 3.1 प्रतिशत का विस्तार होने से पहले 4.3 प्रतिशत के संकुचन का अनुमान है। 2020 में यूरो क्षेत्र के लिए 8.3 प्रतिशत के गहरे संकुचन का अनुमान है, जो वर्ष की पहली छमाही में अमेरिका की तुलना में तेज गिरावट को दर्शाता है। 2021 के लिए अनुमानित 5.2 प्रतिशत की वृद्धि उछाल कम आधार से मजबूत है। एशियाई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में यूरोप की तुलना में कुछ अधिक उदारवादी मंदी का अनुमान है, और अधिक निहित महामारी के प्रकाश में, 2020 की पहली छमाही के दौरान छोटी जीडीपी गिरावट में परिलक्षित होता है।

उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं (इएमडीई) 2020 में –3.3 फीसदी के संकुचन की संभावना कर रहे हैं, जो कि जून डब्लयूईओ 2020 अपडेट के 0.2 प्रतिशत बिंदु कम है, 2021 में 6 प्रतिशत से बढ़ने की संभावना है। चीन के लिए संभावनाएं इस समूह के अन्य देशों से कई बेहतर हैं। अधिकांश देशों के अप्रैल की शुरुआत में फिर से सक्रिय होने के बाद चीन के लिए गतिविधि सामान्य से अधिक तेज हो गई, और दूसरी तिमाही में जीडीपी ने मजबूत नीति समर्थन के साथ एक सकारात्मक आश्चर्यजनक वृद्धि दर्ज की और कई उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में चीन को छोड़कर, लचीले निर्यात ने, संभावनाएं कठिन बनी हुई हैं। सभी उभरते बाजार और विकासशील

अर्थव्यवस्था क्षेत्रों में इस वर्ष संकुचित होने की उम्मीद है, जिसमें विशेष रूप से विकासशील एशिया भी शामिल हैं, जहां भारत और इंडोनेशिया जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं महामारी को नियंत्रण में लाने का प्रयास जारी रख रही हैं। संशोधित अनुमान, विशेष रूप से भारत के लिए अधिक है, जहाँ सकल घरेलू उत्पाद के दूसरी तिमाही के संभावित जीडीपी से अधिक संकुचित है। इसके परिणामस्वरूप, 2021 में 8.8 प्रतिशत होने से पूर्व, अर्थव्यवस्था के 2020 में 10.3 प्रतिशत से संकुचित होने की संभावना है। चीन को छोड़कर उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए विकास 2020 तक के लिए –5.7 प्रतिशत और 2021 के लिए 5 प्रतिशत का अनुमान है।

1.1.1 मुद्रास्फीति

डब्लयूईओ अक्टूबर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार, उन्नत अर्थव्यवस्था समूह में मुद्रास्फीति वर्ष 2020 में 0.8 प्रतिशत होने का अनुमान है, 2021 में 1.6 प्रतिशत से बढने का अनुमान है, क्योकि वसूली लाभ में तेजी आई और इसके बाद मोटे तौर पर 1.9 फीसदी की स्थिरता रही। उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्था समूह में, मुद्रास्फीति इस साल 5 प्रतिशत पर होने की संभावना जताई गई है, जो अगले साल 4.7 प्रतिशत घट रही है, और उसके बाद मध्यम अवधि में 4 प्रतिशत पर रहेगी, जो इस समूह के लिए औसत से नीचे है। इस वर्ष में मुद्रास्फीति कम रहने की उम्मीद है।

विकास के दृष्टिकोण के साथ, प्रक्षेपण क्षितिज पर विचारणीय अनिश्चितता मुद्रास्फीति अनुमानों को घेरती है। मूल्य दबाव बढ़ सकता है, उदाहरण के लिए, क्योंकि दबी हुई मांग के कारण उपभोक्ता उन वस्तुओं, जिन्हें लॉकडाउन और आवागमन पर प्रतिबंध के कारण लेने में उन्हें देरी हुई थी, पर खर्च बढ़ाते हैं। लगातार आपूर्ति बाधित होने से अधिक उत्पादन लागत के कारण भी वे बढ़ सकते हैं। मौद्रिक नीति ढाँचों की विश्वसनीयता भी कीमत की घटनाओं को प्रभावित कर सकती है।

1.1.2 वैश्विक वस्तुओं की कीमतें

डब्ल्यूईओ रिपोर्ट के अनुसार, प्रति बैरल औसत पेट्रोलियम स्पॉट की कीमतें 2020 में 41 प्रति यूएसडी और 2021 में 43.8 प्रति यूएसडी है, जो अप्रैल और जून के पूर्वानुमानों की तुलना में अधिक हैं। भविष्य के तेल रेखाचित्र 48 यूएसडी से बढ़ने की उम्मीद है, जो कि 2019 के के औसत से लगभग 25 प्रतिशत नीचे है। गैर–ईंधन वस्तुओं की कीमतों के अप्रैल और जून में कल्पित से अधिक तेज होने की उम्मीद है। तेल की अनुमानित कम कीमतें भारत की मुद्रास्फीति और भुगतान राशि पर उनके प्रभाव के संदर्भ में अच्छी तरह से उभरती हैं।

1.1.3 वैश्विक आर्थिक परिवेश

वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (जीएफएसआर) अक्टूबर 2020 के अनुसार, वित्तीय स्थिति आम तौर पर आसान रही है। आक्रामक नीतिगत प्रत्युत्तर उपायों ने कोविड–19 दुष्प्रभावों के आगे बढ़ने से रोकने की भावना का समर्थन वित्तीय प्रणाली के माध्यम से करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के लिए जून से वित्तीय स्थितियों में सरलता आई है और अधिकांश उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए, वित्तीय बाजारों और वास्तविक अर्थव्यवस्था के बीच निरंतर विसंबंधन दृश्यमान है, जो आंशिक रूप से अभूतपूर्व नीति समर्थन को दर्शाता है। उन्नत और उभरती बाजार दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए वित्तीय स्थिति के लगभग मौजूदा स्तरों पर बने रहने की उम्मीद है। डब्लयूईओ अक्टूबर 2020 बेसलाइन वैश्विक विकास का 2021 के लिए अनुमान 5.2 प्रतिशत है जो कि अभूतपूर्व मौद्रिक नीति सुविधा और बड़े राजकोषीय स्थितियों को आसान बनाए रखेगा और कोविड–19–संबंधित नकदी प्रवाह दबाव को फर्मों और घरों पर दबाव बनाने में मदद करेगा। जहाँ उभरते हुए बाजारों में आम तौर पर वित्तीय स्थितियों में कमी आई है, कई देशों के लिए बाहरी उधार लेने की लागत अभी भी पूर्व कोविड–19 के स्तर से ऊपर है।

परिदृश्य को जोखिम

नकारात्मक जोखिम महत्वपूर्ण हैं। इनमें मोटे तौर पर निम्नलिखित शामिल हैं:

- **कई स्थानों में पुनः प्रकोप हो सकता है–** यदि वायरस पुनः जीवित हो जाता है, और उपचार

और टीके पर प्रगति प्रत्याशित की तुलना में धीमी है या देशों की उन तक पहुंच असमान बनी हुई है, नए सामाजिक दूरी नियम और कठोर लॉकडाउन के साथ आर्थिक गतिविधि अपेक्षा से कम हो सकती है। कमजोर बाहरी मांग से सीमा पार स्पिलओवर वैश्विक विकास पर देश या क्षेत्र विशेष के प्रभाव को और बढ़ा सकते हैं।

- **समयपूर्व निकास के लिए नीति समर्थन** या डिजाइन और कार्यान्वयन की चुनौतियों के कारण उपायों के खराब लक्ष्य, अन्यथा व्यवहार्य और उत्पादक आर्थिक संबंधों के विघटन को बढ़ावा दे सकता है, जो दुष्परिणामों को बढ़ाता है।
- **मार्च तक वित्तीय स्थिति फिर से कठोर हो सकती है, कमजोरियों को उजागर करते हैं** –नया ऋण देने (या विफलता के लिए रोल से अधिक मौजूदा ऋण) में अचानक रोक से कुछ अर्थव्यवस्थाओं में ऋण संकट और अग्रिम गतिविधियां धीमी हो गई है।
- **तरलनिधि की कमी और दिवालियापन** – फर्मों को तत्काल राजस्व का नुकसान होने के कारण गहन मंदी में व्यापक तरलता की कमी होती है। लंबे समय तक तरलता की कमी दिवालिया होने और फर्म की बंदी में तब्दील हो सकती है। हालांकि, आक्रामक और तेज नीतिगत प्रत्युत्तर उपायों ने अब तक अधिक दिवालिया होने से रोका है। लेकिन मंदी की गंभीरता और कुछ देशों में आपातकालीन सहायता की संभावित वापसी को देखते हुए, गहरी तरलता गिरावट और दिवालिया स्थिति का सामना करने वाली फर्म के एक व्यापक क्रॉस–सेक्शन का जोखिम मूर्त है।

1.1.4 बॉन्ड और इक्विटी बाज़ार

जबकि वित्तीय परिसंपत्तियां निवेश के अवसर प्रदान करती हैं, निवेशक जोखिमों को कम करने के लिए अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने की कोशिश करते हैं। स्टॉक्स और बॉन्ड का वैश्विक स्तर पर कारोबार होता है, इसलिए बॉन्ड और इक्विटी के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार का घरेलू बाजार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और इसलिए इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

जीएफएसआर अक्टूबर 2020 के अनुसार, वैश्विक इक्विटी बाजारों ने महामारी के संकट से जोरदार वापसी की है, जो वायरस के प्रसार, नीति समर्थन के क्षेत्र और क्षेत्रीय संरचना के आधार पर देशों की उल्लेखनीय भिन्नता पर निर्भर है। सितंबर 2020 में बाजार संबंधी कमियों के बावजूद, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के इक्विटी बाजारों ने तकनीकी स्टॉक्स द्वारा परिचालित अन्य बाजारों को बेहतर बना दिया है।

डब्लयूईओ की रिपोर्ट के अनुसार, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में ज्यादातर साल की शुरुआत से ही इक्विटी बाजारों का अपना स्तर सुधरा है (और कुछ मामलों में अधिक हो गए हैं), राष्ट्रिक बॉन्ड प्रतिफल व्यापक रूप से अपरिवर्तित है या उसमे जून के बाद से और गिरावट आई है (जैसा कि इटली में यूरोपीय संघ के महामारी वसूली पैकेज स्थापित होने और यूरोपीय सेंट्रल बैंक की महामारी आपातकालीन खरीद कार्यक्रम का विस्तार होने के बाद देखा गया था), और "कोर्पोरेट स्प्रेडस आगे, विशेष रूप से" हाई यील्ड क्रेडिट (यूनाईटेड स्टेटस को फेडरल रिजर्व की लक्षित ऋण सुविधाओं द्वारा लाभ पहुँचाते हुए): सुरक्षित संपत्ति (पूर्वानुमानित भविष्य में केंद्रीय बैंक की नीतिगत दरों के कम होने की अपेक्षाओं के अनुरूप) और जोखिम प्रीमियमों के संकुचन से कम हो गया।

उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में आमतौर पर इक्विटी बाजार भी जून (चीन में) के बाद से मजबूत हुए हैं। चीन में सुधार सहित डॉलर की तरलता (जैसे केंद्रीय बैंक स्वैप लाइन) का समर्थन प्रक्रिया में है, मार्च 2020 में तेज उलटफेर के बाद कुछ उभरते बाजारों में फिर से पोर्टफोलियो प्रवाह को उठाने में मदद की है।

अमेरिकी राजकोषीय प्रतिभूतियों का फैलाव, जो मार्च 2020 में फेडरल रिजर्व की कठोर वित्तीय स्थितियों और डॉलर की तरलता की कमी को दूर करने संबंधी आक्रामक कार्रवाईयों के बाद गिरना शुरू हो गया था,

ने जून 2020 से मजबूत जोखिम वहन क्षमता के अनुरूप संकुचित होना जारी रखा। उभरते बाजारों में संप्रभुत्व परिणाम आम तौर पर हाल के महीनों में कम हुए है। जैसा कि जीएफएसआर अक्टूबर 2020 में संकेत दिया गया है, पोर्टफोलियो प्रवाह में सुधार असमान है, कुछ देशों में बड़े बहिर्वाह का अनुभव करना जारी है।

चार्ट 1.1 उन्नत अर्थव्यवस्था सरकारी बांड प्रतिफल (प्रतिशत)

Yields collapsed initially on the back of lower-term premiums and expectations of central bank response.

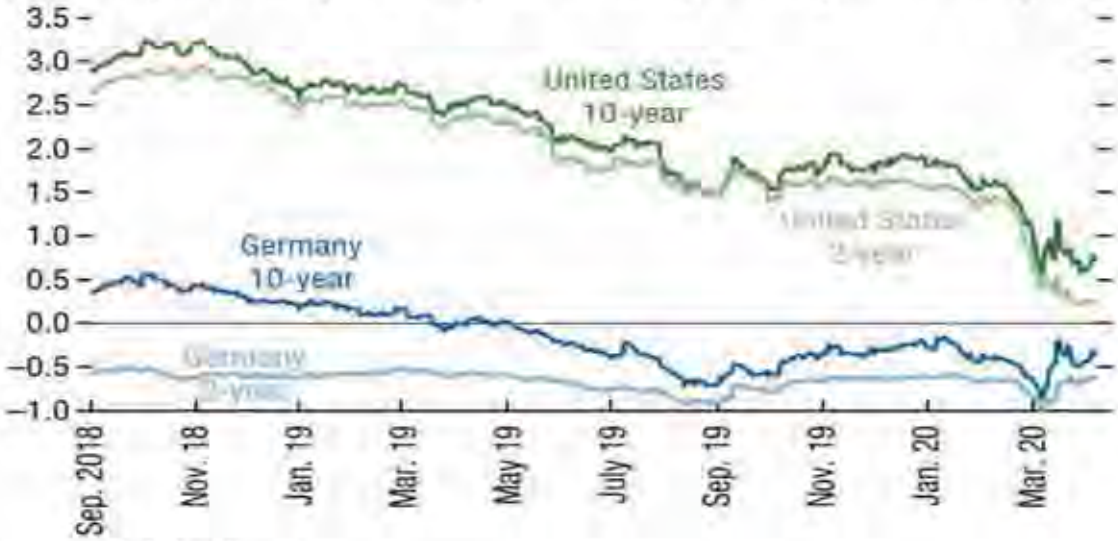

स्रोतः जीएफएसआर रिपोर्ट, अप्रैल, 2020

1.2 घरेलू अर्थव्यवस्था

1.2.1 भारत में समष्टि–आर्थिक विकास

आरबीआई (संदर्भ एमपीसी रिपोर्ट, अक्टूबर 2020) के अनुसार, घरेलू मोर्चे पर, उच्च आवृत्ति संकेतक बताते हैं कि आर्थिक गतिविधि वित्त वर्ष 2020–21 की तिमाही 1 (अप्रैल–जून) में जीडीपी के 23.9 प्रतिशत के वर्ष दर वर्ष गिरावट से तिमाही 2 में स्थिर थी। सरकारी खर्च और ग्रामीण मांग के आधार पर, विनिर्माण – विशेष रूप से उपभोक्ता गैर–स्थायी – और कुछ श्रेणियों की सेवाएं, जैसे कि यात्री वाहन और रेलवे माल में धीरे–धीरे तिमाही 2 में सुधार हो रहा हैं। कृषि के लिए दृष्टिकोण मजबूत है। माल निर्यात पूर्व–कोविड स्तर तक पकड़ बना रहा है और आयात के संकुचन की गति संतुलित हुई है, तिमाही 2 में व्यापार घाटा क्रमिक रूप से बढ़ गया। उच्च आवृत्ति अग्रिम इंगित करता है कि तिमाही 3 (अक्टूबर –दिसंबर 2020) में सुधार स्थगित रहेगा, 2020–21 में सकल घरेलू उत्पाद के –9.5 होने की संभावना है, जो कि जोखिम में गिरावट के साथ होगा।

घरेलू वित्तीय स्थितियों में बड़े पैमाने पर अधिशेष तरलता शेष रहने के साथ, काफी हद तक आसानी हुई है। वर्ष–दर–वर्ष आधार पर आरक्षित धन में 13.5 प्रतिशत (2 अक्टूबर, 2020 तक) की वृद्धि हुई, जो मुद्रा की मांग (21.5 प्रतिशत) में भारी वृद्धि से प्रेरित थी। हालांकि, 25 सितंबर, 2020 तक मुद्रा आपूर्ति (एम 3) में 12.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। बैंकों के गैर–खाद्य ऋण की वृद्धि दर कम रही। 2 अक्टूबर, 2020 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 545.6 बिलियन अमरीकी डॉलर था।

1.2.2 मुद्रास्फीति

वर्ष 2019–20 (अक्टूबर 2019 तक) में हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति लक्ष्य से नीचे रही। हेडलाइन सीपीआई ने दिसंबर 2019 में लक्ष्य के ऊपरी सहिष्णुता बैंड का उल्लंघन किया और जनवरी 2020 में चरम पर पहुंच गया, सब्जियों, फलों और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में गिरावट से पहले, फरवरी 2020 में 100 बीपीएस

की गिरावट दर्ज की। फिर से, हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति ने जून–अगस्त 2020 के दौरान, लक्ष्य की ऊपरी सहिष्णुता सीमा को रोक दिया, जो ऊपरी दबाव के व्यापक प्रसार से प्रेरित है। पेट्रोलियम उत्पादों और अन्य वस्तुओं पर आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान और उच्च करों ने मौन मांग स्थितियों के होते हुए मुद्रास्फीति पर इन दबावों को बढ़ा दिया। भारतीय रिजर्व बैंक को उम्मीद है सीपीआई मुद्रास्फीति के लिए धीरे–धीरे मध्यम से एच 2 में 2020 में 5.4–4.5 प्रतिशत और तिमाही 1: 2020–21 में 4.3 प्रतिशत मध्यम होने का अनुमान है ।

चार्ट 1.2: सीपीआई और डब्लयूपीआई मुद्रास्फीति दर

स्रोत: पीआईबी और एमओएसपीआई

1.2.3 मौद्रिक प्रबंधन

2019–20 के लिए प्रथम द्वि–मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य में, एमपीसी ने नीति रेपो दर को 6.25 से घटाकर 6.0 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। वर्तमान और विकसित हो रही व्यापक आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर, दूसरी द्वैमासिक नीति में मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों (बीपीएस) की कमी की, जबकि तीसरी मासिक नीति में 35 आधार अंकों को 5.40 प्रतिशत तक घटाया है। चौथी, पांचवीं और छठी द्विमासिक मौद्रिक नीति विवरण में नीतिगत दरों को अपरिवर्तित रखा गया है, क्योंकि जब तक मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर बनी रहती है, तब तक विकास को पुनर्जीवित करना आवश्यक है। कोविड–19 महामारी को देखते हुए, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने वित्त वर्ष 2020–21 के लिए अपनी पहली द्वि–मासिक बैठक को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। एमपीसी ने 2020–21 के लिए पॉलिसी रेपो दर को 40 बीपीएस से घटाकर 4.0 प्रतिशत कर दिया था, जिसे 2020–21 के लिए अपनी दूसरी द्विमासिक बैठक में अपरिवर्तित रखा गया था।

चार्ट 1.3: वित्त वर्ष 2018–19 और वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान रेपो दर में गति नीचे प्रदर्शित की गई है:

स्रोतः एमपीसी रिपोर्ट आरबीआई

1.3 वित्तीय बाजार

मौजूदा वित्तीय सेवा फर्मों की वृद्धि और बाजार में प्रवेश करने वाली नई संस्थाओं दोनों के मामले में भारत के विविध वित्तीय क्षेत्र का तेजी से विस्तार हो रहा है। इस क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंक, गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, सहकारी समितियां, बीमा कंपनियां, पेंशन निधियां, म्यूचुअल फंड और अन्य लघु वित्तीय संस्थाएं शामिल हैं।

1.3.1 जी–सेक मार्केट

आरबीआई की मौद्रिक नीति रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2019–20 की तिमाही 1 में जी–सेक परिणाम नरम रहे। खुला बाज़ार परिचालन (ओएमओ) खरीद और कच्चे तेल की कम कीमतों के माध्यम से तरलता के संचार से प्रतिफल प्राप्त हुए। कुल मिलाकर, बेंचमार्क पैदावार वित्त वर्ष 2019–20 एच 1 के दौरान 65 बीपीएस से नरम हो गई, 30 सितंबर, 2019 को 6.70 प्रतिशत पर बंद हुआ। मार्च 2020 के प्रारंभ में, पैदावार एक नरम स्थिति के साथ शुरू हुई, हालांकि, इसके बाद यह कुछ कठोर हुई क्योंकि (i) अमेरिका के महामारी को रोकने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन के वचन देने के परिणामस्वरूप कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आई (ii) एफपीआई द्वारा शुरू की गई कोविड–19 संचालित कठोर बिक्री द्वारा आईएनआर के तेज मूल्यह्रास : और (iii) वैश्विक मंदी की आशंका से वैश्विक डॉलर की तरलता में कमी आ रही है। इसके अलावा, तीन खुले बाजार परिचालन (ओएमओ) खरीद की नीलामी के माध्यम से 40,000 करोड़ मार्च 20, 24 और 26, 2020 को लगानाः 23 और 24 मार्च 2020 को दो ठीक–ठीक परिवर्तनीय दर 16 दिवसीय रेपो के माध्यम से, रूपये 77,745 करोड़ लगाना और मार्च 26 को 12 दिनों की परिपक्वता की एक परिष्करणीय चर दर रेपो नीलामी के माध्यम से 11,772 करोड़ लगाना। ये तरलता उपाय वित्तीय प्रणाली के उन भागों में समतल पैदावार में मदद करेंगे जहां भारी छूट पर बिक्री ऋण को फैलाव को बढ़ा रही है। जी–सेक पैदावार 2020–21 के दौरान अब तक सही बनी हुई है, जो कि अक्टूबर 2020 के अंत में 5.91 फीसदी पर 10 साल के जी–सेक बेंचमार्क परिणाम के साथ है।

चार्ट 1.4 : 10 वर्षीय जी–सेक बांड प्रतिफल (प्रतिफल)

आंकड़ों का स्रोत : आरबीआई रिपोर्ट

1.3.2 कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार

आरबीआई (एमपीसी) की रिपोर्ट के अनुसार, 2019– 20 एच 1 के दौरान कॉरपोरेट बॉन्ड की पैदावार में तेजी से कमी आई है, जो बड़े पैमाने पर जी–सेक पैदावार पर नजर रखता है और पॉलिसी रेपो रेट में कटौती के प्रसारण को दर्शाता है। इस अवधि के दौरान, 5–एएए कॉरपोरेट बॉन्ड की पैदावार में 66 आधार अंकों की नरमी हुई– मार्च 2019 के अंत में 8.10 प्रतिशत से लेकर सितंबर 2019 के अंत तक 7.44 प्रतिशत हुई है।

वित्त वर्ष 2019–20 एच 2: के दौरान कॉरपोरेट बॉन्ड की पैदावार में और कमी आई, काफी हद तक जी–सेक पैदावार पर नजर रखने और अधिशेष प्रणालीगत तरलता की स्थिति को दर्शाती है। एएए 5–वर्षीय कॉरपोरेट बॉन्ड की पैदावार सितंबर 2019 के अंत में 7.44 प्रतिशत से घटकर मार्च 2020 के अंत में 7.02 प्रतिशत हो गई। कुल मिलाकर, एएए 5– वर्ष की पैदावार 2019–20 के दौरान 108 बीपीएस द्वारा नरम हो गई, जो कोर्पोरेट बांड बाज़ार में मौद्रिक नीति नीलामियों के प्रसारण और दिसंबर 2019 से मार्च 2020 के दौरान विशेष ओएमओ और एलटीआरओ के प्रभाव को दर्शाती है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसओ), वित्तीय संस्थानों (एफआई) और बैंकों द्वारा जारी किए गए बॉन्ड पर जोखिम प्रीमियम (5–वर्षीय एएए कॉरपोरेट बॉन्ड 5–वर्षीय जी–सेक पर), ने 26 बीपीएस की कमी की जबकि एनबीएफसी द्वारा जारी किए गए 14 बीपीएस कम हो गए।

कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार, जिसने कोविड –19 के प्रकोप के बाद मार्च–अप्रैल 2020 के दौरान गंभीर तनाव का अनुभव किया, शेष एच 1: 2020–21 के दौरान सामान्य स्थिति में कमी, कम पैदावार, प्राथमिक बाजार समस्याओं को दर्ज किया और माध्यमिक बाजार कारोबार में बढ़त दर्ज की। एच 1: 2020–21 के दौरान, एनबीएफसी द्वारा जारी एएए–रेटेड 3–वर्षीय बॉन्ड पर पैदावार, कंपनियों, और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सार्वजनिक उपक्रमों), वित्तीय संस्थानों (एफआई) और बैंकों ने क्रमशः 157 बीपीएस, 170 बीपीएस और 114 बीपीएस की है, – अधिशेष तरलता की स्थिति, लंबी अवधि के रेपो संचालन (टीएलटीआरओ) और "ऑपरेशन ट्विस्ट" नीलामी को लक्षित करती है।

1.3.3 इक्विटी बाजार

कोविड–19 के कारण वैश्विक इक्विटी बाजार की गिरावट के कारण 2019–20 के शेष भाग में तेज गिरावट दर्ज करने से पहले, भारत में इक्विटी बाजार ने जनवरी 2020 के मध्य तक बड़े पैमाने पर लाभ कमाया था।

31 मार्च, 2020 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का बेंचमार्क इंडेक्स 29,468.49 पर बंद हुआ, जो 31 मार्च, 2019 को 38,673 के अपने समापन मूल्य से 23.67 प्रतिशत की गिरावट के साथ देखा गया। इस अवधि के दौरान, एस एंड पी बीएसई संवेदनशीलता सूचकांक ने 14 जनवरी 2020 को 41,952.63 के अपने अधिकतम स्तर को छू लिया और 23 मार्च 2020 को 25,981.24 के अपने न्यूनतम स्तर को छुआ। इसके अलावा, 31 मार्च, 2020 को निफ्टी 50, नेशनल स्टॉक का बेंचमार्क इंडेक्स एक्सचेंज (एनएसई) 8,281.1 पर बंद हुआ, जिसमें 31 मार्च, 2019 के 10,114 के अपने समापन मूल्य से 15.70 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। इस अवधि के दौरान निफ्टी 50 ने 14 जनवरी, 2020 को 12,362.3 के साथ अपने उच्चतम स्तर और 23 मार्च, 2020 को 7,610.25 के निचला स्तर को छू लिया।

आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2019: 20 एच 2 के दौरान, जहाँ एमएफ 38,989 करोड़ (30 मार्च तक) रुपये के शुद्ध खरीदार थे। एएफपीआई भारतीय इक्विटी बाजारों में रूपये 5,599 करोड़ रुपये की शुद्ध बिक्री के साथ में शुद्ध विक्रेता थे जिनके द्वारा मार्च 2020 में 62,433 करोड़ रुपये की कुल बिक्री के साथ भारी बिक्री हुई।

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान बीएसई के बेंच मार्क इंडेक्स का प्रदर्शन सुधार पथ पर रहा और अक्टूबर 2020 के अंत तक 39814.07 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 अक्टूबर, 2020 के अंत तक 11678.45 पर बंद हुआ।

चार्ट 1.5: सेंसेक्स और निफ्टी सूचकांक

आंकडों का स्रोतः बीएसई वेबसाइट

1.4 वैश्विक पेंशन बाजारों की समीक्षा

1.4.1 वर्ष 2019 में ओईसीडी क्षेत्र में पेंशन निधि आस्तियां

वर्ष 2019 के प्रारंभिक आंकड़ों से पता चलता है कि ओईसीडी क्षेत्र में पेंशन निधियों में 32.3 ट्रिलियन डॉलर और 29 अन्य रिपोर्टिंग क्षेत्रों में यूएसडी 0.7 ट्रिलियन थे। वर्ष 2019 के अंत में संयुक्त राष्ट्र ने पेंशन निधि संपत्ति में सबसे बड़ी (यूएसडी 18.8, ट्रिलियन) संपत्ति अपने नाम की, जिसका अनुसरण यूनाइटेड किंगडम (यूएसडी 3.6 ट्रिलियन), ऑस्ट्रेलिया (यूएसडी 1.8 ट्रिलियन), नीदरलैंड (यूएसडी 1.7 ट्रिलियन), कनाडा (यूएसडी 1.5 ट्रिलियन), जापान (यूएसडी 1.4 ट्रिलियन) और स्विटजरलैंड (यूएसडी 1.0 ट्रिलियन) द्वारा किया गया। ये सात देश ओईसीडी क्षेत्र में सभी पेंशन निधि परिसंपत्तियों के 90 प्रतिशत से अधिक हैं।

2018 में गिरावट के साथ पेंशन निधि में संपत्ति की मात्रा 2019 में बढ़ गई, ओईसीडी क्षेत्र में 13.9 प्रतिशत और अन्य रिपोर्टिंग न्यायक्षेत्रों में 11.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

पोलैंड और यूक्रेन को छोड़कर सभी रिपोर्टिंग देशों में वृद्धि देखी गई। आर्मेनिया (58.2 प्रतिशत) और तुर्की (37.3 प्रतिशत) में सबसे बड़ी वृद्धि हुई, जिसने हाल ही में अनिवार्य निजी पेंशन व्यवस्था (2014 में आर्मेनिया में) या स्वचालित–नामांकन कार्यक्रम (तुर्की में 2017 में) की शुरुआत की। ये योजनाएं उपचय चरण में हैं क्योंकि वे योगदान करने वाले सदस्यों प्राप्त करते हैं जबकि किसी को भी या कुछ को अभी तक लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। पोलिश वित्तीय पर्यवेक्षण प्राधिकरण बताते हैं कि पेंशन निधि परिसंपत्तियों में गिरावट का एक कारण सामाजिक बीमा संस्थान में सेवानिवृत्ति से पहले सदस्यों की संपत्ति के क्रमिक हस्तांतरण से उत्पन्न एक नकारात्मक नकदी प्रवाह था।

पांच देशों में पेंशन निधि में परिसंपत्तियां घरेलू अर्थव्यवस्था के आकार को पार कर गईं: ऑस्ट्रेलिया (132 फीसदी), आइसलैंड (167.6 फीसदी), नीदरलैंड (191.4 फीसदी), स्विट्जरलैंड (141.1 फीसदी) और यूनाइटेड किंगडम (123 फीसदी)। इसके विपरीत, 66 रिपोर्टिंग न्यायक्षेत्रों में से 44 में पेंशन निधि की संपत्ति जीडीपी के 20 प्रतिशत से कम थी।

चार्ट 1.6: दिसंबर 2018–2019 में पेंशन निधियों के वास्तविक निवेश रिटर्न दर

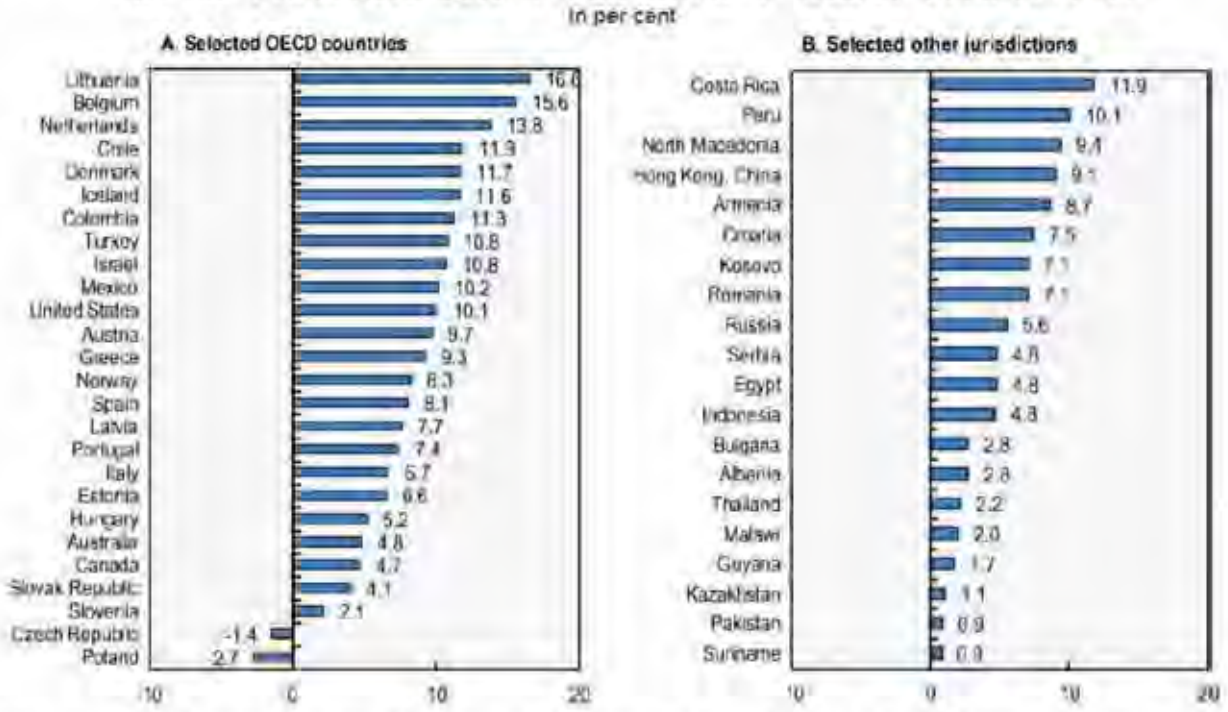

2019 में मजबूत निवेश प्रदर्शन शायद वित्तीय बाजारों के ठीक होने का परिणाम है, इसमें 2018 की अंतिम तिमाही में भारी नुकसान के बाद वापस उछाल आया है। 2018 के अंत में प्रमुख शेयर बाजार सूचकांकों ने 2019 के अंत में उच्च स्तर दर्ज किया (उदाहरण के लिए) एफटीएसई 250 के लिए 25 प्रतिशत से अधिक, डीएएक्स के लिए 26.5 प्रतिशत से अधिक और एस एंड पी 500 के लिए 28.9 प्रतिशत से अधिक, वॉल स्ट्रीट जर्नल के मार्केट डेटा–सेंटर के अनुसार)।

केवल दो देशों में पेंशन निधियों ने सकारात्मक निवेश प्रदर्शन हासिल नहीं किया: चेक गणराज्य (–1.4 प्रतिशत) और पोलैंड (–2.7 प्रतिशत)। चेक गणराज्य में पेंशन निधि में एक रूढ़िवादी निवेश रणनीति है जो मुद्रास्फीति की मामूली निवेश दर (1.7 प्रतिशत) मुद्रास्फीति (3.2 प्रतिशत) से नीचे है। 2019 में पोलिश घरेलू इक्विटी का खराब प्रदर्शन आंशिक रूप से पोलिश पेंशन निधि के नकारात्मक प्रदर्शन की व्याख्या कर सकता है।

1.4.2 वर्ष 2019 में इक्विटी निवेश

ओईसीडी की रिपोर्ट के अनुसार, पेंशन निधियों को

ज्यादातर 2019 के अंत में इक्विटी और बॉन्ड में निवेश किया गया था। पेंशन निधि ने 36 में से 16 रिपोर्टिंग ओईसीडी देशों में अपने 75% इक्विटी और बांड में रखा है और 28 में से 17 को अन्य रिपोर्टिंग क्षेत्राधिकार में रखा। पेंशन निधियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सामूहिक निवेश योजनाओं (सीआईएस) में निवेशित किया गया है।

दो ओईसीडी देशों (लिथुआनिया और पोलैंड) और तीन गैर–ओईसीडी क्षेत्राधिकारों में 2019 के अंत में हांगकांग (चीन), मलावी और नामीबिया में 50% से अधिक पेंशन निधि निवेश में इक्विटी ने प्रतिनिधित्व किया।

18 ओईसीडी देशों में, और रिर्पोटिंग 28 गैर–ओईसीडी क्षेत्राधिकारों में से 16 देशों पेंशन निधियों के आधे से अधिक निवेश बांड में किए गए थे। वर्ष 2019 में देश जिनमें बॉन्ड में सबसे अधिक निवेश किया है, उनमें अल्बानिया (94.8 प्रतिशत), कोस्टा रिका (84.5 प्रतिशत), कजाकिस्तान (85.5 प्रतिशत), मैक्सिको (81.1 प्रतिशत) और सर्बिया (80.9 प्रतिशत) शामिल हैं।

1.5 बजट 2020 में एनपीएस के लिए प्रमुख घोषणाएं

बजट 2020 में की गई एनपीएस से संबंधित घोषणाएं निम्नलिखित हैं:

i) रोज़गार के दौरान सरल गतिशीलता प्रदान करने के लिए, ऑटो नामांकन के साथ सार्वभौमिक पेंशन कवरेज का प्रयोग ऐसी प्रणाली को सक्रिय करने के लिए किया जाता है, जो अंतरसंक्रियता को सक्षम करे और संचित कोष के लिए सुरक्षा उपाय प्रदान करे।

ii) पीएफआरडीएआई की विनियामक भूमिका को प्रबल बनाने के लिए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे, जो कि सरकारी कर्मचारियों के लिए पीएफआरडीएआई से एनपीएस न्यास को अलग करने की सुविधा प्रदान करेगा। यह सरकारी कर्मचारियों के अतिरिक्त कर्मचारियों द्वारा पेंशन न्यास की स्थापना को भी सुनिश्चित करेगा और नागरिकों को उनकी वृद्धावस्था के लिए योजना बनाने हेतु प्रोत्साहित करेगा।

iii) कुछ निधियों में नियोक्ता के अंशदान पर छूट की सीमा : कर्मचारियों के लिए मान्यताप्राप्त भविष्यनिधि, अधिवर्षिता निधि और एनपीएस में नियोक्ता अंशदान पर कर छूट के लिए सात लाख पचास हजार की ऊपरी सीमा प्रस्तावित की गई है।

1.6 भारतीय जनसांख्यिकीय और वृद्धावस्था आय सुरक्षा:

बढ़ती पेंशन देनदारियों के कारण, वैश्विक प्रयोगों को ध्यान में रखते हुए और इस मुद्दे पर गहन चिंतन के बाद सरकार ने परिभाषित लाभ पेंशन योजना से परिभाषित अंशदान पेंशन योजना में स्थानानतरित होने का सुविचारित निर्णय लिया। नई पेंशन योजना, जिसे अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) कहा जाता है, सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 5/7/2003–ईसीबी और पीआर दिनांक 22 दिसंबर, 2003 द्वारा शुरू किया गया था और इसे 01.01.2004 से सेवाओं में शामिल हुए केंद्र सरकार कर्मचारियों (सशस्त्र बलों को छोड़कर) के लिए अनिवार्य किया गया था।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस), जिसे शुरूआत में केंद्र सरकार अभिदाताओं के लिए शुरू किया गया था, पश्चिम बंगाल को छोड़कर अब सभी राज्य सरकारों और अधिकांश केंद्र और राज्य स्वायत्त निकायों द्वारा अपनाया गया है। एनपीएस को मई 2009 से स्वैच्छिक आधार पर निजी और असंगठित क्षेत्र के लिए स्वैच्छिक आधार पर शुरू किया था।

भारत सरकार द्वारा दिनांक 31.01.2019 के माध्यम से केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए अंशदान को 10% से बढाकर 14% अधिसूचित किया, जो 1 अप्रैल 2019 से लागू है। अधिसूचना के अनुसार, कर्मचारी द्वारा मूल वेतन जमा मंहगाई भत्ते के 10% का भुगतान किया जाएगा और केंद्र सरकार द्वारा मूल वेतन जमा मंहगाई भत्ते के 14% का भुगतान किया जाएगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस अंशदान के गैर/विलंबित जमा में छूट के साथ–साथ पेंशन निधियों और निवेश प्रारूप के चयन में भी अधिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है।

1.7 भारतीय पेंशन परिदृश्य

भारतीय पेंशन परिदृश्य में न्यूनतम स्तर की सुरक्षा प्रदान

करने के लिए सरकार द्वारा वित्तपोषित गैर–अंशदायी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं, जैसे राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी), 2004 से पूर्व सेवाओं में शामिल हुए कर्मचारियों उपयोगानुसार भुगतान करें के आधार पर अनिवार्य परिभाषित लाभ पेंशन योजना जैसे सिविल सर्विस पेंशन, ईपीएफओ के तहत कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), अन्य सांविधिक भविष्य निधियां जैसे कोल माईन्स, सीमेंस असम टी प्लांटेशन आदि योजनाएं, केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सेवाओं में शामिल कर्मचारियों के लिए अनिवार्य आधार पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस), उन राज्य सरकारों के कर्मचारी जो एनपीएस में शामिल हुए हैं, सर्व नागरिकों के लिए स्वैच्छिक आधार पर एनपीएस, असंगठित क्षेत्र सहित जिनमें कर्मचारी और स्व–नियोजित व्यक्ति दोनों शामिल हैं, सामान्य भविष्य निधि, बीमा कंपनियों और म्यूच्युअल फंड द्वारा पेंश किए जाने वाले अधिवर्षिता योजनाएं शामिल है।

परिभाषित पेंशन प्रणाली का वित्तीय दबाव सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन सुधार की आवश्यकताओं और एनपीएस की शुरुआत का प्रमुख कारण है। ईपीएफ (विशेष रूप से संगठित क्षेत्र कर्मचारियों के लिए) जैसी अनिवार्य योजना के माध्यम से असंगठित क्षेत्र में कवरेज बढ़ाने में वित्तीय और व्यवहारिक कठिनाईयों के कारण, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति बचत को भारत में महत्वपूर्ण नीति उपकरण के रूप में माना जा रहा है। पेंशन प्रणाली के तहत असंगठित क्षेत्र कर्मचारियों की बढ़ी संख्या को कवर करने के उपाय के लिए एक नीतिगत उपाय के रूप में एनपीएस की शुरूआत की गई है, जो कि वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर, कम लागत वाली और प्रभावी प्रणाली है ।

एनपीएसए जिसे पूर्व में सरकारी क्षेत्र के लिए शुरू किया गया था, अब अन्य भागों के लिए जैसे, स्वायत्त निकायों, राज्य सरकारों और असंगठित क्षेत्र के लिए भी शुरू किया गया। एनपीएस को राज्य सरकारों द्वारा पुरजोर तरीके से अपनाया गया। 29 राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों ने अपने नए कर्मचारियों के लिए एनपीएस को अपनाया था। असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को वृद्धावस्था के लिए स्वैच्छिक रूप से बचत करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने सितंबर, 2010 में सह–अंशदान योजना–एनपीएस लाइट/स्वाबलंबन योजना शुरू की, इसके बाद प्रधानमंत्री द्वारा 9 मई, 2015 को अटल पेंशन योजना (एपीवाई) शुरू की गई और इस योजना को असंगठित क्षेत्र को लक्षित करते हुए 1 जून, 2015 से लागू किया गया है। एपीवाई के तहत अभिदाता को उनके द्वारा चुने गए अंशदान विकल्प के अनुसार रू.1000, रू.2000, रू.3000, रू.4000, रू.5000 की सरकारी गारंटिड पेंशन प्राप्त होगी।

एनपीएस के तहत अभिदाताओं की संख्या और प्रबंधन के अधीन परिसंपत्तियां निम्नलिखित तालिका में प्रदान की गई है :

तालिका संख्या 1.1: एनपीएस/एपीवाई के तहत अभिदाताओं की संख्या

(30 सितंबर 2020 तक के अनुसार)

(वर्ष दर वर्ष वृद्धि)

क्षेत्र	अभिदाताओं की संख्या (लाख में) (31.03.2019 तक के अनुसार)	अभिदाताओं की संख्या (लाख में) (30.09.2019 तक के अनुसार)	अभिदाताओं की संख्या (लाख में) (31.03.2020 तक के अनुसार)	अभिदाताओं की संख्या (लाख में) (30.09.2020 तक के अनुसार)	अभिदाताओं का वृद्धि (%)	एयूएम वृद्धि (%)
केंद्र सरकार	19.85	20.26	21.02	21.30	5.89	5.13
राज्य सरकार	43.21	45.51	47.54	48.97	10.02	7.60
कोर्पोरेट	8.03	8.77	9.74	10.46	21.24	19.33
सर्व नागरिक मॉडल	9.30	10.24	12.52	13.58	34.62	32.62
एनपीएस लाइट/स्वावलंबन	43.63	43.40	43.32	43.17	-	-
एपीवाई	149.53	178.21	211.42	238.85	41.39	32.90
कुल योग	**273.55**	**306.39**	**345.55**	**374.32**	**26.32**	**22.17**

आंकड़ों का स्रोत: एनपीएसटी और सीआरए रिपोर्ट

31 मार्च 2020 तक के अनुसार, एनपीएस और एपीवाई के तहत कुल 345.55 लाख सदस्य/अभिदाता नामांकित हुए हैं और 26.32 प्रतिशत की वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर्ज की है। 30 सितंबर 2020 तक के अनुसार अभिदाताओं की संख्या के लिए यह आंकड़े बढ़कर रू. 374.32 लाख हुए हैं और 22.17 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।

एपीवाई, जो परिभाषित पेंशन योजना है, में 31 मार्च 2020 तक के अनुसार कुल 211,42 लाख अभिदाता थे, जो कि 30 सितंबर 2020 तक के अनुसार 32.90 प्रतिशत की वर्ष दर वर्ष वृद्धि से 236.85 लाख की सख्या सहित थी।

मार्च, 2020 के अंत तक के अनुसार, 403 बैंक एपीवाई–सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकृत हैं, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र बैंक, विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिला वाणिज्यिक बैंक, अनुसूची वाणिज्यिक बैंक, शहरी वाणिज्यिक बैंक, पेमेंट बैंक, लघु वित्तीय बैंक और डाक विभाग शामिल हैं।

तालिका संख्या 1.2: एनपीएस/एपीवाई के तहत प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति

(30 सितंबर 2020 तक के अनुसार)

(वर्ष दर वर्ष वृद्धि)

क्षेत्र	एयूएम (रूपये करोड़ में) (31.03.2019 तक के अनुसार)	एयूएम (रूपये करोड़ में) (30.09.2019 तक के अनुसार)	एयूएम (रूपये करोड़ में) (31.03.2020 तक के अनुसार)	एयूएम (रूपये करोड़ में) (30.09.2020 तक के अनुसार)	एयूएम का वृद्धि (%) (मार्च 2019 से 2020 में) (वर्ष दर वर्ष)	एयूएम वृद्धि (%) (सितंबर 2019 से 2020 में) (वर्ष दर वर्ष)
केंद्र सरकार	1,09,010	124,703	1,38,046	160,606	26.64	28.79
राज्य सरकार	1,58,491	186,849	2,11,023	250,260	33.15	33.94
कॉर्पोरेट	30,875	36,340	41,231	50,730	33.54	39.60
सर्व नागरिक मॉडल	9,569	11,127	12,924	16,224	35.06	45.81
एनपीएस लाइट/ स्वावलंबन	3,409	3,631	3,729	4,068	9.39	12.04
एपीवाई	6,860	8,743	10,526	13,042	53.44	49.17
कुल योग	**318,214**	**371,393**	**417,479**	**494,930**	**31.19**	**33.26**

प्रबंधन के तहत संपत्ति जिसमें एनपीएस और एपीवाई के तहत कोश पर रिटर्न शामिल है, में 31 मार्च, 2019 को 318,214 करोड़ से 31 मार्च, 2020 तक रू 417,479 करोड तक की वृद्धि देखी गई है, जिसने वर्ष दर वर्ष आधार पर 31.19 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। एनपीएस/ एपीवाई के तहत कोश सितंबर 2020 के अंत तक बढ़कर 494,930 करोड़ रुपये हो गया है, जिसने 33.26 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज।

सरकार का कर लाभ के रूप में इन योजनाओं के लिए समर्थन और एपीवाई के लिए गारंटी इन योजनाओं की मांग को बढ़ाती है। हालांकि, देश की विशाल आबादी को देखते हुए बहुत से कदम उठाने की जरूरत है। एनपीएस को सभी नागरिकों तक पहुंचाने में बड़ी चुनौती संभावित अभिदाताओं के बीच जागरूकता और वित्तीय साक्षरता को बढ़ाना है। पीएफआरडीए विभिन्न मास मीडिया और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कदम उठा रहा है। इसके अलावा, एनपीएस जागरूकता के प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए, पीएफआरडीए ने सेवा प्रदाताओं के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए समर्पित एजेंसी को नियुक्त करके प्रचार और विकासात्मक गतिविधियाँ शुरू की हैं।

एनपीएस की पहुंच को संभावी अभिदाताओं और सेवा प्रदाताओं के लिए सरल बनाने के लिए पीएफआरडीए वैल्यू चेन चाहे ई–एनपीएस, मोबाइल एप, ई केवाईसी तकनीक को बढ़ा रहा है। यह माध्यम कार्यक्षमता उत्पन्न करतें हैं। ई–एनपीएस के माध्यम से एक व्यक्ति सुविधापूर्वक ऑनलाइन रूप से पंजीकृत हो सकते हैं और अंशदान कर सकतें हैं। एनपीएस के तहत मौजूदा अभिदाताओं के लिए ऑनलाइन अंशदान सुविधा भी उपलब्ध है। एनपीएस के तहत ई–एनपीएस सुविधा ऑनलाइन रूप से व्यक्तिगत पेंशन खाता खोलने और टियर I के साथ–साथ टियर II खाते से आरंभिक और अनुवर्ती अंशदान करने की सुविधा प्रदान करता है। यह गुण अभिदाताओं को पेंशन निधि प्रबंधक, आस्ति वर्ग, आवंटन अनुपात और प्रमाणीकरण के बाद योजना विकल्प बदलने में भी सक्षम बनाता है। एनपीएस अभिदाता अपने टियर II खाते से लॉग–इन परिचयपत्रों का प्रयोग करते हुए और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्रमाणीकरण के माध्यम से प्रत्याहरण अनुरोध कर सकते हैं।

1.8 वर्ष के दौरान पीएफआरडीए के लक्ष्यों की समीक्षा पर एक टिप्पणी

पीएफआरडीए अधिनियम 2013 की प्रस्तावना, प्राधिकरण के लक्ष्यों जैसे वृद्धावस्था आय सुरक्षा, विनियमों, विकास तथा पेंशन निधि की योजनाओं और उनसे संबंधित मामलों में अभिदाताओं की हितों की सुरक्षा के माध्यम से प्रस्तुत करती है।

पीएफआरडीए सक्रिय रूप से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (उसके सभी प्रकारों) तथा अटल पेंशन योजना के प्रचार तथा विकास एवम् एनपीएस के अंतर्गत सभी मध्यस्थों के विनियमन तथा निरीक्षण और वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रावधान के संपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने तथा अभिदाताओं के हितों की रक्षा में कार्यरत है। इन क्रियाकलापों में लगे रहने के दौरान, पीएफआरडीए अधिनियम 2013 की प्रस्तावना और बेहतर वैश्विक प्रयासों को ध्यान में रखते हुए, पीएफआरडीए निम्नलिखित व्यापक लक्ष्यों/परिणामों की प्राप्ति करने के लिए कार्यरत है:–

- आवृत्ति क्षेत्र बढ़ाना
- सुरक्षा
- प्रभावशीलता
- पर्याप्तता
- स्थिरता

आवृत्ति क्षेत्र बढ़ाना

संपूर्ण जनसंख्या के लिए वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रावधान प्राधिकरण के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है। जहाँ, पीएफआरडीए अधिनियम 2013 एनपीएस के विनियमन का आदेश देता है, वहीं आबादी के विभिन्न भागों को शामिल करने के लिए एनपीएस के विभिन्न घटकों अर्थात् केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सर्व नागरिक, एनपीएस लाइट, अटल पेंशन योजना (पीएफआरडीए द्वारा प्रशासित भारत सरकार की योजना) की शुरूआत की गई है। प्राधिकरण, प्रिंट, इलेक्ट्रानिक और सोशल मीडिया के माध्यम से जन जागरूकता उत्पन्न करते हुए, बैंक, डाकघरों, उपस्थिति अस्तित्वों, नोडल कार्यालयों आदि के अधिकारियों के प्रशिक्षण एवं क्षमतोत्पादन हेतु प्रशिक्षण अभिकरण की नियुक्ति, सेवानिवृत्ति सलाहाकारों आदि की नियुक्ति, ई–एनपीएस आदि के माध्यम से ऑनबोर्डिंग और लेनदेन की सुविधा प्रदान करते हुए कवरेज बढ़ाने में संलग्न है। परिणामस्वरूप, एनपीएस के तहत अभिदाता संख्या वित्त वर्ष 2018–19 के 273.55 लाख से बढकर वित्त वर्ष 2019–20 में 345.55 लाख हो गई, अर्थात् 26% की वृद्धि दर्ज की।

सुरक्षा

पीएफआरडीए अधिनियम 2013 के तहत विनियमों के एक व्यापक ढांचे का निर्माण किया गया है ताकि सेवानिवृत्ति लाभों को प्रदान करने के लिए संचित पेंशन निधियों के जोखिमों को न्यूनतम करने के लिए पेंशन परिसंपत्तियों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। इन विनियमों में सभी मध्यस्थों के लिए जिनमें पेंशन निधि भी शामिल हैं की नियुक्ति के प्रमुख मानदंड, विस्तृत कोर्पोरेट शासन रूपरेखा, योग्य तथा उपयुक्त प्रणाली, व्यापक आचार संहिता, विस्तृत भूमिकाएं तथा दायित्व, दंड प्रणाली को संपत्तियों की सुरक्षाओं को सुनिश्चित करने हेतु सम्मिलित किया है। इन विनियमों की समय–समय पर समीक्षा की जाती है और सुदृढ़ बनाया जाता है। आईटी पर्यवेक्षण प्रक्रियाओं को मजबूत बनाने के लिए पीएफआरडीए

साइबर सुरक्षा के क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है तथा इसके कवरेज को सुनिश्चित करेगा।

प्रभावशीलता

प्राधिकरण का प्रयास स्वीकार्य जोखिमों के अधीन अभिदाताओं को अधिकतम रिटर्न प्रदान करते हुए प्रणाली को प्रभावी बनाना है। यह रिटर्नस को अनुकूल बनाने के लिए समय–समय पर निवेश दिशानिर्देशों की समीक्षा करते हुए किया जाता है। दो नई जीवनचक्र निधियों अर्थात् एलसी 25 और एलसी 75 की शुरूआत और निजी क्षेत्र अभिदाताओं के लिए नए आस्ति वर्ग "ए" की शुरूआत इस दिशा में उठाए गए कुछ कदमों में से है।

प्रभावशीलता, श्रमिक और पूंजी बाज़ारों की प्रभावशीलता से भी संबंधित है, क्योंकि प्रत्येक द्वारा पेंशन के लिए प्रत्यक्ष योगदान के माध्यम से साथ ही साथ नौकरी और निवेश के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देते हुए पेंशन प्रणाली (अधिक कार्यरत जीवन तथा अंशदान, पूंजी की न्यून कीमतों, या अधिक वित्तीय समावेशों द्वारा) के लिए कार्य किया जाता है। पीएफआरडीए विशेष रूप से एपीवाई अभिदाताओं और सामान्य रूप से एनपीएस अभिदाताओं के लिए जागरूकता निर्माण द्वारा वित्तीय समावेशन में सक्रिय रूप से कार्यरत है।

पूंजी बाज़ारों के लिए, प्रभावशीलता गैर–बैंकिंग वित्तीय पूंजी से निधि उत्पादक निवेश पूंजी में विकास के द्वारा बाज़ारों की सघनता और व्यापक पूंजी बाज़ार सुधारों से संबंधित है। इन लक्ष्यों को पूर्ण करने में अनेकों अंतर्विनियामक संगठनों और समितियों के साथ पीएफआरडीए की भी भागीदारी रही है।

प्राधिकरण का अन्य प्रयास एनपीएस के तहत मध्यस्थ इकाईयों को प्रबल बनाना है। एक उचित और पारदर्शी प्रणाली के लिए मध्यस्थ इकाईयों का प्रबल होना अत्यंत आवश्यक है। मध्यस्थ इकाईयों से उत्पाद और प्रक्रिया के उचित ज्ञान को साझा तथा प्रदान करते हुए, संपूर्ण प्रणाली को उचित रूप से कार्य करने के लिए सक्षम बनाने हेतु सही दिशानिर्देशों को निर्धारित करते हुए उन्हें प्रबल बनाना है। एक उचित प्रणाली अभिदाता के हितों की रक्षा सुनिश्चित करती है।

पर्याप्तता

किसी भी पेंशन प्रणाली के महत्वपूर्ण उद्देश्यों मे से एक यह सुनिश्चित करना है कि अभिदाताओं के लिए सेवानिवृत्ति के समय पर्याप्त पेंशन संपत्ति हो अर्थात् सेवानिवृत्ति लाभ हकदारी की सुविधा देना जो कि उन्हें वृद्धावस्था आय की सुरक्षा प्रदान करती है।

जहाँ एनपीएस एक परिभाषित अंशदान योजना है, हालांकि एक अच्छे उपाय के रूप में, प्राधिकरण का प्रयास विभिन्न उपायों, जिनमें शामिल है– एनपीएस में अंशदान करने की आयु को 60 वर्ष से बढ़ाना, रिटर्नस को अनुकूल बनाने के लिए निवेश दिशानिर्देशों की समीक्षा, कर छूट के लिए सरकार के साथ संलग्न होना आदि। सेवानिवृत्ति पर पर्याप्त पेंशन संपत्ति प्रदान करने हेतु कार्य करना है। इसके अतिरिक्त, स्वैच्छिक क्षेत्र के तहत अर्थात् सर्व नागरिक मॉडल, कोर्पोरेट मॉडल में 60 वर्ष की आयु के बाद भी एनपीएस में ऑनबोर्ड होने के लिए स्वीकृति दी गई है।

स्थिरता

किसी भी अंशदायी पेंशन प्रणाली के पीछे स्थिरता भी प्रमुख कारण होता है। एनपीएस के माध्यम से, देशभर में समाज के विभिन्न भागों में पेंशन की पेशकश करने का प्रयास किया जा रहा है, जो वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करने के प्रमुख लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दीर्घकाल तक चल सके। एनपीएस संस्थानिक ढाँचे और उत्पाद परिकल्पना के साथ एक परिभाषित अंशदान योजना है, जो दीर्घकाल तक चलने के लिए स्वयं को सशक्त बनाती है। स्थायी पेंशन प्रणाली को प्राप्त करने में नियमित बचत और निवेश अनुशासन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पीएफआरडीए ने पेंशन के विषय में लोगों को शिक्षित करने और इन लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

1.9 एनपीएस के तहत मध्यस्थ इकाईयां

1.9.1 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से संबंधित मध्यस्थ इकाईयां और अधिनियम के तहत आने वाली अन्य पेंशन योजनाएं

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) एक ऐसी असमूहीकृत

प्रणाली के तहत कार्य करती है जिसमें प्रत्येक कार्य उस क्षेत्र की विशिष्ट इकाई को दिया गया है। एनपीएस संरचना में उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी), सरकारी विभागीय नोडल कार्यालय, केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण (सीआरए), न्यासी बैंक, पेंशन निधि प्रबंधक (पीएफएम), एनपीएस न्यास, अभिरक्षक, वार्षिकी सेवा प्रदाता और सेवानिवृत्ति सलाहाकार हैं।

क) उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी)

उपस्थिति अस्तित्व बैंक और गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियां आदि हैं, जो पीएफआरडीए के साथ अभिदाताओं के पंजीकरण और एनपीएस की सेवाएं प्रदान करने के लिए पंजीकृत हैं। उपस्थिति अस्तित्व अभिदाता और एनपीएस के बीच प्रथम संपर्क बिंदु है। पंजीकृत उपस्थिति अस्तित्व के पास अधिकृत शाखाएं होती हैं, जिन्हें पीओपी–सेवाप्रदाता (पीओपी–एसपी) कहा जाता है, जो संकलन बिंदु के रूप में कार्य करते हैं और ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करते हैं। पीओपी के कार्यों में शामिल है: अभिदाता पंजीकरण, अभिदाता अंशदान संसाधन, निजी विवरण में परिवर्तन, निवेश योजना/निधि प्रबंधक में परिवर्तन, अभिदाता स्थानानतरण को एक मॉडल से दूसरे मे स्थानानतरित करना, मुद्रित खाता विवरण जमा करना, अधिवर्षिता पर प्रत्याहरण/निकास अनुरोध जमा करना आदि।

1.9.1.2 सरकारी विभाग नोडल कार्यालय

i) **केंद्र सरकार नोडल कार्यालय**

प्रधान लेखा कार्यालय, वेतन और लेखा कार्यालय (पीएओ) और आहरण तथा संवितरण कार्यालय (डीडीओ)

केंद्र सरकार तहत प्रधान लेखा कार्यालय (पीआरएओ), वेतन और लेखा कार्यालय (पीएओ) और आहरण एवं संवितरण कार्यालय या केंद्र सरकार और केंद्रीय स्वायत्त निकाय के अधीन समरूप कार्यालय, वह मध्यस्थ इकाईयां हैं, जो अभिदाताओं की ओर से एनपीएस के लिए सीआरए के साथ संपर्क करती हैं ।

ii) **राज्य सरकार नोडल कार्यालय**

डीटीए, डीटीओ और डीडीओ

राज्य सरकारों के तहत कोशालय और लेखा निदेशालय (डीटीए), जिला खजाना कार्यालय (डीटीओ) और आहरण एवं संवितरण कार्यालय या राज्य सरकार और राज्य स्वायत्त निकायों के तहत समरूप कार्यालय ऐसी मध्यस्थ इकाईयां हैं, जो एनपीएस के तहत अभिदाताओं की ओर से सीआरए के साथ संपर्क करती है।

नोडल कार्यालय सीआरए प्रणाली के तहत सरकारी अभिकरणों के वह अधिकृत कार्यालय हैं, जो एनपीएस के तहत विभिन्न परिचालन कार्यों को निष्पादित करते हैं। यह कार्यालय विशिष्ट संख्या अर्थात् प्रधान लेखा कार्यालय/वेतन लेखा कार्यालय/आहरण एवं संवितरण कार्यालय पंजीकरण संख्या द्वारा परिचित होते हैं, जो सीआरए द्वारा उनके सफल पंजीकरण पर आवंटित किया जाता है। कार्यालय की कुछ महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:

- अभिदाता पंजीकरण के लिए अभिदाता पंजीकरण प्रपत्र पीएओ को जमा करें।
- अभिदाताओं को प्रान किट वितरित करें।
- अभिदाता के अंशदान के विषय में पीएओ को समयबद्ध और उचित सूचना प्रदान करना।
- अभिदाता प्रबंधन के लिए अभिदाता के अनुरोध को पीएओ को भेजना।
- अभिदाता की शिकायत का समाधान
- पीएओ आदि को अभिदाता के प्रत्याहरण अनुरोध को अग्रेषित करना आदि।

1.9.1.3 केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण (सीआरए)

एनएसडीएल ई–गर्वनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और केफिन टेकनोलोजी प्राइवेट लिमिटेड को एनपीएस के लिए सीआरए नियुक्त किया गया है। इनके प्रमुख कार्यों में शामिल है :

i) अभिदाता के रिकॉर्ड का प्रबंधन, प्रशासन और ग्राहक सेवा कार्य।

ii) प्रत्येक अभिदाता के लिए स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (प्रान), सभी प्रान का डाटाबेस तैयार करना और प्रत्येक प्रान से संबंधित लेनदेन रिकॉर्ड करना।

iii) एनपीएस प्रणाली की विभिन्न मध्यस्थ इकाईयों के बीच संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करना। इसमें प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए अंशदानों की निगरानी और निर्देश और इसे पेंशन निधियों को प्रेशित करना शामिल है। आवधिक रूप से, वह प्रत्येक सदस्य को प्रान विवरण भेजेंगे।

iv) एक केंद्रीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली उपलब्ध कराना।

v) निधि प्रबंधकों को समयबद्ध निधि स्थानांतरण सूचना प्रदान करना।

vi) अभिदाता के खाते से प्रत्याहरण निधियों को प्रेषित करने के लिए न्यासी बैंक के और वार्षिकी योजना के लिए वार्षिकी सेवाप्रदाता के साथ समायोजन।

1.9.1.4 न्यासी बैंक

एनपीएस के तहत विभिन्न मध्यस्थ इकाईयों के बीच न्यासी निधियों के प्रवाह को प्रबंधित करता है। वर्तमान में, एक्सिस बैंक लिमिटेड वह चयनित बैंक हैं, जो अभिदाताओं, निधि प्रबंधकों तथा वार्षिकी सेवाप्रदाताओं के लिए सीआरए द्वारा दिए गए निर्देशों पर आधारित निधि स्थानानतरण की सुविधा को उपलब्ध कराता है। न्यासी बैंक नयाचार कार्यालयों/पीओपी/संकलनकर्ताओं द्वारा निधि प्राप्त करता है तथा उससे अभिदाता अंशदान फाइल के साथ जोड़ देता है। न्यासी बैंक निधियों को एनपीएस न्यास के रूप में रखता है तथा अभिदाता उसके लाभार्थी बनते हैं।

1.9.1.5 पेंशन निधियां (पीएफस)

यह पेशेवर पेंशन निधि प्रबंधक हैं, जिनको न्यायसंगत तथा विवेकपूर्ण ढंग से प्रतिभूतियों में पेशन कोष को निवेश करने और प्रबंधित करने के लिए नियुक्त किया गया है। वर्तमान में एनपीएस के तहत पेंशन निधि प्रबंधक है– आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड, कोटेक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड, रिलायंस कैपिटल पेंशन फंड लिमिटेड (पंजीकरण प्रमाणपत्र की वापसी के बाद परिचालन 10 अगस्त 2019 से समाप्त हो गया), एसबीआई पेंशन फंड प्राईवेट लिमिटेड, यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड और एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, बिरला सनलाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड हैं, उनके कार्यों में शामिल है :

- निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश सुनिश्चित करना
- सीआरए द्वारा प्रदान निर्देशों के अनुसार योजनाओं में निवेश अंशदान
- योजना पोर्टफोलियो का निर्माण
- लेखाबहियों का प्रबंधन, प्राधिकरणों को रिर्पोटिंग और प्रकटीकरण करना।

1.9.1.6 प्रतिभूतियों के अभिरक्षक

एनपीएस न्यास के नाम पर एनपीएस कोश द्वारा क्रय की गई प्रतिभूतियां, प्रतिभूतियों के संरक्षक द्वारा धारित की जाती हैं, जो प्रतिभूतियों के वितरण करके और स्वीकार करते हुए प्रतिभूतियों के लेनदेन की सुविधा भी प्रदान करते हैं। पीएफआरडीए द्वारा स्टॉक होल्डिंग कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को अभिरक्षक नियुक्त किया है। इसके कार्यों में शामिल है:

- एनपीएस कोश द्वारा एनपीएस न्यास के नाम पर क्रय की जाने वाली प्रतिभूतियों की अभिरक्षा
- धारित प्रतिभूतियों के विवरण का प्रबंधन
- प्रतिभूतियों पर लाभांश, अधिकार, बोनस आदि एकत्रित करना
- धारित प्रतिभूतियों के जारीकर्त्ताओं के कार्यों, जो लाभों को प्रभावित कर सकते हैं, के विषय में सूचना देना

1.9.1.7 एनपीएस न्यास

एनपीएस न्यास एक ऐसा है न्यास है, जो भारतीय न्यास अधिनियम के तहत गठित हुआ है, जो अभिदाताओं

के लाभ के लिए एनपीएस की परिसंपत्ति धारण करता है। इस न्यास का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व निधियों की देखभाल करना और अभिदाताओं के हितों की रक्षा करना है। एनपीएस न्यास पेंशन निधियों के कार्य की निगरानी तथा पर्यवेक्षण और केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण (सीआरए), न्यासी बैंक, अभिरक्षकों और अन्य इकाईयों के साथ चर्चा करता है।

1.9.1.8 वार्षिकी सेवा प्रदाता

वार्षिकी सेवा प्रदाता (एएसपीज़) बीमा कंपनियां हैं, जो आईआरडीएआई द्वारा विनियमित हैं, और उनके द्वारा पेश किए जाने वाले वार्षिकी विकल्पों में से एनपीएस अभिदाताओं को वार्षिकी प्रदान करने के लिए पीएफआरडीए द्वारा सूचीबद्ध हैं।

1.9.1.9 सेवानिवृत्ति सलाहाकार

"सेवानिवृत्ति सलाहाकार" से तात्पर्य है कोई व्यक्ति, पंजीकृत साझेदारी कंपनी, कोर्पोरेट निकाय या कोई पंजीकृत न्यास या समाज है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या प्राधिकरण द्वारा विनियमित अन्य पेंशन योजना पर संभावी अभिदाताओं/अभिदाताओं या अन्य लोगों या लोगों के समूह को सलाह देने के कार्य में संलग्न रहने की वांछा करता है और पीएफआरडीए (सेवानिवृत्ति सलाहाकार) विनियम, 2016 के तहत पंजीकृत है। व्यक्तिगत और व्यक्तिगत से भिन्न सेवानिवृत्ति सलाहाकारों की सूची पीएफआरडीए की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

1.9.2 खाते के प्रकार

एनपीएस के तहत निम्नलिखित दो प्रकार के खाते उपलब्ध हैं :

1. **टियर–I खाता:** टियर–I खाते के तहत अभिदाता आंशिक रूप से प्रत्याहरण योग्य खाते सेवानिवृत्ति/पेंशन के लिए बचत कर सकता है। समयपूर्व निकासी कुछ शर्तों के अधीन है।
2. **टियर –II खाता:** यह स्वैच्छिक निवेश खाता है जहाँ अभिदाता जब भी चाहे धनराशि जमा करने और प्रत्याहरित करने के लिए स्वतंत्र है।

एनपीएस के अतिरिक्त, पीएफआरडीए अटल पेंशन योजना को भी प्रशासित करता है।

तालिका संख्या 1.3 वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली/अटल पेंशन योजना के प्रमुख बिंदु।

(संख्या में)

ब्यौरा	वित्त वर्ष 2018.19 के अंत में	वित्त वर्ष 2019.20 के अंत में	वृद्धि (%)
सरकारी अभिदाता	63,05,889	68,55,842	8.72
सर्व नागरिक कोर्पोरेट अभिदाता	17,32,946	22,25,134	28.40
एपीवाई अभिदाता	1,49,53,432	2,11,42,282	41.39
पीओपी–एसपी की संख्या	2,38,411	2,41,703	1.38
एपीवाई–एसपी की संख्या	406	403	-
सीएबीज़ की संख्या	579	603	4.14
एसबीएज़ की संख्या	1,185	1,318	11.22
कोर्पोरेट की संख्या	5,964	7,571	26.95
प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या (वित्त वर्ष अनुसार)	36,706*	86,835	136.56

*हीरो मांइडमाइन इंस्टीट्यूट प्राईवेट लिमिटेड द्वारा वृद्धिशील आंकड़े आयोजित किए।

एनएसडीएल और केफिनटेक सीआरए के पीओपी–एसपी की राज्यवार अधिकतम संख्या आंकड़ों के रूप में मानी गई

अन्य वर्णित आंकडे सीआरए के साथ पंजीकृत हैं।

- मार्च 2019 के अंत तक के अनुसार सरकारी अभिदाताओं की संख्या मार्च 2019 के अंत के 63. 06 लाख से बढ़कर मार्च 2020 के अंत तक के अनुसार 68.56 लाख हो गई. 5.50 लाख (8.72%) की वृद्धि दर्ज की।
- निजी क्षेत्र के तहत, कोर्पोरेट अभिदाताओं की संख्या मार्च 2019 के अंत के 8.03 लाख से बढ़कर मार्च 2020 के अंत में 9.74 लाख हो गई, जो कि 1.71 लाख अभिदाताओं (21.30%) की वृद्धि थी। असंगठित क्षेत्र/सर्व नागरिक क्षेत्र के तहत अभिदाता मार्च 2019 के अंत के 9.30 लाख से बढ़कर मार्च 2020 के अंत में 12.52 लाख हो गई, जो कि 3.22 लाख (34.62%) अभिदाता की बढ़त है।
- एपीवाई अभिदाता संख्या में त्रीवता से वृद्धि हुई है, यह मार्च 2019 के अंत के 149.53 लाख अभिदाताओं से बढ़कर मार्च 2020 के अंत में 211.42 लाख हो गई। प्रतिशत के हिसाब से, पूर्व वर्ष की तुलना में 41.39% की वृद्धि दर्ज की।
- पीओपी–एसपी की संख्या मार्च 2019 के अंत के 2,38,411 से बढ़कर मार्च 2020 के अंत में 2,41,703 हो गई।
- एपीवाई के लिए सेवाप्रदाताओं की संख्या मार्च 2019 के अंत के 406 से घटकर मार्च 2020 के अंत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय और समामेलन के कारण 403 हो गई।
- केंद्र स्वायत्त निकायों सहित केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों और राज्य स्वायत्त निकायों सहित राज्य सरकारों के सभी कर्मचारी जिन्होंने एनपीएस को अपनाया है, एनपीएस में अनिवार्य रूप से शामिल हैं । इस वर्ष 24 नए सीएबी और 133 नए एसएबी एनपीएस के तहत शामिल हुए हैं, जिन्होंने सीएबी और एसएबी की संख्या को 603 और 1318 क्रमशः पहुंचा दिया है।
- कोर्पोरेट क्षेत्र अपने कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से या स्वैच्छिक आधार पर एनपीएस की सुविधा प्रदान करता है। मार्च 2020 के अंत तक के अनुसार, सीआरए के अनुसार एनपीएस के तहत 7571 कोर्पोरेट पंजीकृत हुए हैं, जो कि मार्च 2019 के अंत तक के अनुसार 5964 थे।
- सेवानिवृत्ति बचत और सेवानिवृत्ति योजना की आवश्यकता के विषय में जागरूकता निर्माण करने के पीएफआरडीए के जनादेश को पूर्ण करने के लिए पीएफआरडीए चयनित प्रशिक्षण अभिकरणों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करते हुए विभिन्न गतिविधियों को संपन्न कर रहा है। यह प्रशिक्षण अभिकरण केंद्र और राज्य सरकार नोडल अधिकारियों–वेतन और लेखा कार्यालय (पीएओ), आहरण एवं संवितरण कार्यालय (डीडीओ), उपस्थिति अस्तित्व/बैंक/डाकघर संकलनकर्ता आदि जो अभिदाताओं के पंजीकरण में शामिल हो, एनपीएस/एपीवाई के प्रमुख गुणों के विषय में जानकारी प्रदान करने, शामिल होने की प्रक्रिया आदि के विषय में जानकारी देने में संलग्न है। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रों और रोज़गार में अभिदाताओं के लिए व्यापक वित्तीय ग्राहक सुरक्षा नीति के एक भाग के रूप में प्रशिक्षण कार्यशालाएं/अभियान आयोजित किए गए। वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान चार क्षेत्रों अर्थात् पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में 2050 बैच और कुल 86,835 व्यक्ति प्रशिक्षित किए गए हैं।

भाग II

एनपीएस के तहत निधियों का निवेश

यह अध्याय एनपीएस तथा एनपीएस अधिनियम के तहत शामिल अन्य पेंशन योजनाओं के तहत निधियों के निवेश तथा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में विभिन्न निवेश श्रेणियों में जिनमें सरकारी प्रतिभूतियां, ऋण प्रतिभूतियां तथा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (रिपोर्ट, रिटर्न, विवरणी) नियम, 2015 के परिशिष्ट II के अनुसार इक्विटीज़ पर एक्सपोज़र की सीमा पर चर्चा करता है।

2.1 पेंशन निधियां

पेंशन निधि से तात्पर्य है एक मध्यस्थ इकाई जिसे प्राधिकरण द्वारा भाग 27 के उप–भाग (3) के तहत अंशदानों को प्राप्त करने, उन्हें निवेशित करने और विनियमों में यथानिर्दिष्ट रीति में अभिदाताओं को भुगतान करने के लिए एक पेशन निधि के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र दिया गया है।

पेंशन निधियां जिन्हें नियुक्त और पंजीकृत किया गया है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या अन्य योजना के तहत पेंशन कोश को प्रबंधित करती हैं। पेंशन निधियां मूल आस्तियों की प्राप्ति के पुष्टिकरण के लिए उनके एक्सेस कोड और निधि आवंटन, निधियों के आवंटन के पुष्टिकरण के लिए निर्देशों का प्रयोग करती हैं और प्रत्येक योजना के एनएवी को सीआरए और अभिरक्षकों को नियमित आधार पर भेजती है।

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) विनियम, 2015 दिनांक 14 मई, 2015 को अधिसूचित हुए और इनके संशोधनों सहित पेंशन निधियों को इन विनियमों का पालन करना था।

2.1.1 पेंशन निधियों के कार्य

पेंशन निधियों के कार्यों में निम्नलिखित शामिल है, लेकिन यह केवल इन बिंदुओं तक ही सीमित नहीं है :

क) पेंशन योजनाओं का प्रबंधन योजनाओं के तथ्यों, न्यास विलेख, नियमों, विनियमों और प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार और प्राधिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा यथानिर्दिष्ट समयसीमा के भीतर किया जाएगा।

ख) पेंशन निधियों का दैनिक प्रबंधन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की ओर से पेंशन निधि द्वारा किया जाएगा।

ग) पेंशन निधि, अभिदाता के सर्वोत्तम हितों को ध्यान मे रखते हुए अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह करते हुए सदैव उच्चतर सेवा मानदंडो, उपयुक्त सावधानी, विवेकशीलता, व्यवसायिक कौशल, श्रीघता, तत्परता और सतर्कता का प्रयोग करेगी। पेंशन निधियां सट्टेदार निवेशों या लेनदेन करने से बचेगी।

घ) पेंशन निधि उच्च शिक्षित पेशेवरों या ईमानदार कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी। पेंशन निधि उसके कर्मचारियों या अधिकृत व्यक्ति, जिससे सेवाएं प्राप्त की गई हैं, के कृताकृत के लिए जिम्मेदार होगी और ऐसे कृताकृत का उत्तरदायित्व उसका होगा। यह उत्तरदायित्व तब तक बना रहेगा, जब तक कि पंजीकरण प्रमाणपत्र का निरसन या निलंबन या वापसी या प्राधिकरण द्वारा प्रबंधन अधिक्रमण नहीं हो जाता।

ङ) पेशन निधि अन्य मध्यस्थ इकाईयों और अन्य इकाईयों के साथ अन्य बातों के साथ–साथ अनुबंध, परिचालन दायित्वों को पूर्ण करने के लिए तकनीकी मंच के माध्यम से कार्य और समायोजन करेगी।

च) पेंशन निधियां पेंशन योजनाओं के परिचालन से संबंधित खाता बहियों, अभिलेखों, रजिस्टर और दस्तावेज़ों को प्रबंधित करेगी ताकि विनियमों, दिशानिर्देशों, प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों का अनुपालन किया जा सके और लेनदेन की लेखापरीक्षा और सदैव व्यापारिक निरंतरता को बनाए रखा जा सके।

छ) पेंशन निधि इन विनियमों, दिशानिर्देशों या परिपत्रों के तहत आवश्यक या प्राधिकरण द्वारा मांगी गई या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा समय–समय पर मांगी गई आवधिक और अनुपालन रिपोर्ट जमा करेगी।

ज) पेंशन निधि अभिदाताओं के हित मे सूचना का लोक प्रकटीकरण प्राधिकरण द्वारा अनुसूची V में यथानिर्दिष्ट पद्धति या रीति में करेगी ।

झ) पेंशन निधि निवेश और जोखिम प्रबंधन अर्थात् निवेश समिति और जोखिम समिति के गठन, उसकी रचना, कार्य, नीतिगत तथ्यों और अनुसूची X मे यथानिर्दिष्ट अन्य समान मामलों के लिए उच्च शासन पद्धतियों को अपनाएगा।

ञ) एक पेंशन निधि द्वारा पेंशन निधि के रूप में दायित्वों को पूर्ण करते हुए हित संघर्षों से भी बचाव किया जाएगा और ऐसी घटनाओं की जानकारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को प्रदान की जाएगी।

ट) पेंशन निधि अपने प्रायोजकों से पेंशन निधि व्यवसायिक गतिविधियों की व्यापकता और पृथक्कता सुनिश्चित करेगा।

ठ) पेशन निधि अभिदाताओं की सूचना के संबंध में और पेशन निधियों से संबंधित क्रियाकलापों की गोपनीयता को सुनिश्चित करेगा और प्राधिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या कानून के प्रावधानों के द्वारा अपेक्षित सूचना के अतिरिक्त उसके नियंत्रणाधीन संपूर्ण सूचना की सुरक्षा करेगा ।

ड) पेंशन निधि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की ओर से अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक ऐसे अभ्यावेदन और वारंटी प्रदान करेगा ।

2.1.2 सरकारी क्षेत्र एनपीएस योजनाओं (अर्थात् सीजी और एसजी), एनपीएस–लाइट और एपीवाई के लिए पेंशन निधियों (पीएफ) की सूची

I. एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड

II. एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड

III. यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड

सरकारी क्षेत्र योजनाओं के प्रबंधन के लिए पेंशन निधियों द्वारा प्रभारित निवेश प्रबंधन शुल्क प्रबंधन के अधीन परिसंपत्तियों का 0.0102 प्रतिशत है ।

2.1.3 निजी क्षेत्र पेंशन योजनाओं के लिए पेंशन निधियों (पीएफ) की सूची

I. एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड

II. आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड

III. कोटेक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड

IV. एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड

V. एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड

VI. यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड

VII. बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड

गैर सरकारी क्षेत्र योजनाओं के लिए पेंशन निधियों द्वारा प्रभारित निवेश प्रबंधन शुल्क प्रबंधन के अधीन परिसंपत्तियों का 0.01 प्रतिशत प्रतिवर्ष है।

2.2 योजनाएं

एनपीएस में अभिदाता निम्नलिखित क्षेत्रों के तहत आते हैं:

i. सरकारी क्षेत्र (केंद्र सरकार/राज्य सरकार स्वायत्त निकायों सहित)

ii. एनपीएस लाइट

iii. अटल पेंशन योजना (एपीवाई)

iv. सर्व नागरिक/यूओएस

v. कोर्पोरेट क्षेत्र

उपरोक्त क्षेत्रों के लिए एनपीएस के तहत निवेश प्राधिकरण द्वारा जारी निवेश दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित हैं और इक्विटी एक्सपोज़र सभी योजनाओं/भागों के लिए आरंभ से निर्दिष्ट है। एनपीएस के तहत निवेश विकल्प एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हैं ।

2.2.1 सरकारी क्षेत्र (केंद्र सरकार/राज्य सरकार, जिनमें केंद्र स्वायत्त निकाय और राज्य स्वायत्त निकाय शामिल हैं)

पीएफआरडीए के निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार सीएबीज़/एसएबीज़ सहित सरकारी क्षेत्र के लिए एनपीएस के तहत निम्नलिखित सीमाएं निर्धारित की गई हैं:

तालिका संख्या. 2.1: सरकारी क्षेत्र में आस्तियों का आवंटन:

विवरण	एक्सपोज़र सीमा
सरकारी प्रतिभूतियां और संबंधित निवेश	55% तक
ऋण उपकरण और संबंधित निवेश	45% तक
समर्थित आस्तियां, संरचित न्यास और विविध निवेश	5% तक
अल्पकालिक ऋण उपकरण और संबंधित निवेश	10% तक
इक्विटी और संबंधित निवेश	15% तक

प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर निर्धारित अनुपात में सरकारी क्षेत्र के तहत 03 सार्वजनिक पेंशन निधियां अर्थात् पेशन निधि लिमिटेड, एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड और यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड अंशदान को प्रबंधित और निवेश करेगा।

इसके अलावा, सरकारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/3/2016–PR दिनांकित 31 जनवरी 2019 और प्राधिकरण के परिपत्र दिनांक 8 मई 2019 के अनुसार सरकारी कर्मचारी (केवल केन्द्र सरकार) को निम्नलिखित विकल्प दिए गए हैं :

पेंशन निधि का विकल्प :

जैसा कि निजी क्षेत्र अभिदाताओं के मामले में है, उसी प्रकार सरकारी अभिदाताओं को भी निजी क्षेत्र पेंशन निधि सहित किसी एक पेंशन निधि के चयन का विकल्प होगा। वह वर्ष में एक बार अपना विकल्प बदल सकते हैं । हालांकि, सार्वजनिक क्षेत्र पेंशन निधि का संयोजन का प्रावधान मौजूदा और साथ ही साथ नए सरकारी अभिदाताओं के लिए डिफॉल्ट विकल्प के रूप मे उपलब्ध रहेगा ।

निवेश प्रारूप का विकल्प :

i. मौजूदा योजना, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए पीएफआरडीए के दिशानिर्देशों के अनुसार पीएफआरडीए द्वारा तीन सार्वजनिक निधि प्रबंधकों में उनके पूर्व प्रदर्शन के आधार पर धन आवंटित किया गया है, को मौजूदा और नए अभिदाताओं के लिए डिफॉल्ट योजना के रूप मे जारी रखा जाएगा ।

ii. सरकारी कर्मचारी जो न्यूनतम जोखिम के साथ निश्चित रिटर्न चाहते हैं, उन्हें सरकारी प्रतिभूतियों (योजना जी) में 100% निवेश का विकल्प प्राप्त होगा

iii. सरकारी कर्मचारी जो उच्चतर रिटर्न का चुनाव करते हैं को निम्नलिखित दो जीवनचक्र निधि आधारित योजनाओं का विकल्प दिया गया है :

   क) इक्विटी में अधिकतम 25% की सीमा के साथ कंजर्ववेटीव जीवन चक्र निधि–एलसी–25

   ख) इक्विटी में अधिकतम 50% की सीमा के साथ मोडरेट जीवन चक्र निधि–एलसी–50

केंद्र सरकार के अभिदाता एनपीएस के तहत एक वित्त वर्ष में उपरोक्त निवेश पैटर्न को दो बार चुन सकते हैं ।

कुछ राज्य सरकारों ने भी उपरोक्त निवेश विकल्पों की शुरूआत की है ।

2.2.2 एनपीएस लाइट

एनपीएस लाइट के तहत नए नामांकन दिनांक 01.04.2015 से समाप्त हो गए हैं। हालांकि, मौजूदा एनपीएस–लाइट अभिदाताओं के लिए पीएफआरडीए के निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीएस–लाईट क्षेत्र के लिए निम्नलिखित सीमाएं निर्धारित की गई हैं :

तालिका संख्या. 2.2: एनपीएस लाइट क्षेत्र में आस्तियों का आवंटन:

विवरण	एक्सपोज़र सीमा
सरकारी प्रतिभूतियां और संबंधित निवेश	55% तक
ऋण उपकरण और संबंधित निवेश	45% तक
समर्थित आस्तियां, संरचित न्यास और विविध निवेश	5% तक
अल्पकालिक ऋण उपकरण और संबंधित निवेश	10% तक
ईक्विटी और संबंधित निवेश	15% तक

एनपीएस लाइट के तहत, केवल 03 सार्वजनिक क्षेत्र निधियां अर्थात् एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड, एसबीआई पेशन फंड प्राइवेट लिमिटेड और यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर निर्धारित अनुपात में अंशदान प्रबंधित और निवेश करने के लिए हैं। इसके अलावा, एकल निजी क्षेत्र पेंशन निधि अर्थात् कोटेक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड को अंशदान प्रबंधित करने के लिए एक संकलनकर्त्ता के रूप में चुना गया है।

एनपीएस लाइट योजना के तहत अभिदाताओं को पेंशन निधि या आस्ति आवंटन के चयन का विकल्प नहीं दिया गया।

2.2.3 अटल पेंशन योजना (एपीवाई)

अटल पेंशन योजना (एपीवाई), जो भारत के नागरिकों के लिए सरकारी पेंशन योजना है, असंगठित क्षेत्र श्रमिकों पर केंद्रित है। एपीवाई के तहत रू.1000/– या रू.2000/– या रू.3000/– या रू.4000/– या रू.5000/– की गारंटिड न्यूनतम पेंशन प्रतिमाह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर प्राप्त होगी, जो कि अभिदाता द्वारा किए गए अंशदानों पर निर्भर होगी।

अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत अभिदाताओं को पेंशन निधि या आस्ति आवंटन के चयन का विकल्प प्रदान नहीं किया गया क्योंकि यह एक गारंटिड सरकारी योजना है और इसमें एनपीएस के तहत सरकारी क्षेत्र कर्मचारियों के समान ही निम्नानुसार आस्ति आवंटन रहेगा :

तालिका संख्या. 2.3: अटल पेंशन योजना क्षेत्र में आस्ति आवंटन :

विवरण	एक्सपोज़र सीमा
सरकारी प्रतिभूतियां और संबंधित निवेश	55% तक
ऋण उपकरण और संबंधित निवेश	45% तक
समर्थित आस्तियां, संरचित न्यास और विविध निवेश	5% तक
अल्पकालिक ऋण उपकरण और संबंधित निवेश	10% तक
ईक्विटी और संबंधित निवेश	15% तक

अटल पेंशन योजना के तहत 3 सार्वजनिक क्षेत्र पेंशन निधियां अर्थात् एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड/एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड और यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर निर्धारित अनुपात में अंशदान प्रबंधित और निवेश करने के लिए हैं ।

2.2.4 सर्व नागरिक क्षेत्र

सर्व नागरिक असंगठित क्षेत्र के तहत अभिदाता किसी भी निवेश पैटर्न अर्थात् **"एक्टिव चॉइस"** या **"ऑटो चॉइस"** का विकल्प चुन सकते हैं।

पीएफआरडीए के निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार, एनपीएस के तहत सर्व नागरिक असंगठित क्षेत्र के लिए निम्नलिखित एक्सपोज़र सीमा निर्धारित की गई है :

तालिका संख्या. 2.4: सर्व नागरिक/असंगठित क्षेत्र में आस्तियों का आवंटन :

विवरण	एक्सपोज़र सीमा
इक्विटी और संबंधित निवेश	75% तक
ऋण उपकरण और संबंधित निवेश	100% तक
सरकारी प्रतिभूतियां और संबंधित निवेश	100% तक
मुद्रा बाज़ार उपकरण (केवल खाता टियर– I)	5% तक

पेंशन निधि और निवेश चुनाव को बदलने का विकल्प

इसके अतिरिक्त एक वित्त वर्ष में अभिदाता द्वारा पेंशन निधि को एक बार ओर निवेश विकल्प को दो बार परिवर्तित किया जा सकता है ।

2.2.5 कोर्पोरेट क्षेत्र

कोर्पोरेट क्षेत्र से संबंधित अभिदाताओं के लिए जहाँ नियोक्ता द्वारा उनके कर्मचारियों के लिए एनपीएस को अपनाया गया है, निवेश विकल्प और चयन को लचीला बनाया गया है

इस भाग के तहत दो प्रकार की योजनाएं हैं :

i) कोर्पोरेट सीजी योजना : यह योजना समाप्त हो गई है और यह कोर्पोरेट भाग के तहत उपलब्ध नहीं है

कोर्पोरेट सीजी योजना : यह योजना समाप्त हो चुकी है और यह कोर्पोरेट भाग के तहत उपलब्ध नहीं है लेकिन उन कोर्पोरेट के लिए जो पहले से ही योजना के तहत शामिल है और जिन्होंने इस योजना को बदला नहीं है, अभी भी इस योजना में बने हुए हैं ।

पीएफआरडीए के निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार, एनपीएस के तहत निम्नलिखित एक्सपोज़र सीमाएं कोर्पोरेट सीजी क्षेत्र के लिए निर्धारित की गई हैं।

तालिका संख्या. 2.5: कोर्पोरेट क्षेत्र में आस्तियों का आवंटन :

विवरण	एक्सपोज़र सीमा
सरकारी प्रतिभूतियां और संबंधित निवेश	55% तक
ऋण उपकरण और संबंधित निवेश	45% तक
समर्थित आस्तियां, संरचित न्यास और विविध निवेश	5% तक
अल्पकालिक ऋण उपकरण और संबंधित निवेश	10% तक
इक्विटी और संबंधित निवेश	15% तक

इस कोर्पोरेट सीजी योजना के तहत 2 पेंशन निधियों अर्थात् एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड या एसबीआई पेंशन फंडस प्राइवेट लिमिटेड के साथ निवेश किए गए हैं।

ii) **अन्य योजना : (वर्तमान में कोर्पोरेट भाग के तहत उपलब्ध)**

इस योजना के तहत नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को पेंशन निधि और/या निवेश के तरीके का चुनाव करने का उत्तरदायित्व सौंपा जा सकता है या नियोक्ता अपने कर्मचारियों की ओर से पेंशन निधि और/या जीवनचक्र निधि का चयन कर सकता है। एनपीएस से संबंधित यह पहलू नियोक्ता–कर्मचारी प्रबंधन का भाग बनते हैं। नियोक्ता और अभिदाता को प्रयुक्त निवेश तरीके के आधार पर किसी एक पंजीकृत पेंशन निधि को चुनना होगा और चार आस्ति वर्गों मे आस्ति आवंटन के आगे की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :

- आस्ति वर्ग ई – ईक्विटी और संबंधित निवेश
- आस्ति वर्ग सी – कोर्पोरेट ऋण और संबंधित उपकरण
- आस्ति वर्ग जी – सरकारी बांड और संबंधित निवेश
- आस्ति वर्ग ए – सीएमबीएस, एमबीएस, आरईआईटीएस, एआईएफ, आईएनवीएलटीएस सहित वैकल्पिक निवेश निधि

इस क्षेत्र के तहत अभिदाता किसी भी निवेश पैटर्न अर्थात् **"एक्टिव चॉइस"** या **"ऑटो चॉइस"** का चयन कर सकता है ।

पीएफआरडीए के निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार, एनपीएस के तहत निम्नलिखित एक्सपोज़र सीमाएं निर्धारित की गई हैं:

तालिका संख्या 2.6 : अन्य क्षेत्र में आस्तियों का आवंटन

विवरण	एक्सपोज़र सीमा
इक्विटी और संबंधित निवेश	75% तक
ऋण उपकरण और संबंधित उपकरण	100% तक
सरकारी प्रतिभूतियां और संबंधित निवेश	100% तक
मुद्रा बाज़ार उपकरण (केवल टियर । खाता)	5% तक

पेंशन निधि और निवेश चयन के परिवर्तन का विकल्प

इसके अतिरिक्त, अभिदाता द्वारा एक वित्त वर्ष में एक बार पेंशन निधि को एक बार और निवेश विकल्प को दो बार परिवर्तित किया जा सकता है।

योजनावार प्रबंधन के अधीन आस्तियों का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:–

तालिका 2.7: प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति विवरण

(रूपये करोड़ में)

योजना	मार्च, 19	मार्च, 20	वृद्धि %
सीजी	1,09,010.70	1,38,014.59	
एसजी	1,58,881.11	2,11,499.67	30.47
उपकुल	**2,67,891.81**	**3,49,514.26**	
कोर्पोरेट सीजी	20,682.83	27,143.03	
ई–I	7,234.21	7,932.05	
सी–I	4,422.07	6,495.76	
जी–I	6,896.75	10,992.80	
ए–I	19.52	39.60	
ई–II	325.44	352.55	35.06
सी–II	209.08	297.26	
जी-II	262.69	457.16	
एनपीएस लाइट	3,409.23	3,728.40	
एपीवाई	6,860.30	10,526.26	
उपकुल	**50,322.12**	**67,964.87**	
कुल योग	**3,18,213.95**	**4,17,479.13**	**31.19**

*स्रोत एनपीएस–न्यास

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि सरकारी क्षेत्र एनपीएस योजनाओं (सीजी और एसजी) के लिए प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति 30.47% से बढ़ी है, हालांकि इन योजनाओं से भिन्न योजनाओं की प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति 35.06% से बढ़ी है। संपूर्ण रूप से सरकारी क्षेत्र योजनाएं रू. 81,622 करोड से बढी है जबकि सरकारी क्षेत्र योजनाओं से भिन्न योजनाएं रू. 17,642 करोड़ से बढ़ी हैं ।

विभिन्न योजनाएं भिन्न–भिन्न पेंशन निधि प्रबंधकों द्वारा प्रबंधित की जाती हैं, संबंधित पेंशन निधियों के तहत विभिन्न योजनाओं की प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति निम्नानुसार है :

तालिका संख्या. 2.8: मार्च 2020 तक के अनुसार पेंशन निधिवार और योजनावार (सीजी, एसजी, एनपीएस लाइट और कोर्पोरेट सीजी) प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति

आंकड़े करोड रूपयों में

पेंशन निधि/योजनाओं के नाम	सीजी	एसजी	एनपीएस लाइट	एपीवाई	कोर्पोरेट सीजी	कुल योग
एसबीआई पेंशन निधि प्राईवेट लिमिटेड	48,832.59	72,542.49	1,544.13	3,615.28	24,604.12	1,51,138.60
एलआईसी पेंशन निधि प्राईवेट लिमिटेड	43,080.56	68,581.42	1,070.15	3,457.12	2,538.95	1,18,728.19
यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड	46,101.70	70,375.80	1,056.70	3,453.86		1,20,988.05
आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल पेंशन फंड मैनेजमेंट कं लिमिटेड						
कोटेक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड			57.44			57.44
एचएफडीसी पेंशन मेनेजमेंट कं लिमिटेड						
बिरला सनलाइफ पेंशन मेनेजमेंट लिमिटेड						

तालिका संख्या. 2.9: मार्च 2020 तक के अनुसार पेंशन निधि अनुसार, योजनावार (ई– I, सी– I, जी– I, ए– I, ई– II, सी– II और जी– II) प्रबंधन के अधीन परिसंपत्तियां

आंकडे करोड़ रुपयों में

पेंशन निधि का नाम/योजनाएं	ई-I	सी-I	जी-I	ए-I	ई-II	सी-II	जी-II	कुल योग
एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड	2,511.90	2,201.32	4,294.90	8.66	102.61	90.02	143.53	9,352.94
एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	630.15	572.46	1,001.58	2.31	19.64	18.75	54.58	2,299.48
यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड	370.04	299.42	479.04	1.99	21.63	16.54	24.22	1,212.89
आईसीआईआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड मैनेजमेंट कं लिमिटेड	1,351.77	1,127.22	1,626.93	5.28	73.89	73.89	93.58	4,352.55
कोटेक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड	282.84	235.30	357.43	1.96	18.92	14.89	22.60	933.94
एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेट कंपनी लिमिटेड	2,734.00	2,025.15	3,184.48	18.59	110.58	79.30	113.27	8,265.36
बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड	51.38	34.92	48.45	0.81	5.30	3.87	5.37	150.09

2.3 पीएफआरडीए द्वारा विनियमित और प्रशासित विभिन्न योजनाओं के लिए निवेश के विभिन्न वर्गों में एक्सपोज़र

i. विभिन्न निवेश उपकरणों में सीजी, एसजी, कोर्पोरेट सीजी और एनपीएस लाइट और एपीवाई योजना के तहत पोर्टफोलियो के संबंध में पीएफआरडीए के निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार अधिकतम निर्धारित एक्सपोज़र निम्नलिखित तालिका में प्रदान किए गए हैं ।

तालिका संख्या. 2.10: सरकारी क्षेत्र में आस्ति वर्ग में आस्तियों का आवंटन

श्रेणी	आस्ति वर्ग / उपकरण	अधिकतम एक्सपोज़र प्रतिशत में
i	सरकारी प्रतिभूतियां और संबंधित निवेश	55
ii	ऋण उपकरण और संबंधित निवेश	45
iii	समर्थित आस्तियां, संरचित न्यास और विविध निवेश	5
iv	अल्पकालिक ऋण उपकरण और संबंधित निवेश	10
v	इक्विटी और संबंधित निवेश	15

ii. अभिदाता जो सरकारी क्षेत्र योजनाओं (सीजी और एसजी) से भिन्न योजनाओं, एनपीएस लाइट, कोर्पोरेट सीजी और एपीवाई को चुनते हैं, अपनी आस्तियों को निम्नलिखित तालिका के अनुसार आस्ति वर्ग ई (इक्विटी), आस्ति वर्ग सी (कोर्पोरेट ऋण), आस्ति वर्ग जी (सरकारी प्रतिभूतियों) और आस्ति वर्ग ए (वैकल्पिक आस्तियां) में निम्नलिखित रूप से आवंटित करने का निर्णय ले सकते है।

तालिका संख्या 2.11 : सरकारी क्षेत्र से भिन्न आस्ति वर्ग में आस्तियों का आवंटन

वर्ग	आस्ति वर्ग / उपकरण	अधिकतम एक्सपोज़र प्रतिशत में
i	सरकारी प्रतिभूतियां और राज्य विकास ऋण सहित संबंधित निवेश	100
ii	ऋण उपकरण और संबंधित निवेश	100
iii.	इक्विटी और संबंधित उपकरण	75
iv	अल्पकालिक ऋण उपकरण और संबंधित निवेश	5
v	समर्थित आस्ति, संरचित न्यास और विविध निवेश	5

टियर– II खाते के मामले में, आस्ति वर्ग ए में कोई निवेश स्वीकृत नहीं है, प्रूडेंशियल सीमा को छोड़कर जो कि समान रहेगी।

मार्च 2019 की तुलना में मार्च 2020 के अनुसार प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति का आस्ति वर्गानुसार द्विविभाजन निम्नलिखित है:–

तालिका संख्या. 2.12: प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति का आस्ति वर्गानुसार द्विविभाजन

आस्ति वर्ग	31.मार्च.19		31.मार्च.20	
	राशि (रूपये करोड़ में)	निवेश का %	राशि (रूपये करोड़ में)	निवेश का %
जी–सेक	1,50,575.34	47.32	214303.11	51.33
कोर्पोरेट क्षेत्र	1,11,384.07	35.00	143607.74	34.40
ईक्विटी	45,085.92	14.17	42826.57	10.26
मुद्रा बाज़ार	2,802.22	0.88	8827.22	2.11
नकद और कुल मौजूदा आस्तियां	8,366.39	2.63	7914.90	1.90
कुल	**3,18,213.93**	**100**	**417479.54**	**100**

स्रोत: एनपीएस न्यास से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार

चार्ट संख्या. 2.1: प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति का आस्तिवर्ग अनुसार द्विविभाजन

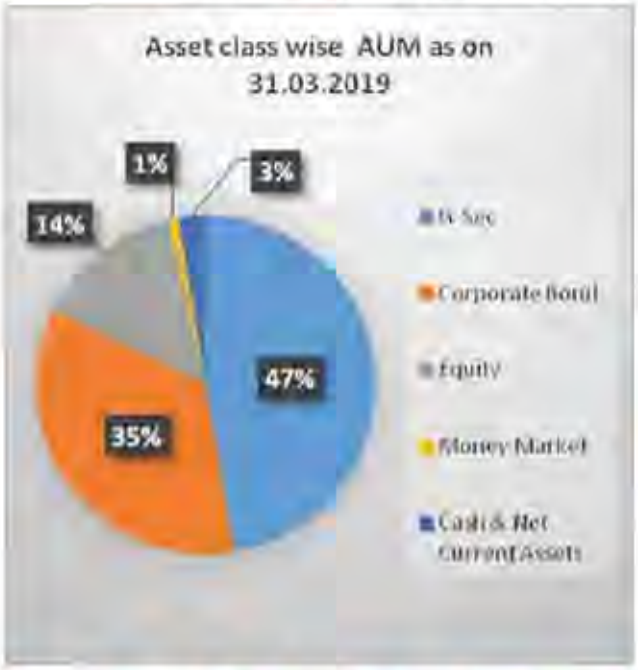

2.4 पेंशन निधि से संबंधित विनियम, अधि सूचना, जारी किए गए प्रमुख परिपत्र/दिशानिर्देश

I) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 दिनांक 04 फरवरी 2020

इस विनियम में संशोधन 'प्रायोजक" पर स्पष्टीकरण प्रदान करता है, जिसका अर्थ है कोई भी कोर्पोरेट निकाय, जो पेंशन निधि में शेयर पूँजी का कम से कम बीस प्रतिशत धारित करता है और जिसे उप–विनियम 8(ज) के तहत परिभाषित किया गया है। साथ ही, प्रायोजक, एकल या संयुक्त रूप से, पिछले प्रत्येक पांच वित्त वर्षों के अंतिम दिन कम से कम पचास करोड़ रूपये की सक्रिय मूर्त निवल मूल्य की परिसंपत्ति धारित करता हो, जिसमें से न्यूनतम 25 करोड़ रूपये की पूंजी हो। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य संशोधन भी हैं ।

II) एनपीएस योजना और पीएफआरडीए द्वारा प्रशासित अन्य पेंशन योजना(ओं) के तहत प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के लिए संशोधित मूल्यांकन दिशानिर्देश दिनांकित 21 नवंबर 2019

पीएफआरडीए ने पीएफआरडीए (एनपीएस के तहत वित्तीय विवरणों और लेखापरीक्षा रिपोर्ट का निर्माण) दिशानिर्देश–2012 के तहत एनपीएस के अंतर्गत प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के लिए अप्रैल 2012 में मूल्यांकन दिशानिर्देश जारी किए। पेंशन निधियों से सलाह के पश्चात्, प्राधिकरण ने एनपीएस योजना और पीएफआरडीए द्वारा प्रशासित अन्य पेंशन योजना (ओं) के तहत प्राधिकरण ने संशोधित मूल्यांकन दिशानिर्देश जारी करने का निर्णय लिया है। यह दिशानिर्देश पीएफआरडीए की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं।

III) एनपीएस योजनाओं के लिए निवेश दिशानिर्देशों में परिवर्तन– पेंशन निधियों को एकदिवसीय निधियों और सेबी द्वारा समय–समय पर अनुज्ञप्त ऐसी सभी अल्पकालिक निधियों में निवेश की अनुमति दिनांकित 20 नवंबर 2019

यह परिपत्र एकदिवसीय निधियों और सेबी द्वारा समय–समय पर अनुज्ञप्त अन्य सभी अल्पकालिक निधियों में निवेश की अनुमति देती है, यह इस शर्त के साथ होगी कि हालिया 6 माह की अवधि के लिए एएमसी की कुल औसत प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति रू 5000 करोड़ होनी चाहिए ।

iv) **पेंशन निधियों के लिए स्वचालन पर दिशानिर्देश । प्रारंभिक परिचालन और भेदिया व्यापार दिनांकित 25 जुलाई 2019**

प्राधिकरण द्वारा पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 की धारा 23 के साथ पठित धारा 14 की उप–धारा (2) के उपखंड (ख) और पीएफआरडीए (पेंशन निधि) विनियम, 2015 के विनियम 21 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेंशन निधियों के स्व–परिचालन, प्रारंभिक परिचालन और भेदिया व्यापार पर दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। यह दिशानिर्देश अभिदाताओं के हितों की रक्षा करने की दिशा में एक कदम है।

v) **केंद्र सरकार अभिदाताओं के लिए एनपीएस टियर–1 में पेंशन निधियों और निवेश प्रारूप के विकल्प की शुरूआत दिनांकित 8 मई 2019**

यह परिपत्र, राजपत्रित अधिसूचना फा.सं. 1/3/2016–पीआर दिनांक 31 जनवरी 2019, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी के संदर्भ में है, जिसमें एनपीएस के क्रियान्वयन को सरल एवं कारागार बनाने संबंधी सरकार के निर्णय का उल्लेख है। सरकार ने केंद्र सरकार अभिदाताओं के लिए अन्य परिचालन मुद्दों सहित पेंशन निधियों और निवेश पैटर्न के विकल्प की शुरुआत की। विस्तृत परिपत्र पीएफआरडीए की वेबसाइट से देखा जा सकता है।

अन्य परिचालन मामलों के साथ निवेश पैटर्न । विस्तृत परिपत्र पीएफआरडीए की वेबसाइट से देखे जा सकते हैं ।

2.5 निरीक्षण

वित्त वर्ष 2019.20 के दौरान 07 पेंशन निधियों का निरीक्षण आयोजित किया गया–नामतः

(i) एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड

(ii) एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड

(iii) यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड

(iv) एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड

(v) कोटेक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड

(vi) आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड

(vii) बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड

निरीक्षण का आयोजन प्राधिकरण द्वारा जारी विनियम, दिशानिर्देश, निर्देश के अनुपालन की जांच के पूर्व परिभाषित क्षेत्र के अनुसार किया गया ।

भाग III

यह अध्याय पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली तथा पेंशन योजनाओं के क्रमिक विकास के लिए प्राधिकरण के कर्त्तव्य, शक्ति तथा कार्यों, जो कि इस तंत्र तथा योजनाओं में अभिदाताओं के हितों की रक्षा के संबंध में हैं, पर चर्चा करता है।

प्राधिकरण के कार्य

3.1 मध्यस्थ इकाईयों का पंजीकरण और ऐसे पंजीकरण का निलंबन, निरसन आदिः और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या अन्य पेंशन योजनाओं से संबंद्धित इकाईयों के क्रियाकलापों का विनियमन।

पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 की धारा 14 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और पेंशन योजनाओं के क्रमिक विकास को विनियमित करने, बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने और ऐसी प्रणाली और योजनाओं के अभिदाताओं के हितों की रक्षा करने के लिए प्राधिकरण के कर्तव्यों, शक्तियों और कार्यों को निर्धारित करती है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और कोई भी अन्य पेंशन योजना जो पीएफआरडीए द्वारा केंद्र और राज्य सरकार में बड़ी संख्या में इकाईयों जैसे **वेतन एवं लेखा कार्यालय/ कोषागार कार्यालयों** के माध्यम से संचालित की जाती है, वे एनपीएसकैन पर सरकारी कर्मचारियों की आवधिक एनपीएस सदस्यता के पंजीकरण और अपलोड के लिए जिम्मेदार हैं, **उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी)** जो बैंक, गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी), सूक्ष्म वित्त संस्थान (एमएफआई) आदि हैं, कॉर्पोरेट्स, निजी क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र के नियोक्ता के लिए एनपीएस सदस्यता के पंजीकरण और अपलोड में सहायता करते हैं, संकलनकर्ता विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र में संभावित अभिदाताओं तक पहुंचने में मदद करते हैं, **केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण (सीआरए)**, जो अभिदाताओं के व्यक्तिगत पेंशन खातों जिन्हें प्रान कहा जाता है, के अभिलेखपालन के लिए जिम्मेदार होता है और एनपीएस संरचना में समन्वयक के रूप में कार्य करता है, **न्यासी बैंक**, धन और बैंकिंग सुविधाओं के दैनिक प्रवाह के लिए जिम्मेदार है, **पेंशन निधियां (पीएफ्स)** पीएफआरडीए द्वारा निर्धारित निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीएस के तहत शामिल किए गए अभिदाताओं की पेंशन परिसंपत्तियों का निवेश और प्रबंधन करने के लिए अनिवार्य है और **वार्षिकी सेवा प्रदाताओं (एएसपी)** को अभिदाताओं के साथ एक मासिक वार्षिकी पेंशन प्रदान करने के लिए पीएफआरडीए के साथ सूचीबद्ध किया गया ।

i) **सरकारी क्षेत्र – केंद्रीय और राज्य स्वायत्त निकाय**

स्वायत्त निकायों का पंजीकरणः केंद्रीय और राज्य स्वायत्त निकायों को उनके साथ–साथ केंद्रीय मंत्रालयों के संबंधित वित्तीय सलाहकारों और राज्य सरकारों के नोडल अधिकारी के साथ चर्चा करके पंजीकृत करने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। पीएफआरडीए ने राज्य सरकारों को एसएबीज के पंजीकरण के लिए दिशानिर्देशों और सूचनाओं को सुव्यवस्थित करने की दिशा में भी मदद की।

इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सीएबीज़ और एसएबीज़ से सहमति पत्र संसाधित (एलओसी) करना और साथ ही की गई पूर्व–पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान एनपीएस के प्रश्नों को निपटाने का कार्य क्रियान्वित किया जाता है।

वित्त वर्ष 2019–20 में संसाधित सहमति पत्र

(i) सीएबीज़ – 23 (ii) एसएबीज़ –182

31 मार्च 2020 तक के अनुसार प्रमुख लेखा कार्यालय/डीटीए, पीएओ/डीटीओ और डीडीओ की संख्या निम्नानुसार दी गई है।

तालिका संख्या. 3.1 प्रमुख लेखा कार्यालय / डीटीओ और डीडीओ की संख्या

क्षेत्र	प्रमुख लेखा कार्यालय / डीटीए की संख्या	पीएओ / डीटीओ की संख्या	डीडीओ की संख्या
केंद्र सरकार	134	2,946	16,071
केंद्रीय स्वायत्त निकाय	604	1,940	4,020
कुल	**738**	**4,886**	**20,091**

तालिका संख्या. 3.2 डीटीए / डीटीओ / डीडीओ की संख्या

क्षेत्र	डीटीए की संख्या	डीटीओ की संख्या	डीडीओ की संख्या
राज्य सरकार	72	2,018	2,17,224
राज्य स्वायत्त निकाय	462	4,564	13,484
कुल	**534**	**6,582**	**2,30,708**

तालिका संख्या. 3.3 वित्त वर्ष 2019.20 के दौरान नए एसएबीज़ और सीएबीज़ का पंजीकरण

विवरण	31 मार्च 2019 तक के अनुसार	31 मार्च 2020 तक के अनुसार	2019.20 के दौरान पंजीकरण
एसएबीज़	1,185	1,318	133
सीएबीज़	579	603	24

स्रोतः पी एंड डी (सीएबी / एसएबी)

31 मार्च, 2020 तक, एनपीएस के तहत कुल 1,318 राज्य स्वायत्त निकाय और 604 केंद्रीय स्वायत्त निकाय पंजीकृत हैं।

इसके अलावा, 31 मार्च 2020 तक 513 पीओपी (सीआरए के साथ पंजीकृत), दो केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण, एक न्यासी बैंक, सात पेंशन निधियां और बारह वार्षिकी सेवा प्रदाता हैं।

ii) उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी)

पीओपी का पंजीकरणः हालांकि, अटल पेंशन योजना (एपीवाई) पीएफआरडीए द्वारा प्रशासित है, लेकिन एपीवाई सेवाओं की पेशकश करने वाली संस्थाओं के लिए कोई नियम नहीं थे। पीएफआरडीए के नियामक दायरे में एपीवाई को लाने के लिए, पीएफआरडीए (पीओपी) विनियम, 2018 को अधिसूचित किया गया था और पीओपी की एक अलग श्रेणी के रूप में एपीवाई को भी इसके तहत शामिल किया गया था।

मौजूदा विनियमों के तहत उपस्थिति अस्तित्वों की श्रेणियां निम्नानुसार है:

i. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)– भौतिक और साथ ही ऑनलाइन मंचों के माध्यम से बड़े पैमाने पर जनता के लिए वितरण और सेवा प्रदान करना ।

ii. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) – केवल ऑनलाइन मंचों के माध्यम से बड़े पैमाने पर नागरिकों के लिए वितरण और सेवा प्रदान करना ।

iii. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) – केवल भौतिक या ऑनलाइन मंचों के माध्यम से अपने कर्मचारियों और अन्य कर्मियों के लिए वितरण। बशर्ते कि केवल ऐसी संस्थाओं को कार्य करने की अनुमति होगी जिन्होंने अपने कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 या वस्तु और सेवा अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के तहत सामाजिक सुरक्षा लाभ के तहत शामिल किया गया है और आवेदन की तिथि से दो वर्ष से कम समय के लिए, उक्त अधिनियमों के तहत अधिकारियों के साथ पंजीकृत है ।

iv. एनपीएस लाइट योजना

v. अटल पेंशन योजना

vi. प्राधिकरण द्वारा विनियमित और प्रशासित कोई भी अन्य योजना

पीओपी विनियम, 2018, के तहत पीएफआरडीए ने उपस्थिति अस्तित्वों (पीओपीज), पीओपी–एसईज को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किए हैं, 31 मार्च 2020 तक के अनुसार जारी किये गए पंजीकरण प्रमाणपत्रों की संख्या निम्नानुसार है :

(i) उपस्थिति अस्तित्व–317

(ii) उपस्थिति अस्तित्व–सेवाप्रदाता–28

हालांकि, 13 आरआरबीज़ एकीकृत (मिश्रित) होने के कारण विपंजीकृत हो गए।

iii) सेवानिवृत्ति सलाहकार

पीएफआरडीए (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 और बाद के संशोधनों में परिभाषित पात्रता मानदंड के अनुसार आवेदनों के मूल्यांकन के बाद पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी किया गया था।

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान, एनपीएस संरचरना के तहत 19 व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति सलाहकार और व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति सलाहकारों के अतिरिक्त 3 पंजीकृत किए गए थे। पंजीकरण प्रक्रिया को तेजी से निष्पादित करने के लिए, पंजीकरण का ऑनलाइन मंच उपलब्ध है जहां आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

iv) केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण

मेसर्स एनएसडीएल ई–गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को एक वर्ष की अवधि के लिए या 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक या पीएफआरडीए (केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण) विनियम, 2015 में संशोधन के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने की तिथि और इसके तहत संशोधन, जो भी पहले हो केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया था।

v) न्यासी बैंक

कोई विनियामक परिवर्तन नहीं किए गए। हालांकि, वार्षिक शुल्क और अनुपालन प्रमाणपत्र का समय से संकलन सुनिश्चित किया गया था।

vi) एनपीएस न्यास

वित्त वर्ष 2019.20 के दौरानए एक न्यासी और एनपीएस न्यास के नए अध्यक्ष को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार नामित किया गया था:

न्यासी: श्री सुधीर कुमार शर्मा (आईएएस, विशेष सचिव, वित्त (व्यय), राजस्थान सरकार, 17 सितंबर, 2019 को।

अध्यक्ष: श्री अतानु सेन (एनपीएस न्यास के न्यासी) को 30 मार्च, 2020 को एनपीएस न्यास के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था।

vii) निकास और वार्षिकी सेवा प्रदाता (एएसपीज़):

क. संशोधन, अधिसूचना और विनियमों के संशोधन का प्रसार

पीएफआरडीए (एनपीएस के तहत निकास और प्रत्याहरण) (छठां संशोधन) विनियम 2020 को एनपीएस लाइट अभिदाताओं के सरल निकास की सुविधा के लिए जारी किया गया है।

ख. नए वार्षिकी सेवाप्रदाताओं का सूचीकरण

i. इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कं लिमिटेड

ii. ऐडेलविस टोकियो लाइफ इंश्योरेंस कं लिमिटेड

iii. बजाज एलायंज लाइफ इंश्योरेंस कं लिमिटेड

iv. कैनेरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कं लिमिटेड

v. कोटेक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कं लिमिटेड

vi. टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कं लिमिटेड

vii. मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कं लिमिटेड

3.2 योजनाओं का अनुमोदन, पेंशन निधि के कोश प्रबंधन सहित उनकी नियम एवं शर्तें और ऐसी योजनाओं के तहत निवेश दिशानिर्देश

प्राधिकरण द्वारा प्रशासित योजनाओं का विवरण रिपोर्ट के भाग II से देखे जा सकते हैं ।

इसके अतिरिक्त वित्त वर्ष 2019–20 के लिए केंद्र सरकार और केंद्रीय स्वायत्त निकाय के तहत प्रबंधन के अधीन परिसंपत्तियां एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड, यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड और एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड को 34:33:33 (07 मई 2019 से प्रभावी) में आवंटित किया गया है। वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान यह आवंटन अनुपात एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड, यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड और एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड के लिए 07 मई, 2018 से 33.5:34.5:32 था।

राज्य सरकार के कर्मचारियों और राज्य के स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए लागू योजना के लिए यह सीजी स्कीम के समान निवेश पैटर्न और पेंशन निधि का अनुसरण करता है। वित्त वर्ष 2019–20 के लिए परिसंपत्तियों का प्रबंधन एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड, यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड और एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड को 34: 33.5: 32.5 क्रमशः के अनुपात में को किया गया है (7 मई 2019 से)। वित्त वर्ष 2018–19 में आवंटन का यह अनुपात एसबीआई पेंशन प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड, यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड और एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड (07 मई, 2018 से) के लिए 33.5: 34: 32.5 था।

3.3 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अभिदाताओं का निकास

3.3.1 पीएफआरडीए (एनपीएस के तहत निकास और प्रत्याहरण) विनियम 2015 और उसके संशोधनों के तहत निम्नलिखित प्रत्याहरण श्रेणियां स्वीकृत हैं:

(i) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अभिदाताओं का निकास

पीएफआरडीए (एनपीएस से निकास और प्रत्याहरण) विनियम 2015 के अनुसार निम्नलिखित निकास श्रेणियां अनुज्ञप्त हैं :

तलिका संख्या. 3.4: पीएफआरडीए (एनपीएस के तहत निकास और प्रत्याहरण) विनियम 2015 और संशोधन

क्र.सं	प्रत्याहरण श्रेणियां	सरकारी क्षेत्र में शर्तें	गैर–सरकारी क्षेत्र में शर्तें
1	सामान्य अधिवर्षिता पर	अभिदाता के संचित पेंशन धन के न्यूनतम 40% का उपयोग मासिक पेंशन प्रदान करने हेतु वार्षिकी क्रय करने के लिए किया जाना चहिए और शेष राशि अभिदाता को एकमुश्त रूप से दी जानी चाहिए । यदि प्रान में उपलब्ध संचित पेंशन राशि 2 लाख या 2 लाख से कम है तो अभिदाता के पास सम्पूर्ण पेंशन संपत्ति को बिना वार्षिकी क्रय किए वापस लेने का विकल्प होगा ।	सरकारी क्षेत्र के समान
2	मृत्यु पर	अभिदाता के संचित पेंशन धन के न्यूनतम 80% का उपयोग पति/पत्नी को मासिक पेंशन प्रदान करने हेतु वार्षिकी क्रय करने के लिए किया जाना चहिए और शेष राशि नामितीधविधिक वारिस को एकमुश्त रूप से दी जाती है । यदि प्रान में संचित राशि मृत्यु के समय 2 लाख या उससे कम होगी, नामिती या विधिक वारिस के पास सम्पूर्ण पेंशन संपत्ति को बिना वार्षिकी क्रय किए वापस लेने का विकल्प होगा ।	यदि 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु प्राप्त करने से पहले अभिदाता की मृत्यु हो जाती है, तो अभिदाता की पूरी संचित पेंशन संपत्ति का नामिति या नामितयों या कानूनी उत्तराधिकारियों को भुगतान किया जाएगा। मृतक अभिदाता के नामांकित व्यक्ति या परिवार के सदस्यों के पास यह विकल्प होगा कि यदि वे चाहें, तो मृतक अभिदाताओं के स्थायी सेवानिवृत्ति खाते पर निकास लाभ के लिए आवेदन करते हुए निकास के समय उन्हें पेंश की जाने वाली वार्षिकियों में से एक वार्षिकी खरीद सकते हैं ।

क्र.सं	प्रत्याहरण श्रेणियां	सरकारी क्षेत्र में शर्तें	गैर–सरकारी क्षेत्र में शर्तें
3	**समय से पूर्व निकास**	अभिदाता के संचित पेंशन धन के न्यूनतम 80% का उपयोग मासिक पेंशन प्रदान करने हेतु वार्षिकी क्रय करने के लिए किया जाना चहिए और शेष राशि अभिदाता को एकमुश्त रूप से दी जानी चाहिए । यदि प्रान में उपलब्ध संचित पेंशन राशि 1 लाख या उससे कम है तो ऐसे अभिदाता के पास संपूर्ण पेंशन संपत्ति को बिना वार्षिकी क्रय किए वापस लेने का विकल्प होगा ।	इस तरह के विकल्प के प्रयोग की अनुमति केवल ऐसे अभिदाताओं को होगी जो कम से कम दस साल की अवधि से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सदस्य रहे हो। अभिदाता के संचित पेंशन धन के न्यूनतम 80% का उपयोग मासिक पेंशन प्रदान करने हेतु वार्षिकी क्रय करने के लिए किया जाना चहिए और शेष राशि अभिदाता को एकमुश्त रूप से दी जानी चाहिए । यदि प्रान में उपलब्ध संचित पेंशन राशि 1 लाख या उससे कम है तो ऐसे अभिदाता के पास सम्पूर्ण पेंशन संपत्ति को बिना वार्षिकी क्रय किए वापस लेने का विकल्प होगा।

एनपीएस से निकास के लिए, अभिदाताओं को श्रेणीबद्ध और परिभाषित किया गया है :

(i) सरकारी क्षेत्र,

(ii) कॉर्पोरेट क्षेत्र सहित सर्व नागरिक और

(iii) एनपीएस लाइट और स्वावलंबन अभिदाता।

अभिदाता जिस श्रेणी से सम्बंधित है तदनुसार निर्दिष्ट निकास विनियम लागू होंगे ।

तालिका संख्या. 3.5: दिनांक 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक रिपोर्ट किए गए, स्वीकृत और निपटाए गए प्रत्याहरणों की संख्या

क्र. सं	क्षेत्र	ऑनलाइन प्रत्याहरण			भौतिक प्रत्याहरण		
		रिपोर्ट किए गए *	स्वीकृत यूएसडी	निपटाए गए	रिपोर्ट किए गए #	स्वीकृत ***	निपटाए गए
1	केन्द्र सरकार	5,365	4,997	4,943	30	30	30
2	राज्य सरकार	13,939	12,418	12,386	1	1	1
3	सर्व नागरिक / यूओएस	4,812	4,422	4,296	78	78	78
4	कोर्पोरेट	2,382	2,198	2,167	2	2	2

(**आंकड़ों का स्रोत:** एनएसडीएल–सीआरए और केफिनटेक–सीआरए)

टिप्पणी :

* **ऑनलाइन निकास** रिपोर्टेड मामलों में नोडल कार्यालयों द्वारा अधिकृत तथा नोडल कार्यालयों के लिए द्वारा अधिकृत होने के लिए लंबित मामले शेष हैं ।

यूएसडी ऑनलाइन निकास निपटाए गए मामले वो मामले हैं जिसमें नोडल कार्यालय ने सीआरए प्रणाली में निकास अनुरोध स्वीकृत किए हैं ।

 # भौतिक निकासी: इन मामलों में प्रसंस्करण के लिए सीआरए में प्राप्त भौतिक प्रारूप शामिल हैं जिनके ऑनलाइन निकासी मॉड्यूल अभी तक विकसित या विकास प्रक्रिया में नहीं हैं। उदा. अभिदाता जिसकी सीआरए प्रणाली में अपलोड की गई अंशदान राशि मिलान और बुकिंग के लिए लंबित थी (यानी मेल नहीं किया गया था), 60 वर्ष की आयु के बाद प्रणाली में पंजीकृत होने वाले अभिदाता आदि । सीआरए ने ऐसे मामलों को एक ऑफलाइन यानी भौतिक मोड में संसाधित किया।

*****भौतिक निकासी:** स्वीकृत का अर्थ है वह मामले जो सीआरए में स्थगित थे और जिसके लिए नोडल कार्यालय / अभिदाता से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त किए गए थे।

तालिका संख्या. 3.6: 31 मार्च 2019 और 31 मार्च 2020 तक के अनुसार लंबित प्रत्याहरण दावे

क्र. सं.	क्षेत्र	लंबित भौतिक प्रत्याहरण		ऑनलाइन लंबित प्रत्याहरण	
		31 मार्च 2019 तक के अनुसार	31 मार्च 2020 तक के अनुसार	31 मार्च 2019 तक के अनुसार	31 मार्च 2020 तक के अनुसार
1	केन्द्र सरकार	शून्य	शून्य	345	408
2	राज्य सरकार	शून्य	शून्य	1,191	1,689
3	सर्व नागरिक/यूओएस	शून्य	शून्य	406	445
4	कोर्पोरेट	शून्य	शून्य	124	189
5	एनपीएस लाइट	शून्य	शून्य	239	190
	कुल			**2,305**	**2,921**

(**आंकड़ों का स्रोत:** एनएसडीएल – सीआरए और केफिनटेक–सीआरए)

टिप्पणी :

भौतिक प्रत्याहरण : वर्ष के अंत में लम्बित प्रत्याहरण दावे वह मामले हैं जहाँ अभिदाता/नोडल कार्यालयों को सीआरए को आवश्यक दस्तावेज भेजना शेष है ।

ऑनलाइन प्रत्याहरण: वर्ष के अंत में लम्बित प्रत्याहरण दावे वह मामले हैं जहाँ नोडल कार्यालयों को सीआरए प्रणाली में प्रत्याहरण अनुरोध अधिकृत करना शेष है ।

यह देखा गया कि अधिकांश मामलों में अभिदाताओं या नोडल कार्यालयों द्वारा जमा कराए गये उपयुक्त दस्तावेजों की कमी/अपर्याप्तता के कारण प्रत्याहरण अनुरोध लम्बित हैं

3.3.2 एनपीएस के तहत आंशिक प्रत्याहरण

एनपीएस अभिदाता आंशिक प्रत्याहरण ऐसी स्थिति में आंशिक प्रत्याहरण कर सकता है, जब अभिदाता के संचित पेंशन धन का आंशिक प्रत्याहरण, जो अभिदाता के संचित पेंशन धन का, पच्चीस प्रतिशत से अधिक न हो, और जिसमें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास के पूर्व किसी समय नियोजक द्वारा किये गए अंशदान, यदि कोई हो, को अपवर्जित किया गया है, नीचे विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों, प्रयोजन, आवृत्ति और सीमाओं के अधीन रहते हुए अनुज्ञेय होगा–

(अ) प्रयोजन : किसी अभिदाता को, प्रत्याहरण प्रारूप प्रस्तुत करने की तारीख से केवल निम्नलिखित प्रयोजन में से किसी के लिए उसके व्यक्तिगत पेंशन खाते से उसके द्वारा किये गए अभिदायों का पच्चीस प्रतिशत से अनधिक का प्रत्याहरण, अनुज्ञात होगा ;–

(i) अपने बच्चों के, जिसके अंतर्गत वैध रूप से दत्तक बच्चे भी हैं, उच्चतर शिक्षा के लिए;

(ii) अपने बच्चों के, जिसके अंतर्गत वैध रूप से दत्तक बच्चे भी हैं, विवाह के लिए;

(iii) अपने स्वयं के नाम से या विधिक रूप से विवाहित पति या पत्नी के साथ संयुक्त रूप से कोई निवास स्थान (मकान) या फ्लैट है, तो इन विनियमों के अधीन कोई प्रत्याहरण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा;

(iv) विनिर्दिष्ट बीमारियों के उपचार के लिए यदि अभिदाता उसका विधिक रूप से विवाहित पति या पत्नी, बच्चों जिसके अंतर्गत वैध रूप

से दत्तक बच्चे भी हैं, या आश्रित माता–पिता किसी विनिर्दिष्ट रुग्णता से ग्रस्त हैं, जिसमें निम्नलिखित रोगों के सम्बन्ध में अस्पताल में भर्ती होना, उपचार समाविष्ट होगा :

(i) कैंसर;

(ii) गुर्दा की विफलता (अंत चरण रीनल फेल होना);

(iii) प्राइमरी पुल्मोनरी आल्टेकियल हाइपरटेंशन;

(iv) मल्टीपल एक्लराइओसिस;

(v) प्रमुख अंग प्रत्यारोपण ;

(vi) कोरेनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट ;

(vii) ओरटा ग्राफ्ट सर्जरी ;

(viii) हार्ट वाल्व सर्जरी ;

(ix) स्ट्रोक ;

(x) मायोकार्डियल इन्फेक्शन

(xi) कोमा ;

(xii) टोटल ब्लाइंडनेस (पूर्ण रूप अंधता) ;

(xiii) पेरालेसिस (लकवा);

(xiv) गंभीर/जीवन को संकट में डालने वाली दुर्घटना ;

(xv) जीवन को नुकसान पहुंचाने वाले कोई अन्य गंभीर रोग जो प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों, मार्गदर्शक सिद्धांतों या अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(xvi) अभिदाता की विकलांगता या अक्षमता के कारण होने वाले चिकित्सकीय तथा आकस्मिक खर्चों को पूरा करने हेतु ।

(xvii) अभिदाता द्वारा कौशल विकास/पुनः कौशल या अन्य कोई स्व–विकास क्रियाकलापों के खर्चों के लिए, जैसा भी उस बारे में प्राधिकरण द्वारा उचित दिशानिर्देश जारी करते हुए अनुज्ञप्त हो ।

(xviii) अभिदाता द्वारा स्व–उद्यम स्थापित करने या नए उद्यमों की शुरुआत करने हेतु खर्चों को के लिए, जैसा भी उस बारे में प्राधिकरण द्वारा उचित दिशानिर्देश जारी करते हुए अनुज्ञप्त हो ।

(ख) सीमाएं : अनुज्ञात प्रत्याहरण केवल तभी मंजूर किया जाएगा यदि अभिदाता लाभों का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित पात्रता सम्बन्धी मानदंड और सीमाओं का अनुपालन करता है :–

(क) अभिदाता, अपने कार्यग्रहण की तारीख से कम से कम तीन वर्ष की अवधि तक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में रहा हो ;

(ख) अभिदाता को उसके द्वारा किए गए अभिदायों के आवेदन की तारीख को उसके व्यक्तिगत पेंशन खाते में जमा रकम के प्रत्याहरण के लिए, पच्चीस प्रतिशत से अनधिक संचयन का प्रत्याहरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(ग) आवृत्ति : (1) अभिदाता को, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अभिदाय की सम्पूर्ण अवधि के दौरान केवल अधिकतम तीन बार प्रत्याहरण अनुज्ञात होगा । अभिदाता द्वारा सुसंगत दस्तावेजों के साथ विनिर्दिष्ट प्रारूप के प्रत्याहरण के लिए अनुरोध केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को, जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए, ऐसे प्रत्याहरण की कार्यवाही करने के लिए अपने मुख्य पणधारी के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। परन्तु जहाँ कोई अभिदाता, उपखंड (घ) में विनिर्दिष्ट किसी रोग से ग्रस्त है वहां प्रत्याहरण का ऐसा अनुरोध ऐसे अभिदाता के कुटुंब के किसी सदस्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकेगा ।

तालिका संख्या. 3.7: वित्त वर्ष 2019.20 में रिपोर्ट किए गए और निपटाए गए आंशिक प्रत्याहरण मामलों की संख्या

क्र. सं	क्षेत्र	आंशिक प्रत्याहरण		
		रिपोर्ट किए गए *		निपटाए गए**
		नोडल कार्यालय द्वारा शुरू किए गए #	नोडल कार्यालय द्वारा स्वीकृत	
1	केन्द्र सरकार	7,227	6,921	6,919
2	राज्य सरकार	20,898	20,007	19,984
3	सर्व नागरिक / यूओएस	293	151	151
4	कोर्पोरेट	895	670	670
	कुल	**29,313**	**27,749**	**27,724 ^**

(**आंकड़ों का स्रोत** : एनएसडीएल–सीआरए एंड केफिनटेक–सीआरए)

टिप्पणी:

*रिपोर्ट किये गए मामलों में नोडल कार्यालय द्वारा अधिकृत और नोडल कार्यालय द्वारा अधिकृति हेतु लंबित मामले शामिल हैं ।

**निपटाए गए मामले वह हैं जिनमें निधियां अभिदाता के बैंक खाते में जमा कर दी गई हैं ।

अभिदाताओं द्वारा आरम्भ किये गए मामलों को नोडल कार्यालय द्वारा शुरू किए गए मामलों में भी जोड़ा गया है।

^ कुछ मामले पिछले वर्षों के स्वीकृत मामलों से संबंधित हैं।

i) अभिदाताओं द्वारा चुने गए वार्षिकी सेवा प्रदाता (एएसपीज) और वार्षिकियों का विवरण

वार्षिकी एकमुश्त राशि जमा करने पर पेंशन के मासिक भुगतान का प्रावधान करती है। अभिदाता को पीएफआरडीए के सूचीबद्ध वार्षिकी सेवाप्रदाताओं में से एनपीएस के निकास नियमों में निर्दिष्ट वार्षिकी को अनिवार्य रूप से क्रय करना होगा ।

वार्षिकी सेवाप्रदाता, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) से लाइसेंस प्राप्त और विनियमित जीवन बीमा कंपनियां हैं, जो भारत में वार्षिकी कारोबार का संचालन करती है और यह पीएफआरडीए द्वारा एनपीएस के अभिदाताओं को उनकी वार्षिकी आवश्यकताओं पर सेवा प्रदान करने के लिए सूचीबद्ध हैं ।

वर्तमान में, एनपीएस अभिदाताओं को वार्षिकी सेवाएं प्रदान करने के लिए पीएफआरडीए के साथ निम्नलिखित वार्षिकी सेवा प्रदाता सूचीबद्ध हैं :

i) लाइफ इंश्योरेंस कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया

ii) एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

iii) आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

iv) एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

v) स्टार यूनियन दाई–ईची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

vi) कोटेक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

vii) इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

viii) एडेलविस टोकियो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

ix) बजाज एलांयज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

x) कैनेरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कं लिमिटेड

xi) टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

xii) मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत, अभिदाता के पास वार्षिकी के प्रकार और वार्षिकी सेवा प्रदाता को चुनने का विकल्प है। अभिदाता सम्बंधित एसपीज द्वारा पेश की जाने वाली उपलब्ध योजनाओं की आवश्यकतानुसार वार्षिकी प्रकार/योजना का चयन कर सकता है।

तालिका संख्या. 3.8: वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान संसाधित ऑनलाइन वार्षिकी अनुरोध

क्र. सं.	वार्षिकी सेवा प्रदाता वार्षिकी योजनाएं	मामलों संख्या	राशि स्थानांतरित (रूपयों में)
एचडीएफसी लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड			
1	जीवनभर के लिए वार्षिकी	410	10,27,20,550.97
2	मृत्यु होने पर क्रय मूल्य की वापसी के साथ जीवनभर के लिए वार्षिकी	1,174	63,92,53,830.20
3	वार्षिकीकर्ता की मृत्यु पर जीवनसाथी को जीवनभर के लिए देय 100% वार्षिकी	467	13,97,66,843.51
4	वार्षिकीकर्ता की मृत्यु पर जीवनसाथी को वार्षिकी की खरीद पर रिटर्न सहित जीवनभर के लिए 100% वार्षिकी	537	31,21,08,019.59
5	जीवनभर के लिए वार्षिकी प्रीमियम/क्रय मूल्य की भागों में वापसी के साथ	6	18,58,683.57
6	गंभीर बीमारी का पता चलने की स्थिति में प्रीमियम/क्रय मूल्य की वापसी के साथ जीवन भर के लिए वार्षिकी	23	1,29,63,835.84
	उप–कुल	**2,617**	**1,20,86,71,763.68**
भारतीय जीवन बीमा निगम			
1	जीवनभर के लिए वार्षिकी	793	21,56,20,226.11
2	मृत्यु होने पर क्रय मूल्य की वापसी के साथ जीवनभर के लिए वार्षिकी	1,219	39,10,15,905.33
3	वार्षिकीकर्ता की मृत्यु पर जीवनसाथी को जीवनभर के लिए देय 100% वार्षिकी	1,206	36,97,19,141.90
4	वार्षिकीकर्ता की मृत्यु पर जीवनसाथी को वार्षिकी की खरीद पर रिटर्न सहित जीवनभर के लिए 100% वार्षिकी	924	30,09,26,193.93
5	**एनपीएस**– कुटुंब आय विकल्प	555	24,22,63,585.27
	उप–कुल	**4,697**	**1,51,95,45,052.54**
एसबीआई जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड			
1	जीवनभर के लिए वार्षिकी	455	15,47,60,126.99
2	मृत्यु होने पर क्रय मूल्य की वापसी के साथ जीवनभर के लिए वार्षिकी	658	25,49,49,910.64
3	वार्षिकीकर्ता की मृत्यु पर जीवनसाथी को जीवनभर के लिए देय 100% वार्षिकी	600	22,55,40,547.36

क्र. सं.	वार्षिकी सेवा प्रदाता वार्षिकी योजनाए*	मामलों संख्या	राशि स्थानांतरित (रूपयों में)
4	वार्षिकीकर्ता की मृत्यु पर जीवनसाथी को वार्षिकी की खरीद पर रिटर्न सहित जीवनभर के लिए 100% वार्षिकी	362	14,11,95,887.69
5	**एनपीएस**– कुटुंब आय विकल्प	402	17,84,11,146.99
	उप–कुल	**2,477**	**95,48,57,619.67**
आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल लाइफ इन्श्योरेंश कंपनी लिमिटेड			
1	जीवनभर के लिए वार्षिकी	108	2,85,22,869.15
2	मृत्यु होने पर क्रय मूल्य की वापसी के साथ जीवनभर के लिए वार्षिकी	524	24,01,35,647.02
3	वार्षिकीकर्ता की मृत्यु पर जीवनसाथी को जीवनभर के लिए देय 100% वार्षिकी	240	8,27,51,613.90
4	वार्षिकीकर्ता की मृत्यु पर जीवनसाथी को वार्षिकी की खरीद पर रिटर्न सहित जीवनभर के लिए 100% वार्षिकी	459	38,56,78,592.44
5	**एनपीएस**– कुटुंब आय विकल्प	126	4,95,22,638.51
	उप–कुल	**1,457**	**78,66,11,361.02**
स्टार यूनियन दाई–इची लाइफ इन्श्योरेंश कंपनी लिमिटेड			
1	जीवनभर के लिए वार्षिकी	-	-
	उप–कुल		
कोटेक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड			
1	जीवनभर के लिए वार्षिकी	1	2,08,689.13
2	मृत्यु होने पर क्रय मूल्य की वापसी के साथ जीवनभर के लिए वार्षिकी	26	1,22,36,263.79
3	वार्षिकीकर्ता की मृत्यु पर जीवनसाथी को जीवनभर के लिए देय 100% वार्षिकी	4	48,96,578.28
4	वार्षिकीकर्ता की मृत्यु पर जीवनसाथी को वार्षिकी की खरीद पर रिटर्न सहित जीवनभर के लिए 100% वार्षिकी	10	52,32,967.99
	उप–कुल	**41**	**2,25,74,499.19**
इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड			
1	मृत्यु होने पर क्रय मूल्य की वापसी के साथ जीवनभर के लिए वार्षिकी	1	1,20,529.68
2	वार्षिकीकर्ता की मृत्यु पर जीवनसाथी को वार्षिकी की खरीद पर रिटर्न सहित जीवनभर के लिए 100% वार्षिकी	1	78,741.78
	उप–कुल	**2**	**1,99,271.46**
	कुल योग	**11,291**	**4,49,24,59,567.56**

(**आंकड़ों का स्रोत** : एनएसडीएल–सीआरए एंड केफिनटेक–सीआरए)

*12 सूचीबद्ध एएसपीज़ में से 7 एएसपीज़ ने अपने परिचालन शुरू कर दिए हैं ।

ii) **वार्षिकी जारी करना**

i. वार्षिकी जारी करने के लिए निर्धारित नियतकालिक समय

पीएफआरडीए ने वित्त वर्ष 2020–21 में वार्षिकी जारी करने के लिए, प्रलेखन के पूरा होने के लिए विशिष्ट समयसीमा जारी करने का प्रस्ताव किया है।

ii. **एकमुश्त के लिए एकल केवाईसी और वार्षिकी – आईआरडीएआई के साथ संलग्नता**

पीएफआरडीए आईआरडीएआई के साथ एनपीएस प्रणाली से निकास वाले अभिदाताओं को एकमुश्त भुगतान और वार्षिकी एक साथ जारी करने के लिए संलग्न है।

iii) **वार्षिकी साक्षरता कार्यक्रम**

- पीएफआरडीए ने उन सभी एनपीएस अभिदाताओं के लाभ के लिए देश भर में वार्षिकी साक्षरता कार्यक्रम (एएलपी) शुरू किया जो अगले कुछ वर्षों में सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य एनपीएस निकास प्रक्रिया के बारे में अभिदाताओं को जागरूक करना और वार्षिकी सेवा प्रदाताओं (एएसपी) के साथ समन्वय में निर्बाध तरीके से वार्षिकी जारी करना है।
- पीएफआरडीए ने हाल ही में एक सर्वेक्षण किया था, जहां वार्षिकी मामलों की लंबितता का प्राथमिक कारण अभिदाताओं के बीच जागरूकता की कमी पाया गया था।
- इस मुद्दे को सुलझाने के लिए पीएफआरडीए ने वार्षिकी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं और इस तरह का एक कदम वार्शिकी साक्षरता कार्यक्रम(एएलपी) आयोजित करना है। पीएफआरडीए ने राज्य सरकारों के साथ समन्वय में राज्यों में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लाभ के लिए विभिन्न एएलपी का संचालन किया है और इन कार्यक्रमों को प्रतिभागियों द्वारा अच्छी तरह से सराहना की जाती है और इनमें बड़ी संख्या में एनपीएस अभिदाताओं द्वारा भाग लिया जाता है।
- पीएफआरडीए द्वारा एएलपी में, दो तरह के अभिदाताओं की पहचान की जाती है और आमंत्रित किए जाते हैं। पहला, जो आने वाले वर्षों में 60 वर्ष की आयु प्राप्त करेंगे जैसे 3, 5 वर्ष और जो पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं लेकिन किसी भी कारण से वार्षिकियां नहीं ली हैं।
- कार्यक्रम में, पीएफआरडीए, एनएसडीएल और वार्षिकी सेवा प्रदाता अपने वार्षिकी उत्पादों पर सभी ग्राहकों को एक प्रस्तुति देते हैं और अपने ब्रोशर वितरित करते हैं और साथ ही साथ ग्राहकों से संपर्क विवरण साझा करते हैं। एनएसडीएल एनपीएस के समग्र आर्किटेक्चर पर प्रस्तुति देता है और एनपीएस से निकास के समय का पालन की कार्यप्रणाली प्रस्तुत करता है। एएलपी के अंतिम चरण में एक प्रश्नोत्तर सत्र भी आयोजित किया जाता है जहां विभिन्न मुद्दों को प्रतिभागी द्वारा उठाया जाता है।
- आज तक, देश भर में आठ अलग–अलग शहरों में एएलपी आयोजित किए गए हैं। नीचे दी गई तालिका में स्थानों का उल्लेख किया गया है:

तालिका संख्या. 3.9: वार्षिकी साक्षरता कार्यक्रम

क्र. सं	स्थान	वार्षिकी साक्षरता कार्यक्रम की तिथि
1	कांगड़ा	28–29 जून 2019
2	अहमदाबाद	2–3 अगस्त 2019
3	बेंग्लोर	6–7 सितंबर 2019
4	गुवाहाटी	27–28 सितंबर 2019
5	दिल्ली	17–18 अक्टूबर 2019
6	पटना	22 नवंबर 2019
7	लखनऊ	23 दिसंबर 2019
8	भोपाल	12–13 दिसंबर 2020

प्राधिकरण नियमित रूप से वार्षिकी सेवा प्रदाताओं के साथ इस मामले को उठा रहा है, ताकि वार्षिकी की खरीद के दौरान अभिदाताओं की सुविधा के लिए, अभिदाताओं के बीच वार्षिकी उत्पादों के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके और वार्षिकी खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन बनाने के लिए एक ऑनलाइन मंच भी लाया जा सके।

3.4 अधिनियम के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अन्य पेंशन योजनाओं के तहत अभिदाताओं के हितों की सुरक्षा के लिए गतिविधियाँ :–

पीएफआरडीए का एक प्रमुख उद्देश्य अभिदाताओं के हितों का संरक्षण है और पीएफआरडीए इसके विकास के लिए विविध गतिविधियों में कार्यरत है।

अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए किए गए उपाय

(i) एनपीएस लाइट अभिदाता–ईएनपीएस लाइट के लिए ऑनलाइन योगदान की सुविधा एनपीएस लाइट अभिदताओं की सुविधा सुनिश्चित करने और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए, एनएसडीएल–सीआरए ने 'ई–एनपीएस लाइट' को सक्षम किया है, जो एनपीएस लाइट अभिदाताओं के लिए ऑनलाइन योगदान सुविधा है। एनपीएस लाइट अभिदाता, वैध पंजीकृत मोबाइल नंबर के साथ लिंक (https://enps.nsdl.com/eNPS / InitialExistingUser.html) पर जा सकते हैं और अपने एनपीएस लाइट में ऑनलाइन अंशदान को कष्टमुक्त बना सकते हैं।

(ii) केंद्र सरकार के अभिदाताओं के लिए एनपीएस के टियर– I में पेंशन निधि और निवेश पैटर्न के विकल्प की शुरूआत– सरकारी अधिसूचना के बाद, पीएफआरडीए ने 08 मई, 2019 को एक परिपत्र जारी किया, जिसमें केंद्र सरकार के अभिदाताओं के लिए एनपीएस के टियर –1 में पेंशन निधियों और निवेश विकल्पों के बारे में बताया गया है।

(iii) प्राधिकरण परिचालन दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित गतिविधियों में देरी के लिए पीओपी द्वारा सूचित विचलन पर एनपीएस न्यास और ऐसे देरी के कारण पीओपी द्वारा अभिदाताओं को मुआवजे के भुगतान की नियमित रूप से सलाह देता है।

(iv) पीएफआरडीए (एनपीएस के तहत निकास और प्रत्याहरण) (छठा संशोधन) विनियम 2019 की अधिसूचना कुछ शर्तों की पूर्ति के अधीन एनपीएस लाइट अभिदाताओं के समय से निकास को सक्षम करती है।

(v) सीआरए द्वारा विकसित कार्यक्षमता पर परिपत्र (सूचना के प्रसार के उद्देश्य से) जारी किया गया था ।

(vi) पिछले वर्ष के दौरान सात (07) नई बीमा कंपनियों को वार्षिकी सेवा प्रदाता के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।

(vii) जैसा कि पहले खंड में इंगित किया गया है, ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए विभाग द्वारा परिपत्र के रूप में विभिन्न नई पहल की गई थीं और दिशानिर्देश जारी किए गए थे। साथ ही, हितधारकों से प्राप्त आवश्यकताओं और प्रतिक्रिया के आधार पर विनियमों में आवश्यक संशोधन किए गए।

(viii) राज्य सरकारों को सलाह दी गई थी कि वे अपने कर्मचारियों–अभिदाताओं को एनपीएस के तहत पेंशन निधि और निवेश पैटर्न के लिए विकल्प

प्रदान करें, जैसा कि केंद्र सरकार ने डीएफएस द्वारा जारी किए गए अपने राजपत्रित अधिसूचना 31 जनवरी 2019 के माध्यम से पहले ही प्रदान किया है।

(ix) केंद्रीय स्वायत्त निकाय (सीएबी)/ राज्य स्वायत्त निकाय (एसएबी) जिनको एससीएफ के अनियमित अपलोड को समय पर ढंग से एनपीएस योगदान के अपलोड और प्रेषण की सलाह दी गई थी।

(x) वित्तीय वर्ष के दौरान केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियों (सीआरए) द्वारा कार्यात्मकताओं के नवीनीकरण/ अपग्रेडेशन से संबंधित विभिन्न परिपत्र जारी किए गए।

3.5 अभिदाताओं की शिकायतों के निवारण के लिए तंत्र और ऐसी गतिविधियों की शिकायतों के निवारण के लिए तंत्र

एक अभिदाता एनपीएस के तहत सीआरए द्वारा स्थापित शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से नियोक्ता (नोडल कार्यालय)/सीआरए के खिलाफ से शिकायत दर्ज कर सकता है। इस शिकायत को एनपीएस न्यास को आगे बढ़ाया जाएगा। शिकायत करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है:

(i) **ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण** – एक अभिदाता सीआए की वेबसाइट www.cransdl.com पर लॉगिन करके केंद्रीय शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीजीएमएस) में शिकायत दर्ज कर सकता है, उपयोगकर्ता आईडी – 'प्रान' और आईपिन (प्रान जारी करते समय प्रदान किया गया) का उपयोग करके खुद को प्रमाणित कर सकता है या प्रान विवरण के साथ या उसके बिना (https://www.npscra.nsdl.co.in/Log-your-grievance-php) लिंक पर क्लिक करके।

(ii) **सीआरए हेल्पलाइन** – एक अभिदाता टोल–फ्री नंबर 1800 222 080 पर कॉल कर सकता है, 'प्रान' और आईपिन (प्रान जारी करते समय प्रदान किया गया) का उपयोग करके खुद को प्रमाणित कर सकता है और ग्राहक सेवा कार्यकारी के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकता है।

शिकायत के सफल लॉग–इन के बाद, सीआरए प्रणाली द्वारा एक टोकन नंबर उत्पन्न किया जाएगा जिसकी सहायता से एक ग्राहक सीआरए वेबसाइट पर शिकायत की स्थिति का पता कर सकता है। शिकायत को 30 दिनों में मध्यस्थ इकाई द्वारा हल किया जाता है। यदि शिकायतकर्ता अपनी शिकायत के निवारण से संतुष्ट नहीं है या शिकायत के तीस दिनों के अंत तक मध्यस्थ द्वारा इसका समाधान नहीं किया गया है, तो वह शिकायत को नेशनल पेंशन प्रणाली न्यास में बढ़ा सकता है। नेशनल पेंशन प्रणाली न्यास शिकायत के निवारण के लिए संबंधित मध्यस्थ के साथ सदस्य शिकायत पर विचार करेगा। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास अभिदाता शिकायत के समाधान के लिए कॉल करेगा और शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर अभिदाता को जवाब देगा।

उपर्युक्त शिकायत के दो स्तरों के बाद अभिदाता द्वारा आगे भेजे जाने के तीसरे स्तर पर, वह लोकपाल के साथ अपील दायर कर सकता है। निम्नलिखित परिस्थितियों में एक शिकायतकर्ता द्वारा लोकपाल के साथ अपील दायर की जा सकती है: जहां

i. एक शिकायतकर्ता जिसकी शिकायत 30 दिनों के भीतर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के साथ एक प्रतिनिधित्व दायर करके शिकायत के निवारण से हल नहीं की गई है

ii. एक शिकायतकर्ता द्वारा, जहां सीधे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के खिलाफ शिकायत की गई है और कोई अन्य मध्यस्थ नहीं है और वही तीस दिनों की निर्दिष्ट अवधि के भीतर अनसुलझा रहता है या

iii. एक शिकायतकर्ता द्वारा, प्राधिकरण द्वारा विनियमित किसी अन्य पेंशन योजना के खिलाफ शिकायत के संबंध में, जिसकी शिकायत 30 दिनों की अवधि के लिए अनसुलझी रहती है।

वर्तमान में, श्री अर्नब रॉय को पीएफआरडीए (अभिदाता शिकायत का निवारण) विनियम, 2015 के संदर्भ में वैतनिक लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है।

पता :
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
प्लॉट सं–बी–14/ए, छत्रपति शिवाजी भवन,
कुतुब संस्थानिक क्षेत्र, कटवारिया सराय,
नई दिल्ली –110016
ईमेल आईडी : ombudsman@pfrda.org.in

3.5.1 वित्त वर्ष 2019–20 के लिए लोकपाल कार्यालय में प्राप्त, सुलझाई गई और लंबित शिकायतों की संख्या

तालिका संख्या. 3.10: वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान प्राप्त, सुलझाई गई और लंबित शिकायतों की संख्या

क्र. सं	क्षेत्र		
	सीजी/सीएबी	एसजी/एसएबी	यूओएस
प्राप्त की गई शिकायतों की संख्या	4	13	3
सुलझाई गई शिकायतों की संख्या	0	10	1
लंबित शिकायतों की संख्या	4	3	2

3.5.2 वित्त वर्ष 2019–20 के लिए लोकपाल कार्यालय में प्राप्त राज्यवार शिकायतें

तालिका संख्या. 3.11: वित्त वर्ष 2019–20 के लिए प्राप्त राज्यवार शिकायतें

क्र. सं	राज्य का नाम	शिकायतों की स्थिति राज्यानुसार
1	कर्नाटक	10
2	दिल्ली	3
3	आंध्र प्रदेश	1
4	महाराष्ट्र	1
5	केरल	1
6	मध्य प्रदेश	2
7	केंद्र सरकार कर्मचारियों द्वारा राज्यों के पार	2

31 मार्च 2019 तक वर्ष के दौरान सीजीएमएस में प्राप्त शिकायतें और उनकी स्थिति निम्नलिखित तालिका में प्रदान की गई है :

तालिका संख्या. 3.12: दिनांक 01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक सीजीएमएस में लंबित, प्राप्त और निपटाई गई शिकायतों की स्थिति

क्र. सं	क्षेत्र	31 मार्च 2019 तक के अनुसार लंबित	31 मार्च 2020 तक प्राप्त	31 मार्च 2020 तक सुलझाई गई
1	एनपीएस नियमित#	3,619	1,33,723	1,33,186
2	एनपीएस लाइट	46	2,129	2,146
3	एपीवाई	414	21,604	21,634
	कुल	**4,079**	**1,57,456**	**1,56,966**

स्रोत: सीआरए के अनुसार

टिप्पणी: *अभिदाता द्वारा सीजीएमएस में शिकायत के रूप मे किए गए संप्रेषण

एनपीएस नियमित में सीजी/एसजी/एसएबी/सीएबी/कोर्पोरेट और सर्व नागरिक क्षेत्र शामिल हैं

31 मार्च 2020 तक के अनुसार, वर्ष के दौरान सीजीएमएस में विभिन्न मध्यस्थ इकाईयों से प्राप्त शिकायतें और उनकी स्थिति निम्नलिखित तालिका में प्रदान की गई है:

तालिका संख्या. 3.13: दिनांक 01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक के दौरान सीजीएमएस के विभिन्न क्षेत्रों में लंबित, प्राप्त और निपटाई गई शिकायतों की स्थिति।

क्र. सं	जिनके विरूद्ध संप्रेशण किए गए	31 मार्च 2019 तक के अनुसार लंबित	31 मार्च 2020 तक प्राप्त	31 मार्च 2020 तक सुलझाई गई
1	केंद्र सरकार	633	3,523	3,588
2	राज्य सरकार	533	5,368	5,415
3	पीओपी	379	14,539	14,429
4	कोर्पोरेट	25	34	59
5	न्यासी बैंक	202	37	38
6	एनपीएस लाइट	18	560	563
7	एपीवाई (एपीवाई–एसपी)	297	11,590	11,569
8	ईएनपीएस	505	18,706	18,725
9	सीआरए	1,428	101,410	100,965
10	एनपीएस न्यास	59	1,689	1,615
	कुल	**4,079**	**157,456**	**156,966**

स्रोत: सीआरए

प्राप्त की गई प्रमुख शिकायतें– लेनदेन विवरण, खाते में प्रदर्शित न होने वाली अंशदान राशि, प्रान कार्ड संबंधी, अनुपयुक्त अभिदाता विवरण प्रसंस्करण, अंशदान राशि की अपलोडिंग में विलंब आदि से संबंधित थी। अभिदाताओं द्वारा शिकायतें सीजीएमएस में दर्ज की गई और आवश्यक कार्रवाई के लिए सीधे संबंधित मध्यस्थ इकाई को बढ़ाई गई । अतः यह संबंधित मध्यस्थ इकाई का उत्तरदायित्व है कि सीजीएमएस में शिकायतो, जो उनके विरूद्ध की गई हैं, का समाधान करे और उन्हें निपटाए ।

3.6 सेवानिवृत्ति सलाहकारों के लिए प्रमाणन कार्यक्रम

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण एनपीएस के कवरेज को बढाने और एनपीएस के तहत संपत्ति आवंटित करने और पीएफएम चुनने के लिए अभिदाताओं को सलाहकार सेवाएं प्रदान करने के लिए सेवानिवृत्ति सलाहकारों को पंजीकृत कर रहा है । सेवानिवृत्ति सलाहकारों का कार्य और उत्तरदायित्व पेंशन क्षेत्र की क्रमिक वृद्धि सुनिश्चित करना है।

पीएफआरडीए ने, पीएफआरडीए (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम 2016 के अनुसार सेवानिवृत्ति सलाहकार के रूप में व्यक्तियों को पंजीकरण प्रमाणपत्र देना शुरू कर दिया। पीएफआरडीए ने सेवानिवृत्ति सलाहकार प्रमाण नजांच के प्रमाणन के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट (एनआईएसएम) को मान्यता दी है। मार्च 2020 तक, एनआईएसएम सीरीज– XVII के साथ कुल 14,619 उम्मीदवार सेवानिवृत्ति सलाहकार प्रमाणन परीक्षा में प्रमाणित थे । वित्त वर्ष 2019–20 में, 19 सेवानिवृत्ति सलाहकार (आरए), व्यक्तिगत श्रेणी में और व्यक्तिगत श्रेणी के अतिरिक्त श्रेणी में 03 सेवानिवृत्ति सलाहकार (आरए) को पीएफआरडीए द्वारा पंजीकृत किया गया । वित्त वर्ष 2019–20 में नामांकित हुए, प्रस्तुत हुए और उत्तीर्ण हुए उमीदवारों का तुलनात्मक तिमाही सार निम्नानुसार है :

तालिका संख्या. 3.14: सेवानिवृत्ति सलाहकार प्रमाणन विवरण

एनआईएसएम श्रेणी-XVII: सेवानिवृत्ति सलाहकार प्रमाणन			
माह	नामांकित	प्रस्तुत	उत्तीर्ण
अप्रैल – जून 2019	1765	1613	1040
जुलाई – सितंबर 2019	2054	1847	1271
अक्टूबर – दिसंबर 2019	1383	1263	911
जनवरी – मार्च 2020	1316	1226	831
कुल	**6518**	**5949**	**4053**

3.7 प्राधिकरण द्वारा मध्यस्थ इकाईयों के आंकड़े, अध्ययन, अनुसंधान और परियोजनाओं की वचनबद्धता और प्रवर्तन सहित ।

जनसांख्यिकी, सेवानिवृत्ति बचत और निवेश के आधार पर एक व्यापक आंकड़ों का संग्रह और संकलन, विभिन्न वित्तीय संगठनों द्वारा जारी किए गए विभिन्न वित्तीय उत्पाद/योजनाएं जो अंतर्निहित अभिदाताओं की वृद्धावस्था आय सुरक्षा को पूरा करने के लिए निर्मित हैं, इनसे उत्पन्न प्रतिफल, अभिदाताओं को प्रदान प्रकटीकरण और सुरक्षा आदि पीएफआरडीए के मौजूदा क्रियाकलापों में शामिल हैं । इस दिशा में, पीएफआरडीए में विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत कवर किए गए लोगों और विभिन्न योजनाओं के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों के बारे में जानकारी संकलित कर रहा है। पीएफआरडीए देश में अन्य पेंशन प्रदाताओं से जानकारी एकत्रित करने की प्रक्रिया में संलग्न है ।

3.8 अभिदाताओं और आम जनता को पेंशन, सेवानिवृत्ति बचत और संबंधित मुद्दों और बिचौलियों के प्रशिक्षण विवरण पर शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम

3.8.1 वित्तीय साक्षरता

पेंशन साक्षरता

वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद् (एफएसडीसी) के सदस्य के रूप में पीएफआरडीए, इसकी उप–समिति, कार्य समूहों और विभिन्न अंतर–नियामक फोरम अर्थात् इंटर रेगुलेटरी टेक्निकल ग्रुप (आईआर एंड टीजी), फाइनेंशियल इनक्लूजन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी (टीजीएफआईएफएल) पर टेक्निकल ग्रुप, इंटर रेगुलेटरी फोरम फॉर मॉनीटरिंग फाइनेंशियल कांग्लोमेरेट्स (आईआरएफ एंड एफसी), वर्किंग ग्रुप ऑन रेज़ोल्यूशन रेजाइम फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर कार्यसमूह वाली इन समितियों/समूहों/मंचों के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में सक्रिय रूप से योगदान देता है ।

पीएफआरडीए ने धन, वित्तीय नियोजन, सेवानिवृत्ति योजना, निवेश मूल्यांकन और वार्षिकी से संबंधित मूलभूत तत्वों और अवधारणाओं पर जागरूकता फैलाने और अभिदाताओं और आम जनता को शिक्षित करने के लिए वेबसाइट pensionsanchay.org.in की मेजबानी की है। पीएफआरडीए की पेंशन–संचय के नाम से एक समर्पित वेबसाइट (pensionsanchay.org.in) है, जिसे पेंशन साक्षरता के उद्देश्य से शुरू किया गया था। वेबसाइट धन और वित्तीय नियोजन और सेवानिवृत्ति योजना से संबंधित विषयों और मौलिक तत्वों और अवधारणाओं के संदर्भ प्रदान करती है और एक ब्लॉग अनुभाग की सुविधा देती है जिसमें पेंशन, बचत और निवेश, सेवानिवृत्ति योजना, धन और वित्त के बुनियादी ढांचे और सेवानिवृत्ति योजना के पहलुओं से संबंधित विषयों पर चर्चा होती है। । वेबसाइट में पेश किए गए विषयों पर चर्चा और जानकारी साझा करने के लिए वेबसाइट पर एक ब्लॉग अनुभाग भी है। इस ब्लॉग भाग में बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग, धन और वित्त के मूलभूत तत्व, सेवानिवृत्ति नियोजन, बचत और निवेश, पेंशन पर 30 लेख हैं, जिनका योगदान देश भर के लेखकों द्वारा दिया गया था।

पेंशन संचय Pension Sanchay

पीएफआरडीए, आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई के साथ–साथ नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन (एन सी एफ ई) का सह–प्रमोटर भी है, जिसे देश भर में वित्तीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समाज के सभी वर्गों के लिए, 05 सितंबर, 2018 को धारा 8 (कंपनी लाभ के लिए नहीं) के रूप में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति के अनुसार शामिल किया गया था।

3.8.2 वित्तीय अभिकरणों और अन्य अभिकरणों के साथ समन्वय के लिए कार्यक्रम

पीएफआरडीए, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (आईआरडीएआई) के साथ नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन (एनसीएफई) के साथ धारा 8 (नॉट फॉर प्रॉफिट) को बढ़ावा दे रहा है। एनसीएफई का लक्ष्य,उपभोक्ता संरक्षण और शिकायत निवारण के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी मशीनरी के साथ विनियमित संस्थाओं के माध्यम से उचित वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को उपलब्ध कराते हुए लोगों को पैसे का प्रबंधन और अधिक प्रभावी ढंग से वित्तीय कल्याण प्राप्त करने में मदद करने के लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय शिक्षा अभियान शुरू करना है ।

कंपनी का उद्देश्य भारत में सभी वर्गों के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की वित्तीय शिक्षा पर राष्ट्रीय रणनीति के अनुसार वित्तीय शिक्षा का प्रचार करना और जनसंख्या के सभी वर्गों के लिए से वित्तीय शिक्षा अभियानों के माध्यम से सेमिनार, वर्कशॉप, सम्मेलनों, प्रशिक्षण, कार्यक्रम , अभियान, चर्चा मंचों के माध्यम से वित्तीय रूप से जागरूक और सशक्त बनाना है या संस्थानों, संगठनों की सहायता से और वित्तीय शिक्षा में प्रशिक्षण प्रदान करने और इलेक्ट्रॉनिक या गैर–इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप, वर्कबुक, में वित्तीय शिक्षा सामग्री बनाने के लिए जनसंख्या कार्यपत्रकों, साहित्य, पैम्फलेट, पुस्तिका, फ्लायर, तकनीकी सहायता और वित्तीय साक्षरता में सुधार के लिए वित्तीय बाजारों और वित्तीय डिजिटल मोड पर लक्ष्य आधारित दर्शकों के लिए उपयुक्त वित्तीय साहित्य तैयार करना है ताकि वित्त में उनके ज्ञान, समझ, कौशल और क्षमता में सुधार हो सके।

एपीवाई को एनसीएफई मॉड्यूल में शामिल किया गया है, जो न्यूनतम पेंशन की गारंटी देने वाली सरकारी योजनाओं में से एक है। इसके अलावा, एनपीएस को भी सेवानिवृत्ति आवश्यकताओं के समाधान के रूप में एनसीएफई मॉड्यूल में भी शामिल किया गया है।

भारत के लिए वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति (एनएसएफई: 2020–25) का मसौदा तैयार किया गया है और इसे अंतिम रूप दिया गया है, जो कि भारत सरकार और वित्तीय क्षेत्र के नियामकों की पर्याप्त ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और व्यवहार विकसित करने की दृष्टि, जिसकी आवश्यकता अपने पैसे का बेहतर प्रबंधन करने और भविष्य की योजना बनाना के लिए है, का समर्थन करता है । यह रणनीति भारतीयों को वित्तीय कल्याण प्राप्त करने के लिए एक बहु–हितधारक दृष्टिकोण को अपनाने की सिफारिश करती है।

3.8.3 एनपीएस जागरूकता, संचार और सोशल मीडिया

प्राधिकरण लगातार पेंशन, सेवानिवृत्ति बचत और संबंधित मुद्दों पर अभिदाताओं और आम जनता को शिक्षित करने के लिए विभिन्न गतिविधियों को निष्पादित कर रहा है। सेमिनारों /कार्यशालाओं / सम्मेलनों के माध्यम से प्राप्तकर्ताओं को सीधे जानकारी प्रसारित करने के अलावा, पीएफआरडीए विभिन्न मीडिया मंचों– प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल डोमेन और सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहा है ताकि बड़ी संख्या

में जनता तक पहुँचकर वित्तीय और पेंशन साक्षरता को बढ़ाया जा सके और एनपीएस और एपीवाई के गुणों और लाभों को बताया जा सके। सेवानिवृत्ति बचत योजना की आवश्यकता और लाभ, एनपीएस/एपीवाई उत्पाद सुविधाओं, योजनाओं में शामिल होने की पात्रता, योजनाओं में शामिल होने की प्रक्रिया, कर निहितार्थ आदि की आवश्यकताएं और प्रिंट मीडिया /इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से प्रचारित की जाती हैं।

"एनपीएस–पेंशन फॉर ऑल" की थीम को बड़े पैमाने पर जनता को सूचित करने के इरादे से पेश किया गया था कि एनपीएस के साथ, पेंशन भारत के किसी भी नागरिक द्वारा प्राप्त की जा सकती है और इस सामान्य धारणा को हटाने के लिए कि पेंशन केवल संगठित क्षेत्र के कार्यरत व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा, व्यापक प्रिंट मीडिया और रेडियो अभियान इस विषय के साथ किए गए थे कि एनपीएस क्या है, एनपीएस क्यों चुने, कर लाभ/एनपीएस 'ईईई' उत्पाद में शामिल हो सकते हैं, एनपीएस हेल्प डेस्क के संपर्क विवरणों का प्रचार किया गया और प्रिंट विज्ञापनों को एनपीएस न्यास के क्यूआर कोड के साथ जारी किए गए। अखिल भारतीय कवरेज के साथ हिंदी, अंग्रेजी और 11 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में प्रिंट और रेडियो अभियान चलाए गए, इस बात पर विचार करते हुए कि भाषा की भिन्नता को छोड़ते हुए देश और क्षेत्र की आम जनता तक पहुंचाने की जरूरत है। नागरिकों और अभिदाताओं को आर्थिक और सामाजिक धोखाधड़ी की गतिविधियों के बारे में अच्छी तरह से जागरूक रखने के लिए– पीएफआरडीए / एनपीएस के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी और फिशिंग, पर सोशल मीडिया संदेश / वीडियो और रेडियो (एफएम चौनल) विज्ञापन भी वर्ष के दौरान जारी किए गए।

3.8.4 सोशल मीडिया पर पीएफआरडीए

पारंपरिक मीडिया में चुनौतियों को इसके प्रभाव की मात्रा और आम तौर पर बड़े पैमाने पर जनता के लिए एकतरफा संचार के रूप में अंकित किया जाता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लक्षित दर्शकों की प्रतिक्रिया के साथ लक्षित दर्शकों को संचार और संदेश के बहु–प्रचारित चैनल प्रदान करता है। सोशल मीडिया जनता के साथ पहुँच बढ़ाने और संलग्नता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और पीएफआरडीए अभिदाताओं के साथ जुड़ने के प्रयास में लगातार फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, एनपीएस, एपीवाई और पेंशन संचय वेबसाइट – एक वित्तीय साक्षरता की पहल, के साथ अपने खातों को बनाए हुए है। इन विशिष्ट सोशल मीडिया हैंडल में,

संचयी अनुयायी 1 लाख से अधिक हैं और इनमें नियमित रूप से जानकारी या अपडेट को साझा करने का कार्य किया जाता है ताकि लक्षित दर्शकों के साथ पूरी तरह से जुड़े रहें ।

3.8.5 जनसंपर्क अभिकरण

एक प्रभावी संचार के माध्यम से मीडिया उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए और वृद्धावस्था आय सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राधिकरण की विभिन्न नीतियों, गतिविधियों और योजनाओं के बारे में जागरूकता और जानकारी बढ़ाने और उसके द्वारा देश के प्रत्येक नागरिक को उसकी वृद्धावस्था आय को सुरक्षित करने में भागीदार बनाने के लिए, पीएफआरडीए ने एक चालू जनसंपर्क रणनीति और संचार कार्यक्रम की परिकल्पना और निष्पादन के लिए एक जनसंपर्क एजेंसी की स्थापना की है।

3.8.6 प्रशिक्षण

पेंशन, सेवानिवृत्ति बचत और मध्यस्थ इकाईयों के प्रशिक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए पीएफआरडीए के जनादेश के लिए, पीएफआरडीए ने केंद्र और राज्य सरकार नोडल अधिकारियों– वेतन और लेखा कार्यालय (पीएओ), आहरण और वितरण कार्यालय (डीडीओ) कॉर्पोरेट, उपस्थितिअस्तित्व – बैंक / गैर–बैंक / डाक विभाग अभिदाताओं के पंजीकरण में शामिल एपीवाई सेवाप्रदाता,बैंकों के व्यावसायिक संवाददाता, डीसीसीबी (जिला केंद्रीय सहकारी बैंक) आरआरबी (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) आदि को, एनपीएस / एपीवाई की मुख्य विशेषताओं, योजनाओं में शामिल होने की प्रक्रिया के बारे में, वार्षिकी का विकल्प, शिकायतों का समाधान, आदि के सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक प्रशिक्षण एजेंसी नियुक्त की है। इन प्रशिक्षण कार्यशालाओं / शिविरों का आयोजन सरकारी क्षेत्र में नोडल कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए और गैर–सरकारी क्षेत्र में अभिदाताओं को शिक्षित करने और सशक्त बनाने के लिए एक व्यापक नीति के एक हिस्से के रूप में किया गया ।

प्रशिक्षण एजेंसी ने चार क्षेत्रों अर्थात् पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में कुल 2050 बैचों का संचालन किया है और कुल 86,835 व्यक्तियों को वित्त वर्ष 2019–20 की अवधि के दौरान प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षणों की संख्या का क्षेत्रवार और राज्यनुसार विवरण निम्नानुसार है : –

तालिका संख्या. 3.15: एनपीएस के तहत प्रशिक्षण सत्रों और प्रतिभागियों के क्षेत्रवार वितरण की संख्या

क्र. सं	एनपीएस क्षेत्र	प्रशिक्षण सत्र	प्रतिभागी गणना	क्षेत्रावार प्रशिक्षण सत्र			
				दक्षिण	पूर्वी	उत्तरी	पश्चिम
1	सीजी	143	6,104	7	23	37	76
2	एसजी	518	22,426	183	254	44	37
3	सीएबी	7	206	0	4	1	2
4	एसएबी	21	1,044	3	5	3	10
5	कोर्पोरेट	226	9,126	44	23	66	93
6	पीओपी	164	6,932	55	26	37	46
कुल		**1,079**	**45,838**	**292**	**335**	**188**	**264**

तालिका संख्या. 3.16: एपीवाई के तहत प्रशिक्षण सत्र का विवरण

क्र. सं	एपीवाई क्षेत्र	प्रशिक्षण सत्र	प्रतिभागियों की गणना	क्षेत्रवार प्रशिक्षण सत्र			
				दक्षिण	पूर्वी	उत्तर	पश्चिम
1	बीसी–एपीवाई	344	14,769	25	112	149	58
2	डीसीसीबी–एपीवाई	166	6,932	9	24	69	64
3	डीओपी– एपीवाई	168	7,383	3	10	87	68
4	पीएसबी	127	5,354	34	25	35	33
5	आरआरबीज	124	5,368	14	19	45	46
6	लघु वित्तीय बैंक	42	1,191	30	2	5	5
कुल		971	40,997	115	192	390	274

3.8.7 एनपीएस और एपीवाई सूचना सहायता मटल

देश भर में एनपीएस और एपीवाई पर सूचनाओं की पहुंच प्रदान करने और नागरिकों को एनपीएस/एपीवाई के घटनाक्रमों की जानकारी प्रदान करने की सुविधा के लिए, पीएफआरडीए एक समर्पित एनपीएस/एपीवाई सूचना हेल्पडेस्क का संचालन कर रहा है और साथ ही मौजूदा और संभावी अभिदाताओं के एनपीएस/एपीवाई उत्पाद सुविधाओं, नीतियों, विनियमों आदि के संबंध में प्रश्नों का जवाब दे रहा है। कॉल सेंटर का उपयोग एपीवाई अंशदान की नियमितता के लिए अभिदाताओं को आउटबाउंड कॉल करने के लिए भी किया जाता है, एनपीएस/एपीवाई उत्पाद सुविधाओं के बारे में जागरूकता का पता लगाने, पीएफआरडीए द्वारा भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के लिए संचालित जागरूकता सत्रों के लिए अभिदाताओं को आमंत्रित करता है। एनपीएस इंफॉर्मेशन हेल्पडेस्क को वित्तीय वर्ष के दौरान कुल 1.02 लाख कॉल किए गए हैं और इसने कुल 4.52 लाख आउटबाउंड कॉल किए हैं।

वर्तमान में एनपीएस सूचना हेल्पडेस्क के माध्यम से दो टोल फ्री नंबर संचालित किए जा रहे हैं अर्थात् एनपीएस के लिए 1800110708 और एपीवाई के लिए 1800110069। एनपीएस हेल्प डेस्क से कॉल बैक सेवाओं के लिए, एसएमएस सुविधा 'एसएमएस एनपीएस से 56677" तक भी उपलब्ध है। एनपीएस सूचना डेस्क राष्ट्रीय अवकाश को छोड़कर पूरे वर्ष में 8 घंटे (9.30 बजे – शाम 5.30 बजे), सप्ताह में 7 दिन (रविवार सहित) चालू है।

3.9 वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान आयोजित सम्मेलन, बैठकें और अन्य पहल

3.9.1 केंद्र और राज्य सरकार के क्षेत्र के तहत सम्मेलन

सरकारी क्षेत्र में एनपीएस दक्षता लाने के लिए पीएफआरडीए विभिन्न मंचों पर सरकारी नोडल कार्यालयों के साथ संलग्न है। उसी के अनुसरण में, पीएफआरडीए केंद्र/ राज्य/सीएबीज़/एसएबीज़ में सरकारी नोडल कार्यालयों के साथ समीक्षा बैठकें / वीडियो सम्मेलन /सम्मेलन / कार्यशालाएं आयोजित करता है।

1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 की अवधि के दौरान विभिन्न मंत्रालयों / विभागों / राज्य सरकारों / विभाग के साथ समन्वय में आयोजित कार्यक्रमों की सूची नीचे दी गई है:

तालिका संख्या. 3.17: वित्त वर्ष 2019.20 के दौरान सम्मेलनों की सूची

वीडियो सम्मेलन (सरकारी नोडल कार्यालयों के साथ आयोजित वीसी की संख्या)	डाक विभाग	कार्यशालाएं/व्याख्यान श्रृंखला	एमएच (कार्यशालाएं)
क) सीजी- 40 ख) सीएबी- 31 ग) एसजी- 49 घ) एसएबी- 19	क) सचिव के साथ बैठक, डाकविभाग ख) एकदिवसीय कार्यशाला/ पीआरएओ, डीओपी, दिल्ली के साथ व्याख्यान	क. सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) निम्न स्थानों पर हैं • बैंग्लोर • ग्वालियर • जम्मू • दिल्ली ख. नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ कम्यूनिकेशन फाइनेंस (एनआईसीएफ), घिटोरनी	क) दिल्ली ख) चेन्नई ग) कलकत्ता घ) मुंबई ड.) जम्मू च) सिलोंग

राज्य सरकार क्षेत्र के तहत कार्यशाला/सम्मेलन	केंद्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबीज़) वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक
क. उत्तराखंड ख. कर्नाटक ग. महाराष्ट्र घ. आंध्रप्रदेश ड. असम च. उत्तर पूर्वी राज्य सम्मेलन (एनई क्षेत्र के 8 राज्य)	क. कर्मचारी राज्य बीमा निगम ख. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ग. पूर्वी दिल्ली नगर निगम घ. केंद्रीय विद्यालय संगठन

3.9.2 सरकारी क्षेत्र में एनपीएस के सरल क्रियान्वयन के लिए उठाए गए कदम

3.9.2.1 एनपीएस के सरल क्रियान्वयन के लिए सीजी मंत्रालयों/केंद्रीय स्वायत्त निकायों/राज्य सरकारों/राज्य स्वायत्त निकायों के लिए सुझाए गए उपाय

क. केंद्रीय मंत्रालयों को एनपीएस से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को पूरा करने के लिए व्यय विभाग द्वारा निर्धारित समयसीमा का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है।

ख. प्रधान लेखा कार्यालयों (पीआरएओ)/कोश और लेखा निदेशालय (डीटीए) जैसे निरीक्षण कार्यालयों को अपने अंतर्निहित वेतन और खाता कार्यालय (पीएओ)/ जिला कोषागार कार्यालय (डीटीओ) के प्रदर्शन की समीक्षा करने और इन समयसीमाओं का पालन सुनिश्चित करने की सलाह दी गई। पीआरएओ/ डीटीए को भी सलाह दी गई कि वे समयसीमा के महत्व को समझें और यह सुनिश्चित करें कि पीएओ/डीटीओ अपने अंतर्निहित आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) के प्रदर्शन की समीक्षा कर रहे हैं।

ग. राज्य सरकारों को सलाह दी गई कि वे अपने कर्मचारी–अभिदाताओं को एनपीएस के तहत पेंशन निधि और निवेश पैटर्न के लिए विकल्प प्रदान करें, जैसा कि केंद्र सरकार ने डीएफएस द्वारा जारी अपनी राजपत्रित अधिसूचना दिनांक 31 जनवरी, 2019 को पहले ही प्रदान कर दिया है।

घ. एससीएफ के अनियमित अपलोड वाले केंद्रीय स्वायत्त निकाय (सीएबी)/ राज्य स्वायत्त निकाय (एसएबी) को समय पर ढंग से एनपीएस योगदान के अपलोड और प्रेषण की सलाह दी गई।

3.9.2.2 दक्षता के लिए प्रौद्योगिकी को बढ़ाना– सर्वर से सर्वर एकीकरण और ओपीजीएम (ऑनलाइन प्रान जनरेशन मॉड्यूल)

क) एनपीएस अभिदाताओं का समय पर पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए नोडल कार्यालयों को ओपीजीएम (ऑनलाइन प्रान जनरेशन मॉडयूल) और सीआरए द्वारा प्रबंधित एनपीएसकैन (एनपीएस कॉनट्रीब्यूशन एकाउंटिंग नेटवर्क) के साथ नोडल कार्यालयों के वित्तीय सॉफ्टवेयर पैकेज एसटीएस (सर्वर से सर्वर) एकीकरण को अपनाने और उसका लक्ष्य रखने की निरंतर सलाह दी जाती है।

ख) राज्य सरकार के नोडल कार्यालयों द्वारा एसटीएस/ओपीजीएम को अपनाने की स्थिति निम्नानुसार है:

तालिका संख्या. 3.18: राज्य सरकार नोडल कार्यालयों द्वारा एसटीएस/ ओपीजीएम को अपनाने की तिथि :

विवरण	राज्य
31 मार्च 2020 तक के अनुसार एसटीएस को अपनाने वाली राज्य सरकारों का नाम	कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, त्रिपुरा, झारखंड, बिहार और असम
विवरण	**राज्य**
31 मार्च 2020 तक के अनुसार ओपीजीएम को अपनाने वाली राज्य सरकारों का नाम	अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल (केवल एआईएस के लिए), छत्तीसगढ़ और तेलंगाना

ग) केंद्र सरकार नोडल कार्यालयों द्वारा ओपीजीएम को अपनाने की तिथि निम्नानुसार है :

तालिका संख्या. 3.19: राज्य सरकार नोडल कार्यालयों द्वारा एसटीएस/ ओपीजीएम को अपनाने की स्थिति

एकाउंटिंग फॉर्मेशन	मंत्रालय/कार्यालय का नाम	ओपीजीएम को अपनाने वाले कार्यालयों की संख्या
नागरिक	गृह मंत्रालय	1
	कृषि मंत्रालय	47
	गृह मंत्रालय	44
	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	1
	अंतरिक्ष विभाग	2
	विधि और न्याय मंत्रालय	37
	कोर्पोरेट कार्य मंत्रालय	9
	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	1
	मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, नई दिल्ली	10
रक्षा	सीडीए (आर एंड डी), हैदराबाद	4
डाक	महाप्रबंधक वित्त, पोस्टल खाता, दिल्ली	24
रेलवे	एफए और सीएओ, साउथ वेस्टर्न रेलवे, हुबली	7
	एफए और सीएओ, डीज़ल लोको मॉडनाईजेशन वर्क्स, पटियाला	1
	एफए और सीएओ, रेल कोच फैक्ट्री, कपूरथला	1

3.9.3 कोर्पोरेट क्षेत्र के तहत सम्मेलन

वित्त वर्ष 2019–20 में, कोर्पोरेट और संभावी एनपीएस अभिदाताओं की संख्या में वृद्धि करने के लिए पीएफआरडीए ने फिक्की के समन्वय में विभिन्न शहरों (मुंबई, चेन्नई, पुणे, बैंगलूरू) में, इन शहरों की कोर्पोरेट संख्या को ध्यान में रखकर कार्यशालाएं/गोष्ठियां आयोजित की थी । पीएफआरडीए ने फिक्की के साथ मिलकर संभावी कोर्पोरेटस को सेवानिवृत्ति बचत/योजना/एनपीएस के विषय में जानकारी प्रदान करने के लिए कार्यशालाओं के लिए आमंत्रित किया । इन कार्यशालाओं/गोष्ठियों का प्रारूप फिक्की द्वारा स्वागत टिप्पणी के रूप में तैयार किया गया, प्रमुख भाषण पूर्णकालिक सदस्य (वित्त) द्वारा, सेवानिवृत्ति सलाहाकार द्वारा प्रस्तुतीकरण, कर विशेषज्ञों द्वारा एनपीएस प्रस्तुतीकरण, एनपीएस कराधान और प्रश्नोत्तर के लिए खुला सत्र आयोजित किया गया। कार्यशालाएं/गोष्ठियां जो सफलतापूर्वक संपन्न किए गए निम्नानुसार हैं :

तालिका संख्या. 3.20: वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान आयोजित कोर्पोरेट क्षेत्र सम्मेलन

क्र. सं	स्थान	सम्मेलन/गोष्ठी आयोजन तिथि
1	वाई.बी.छवन सेंटर. मुंबई	18 नवंबर 2019
2	होटल राजपार्क, चेन्नई	29 नवंबर 2019
3	एमसीसीआईए, पुणे	24 दिसंबर 2019
4	फेडरेशन हाउस, बैंगलुरू	07 जनवरी 2020

3.9.4 अटल पेंशन योजना के तहत सम्मेलन/कार्यक्रम/बैठकें

भारत सरकार/पीएफआरडीए द्वारा एपीवाई को प्रचलित करने और उसके विषय में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रमुख कदम उठाए गए हैं :

- प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया में आवधिक विज्ञापन
- सूचीबद्ध प्रशिक्षण अभिकरण द्वारा बैंक अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन ।
- टाउन हाल बैठकों, एसएलबीसी बैठकों में सहभागिता
- एपीवाई के विस्तार के लिए एनसीएफई, नाबार्ड, एनआरएलएम, नेशनल एंड स्टेट कॉपरेटिव फेडरेशन के साथ संलग्नता

तालिका संख्या. 3.21: वित्त वर्ष 2019.20 के दौरान आयोजित एपीवाई कार्यक्रम और बैठकें

एपीवाई अभिनंदन कार्यक्रम		
विभिन्न एपीवाई अभियानों के तहत एपीवाई सेवाप्रदाताओं द्वारा विजेताओं को पुरस्कृत करने हेतु और उच्च प्रदर्शनकारी बैंकों द्वारा उनके सफलता की कहानियों को साझा करने हेतु आयोजित कार्यक्रम ।		
क्र. सं	**तिथि**	**स्थान**
1	1 जुलाई 2019	पीएचडी चैंबर, दिल्ली
2	18 अक्टूबर 2019	पीएचडी चैंबर, दिल्ली
3	9 जनवरी 2020	पीएचडी चैंबर, दिल्ली

एपीवाई क्षेत्रीय नीति और समीक्षा बैठकें		
इन बैठकों का आयोजन विभिन्न बैंकों के पूर्व वर्ष के प्रदर्शन और मौजूदा वित्त वर्ष के लिए उनकी नीतियों की समीक्षा करने के उद्देश्य से किया गया था ।		
क्र. सं	**तिथि**	**स्थान**
1	7 मई 2019	उत्तरी–दिल्ली
2	10 मई 2019	पश्चिमी–दिल्ली
3	17 मई 2019	पूर्वी–कलकत्ता
4	30 मई 2019	दक्षिण–बैंगलोर
5	31 मई 2019	दक्षिण–चेन्नई
6	21 जून 2019	पूर्वी–गुवाहाटी
7	15 नवंबर 2019	पश्चिमी–मुंबई
8	19 नवंबर 2019	उत्तरी–दिल्ली
9	22 नवंबर 2019	पूर्वी–कलकत्ता
10	28 नवंबर 2019	दक्षिण–बैंगलोर
11	29 नवंबर 2019	दक्षिण–चेन्नई

एपीवाई एसएलबीसी टाउनहाल बैठकें		
इन बैठकों को देशभर के राज्यों के विभिन्न जिलों और केंद्रशासित प्रदेशों में एसएलबीसी और प्रमुख जिला प्रबंधक के समायोजन में एपीवाई योजना के विषय में जागरूकता निर्माण करने और एपीवाई सिटीजन चॉइस कैम्पेन का अनुसरण करते हुए एपीवाई के तहत नामांकनों को बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया था ।		
क्र. सं	**एसएलबीसी का नाम**	**दिनांक और स्थान**
1	एसएलबीसी, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	21 अगस्त 2019
		26 अगस्त 2019
2	एसएलबीसी, हिमाचल प्रदेश	26 जुलाई 2019
3	एसएलबीसी, पंजाब	16 अगस्त 2019
		27 अगस्त 2019
4	पोर्ट ब्लेयर	9 अगस्त 2019
5	एसएलबीसी, राजस्थान	9 अगस्त 2019, अलवर
		7 अगस्त 2019, भिलवाड़ा
		8 अगस्त 2019, जयपुर
		5 अगस्त 2019, उदयपुर
6	एसएलबीसी, बिहार	31 अगस्त 2019, जेहानाबाद
7	एसएलबीसी, हरियाणा	7 अगस्त 2019, करनाल
		9 अगस्त 2019, रोहतक
		19 अगस्त 2019, गुरूग्राम

8	एसएलबीसी, तेलंगाना	8 अगस्त 2019, वारंगल
		9 अगस्त 2019, हैदराबाद
9	एसएलबीसी, आंध्र प्रदेश	29 अगस्त 2019श कृष्णा, विजयवाड़ा
		22 अगस्त 2019, विशाखापट्टनम
		7 अगस्त 2019, श्रीकाकुलम
		9 अगस्त 2019, अनंतपुरम
		13 अगस्त 2019, वाईएसआर कपाड़ा जिला
10	एसएलबीसी, उड़ीसा	14 अगस्त 2019, पुरी
		20 अगस्त 2019, कटक
		26 अगस्त 2019, भुवनेश्वर (खुर्दा)
11	एसएलबीसी, महाराष्ट्र	22 अगस्त 2019, अमरावती
12	एसएलबीसी, गुजरात	14 अगस्त 2019, राजकोट
		8 अगस्त 2019, वड़ोदरा
13	एसएलबीसी, कर्नाटक	28 अगस्त 2019, मंगलौर
14	एसएलबीसी, महाराष्ट्र	22 अगस्त 2019, अमरावती
		20 अगस्त 2019, औरंगाबाद
		13 अगस्त 2019, नासिक
		21 अगस्त 2019, नागपुर
		9 अगस्त 2019, पुणे
		19 अगस्त 2019, सतारा
15	एसएलबीसी, तमिलनाडु	30 अगस्त 2019, चेन्नई
16	एसएलबीसी, तमिलनाडु	27 अगस्त 2019, सलेम
17	एसएलबीसी, झारखंड	7 अगस्त 2019, रांची
		13 अगस्त 2019, पूर्वी सिंघबम
18	एसएलबीसी, पश्चिम बंगाल	20 अगस्त 2019, हुगली
		8 अगस्त 2019, 24 परगनस
		8 अगस्त 2019, मुर्शीदाबाद

3.10 पेंशन निधियों के प्रदर्शन और प्रदर्शन किर्तीमान

तालिका संख्या 3.22 के संदर्भ में, वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान एनपीएस योजनाओं ने 31.19 प्रतिशत की सुदृढ़ संपूर्ण वृद्धि दर्शायी है।

एपीवाई ने 53 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, जबकि केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए सीजी योजना ने 27 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है और वर्ष के दौरान एसजी योजना की आस्तियां 33 प्रतिशत से बढ़ी हैं।

तालिका संख्या 3.22: एनपीएस में प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति (एयूएम) विभाजन–31 मार्च 2020 तक के अनुसार योजना वृद्धिवार स्थिति

एनपीएस में प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति (एयूएम) विभाजन–31 मार्च 2020 तक के अनुसार योजना वृद्धिवार स्थिति							
योजनाएं				एयूएम में वृद्धि			
	मार्च 2018	मार्च 2019	मार्च 2020	मार्च 2018 से मार्च 2019 में वर्ष दर वर्ष वृद्धि		मार्च 2019 से मार्च 2020 में वर्ष दर वर्ष वृद्धि	
				राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
इक्विटी टियर I	4308.22	7234.21	7932.05	2925.99	67.92	**697.83**	**9.65**
इक्विटी टियर II	217.78	325.44	352.55	107.66	49.43	**27.11**	**8.33**
इक्विटी कुल	**4526.00**	**7559.65**	**8284.60**	**3033.65**	**67.03**	**724.94**	**9.59**
कुल एयूएम में भाग :	1.93	2.38	1.98	*3.63*		*0.73*	
बॉंडस (सी) टियर I	2846.55	4422.07	6495.76	1575.52	55.35	**2073.69**	**46.89**
बांडस (सी) टियर II	162.16	209.08	297.26	46.92	28.94	**88.18**	**42.17**
बांडस (सी) कुल	**3008.71**	**4631.15**	**6793.02**	**1622.44**	**53.92**	**2161.87**	**46.68**
कुल एयूएम में भाग :	1.28	1.46	1.63	*1.94*		*2.18*	
जी सेक (जी) टियर I	4243.06	6896.75	10992.80	2653.69	62.54	**4096.04**	**59.39**
जी सेक (जी) टियर II	181.47	262.69	457.16	81.21	44.75	**194.47**	**74.03**
जी सेक (जी) कुल	**4424.53**	**7159.44**	**11,449.95**	**2734.91**	**61.81**	**4290.51**	**59.93**
कुल एयूएम में भाग :	*1.89*	*2.25*	*2.74*	*3.27*		*4.32*	
योजना ए टियर I	6.53	19.52	39.60	12.99	198.77	**20.08**	**102.86**
योजना ए टियर II	-	0	0	-	-	**0**	**0.00**
योजना ए कुल	**6.53**	**19.52**	**39.60**	**12.99**	**198.77**	**20.08**	**102.86**
कुल एयूएम में भाग :	0.0	0.01	0.01	*0.02*		*0.02*	
उप कुल टियर I	11404.37	18572.56	25460.24	7168.19	62.85	**6887.65**	**37.09**
उप कुल टियर II	561.41	797.21	1106.97	235.80	42.00	**309.76**	**38.86**
टियर I + टियर II	11965.78	19369.77	26567.21	7403.99	61.88	**7197.40**	**37.16**
एनपीएस लाइट	3005.82	3409.23	3728.40	403.42	13.42	**319.17**	**9.36**
एपीवाई	3817.86	6860.30	10526.26	3042.45	79.69	**3665.95**	**53.44**
कोर्पोरेट सीजी	14846.33	20682.83	27143.03	5836.50	39.31	**6460.20**	**31.23**
उप कुल (निजी क्षेत्र)	33635.79	50322.14	67964.87	16686.36	49.61	**17642.73**	**35.06**
कुल एयूएम में भाग :	14.34	15.81	16.28	*19.95*		*17.77*	
केंद्र सरकार	84954.60	109010.70	138014.59	24056.10	28.32	**29003.89**	**26.61**
कुल एयूएम में भाग :	36.22	34.26	33.05	*28.76*		*29.22*	
राज्य सरकार	115988.48	158881.11	211499.67	42892.63	36.98	**52618.56**	**33.12**
कुल एयूएम में भाग :	49.45	49.93	50.66	*51.29*		*53.01*	
उप कुल (सरकारी)	**200943.08**	**267891.81**	**349514.26**	**66948.73**	**33.32**	**81622.45**	**30.47**
कुल एयूएम में भाग :	85.66	84.19	83.72	*80.05*		*82.23*	
कुल योग	**234578.86**	**318213.95**	**4,17,479.13**	**83635.09**	**35.65**	**99265.18**	**31.19**

स्रोत: एनपीएस न्यास

तालिका संख्या 3.23: पेंशन निधियों की एयूएम की स्थिति

क्र. सं	पीएफएम	एयूएम (रूपये करोड़ में)		एयूएम में वृद्धि	
		मार्च 2019	मार्च 2020	राशि	प्रतिशत
1	एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड	1,21,959	1,60,491	38,532	31.59
2	यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड	93,708	1,22,201	28,493	30.41
3	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	92,719	1,21,028	28,308	30.53
4	एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	5,165	8,265	3,101	60.04
5	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	3,476	4,353	877	25.22
6	कोटेक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड	785	991	207	26.35
7	बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड	113	150	37	32.56
8	रिलांयस कैपिटल पेंशन फंड लिमिटेड	289	-	-	-
	कुल	**3,18,214**	**4,17,479**	**99,555**	**31.29**

* लाइसेंस की वापसी के कारण 9 अगस्त 2019 से पीएफ का परिचालन बंद हो गया ।

तालिका संख्या 3.24: 31 मार्च 2020 तक के अनुसार योजनावार, पेंशननिधिवार रिटर्न

आरंभ से (प्रतिशत में)

योजना	एसबीआई	एलआईसी	यूटीआई	कोटेक	एचडीएफसी	आईसीआईसीआई	बिरला
सीजी	9.82	9.39	9.43				
एसजी	9.48	9.37	9.39				
एनपीएस लाइट	9.98	9.78	9.84	9.59			
एपीवाई	8.73	8.86	8.93				
कोर्पोरेट सीजी	9.56	9.38					
ई– I	6.20	4.94	7.38	6.83	8.26	7.54	-2.55
सी– I	10.54	10.14	9.40	10.26	10.42	10.44	10.02
जी– I	10.05	11.87	8.94	9.24	10.61	9.30	9.72
ए– I	7.66	7.46	6.78	7.35	7.90	5.61	6.69
ई– II	5.69	2.13	5.11	5.99	5.93	5.55	-2.70
सी– II	10.14	9.08	9.52	9.42	9.50	10.25	8.75
जी– II	10.10	12.28	9.78	9.00	10.91	9.43	8.27

स्रोत: एनपीएस न्यास वार्षिक रिर्पोट। भिन्न–भिन्न योजनाओं के लिए आरंभिक तिथि भिन्न थी।

1 वर्ष से अधिक की अवधि के रिटर्न वार्षिकीकृत हैं ।

आरंभिक तिथिः एलआईसीए एसबीआई और यूटीआई सीजी योजनाओं के लिए 01 अप्रैल 2008
आरंभिक तिथिः एलआईसीए एसबीआई और यूटीआई एसजी योजनाओं के लिए 25 जून 2009
आरंभिक तिथिः बिरला 09 मई 2017, एचडीएफसी 01 अगस्त 2013, आईसीआईसीआई 18 मई 2009, कोटेक 5 मई 2009, एलआईसी 03 जुलाई 2013, एसबीआई 15 मई 2009 और यूटीआई 21 मई 2009 (ई-I) के लिए
आरंभिक तिथिः एलआईसी 04 अक्टूबर 2010; कोटक 30 जनवरी 2012; एसबीआई 16 सितंबर 2010; यूटीआई 04 अक्टूबर 2010 (एनपीएस लाइट)
यूटीआई कोर्पोरेट सीजी योजना वित्त वर्ष 2013–14 (कोर्पोरेट सीजी) में समाप्त हुई ।
आरंभिक तिथिः बिरला 09 मई 2017, एचडीएफसी 01 अगस्त 2013, आईसीआईसीआई 21 दिसंबर 2009, कोटेक 14 दिसंबर 2009, एलआईसी 12 अगस्त 2013, एसबीआई 14 दिसंबर 2009 और यूटीआई 14 दिसंबर 2009 (ई-II) के लिए
आरंभिक तिथिः एलआईसी 23 जुलाई 2013; एचडीएफसी 01 अगस्त 2013; बिरला 9 मई 2017 , आईसीआईसीआई 18 मई 2009, कोटेक 15 मई 2009, एसबीआई 15 मई 2009 और यूटीआई 21 मई 2009 (सी-I)
आरंभिक तिथिः एलआईसी 12 अगस्त 2013; एचडीएफसी 01 अगस्त 2013; बिरला 9 मई 2017, आईसीआईआई 21 दिसंबर 2009, कोटेक 14, दिसंबर 2009, एसबीआई 14, दिसंबर 2009 और यूटीआई 14 दिसंबर 2009 सी-II
आरंभिक तिथिः एलआईसी 23 जुलाई 2013; एचडीएफसी 01 अगस्त 2013; बिरला 9 मई 2017, आईसीआईसीआई 18 मई 2009, कोटेक 15 मई 2009, एसबीआई 15 मई 2009 और यूटीआई 21 मई 2009 (जी-I)
आरंभिक तिथिः एलआईसी 12 अगस्त 2013; एचडीएफसी 01 अगस्त 2013; बिरला 9 मई 2017 आईसीआईसी 30 दिसंबर 2009; कोटेक 14 दिसंबर 2009; एसबीआई 14 दिसंबर 2009 और यूटीआई 14 दिसंबर 2009 (जी-II);
आरंभिक तिथिः एलआईसी 13 अक्टूबर 2016; एचडीएफसी 10 अक्टूबर 2016; बिरला 15 मई 2017 आईसीआईसी 21 नवंबर 2016; कोटेक 14, अक्टूबर 2016; एसबीआई 13, अक्टूबर 2016 और यूटीआई 14 अक्टूबर 2016 (योजना ए-I)

3.11 विनियमित आस्तियां

"विनियमित आस्तियों" से तात्पर्य तथा उनमें सम्मिलित है मूर्त तथा अमूर्त आस्तियां जो व्यापक रूप से सीआरए के परिचालन हेतु निर्मित हैं में बीस्पोक सॉफ्टवेयर जो उन सभी तत्वों के साथ उपलब्ध है जो किसी अनुप्रयोग को चलाने के लिए आवश्यक है, कोई तृतीय सॉफ्टवेयर तथा तत्व के जो वस्तु के रूप में अनुप्रयोग प्रणाली में विशिष्ट रूप से सम्बंधित हो, सभी उपयुक्त सीआरए परियोजना आंकड़े, समर्पित विशिष्ट हार्डवेयर/डाटा सेंटर के सॉफ्टवेर कॉम्पोनेंट्स तथा डिजास्टर रिकवरी सेंटर, नेटवर्क तथा अन्य सभी सुविधाएं सम्मिलित है, भौतिक ढाँचे को छोड़कर (भवन, एयर कंडीशनर, बिजली आपूर्ति ढांचा, फर्नीचर)।

पंजीकरण के कार्यकाल के अवसान पर या सीआरए के निरसन के मामले में सीआरए द्वारा प्रबंधित सूचना तथा विनियमित आस्तियां प्राधिकरण के साथ पंजीकृत अन्य सीआरए को स्थानांतरित कर दी जाएंगी, उस समयावधि में तथा उस प्रारूप में जो पीएफआरडीए अधिनियम नियम या विनियमों के तहत आवश्यक हो या प्राधिकरण द्वारा निर्देशित हो ।

3.12 वित्त वर्ष के दौरान प्राधिकरण द्वारा प्रभारित या संकलित किए जाने वाले अन्य शुल्क या प्रभार

एनपीएस के अभिदाताओं पर भिन्न स्तरों पर उन मध्यस्थ इकाईयों द्वारा जो अभिदाताओं को सेवाएं प्रदान करती है, द्वारा शुल्क तथा प्रभार आरोपित किये जाते है। एनपीएस प्रणाली में प्रवेश होने पर, मध्यस्थ ईकाईयां अभिदाताओं के पंजीकरण के लिए उत्तरदायी होती है अर्थात् पीओपीज, प्रभार शुल्क जो कि आगे अभिदाताओं से संकलित किया जाता है। अटल पेंशन योजना के लिए पंजीकरण शुल्क सरकार द्वारा वहन किये जाते हैं। अगले स्तर पर, सीआरए, जो अभिलेखपाल अभिकरण है खाता खोलने के लिए शुल्क लेता है तथा प्राण जारी करने के लिए इकाईयों के निरसन द्वारा खाता प्रबंधित करता है। इसके पश्चात् प्रत्येक संव्यवहार के लिए जिसमें अभिदाताओं का अंशदान सम्मिलित है, सीआरए तथा पीओपी दोनों द्वारा शुल्क प्रभारित किया जाता है। पेंशन निधियों द्वारा निवेश प्रबंधन शुल्क, अभिदाताओं के निवेश पोर्टफोलियो प्रबंधित करने के लिए प्रभारित किये जाते हैं। प्रतिभूतियों के अभिरक्षक उनके तहत आने वाली आस्तियों के लिए प्रभार लेते हैं। और अंत में, एनपीएस न्यास खर्चों की प्रतिपूर्ति अभिदाताओं से की जाती है।

तालिका संख्या: 3.25: विभिन्न चरणों पर अभिदाताओं से लिए जाने वाले शुल्क और प्रभार

मध्यस्थ इकाईयां	शुल्क / प्रभार	निजी	सरकारी *	एनपीएस लाइट/एपीवाई
केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण	पीआरए खोलने संबंधी शुल्क	एनएसडीएल: रू. 40.00	एनएसडीएल: रू. 40.00	एनएसडीएल: रू. 15.00
		केफिनटेक #: रू. 39.36	केफिनटेक: रू. 39.36	केफिनटेक: रू. 15.00
	वार्षिक पीआरए प्रबंधन शुल्क प्रति खाता	एनएसडीएल: रू. 95.00	एनएसडीएल: रू. 95.00	एनएसडीएल: रू. 25.00
		केफिनटेक: रू. 57.63	केफिनटेक: रू. 57.63	केफिनटेक: रू. 14.40
	प्रति लेनदेन शुल्क	एनएसडीएल: रू. 3.75	एनएसडीएल: रू. 3.75	शून्य
		केफिनटेक: रू. 3.36	केफिनटेक: रू. 3.36	
उपस्थिति अस्तित्व	आरंभिक अभिदाता पंजीकरण और अंशदान अपलोड	रू. 200	लागू नहीं होगा	लागू नहीं होगा
	कोई भी अनुवर्ती लेनदेन	अंशदान का 0.25%, न्यूनतम रू 20 अधिकतम रू. 25000	लागू नहीं होगा	एक वित्त वर्ष में कुल अंशदान का 0.25%, एनपीएस लाइट के तहत रू. 20/– की न्यूनतम राशि के अधीन।
	सभी गैर–वित्तीय शुल्क	रू. 20		एनपीएस लाइट के तहत रू. 10/– प्रति लेनदेन
	नियमितता शुल्क >6 माह और न्यूनतम रू. 1000 प्रतिवर्ष का अंशदान	रू. 50 प्रतिवर्ष	लागू नहीं होगा	लागू नहीं होगा
	ईएनपीएस के माध्यम से अंशदान	अंशदान का 0.10% ** न्यूनतम रू. 10 अधिकतम रू. 10000	लागू नहीं होगा	लागू नहीं होगा
न्यासी बैंक		शून्य		

मध्यस्थ इकाईयां	शुल्क/ प्रभार	निजी	सरकारी *	एनपीएस लाइट/एपीवाई
अभिरक्षक	आस्ति सेवा शुल्क	इलेक्ट्रानिक और भौतिक भाग के लिए 0.0032% प्रतिवर्ष		
पेंशन निधियां	निवेश प्रबंधन शुल्क	0.01% प्रतिवर्ष	0.0102% प्रतिवर्ष	0.0102% प्रतिवर्ष
एनपीएस न्यास	खर्चों की प्रतिपूर्ति	दिनांक 01.04.2018 से 24.01.2019 तक शुल्क दैनिक उपचय आधार पर एयूएम का @ 0.005% प्रतिवर्ष थे। दिनांक 25.01.2019 शुल्क बंद कर दिए गए थे। यही समान शुल्क (अर्थात् दैनिक उपचय आधार पर एयूएम का 0.005% प्रतिवर्ष) से पुनः आरोपित किए गए।		
सेवानिवृत्ति सलाहाकार	ऑनबोर्डिंग	रू. 200	शून्य	शून्य
	अनुवर्त्ती लेनदेन शुल्क	रू. 20 प्रति लेनदेन या अधिकतम रू. 100/- वार्षिक रूप से	शून्य	शून्य
	परामर्श शुल्क	एयूएम का 0.02% न्यूनतम रू. 100/- और अधिकतम रू. 1000/- प्रतिवर्ष, अभिदाताओं को सेवाएं प्रदान करने की शर्त के अधीन	शून्य	शून्य

* सरकारी अभिदाताओं के मामले में, सीआरए शुल्क का संबंधित सरकारों द्वारा भुगतान किया जाएगा।

15 फरवरी 2017 से भूतपूर्व कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड (के फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड) ने परिचालन आरंभ किए।

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान पीएफआरडीए की विभिन्न मध्यस्थ इकाईयों से प्राप्त शुल्क निम्नलिखित तालिका में प्रदान किया गया है:

तालिका 3.26: वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान प्राप्त शुल्क

क्र. सं.	मध्यस्थ इकाई	शुल्क प्राप्ति (रूपये करोड़ में)*
1	न्यासी बैंक–एक्सिस बैंक	3050.09
2	पेंशन निधि	1615.13
3	सीआरए–एनएसडीएल–ई गर्वनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	860.19
4	सीआरए–केफिनटेक प्राइवेट लिमिटेड	4.75
5	अभिरक्षक–एसएचसीआईएल	146.08
6	सेवानिवृत्ति सलाहाकार/पीओपी/संकलनकर्त्ता/एएसपी/आरएफपी प्रसंस्करण शुल्क	5.18
कुल		5681.42
टिप्पणी: शुल्क और आवती की गणना वसूली आधार पर: (नकद आधारित)		

3.13 निष्पादित निरीक्षण, आयोजित जांच और निष्पादित अन्वेषण जिनमें पेंशन निधियों से सम्बंधित मध्यस्थों और अन्य इकाईयों या संगठनों की लेखापरीक्षा सम्मिलित है के लिए मांगी गई जानकारी ।

3.13.1 जांच और निरीक्षण

पीएफआरडीए और एनपीएस न्यास सीआरए, न्यासी बैंक और उनके लेखापरीक्षकों द्वारा जमा की गई रिपोर्ट की समीक्षा करता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इकाई सेवा स्तर अनुबंधों में यथानिर्धारित नियतकालिक समय का अनुपालन कर रही हैं ।

3.13.2 निरीक्षण और लेखापरीक्षा

(i) पीएफआरडीए, केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण और न्यासी बैंक विनियमों में अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए सीआरए और न्यासी बैंक की लेखापरीक्षा और निरीक्षण का प्रावधान है । वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान, प्राधिकरण द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति के लिए जारी की गई दिशानिर्देश टिप्पणी के अनुसार पेंशननिधियों द्वारा नियुक्त किए गए आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा पेंशन निधियों की आंतरिक लेखापरीक्षा की गई ।

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान 07 पेंशन निधियों की समीक्षा आयोजित की गई नामतः

- एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड
- एलाईसी पेंशन फंड लिमिटेड
- यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड
- एचडीएफसी पेंशन मेनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
- कोटेक महिंद्रा पेंशन फंड
- आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंडस मेनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
- बिरला सन लाईफ पेंशन मेनेजमेंट लिमिटेड

निरीक्षण को प्राधिकरण द्वारा जारी विनियमों, दिशानिर्देशों, निर्देशों से सम्बंधित अनुपालन के निरीक्षण तथा जांच के पूर्व निर्धारित दायरे के अनुसार आयोजित किया गया था ।

सम्बंधित पेंशन निधियों द्वारा प्रबंधित योजनाओं की लेखापरीक्षा भी की गई थी । पेंशन निधियां भी वैधानिक लेखापरीक्षा के अधीन हैं।

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान, अभिरक्षक स्टॉकहोल्डिंग कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया अर्थात् के लिए निरीक्षण आयोजित किए गए वित्त वर्ष 2018–19 के लिए पीएफआरडीए, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (उपस्थिति अस्तित्व), विनियम, 2018 और उसके तहत जारी परिचालित दिशानिर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में, एनपीएस, एनपीएस–लाइट और एपीवाई के तहत गैर–सरकारी क्षेत्र जैसे उपस्थिति अस्तित्व का भी पर्यवेक्षण करता है ।

(ii) प्राधिकरण ऑफसाइट और ऑनसाइट निरीक्षण तंत्र द्वारा उपस्थिति अस्तित्वों को विनियमित और पर्यवेक्षित करता है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :

(क) ऑफसाइट निरीक्षणः

ऑफसाइट निरीक्षण और पर्यवेक्षण में एनपीएसटी/पीएफआरडीए को जमा की जाने वाली निम्नलिखित रिर्पोट शामिल है :

क) एससीएफ अपलोड और अंशदान और अन्य अनुवर्त्ती सेवाओं पर मासिक/त्रैमासिक अपवाद रिर्पोट के प्रेशण में विलंब ;

ख) त्रैमासिक/अर्धवार्षिक अनुपालन प्रमाणपत्र;

ग) एनपीएस संकलन खातों में बेमेल राशि पर खाता राशि प्रमाणपत्र

घ) अर्धवार्षिक/वार्षिक आंतरिक लेखापरीक्षा रिर्पोट ;

ड) पीओपी द्वारा जमा किया गया साइबर सुरक्षा प्रमाणपत्र ;

च) लंबित शिकायतें

डिफॉल्ट मध्यस्थ इकाईयों को निर्दिष्ट परिचालन नियतकालिक समय का पालन करते हुए उचित कार्रवाई और विलंबों के लिए मुआवज़ा प्रदान करने की सलाह दी जाती है।

गंभीर मामलों में, न्यायनिर्णयन कार्रवाई के लिए न्यायनिर्णयन विभाग को मामला भेजा जा सकता है, जहाँ दोशी पाए जाने पर निगरानी दंड आरोपित किया जाएगा ।

ख) ऑनसाइट निगरानी:

(i) प्राधिकरण कतिपय मापदंडों के आधार पर पीओपी का ऑनसाइट निरीक्षण करता है अर्थात् एनपीएस अभिदाताओं की नामांकन प्रक्रिया, अभिदाता देयता, जिसमें पीएमएलए अधिनियम के अनुसार केवाईसी का अनुपालन और अन्य प्रासंगिक मुद्दे जैसे कि तीस दिनों से अधिक के लिए लंबित शिकायतें, परिचालन दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित नियतकालिक समय के अनुसार गतिविधियों को पूरा करना शामिल है।

(ii) निरीक्षण के बाद पीओपी के साथ टिप्पणियों को साझा किया जा रहा है जिसमें अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए विचलन और प्रक्रिया में सुधार शामिल हैं। इसके अलावा, यह सुनिश्चित किया जाता है कि पीओपी निरीक्षण की गई टिप्पणियों और निरीक्षण रिपोर्ट को बंद करने का अनुपालन करता है।

(iii) वर्ष 2019–20 के दौरान, एनपीएस (11 पीओपी) और एपीवाई (9 पीओपी) के तहत गतिविधियों के लिए पीओपी के 20 ऑनसाइट निरीक्षण किए गए।

(iv) एनपीएस न्यास ने वित्त वर्ष 2017–18 और वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए सूचीबद्ध लेखापरीक्षकों के माध्यम से एनपीएस और एनपीएस लाइट के तहत गतिविधियों के लिए पंजीकृत सभी पीओपी की लेखापरीक्षा आयोजित की है। प्राधिकरण, एनपीएस न्यास के समन्वय में, इस मामले का भी अनुसरण करता है ताकि पीओपी लेखा परीक्षकों द्वारा देखे गए विचलन को ठीक कर सके।

(iii) एनपीएस, एनपीएस लाइट, एपीवाई और आरएएस पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 पीओपी के विनियमन 14 (2) (ओ) के तहत सलाह/ निर्देश/नोटिस जारी करना

प्राधिकरण अपने द्वारा किए गए कार्यों के अनुपालन और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए पीओपी को सलाह/निर्देश/ नोटिस जारी करता है।

(iv) प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना

किसी भी कथित उल्लंघन का पता चलने की स्थिति में, जो कि अधिनियम की धारा 28 के तहत कवर किए गए कृताकृत के किसी भी कार्य का प्रथम दृष्टया खुलासा करता है, विभाग, पीएफआरडीए (न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा जांच की प्रक्रिया) विनियम, 2015 के अनुसार प्रभारी सदस्य को एक औपचारिक प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

(v) नीतिगत मामले

प्रक्रिया और प्रक्रियाओं में सुधार के लिए विभिन्न हितधारकों से प्राप्त आवश्यकता और सुझावों के आधार पर, पीएफआरडीए अभिदाताओं और हितधारकों के लाभ के लिए सुधारों की जांच और सिफारिश करता है।

एनपीएस के तहत अन्य सभी बिचौलियों के लिए, ऑफसाइट/ ऑनसाइट निरीक्षणों के लिए समान तंत्र मौजूद है।

3.14 अन्य

3.14.1 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अधिनियम के तहत अन्य पेंशन योजनाओं के तहत शामिल अभिदाता (श्रेणीवार)

i) वर्षों के दौरान अभिदाताओं की संख्या

एनपीएस में अभिदाताओं का नामांकन मार्च 2019 के 273.55 लाख से बढ़कर मार्च 2020 में 345.55 लाख हो गया है। वर्ष 2019–20 के दौरान अभिदाताओं की संख्या में 26.32 प्रतिशत वृद्धि हुई है। एनपीएस अभिदाताओं की वर्षवार संख्या निम्नलिखित चार्ट में दी गई है ।

तलिका 3.27 : एनपीएस/एपीवाई के तहत क्षेत्रवार अभिदाताओं की संख्या

क्षेत्र	मार्च 2019 (संख्या लाख में)	मार्च 2020 (संख्या लाख में)	वर्ष में वृद्धि	
			संपूर्ण वृद्धि (संख्या लाख में)	प्रतिशत
केन्द्र सरकार	19.85	21.02	1.17	5.89
कुल %	7.25	6.08		
राज्य सरकार	43.21	47.54	4.33	10.02
कुल %	15.8	13.76		
कोर्पोरेट	8.03	9.74	1.71	21.30
कुल %	2.94	2.82		
सर्व नागरिक / यूओएस	9.3	12.52	3.22	34.62
कुल%	3.40	3.62		
एनपीएस लाइट*	43.63	43.31	-	-
कुल %	15.95	12.54		
एपीवाई	149.54	211.42	61.88	41.38
कुल %	59.66	61.18		
कुल	**273.55**	**345.55**	**72.00**	**26.32**

* (01 अप्रैल 2015 के बाद स्वीकृत नए पंजीकरण की संख्या)

चार्ट 3.1: एनपीएस और एपीवाई के तहत अभिदाताओं की वर्शवार संख्या

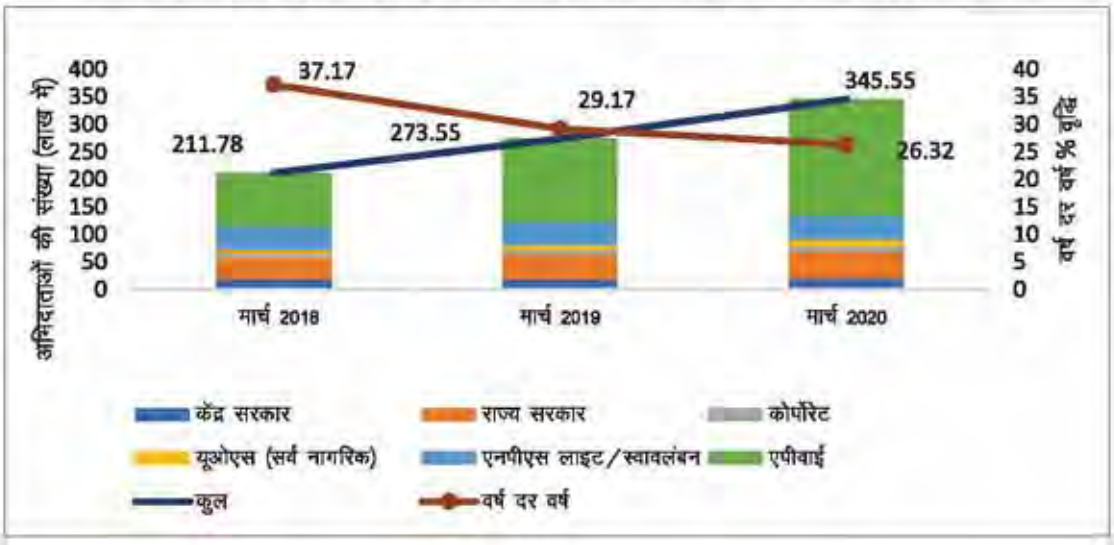

ii) अभिदाताओं की संख्या – क्षेत्रवार

तालिका संख्या 3.28 दिनांक 31 मार्च 2020 तक के अनुसार अभिदाताओं, अंशदान और एयूएम की संख्या।

क्षेत्र	अभिदाताओं की संख्या	अंशदान (रूपये करोड़ में)	एयूएम (रूपये करोड़ में)
केन्द्र सरकार	2101,972	99,739.87	138,046.28
राज्य सरकार	4753,870	165,189.88	211,022.52
कुल	**6855,842**	**264,929.75**	**349,068.80**

- सरकारी अभिदाता मार्च 2019 के अंत के 63.06 से मार्च 2020 के अंत में 68.56 लाख हो गई ओर 5.50 लाख (8.72 प्रतिशत) की बढ़त दर्ज की ।

iii) निजी क्षेत्र

तालिका संख्या 3.29: दिनांक 31 मार्च 2020 तक के अनुसार निजी क्षेत्र में अभिदाताओं, अंशदान और एयूएम की संख्या।

विवरण	अभिदाताओं की संख्या	अंशदान (रूपये करोड़ में)	एयूएम (रूपये करोड़ में)
कोर्पोरेट क्षेत्र	973,560	32,828.57	41,231.12
सर्व नागरिक/यूओएस	1251,574	15,011.86	12,924.30
कुल	**2225,134**	**47,840.43**	**54,155.42**

* एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रान स्थानांनतरित करने पर केंद्रित

- निजी क्षेत्र के तहत, कोर्पोरेट अभिदाताओं की संख्या 8.03 लाख से बढ़कर 9.74 लाख हो गई, जो कि 1.71 लाख (21.30 प्रतिशत) अभिदाताओं की बढ़त थी। यूओएस/सर्व नागरिक क्षेत्र के तहत अभिदाताओं की संख्या मार्च 2019 के 9.30 लाख से बढ़कर मार्च 2020 में 12.52 लाख हो गई, जो कि 3.22 लाख अभिदाताओं की बढ़त थी।

iv) असंगठित क्षेत्र

तालिका संख्या 3.30: 31 मार्च 2020 तक के अनुसार अभिदाताओं की संख्या, अंशदान और एनपीएस की एयूएम और एपीवाई

विवरण	अभिदाता (संख्या में)	अंशदान (रूपये करोड़ में)	एयूएम (रूपये करोड़ में)
एनपीएस लाइट	43,31,664	2,700.51	3,728.40
अटल पेंशन योजना (एपीवाई)	2,11,42,262	9,747.36	10,526.26
कुल	**2,54,73,926**	**12,447.87**	**14,254.66**

- एनपीएस लाइट और एपीवाई के तहत अभिदाताओं की संख्या, मिलाकर मार्च 2019 के अंत में 193.16 लाख से बढ़कर मार्च 2020 के अंत में 254.74 लाख हो गई, 61.58 लाख अभिदाताओं (31.88 प्रतिशत) से बढ़ी।
- एनपीएस लाइट योजना में नई प्रविष्टियां 1 अप्रैल 2015 से समाप्त हो गई और दिनांक 9 मई 2015 से

एपीवाई योजना शुरू हुई और यह 1 जुलाई 2015 से परिचालित हुई। एपीवाई योजना गरीब और भारत के वंचित वर्गों पर केंद्रित है ; इसमें 60 वर्ष के बाद परिभाषित पेंशन प्राप्त होगी ।

- एपीवाई के तहत अभिदाताओं को 60 वर्ष की आयु पर उनके अंशदान, जो कि उनकी एपीवाई में शामिल होने की आयु पर निर्भर होंगे, के अनुसार रू.1000, रू.1000 रू.2000, रू.3000, रू.4000, रू.5000 तक की न्यूनतम गारंटिड पेंशन प्राप्त होगी। एपीवाई में शामिल होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष है। अतः एपीवाई के तहत किसी भी अभिदाता द्वारा अंशदान की न्यूनतम अवधि 20 वर्ष है।
- केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण (सीआरए) के साथ पंजीकृत बैंक शाखाओं/डाकघरों/ भुगतान बैंकों के माध्यम से यह योजना परिचालित की जा सकती है।

v) रिटर्न के संदर्भ में प्रदर्शन

- वित्त वर्ष 2019–20 के अंत तक, 211.42 लाख अभिदाता एपीवाई के तहत पंजीकृत हैं, इसके अतिरिक्त एपीवाई के तहत 8.60 लाख अभिदाता सरकारी सह–अंशदान के लिए पात्र हैं। एपीवाई के तहत

क. 18 प्रतिशत अभिदाताओं ने रू. 5000 की पेंशन राशि के विकल्प का चयन किया है।

ख. 26 पेंशन इच्छुक 21–26 वर्ष के आयु समूह में आते हैं।

ग. स्त्री और पुरूष अभिदाताओं का अनुपात 57:43

एपीवाई योजना तीन सार्वजनिक क्षेत्र पेंशन निधियों द्वारा प्रबंधित की जाती है, नामतः एलआईसी, एसबीआई और यूटीआई। 31 मार्च 2020 तक योजना की प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति रू. 10,526.26 करोड़ थी। योजना द्वारा आरंभ से मार्च 2020 तक 8.84 प्रतिशत सीएजीआर जारी किया गया।

तालिका 3.31: लिंग, पेंशन राशि और आयु के अनुसार पंजीकृत एपीवाई अभिदाताओं (प्रान जारी किए गए) का विस्तृत विश्लेषण।

लिंगानुसार			
क्र. सं.	लिंग	प्रान गणना	प्रतिशत
1	स्त्री	96,20,622	43.14
2	पुरूष	1,26,75,526	56.84
3	ट्रासजेंडर	5,510	0.02
	कुल	**2,23,01,658**	**100.00**

पेंशन राशि वार			
क्र. सं.	पेंशन राशि (रूपये प्रतिमाह)	प्रान गणना	प्रतिशत
1	1,000	1,62,45,708	72.85
2	2,000	12,50,195	5.61
3	3,000	6,33,896	2.84
4	4,000	2,52,879	1.13
5	5,000	39,18,980	17.57
	कुल	**2,23,01,658**	**100.00**

आयुवार			
क्र. सं.	आयु वर्ग	प्रान गणना	प्रतिशत
1	18 से 20 वर्ष के बीच	32,15,107	14.42
2	21 से 25 वर्ष के बीच	59,76,402	26.80
3	26 से 30 वर्ष के बीच	57,12,028	25.61
4	31 से 35 वर्ष के बीच	46,42,280	20.82
5	35 वर्ष से ऊपर	27,55,841	12.36
	कुल	**2,23,01,658**	**100.00**

एपीवाई योजना सार्वजनिक क्षेत्र पेंशन निधियों नामतः एलआईसी, एसबीआई और यूटीआई द्वारा प्रबंधित की जाती हैं। 31 मार्च 2020 तक के अनुसार इस योजना की प्रबंधन के अधीन परिसंपत्तियां रूपये 10,526.26 करोड़ हैं।

3.14.2 उपस्थिति अस्तित्व

पीओपी विनियम, 2018 के तहत पीएफआरडीए ने 317 पीओपी को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किए हैं।

3.14.3 योजनावार प्रबंधन के अधीन संपत्ति

योजनावार प्रबंधन के अधीन संपत्ति निम्नलिखित तालिका में प्रदान की गई है:

तालिका संख्या 3.32: योजनावार प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति

(रूपये करोड़ में)

योजना	मार्च 2019	मार्च 2020	प्रतिशत वृद्धि
सीजी	1,09,010.70	1,38,014.59	
एसजी	1,58,881.11	2,11,499.67	30.47
उपकुल	**2,67,891.81**	**3,49,514.26**	
कोर्पोरेट सीजी	20,682.83	27,143.03	
ई-I	7,234.21	7,932.05	
सी-I	4,422.07	6,495.76	
जी-I	6,896.75	10,992.80	
ए-I	19.52	39.60	
ई-II	325.44	352.55	35.06
सी-II	209.08	297.26	
जी-II	262.69	457.16	
एनपीएस लाइट	3,409.23	3,728.40	
एपीवाई	6,860.30	10,526.26	
उपकुल	**50,322.12**	**67,964.87**	
कुलयोग	**3,18,213.95**	**4,17,479.13**	**31.19**

*स्रोत–एनपीएस न्यास

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि सरकारी क्षेत्र एनपीएस योजनाओं (सीजी और एसजी) के लिए प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति 30 प्रतिशत से बढ़ी है, जबकि इन दो योजनाओं के अतिरिक्त योजनाओं के लिए प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति 35 प्रतिशत से बढ़ी है। संपूर्ण रूप से, सरकारी क्षेत्र योजनाएं रू. 81,622 करोड़ से बढ़ी हैं जबकि सरकारी क्षेत्र योजनाओं से भिन्न योजनाएं औसतन रू 17,642 करोड़ से बढ़ी हैं।

3.14.4 केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण, इसकी भूमिका और कार्य

i) **परिचय**

एनएसडीएल ई –गवर्नेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, को पीएफआरडीए केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण के रूप में नियुक्त किया गया था और 26 नवंबर, 2007 को एक अनुबंध को निष्पादित दिया गया था।

पीएफआरडीए (केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण) विनियम, 2015 की अधिसूचना दिनांक 27 अप्रैल, 2015 के बाद से, एनएसडीएलई–गवर्नेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 18, दिसम्बर, 2015 से केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण के रूप में, जो कि मूल अनुबंध दिनांक 26 नवम्बर, 2007 से 10 वर्ष की अवधि के लिए, जो 1 दिसम्बर, 2007 से प्रभावी था, की शेष अवधि के लिए कार्य करने के लिए प्रमाणपत्र जारी किया।

सीआरएसभी मध्यस्थ इकाईयों के लिए एक संचालन इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। इसकीभूमिका में सभी बाहरी अभिकरणों के साथ संपर्क स्थापित करना शामिल है और एनपीएस के सभी अभिदाताओं के लिए अभिलेखपालन, प्रशासन और ग्राहक सेवा कार्य शामिल है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान, प्राधिकरण ने दूसरे सीआरए के रूप में मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड को पंजीकृत किया था और उन्हें एनपीएस न्यास के ई–एनपीएस मॉड्यूल के माध्यम से खातों की सर्विसिंग के लिए दिनांक 15 फरवरी, 2017 से अपना परिचालन शुरू करने की अनुमति दी थी, जिसमें ग्राहक को एनएसडीएल ई–गवर्नेंस लिमिटेड (प्रथम सीआरए) और एम/एस कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड (द्वितीय सीआरए) के बीच में से चुनने का विकल्प प्राप्त होता है, और उसके बाद अन्य वितरण चौनलों में चुनने का विकल्प होगा। मैसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर को 31 मार्च, 2017 तक नए खातों को सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी गई थी और उसके बाद 01 अप्रैल, 2017 से एनपीएस के मौजूदा अभिदाताओं के लिए स्थानांतरित करने के लिए विकल्प प्रदान करने वाली इंटर ऑपरेबिलिटी कार्यक्षमता के साथ पूर्ण सीआरए के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई थी।

विनियमन 3 के उप विनियमन 4 के तहत, सीआरए विनियम, मौजूदा केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी और अन्य केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी या एजेंसियों, यदि नियुक्त किया जाता है, के बीच ग्राहकों का आवंटन, एक पारदर्शी मापदंड और प्रक्रिया पर आधारित होगा जैसा कि प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर अभिदाताओं हित में अधिसूचित किया जाता है। तदनुसार, अभिदाताओं के आवंटन के लिए मापदंड निम्नानुसार है : –

ऐसे मामले में जहां कॉर्पोरेट सहित, कर्मचारी–नियोक्ता संबंध हैं, यदि नियोक्ता द्वारा सीआरए के प्रभार वहन किए जा रहे हैं, तो सीआरए का चयन करने का निर्णय नियोक्ता के पास होगा, जब तक कि वे विशेष रूप से किसी व्यक्तिगत कर्मचारियों को विकल्प नहीं सौंपते और अन्य सभी मामलों में, सीआरए के चयन का विकल्प एनपीएसके तहत कर्मचारी / अभिदाता के पास रहेगा । स्वैच्छिक अभिदाताओं (किसी भी कर्मचारी–नियोक्ता संबंध के अस्तित्व के बिना) के मामले में, सीआरए चुनने का विकल्प सामान्य रूप से अभिदाता के पास होता है। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकृत अभिदाताओं के मामले में, संबंधित सरकार सेवाओं को प्रदान करने के लिए सीआरए को चुनेगी। एनपीएस–लाइट अभिदाताओं के मामले में संकलनकर्ता के पास सीआरए चुनने का विकल्प होगा।

ii) **सीआरए की भूमिका और दायित्व**

सीआरए की प्रमुख भूमिका और दायित्व निम्नानुसार है :

I. **नई क्रियात्मकताओं की निरंतर बढ़त और विकास**

यह पीएफआरडीए का उत्तरदायित्व है कि वह देशभर में सुविधा केंद्रों का निर्माण करे और स्थापित करे। उन्हें विभिन्न नई क्रियात्मकताओं/उपयोगों को विकसित करना और मोडयूल्स की निरंतर बढ़त एवम् विकास करना होगा जिससे विभिन्न हितधारकों की आवश्यकताओं का पता चल सके।

II. **सभी क्षेत्रों के अभिदाताओं के लिये सेवाएँ**

सीआरए का प्रमुख कार्य सभी एनपीएस अभिदाताओं का अभिलेखपालन, प्रशासन, ग्राहक सेवा कार्यों की सुविधा प्रदान करना है। सभी अभिदाताओं को विशिष्ट स्थायी सेवनिवृत्ति खाता संख्या (प्रान) और आईपिन/टीपिन जारी करना है। इसके साथ ही अभिदाताओं को विभिन्न सुविधाएँ उपलब्ध कराना जैसे पंजीकरण के समय एसएमएस अलर्ट और ईमेल भेजना, राशि का क्रेडिट/डेबिट, निकासी, प्रान में राशि, अभिदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना, एनपीएस हितधारकों को वेब आधरित पहुंच प्रदान करना सीआरए अभिदाताओं और नोडल कार्यालयों को केंद्रीय शिकायत प्रबंधन प्रणाली और कॉल सेन्टर की सुविधा भी प्रदान करता है। इन सुविधाओं के अलावा सभी अभिदाता प्रबंधन सेवाएँ जैसे योजना परिवर्तन, जनसांख्यकीय विवरण परिवर्तन, शिकायत प्रबंधन आदि सीआरए द्वारा प्रबंधित किये जाते हैं।

III. **मध्यस्थ इकाईयों को सेवाएं**

i) **पेंशन निधि प्रबंधक :**

यह सीआरए की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह पीएफएम्स को समय से निधियों की स्थिति सूचित करे, समेकित निवेश वरीयता योजना सूचना का निर्माण करे तथा भेजे, पीएफएम्स को न्यासी बैंक द्वारा प्राप्त निधि स्थानान्तरण रिपोर्ट के पुष्टिकरण के आधार पर नेट फण्ड स्थानानतरण रिपोर्ट भेजे तथा योजना प्रदर्शन रिपोर्ट का एनएवी द्वारा प्रयोग करते हुए गणना करना जो पीएफएम द्वारा सीआरए को भेजी गई।

ii) **न्यासी बैंक :**

न्यासी खातों से प्राप्त पेंशन निधि रिपोर्टों को पेंशन निधि अंशदान सूचना रिपोर्ट से मिलाना तथा निधि योजना पर त्रुटि/विभिन्नता रिपोर्ट जारी करना, न्यासी बैंक को निर्देश देना कि अभिदाता खाते में प्रत्याहरण निधि प्रेषित करे तथा वार्षिकी योजना के लिए लिए वार्षिकी सेवा प्रदाताओं को शेष राशि प्रेषित करे।

iii) **वार्षिकी सेवा प्रदाता:**

अभिदाताओं से भौतिक आवेदन पत्र प्राप्त करें तथा उन्हें एएसपीज को तथा वार्षिकी स्थानानतरण विवरण को एएसपीज को भेजें तथा अभिदाताओं की वार्षिकी के निधि स्थानान्तरण विवरण को एएसपीज को भेजें। इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्थानानतरण को एएसपीज को स्थानांतरित करें जो कि वार्षिकी विवरण से सम्बंधित हो तथा वार्षिकी योजना पर निदेश भेजना ।

iv) **अन्य:**

पीएफआरडीएको आवधिक तथा एडहोकएमआईएस (शिकायत निवारण सम्मिलित), राज्य सरकारों, केंद्र सरकार, वित्त मंत्रालय को प्रदान करना, आवधिक ओरिएंटेशन कार्यक्रम नोडल कार्यालयों के लिए आयोजित करना तथा अनंत एवं त्रुटिमुक्त प्रणाली कार्य जिसमें सीआरए प्रणाली, पीएफएम्स, टीबी तथा अन्य एनपीएस इकाईयां शामिल हों, को प्रदान करना।

i) **वार्षिक शुल्क**

केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण, पीएफआरडीए (केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण) विनियम 2015 के विनियम 22 में यथाविनिर्दिष्ट सेवा शुल्कों का 0.05 गुणा की दर से वार्षिक शुल्क देगा।

ii) **सीआरए प्रभार शुल्क**

एनपीएस नियमित और एनपीएस लाइट/एपीवाई अभिदाताओं के लिए शुल्क संरचना सभी सूत्रों से प्राप्त जानकारी के तहत निम्नानुसार है :

तालिका संख्या 3.33: एनपीएस लाईट/एपीवाई के लिए शुल्क संरचना

क्र. सं	सेवा शुल्क शीर्ष	एम/एस एनएसडीएल ई–गर्वनेंस इंफ्रास्ट्रकचर (प्रथम सीआरए)		एम/एस के फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड (द्वितीय सीआरए)	
		एनपीएस नियमित (रू)	एनपीएस लाइट/ एपीवाई (रू)	एनपीएस नियमित (रू)	एनपीएस लाइट/ एपीवाई (रू)
1	पीआरए आरंभिक शुल्क	40.00	15.00	39.36	15.00
2	पीआरए वार्षिक प्रबंधन शुल्क	95.00	25.00	57.63	14.40
3	लेनदेन प्रभार	3.75	शून्य	3.36	शून्य

v) **विनियम**

पीएफआरडीए (केंद्रीय अभिलेखपाल अभि–करण) विनियम, 2015, दिनांक 27 अप्रैल, 2015 को अधिसूचित हुए हैं। इसके अलावा, पीएफआरडीए (केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2018, 25 जून 2018 को अधिसूचित हुए हैं।

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण) विनियम, 2015 का लक्ष्य केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण के रूप में कार्य करने की इच्छा रखने वाले निकाय की पात्रता, शासन, संगठन और परिचालन आचरण के लिए मानक निर्धारित करना हैं। विनियम पीएफआरडीए अधिनियम की भावना के अनुरूप निरीक्षण, जांच, निगरानी और प्रवर्तन शक्तियों का प्रभावी और विश्वसनीय उपयोग और एक कुशल अनुपालन कार्यक्रम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेंगे।

इस विनियमन के माध्यम से केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण के रूप में पंजीकृत इकाई को एक आंतरिक प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता होती है जो एनपीएस अभिदाताओं और उनकी परिसंपत्तियों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से

आंतरिक संगठन और परिचालन आचरण के लिए मानकों का अनुपालन करती है।

vi) नई कार्यक्षमता का विकास

विभिन्न हितधारकों की बदलती आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए मॉड्यूलस की निरंतर वृद्धि और विकास सीआरए के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। एनपीएस प्रणाली के निर्बाध कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए सीआरए द्वारा विभिन्न कार्यक्षमताओं का विकास किया गया। कुछ प्रमुख विकास इस प्रकार हैं:

एनपीएस के तहत अभिदाताओं के लिए उपलब्ध सुविधाएं

- **भुगतान के एक तरीके के रूप में प्रत्यक्ष प्रेशण** एक अतिरिक्त विकल्प/ योगदान की विधा अर्थात् प्रत्यक्ष प्रेशण (डी–रेमिट) प्रस्तावित है, जिसमें सरकारी/ गैर–सरकारी/ सर्व नागरिक मॉडल के तहत मौजूदा एनपीएस अभिदाता उनके प्रान से जुड़ा हुआ वास्तविक आईडी लिंक बनाकर अपना स्वैच्छिक योगदान जमा कर सकेंगे। एनपीएस अभिदाता जो डी–रेमिट के माध्यम से अपना स्वैच्छिक योगदान करना चाहते हैं, उन्हें सीआरए प्रणाली तक पहुंचने और उनके प्रान से जुड़ी वर्चुअल आईडी उत्पन्न करने की आवश्यकता होगी। वर्चुअल आईडी के अधिकरण के बाद, अभिदाता अपनी नेट बैंकिंग में लॉग–इन कर सकते हैं और अपने स्वैच्छिक योगदान को हस्तांतरित करने के लिए लाभार्थी के रूप में आईएफसी विवरण के साथ उपरोक्त वर्चुअल आईडी जोड़ सकते हैं। इस प्रकार सदस्य एनपीएस में आवधिक भुगतान करने के लिए स्थायी निर्देश देने में सक्षम होंगे।
- **भौतिक प्रान कार्ड के समान ही ई प्रान को माना जाएगा**–अभिदाता पंजीकरण के समय अभिदाताओं को ई–प्रान कार्ड या भौतिक प्रान कार्ड प्रदान किया जाएगा। तदनुसार, यदि अभिदाता ई–प्रान का विकल्प चुनता है तो खाता खोलने के लिए शुल्क कम हो जाएंगे। इसके अलावा, एनपीएस के तहत विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाने के लिए भौतिक प्रान कार्ड के समान मूल्य पर माना जाएगा।
- **केंद्र सरकार अभिदाताओं के लिए दिनांक 01.04.2019 से सरकार के योगदान में 10 से 14 प्रतिशत की वृद्धि** पर सरकारी अधिसूचना को प्रभावी करने की सुविधा ।
- ई–एनपीएस मंच के लिए पैन आधारित पंजीकरण और टीयर II अभिदाताओं के लिए **ई–साइन सुविधा** उपलब्ध कराई गई है जो अभिदाताओं के लिए कागज़ी प्रक्रिया को खत्म कर देगी।
- वर्तमान भुगतान विकल्पों जैसे कि नेट बैंकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड के अलावा **ई–एनपीएस अभिदाताओं के लिए यूपीआई भुगतान विकल्प**।
- **अभिदाताओं को सीआरए का विकल्प:** अब अभिदाता, एक वर्ष में एक बार से अपने विकल्प को दो बार बदल सकते हैं।
- **एनपीएस ऑनबोर्डिंग के लिए पीएफआरडीए की ऑफलाइन गैर कागज़ी केवाईसी सत्यापन प्रक्रिया**– पीएफआरडीए ने एनपीएस अभिदाताओं के लिए ई–एनपीएस पोर्टल के माध्यम से स्वैच्छिक आधार पर आधार एक्सएमएल फाइल के माध्यम से आधार आधारित ऑफलाइन गैर कागज़ी केवाईसी सत्यापन प्रक्रिया को मंजूरी दी। अभिदाता को ऑफलाइन आधार पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से नामांकन करने के लिए 'आधार 'विकल्प का चयन करना होगा। नई ऑफलाइन प्रक्रिया में गोपनीयता और सुरक्षा बनी रहेगी, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में केवल गैर–कागजी केवाईसी करने वाली संस्था/

सेवा प्रदाता के साथ आधार संख्या को साझा किया जाएगा। सीआरए (केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण) जैसी संस्थाएं अभिदाता द्वारा साझा किए गए केवाईसी विवरण को उसकी उचित सहमति से सत्यापित कर सकती हैं।

- **ऑनलाइन नामांकन मॉड्यूल:** पीएफआरडीए ने एनपीएस के तहत परिभाशित ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया (सीएसआरएफ के माध्यम से) के तथ्यों के आधार पर और पीएफआरडीए (एनपीएस के तहत निकास और प्रत्याहरण) विनियम 2015, अध्याय 7 और विनियम 32, उप विनियम (पअए अ और अप) के अनुसार अभिदाताओं द्वारा नवीनीकरण/नामितिकरण से संबंधित कार्यक्षमता को मंजूरी दे दी है।

- **ई–एनपीएस निकास प्रक्रिया**

i. **ई–एनपीएस के तहत सामान्य/समय से पूर्व निकास:** क. आहरण अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए अभिदाता को सीआरए वेबसाइट पर एक विकल्प उपलब्ध होगा। इस प्रयोजन के लिए, सीआरए वेबसाइट पर अभिदाता को निकासी अनुरोध विवरण प्रदान करने और स्कैन किए गए दस्तावेज अपलोड करने के लिए सीमित एक्सेस **प्रदान** किया जाएगा। ख. अभिदाता बैंक विवरण, पते का विवरण आदि जैसे विवरण प्रदान करेगा और अपने केवाईसी दस्तावेजों और बैंक प्रमाण की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करेगा । ग. ई–साइन आहरण अनुरोध – अभिदाता, आधार का उपयोग कर निकासी अनुरोध पर ई–साइन करेगा, और घ. एक बार अभिदाता द्वारा निकासी का अनुरोध सफलतापूर्वक जमा कर दिए जाने के बाद, केवाईसी दस्तावेजों को सत्यापन के लिए बैंक–पीओपी में प्रदर्शित किया जाएगा। अभिदाता के बैंक द्वारा अनुरोध का सत्यापन किया जाएगा।	**मृत्यु के कारण ई–एनपीएस से संबंधित सेवाओं से निकास::** अनुमोदित प्रक्रिया के तहत, नामांकित व्यक्ति को अपने बैंक द्वारा केवाईसी के सत्यापन के बाद आवश्यक दस्तावेजों के साथ एनपीएस न्यास को निकास फॉर्म जमा करना होगा। नॉमिती को बैंक के पत्र पर बैंक केवाईसी की पुष्टि करनी होती है, जिसमें नॉमिती की फोटो और हस्ताक्षर होते हैं और नामित बैंक अधिकारी द्वारा सील के साथ हस्ताक्षर किए जाते हैं, जहां नॉमिनी के पास उसका बैंक खाता होता है और जिसमें वह एकमुश्त और/या वार्षिकी प्राप्त करना चाहता है और इसे एनपीएस न्यास को जमा करना होता है। आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने के बाद एनपीएस न्यास यथोचित परिश्रम प्रक्रिया करने के बाद निकासी अनुरोध को अधिकृत करेगा।

- **एनपीएस निजी क्षेत्र के तहत ओसीआई अभिदाताओं को पंजीकरण करने की अनुमति दी गई है।** एनपीएस मे पंजीकृत होने के लिए ओसीआई अभिदाता के पास वैध दस्तावेज जैसे कि ओसीआई कार्ड और मौजूदा विदेशी पता प्रमाण और अन्य विवरण होना चाहिए।

- रद्द चेक/ पासबुक प्रति/ बैंक विवरण आदि प्रदान करने के एवज में अभिदाता के तत्काल बैंक खाता सत्यापन के लिए पेनी ड्रॉप सुविधा।

सीजीएमएस में प्रत्याहरण के लिए निम्नलिखित उप–श्रेणियों को जोड़ना

1. आंशिक प्रत्याहरण शुरू नहीं किया गया/ अधिकृत नहीं है/ राशि प्राप्त नहीं की गई ।

2. निकास आरम्भ नहीं किया गया / अधिकृत नहीं है / राशि प्राप्त नहीं की गई ।

3. समय से पूर्व निकासी को आरम्भ नहीं किया गया / अधिकृत नहीं है / राशि प्राप्त नहीं की गई ।

4. मृत्यु निकासी की शुरुआत नहीं की गई /अधिकृत नहीं है / राशि प्राप्त नहीं की गई ।

- **'एनपीएस की पाठशाला'** वीडियो को यूट्यूब पर उपलब्ध कराया गया है जिससे अभिदाताओं और नोडल कार्यालयों को एनपीएस के लाभों और क्रियात्मक्ताओं के विषय में अधिक जागरूक बनाया जा सके।

  अधिकांश पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यूज) सम्बंधित प्रश्न श्रेणी के साथ उत्तर अभिदाता और इकाई (एनपीएस अभिदाता की ओर से शिकायत दर्ज करने की सुविधा) के लिए सीजीएमएस में उपलब्ध है। अभिदाता जो सीजीएमएस के माध्यम से किसी भी प्रकार का प्रश्न करना चाहता है, शिकायत की श्रेणी के आधार पर एफएक्यूज और उपयुक्त उत्तरों को देखने का प्रावधान है ।

- **दस्तावेज (निकास आवेदन/ केवाईसी दस्तावेज)** अपलोड करने की सुविधा (पीडीएफ प्रारूप में) अभिदाताओं/ डीडीओ/नोडल कार्यालयों के लिए अधिवर्षिता, समय से पूर्व और मृत्यु निकास अनुरोधों को करने के लिए सुविधा।

एनपीएस मोबाइल ऐप में विशेषताएं

i) टियर II निकास

अभिदाता अब मोबाइल ऐप का उपयोग करते हुए एनपीएस के तहत टियर II खाता निकासी शुरू कर सकते हैं। अभिदाता अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ ऐप में लॉग इन करेगा। टीयर II निकासी का चयन करने और वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) जारी करने का एक विकल्प मोबाइल ऐप में उपलब्ध है। सही ओटीपी दर्ज करने पर, अभिदाता के पास निकास – (I) एकमुश्त (राशि), या (II) योजनावार इकाई को चुनने का विकल्प होगा। एक बार जब विकल्प का चयन किया जाता है और अभिदाता द्वारा प्रासंगिक विवरण प्रस्तुत किए जाने पर उसे सीआरए प्रणाली में निष्पादित किया जाएगा और धनराशि को सीआरए के साथ पंजीकृत अभिदाता के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

ii) **ओटीपी का उपयोग करके पासवर्ड पुनर्निर्मित करें**

अभिदाता अब ओटीपी के माध्यम से मोबाइल ऐप का उपयोग करके अपना पासवर्ड पुनर्निर्मित कर सकता है। अभिदाता को अपने प्रान, जन्म तिथि दर्ज करने और अपना नया पासवर्ड निर्मित करने और ओटीपी जनरेट करने की आवश्यकता होती है। अपने मोबाइल पर प्राप्त सही ओटीपी दर्ज करने पर (सीआरए के साथ पंजीकृत), पासवर्ड सक्रिय हो जाता है। यह विकल्प गुप्त प्रश्न का उपयोग करके पासवर्ड रीसेट करने के विकल्प के अतिरिक्त है।

iii) आईओएस और विंडोज प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं के लिए मोबाइल **एप**

आईओएस और विंडोज प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाले अभिदाताओं के लिए मोबाइल एप उपलब्ध कराया गया है

iv) **एनपीएस लाइट और एपीवाई अभिदाताओं के लिए मोबाइल एप उपलब्ध कराया गया है**

v) अटल पेंशन योजना (**एपीवाई**) के तहत सुविधाएँ

(i) **एपीवाई–एसपी**/एपीवाई–एसपी शाखा का स्थानांतरण

एपीवाई अभिदाता अपने एपीवाई खाते से संबंधित बैंक/शाखा को स्थानांतरित कर सकते हैं।

(ii) **एनपीएस लाइट अभिदाताओं के लिए ई–प्रान**

एनपीएस लाइट अभिदाता अब अपना ई–प्रान कार्ड देख सकते हैं। प्रान कार्ड देखने के लिए अभिदाताओं को अपने प्रान नंबर और बैंक खाता संख्या प्रदान करने की आवश्यकता होती है। हालाँकि, यदि अभिदाता को अपना प्रान नंबर याद नहीं है, तो अन्य विवरण जैसे कि बैंक खाता संख्या, नाम और जन्मतिथि को भरकर ई–प्रान कार्ड प्राप्त किया जा सकता है।

(iii) एपीवाई के तहत **न्यूनतम पेंशन राशि को अपग्रेड/डाउनग्रेड**

एपीवाई के तहत, अभिदाता को रुपये 1,000/–, 2,000/–, 3,000/–, 4,000 और 5,000/– प्रति माह की न्यूनतम पेंशन का चयन करना होता है, जो अभिदाता द्वारा किए गए अंशदान के आधार पर उन्हें 60 वर्ष की आयु में प्रदान की जाएगी। तदनुसार, अंशदान की कटौती चयनित आवृत्ति अर्थात् मासिक/त्रैमासिक/अर्ध वार्षिक के रूप में बैंक खाते से की जाती है। पीएफआरडीए के दिशानिर्देशों के अनुसार, एपीवाई अभिदाताओं के पास पूरे वर्ष में चुनी गई पेंशन राशि को अपग्रेड/डाउनग्रेड करने का विकल्प है।

iv) एनपीएस लाइट **अभिदाताओं के लिए ऑनलाइन अंशदान सुविधा**–एनपीएस लाइट अभिदाताओं को ई–एनपीएस मंच के माध्यम से ऑनलाइन अंशदान करने का विकल्प दिया गया। अभिदाता को ईएनपीएस वेबसाइट पर जाकर और मेनू 'कंट्रीब्यूशन' का चयन करना होता है और आगे, 'एनपीएस सब्सक्राइबर टाइप' यानी एनपीएस लाइट और प्रान विवरण का चयन करके विवरण प्रदान करना होता है। ओटीपी प्रमाणीकरण और कैप्चा विवरण की पुष्टि के बाद अंशदान किया जा सकता है। ई–एनपीएस के माध्यम से अंशदान करने पर पेमेंट गेटवे और सीआरए शुल्क लागू होंगे।

vi) नोडल कार्यालय/ **पीओपी /कॉर्पोरेट /सेवानिवृत्ति सलाहकारों के लिए सुविधाएँ**

(i) डीडीओ द्वारा ऑनलाइन **अभिदाता पंजीकरण**

सरकारी क्षेत्र के लिए ऑनलाइन प्रान जनरेशन मॉड्यूल (ओपीजीएम) **का उपयोग करके** अभिदाता को ऑनलाइन पंजीकृत करने की सुविधा आहरण एवं संवितरण कार्यालय (डीडीओ) **को उपलब्ध कराई गई है। डीडीओ को अंतर्निहित** अभिदाताओं के पंजीकरण विवरण को एकत्रित करने की अनुमति है और उसी को संबंधित डीटीओ/डीटीए द्वारा सत्यापित किया जाता है। अब कुछ राज्यों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर, ओपीजीएम में बदलाव किए गए हैं जैसे डीटीओ पंजीकरण विवरण बढ़ाएगा और संबंधित डीटीए उसको सत्यापित करेगा।

इससे पहले नोडल कार्यालयों को न्यासी बैंक के लिए निधि स्थानांतरण के समय निधि स्थानांतरण निर्देश में 26 अंकों का पीएओएफआईएन

प्रदान करना आवश्यक था। गलत पीएओएफआईएन के कारण निधि वापसी की घटनाओं को कम करने के लिए इसे अब घटाकर 13 अंकों का कर दिया गया है।

डीडीओ को ऑनलाइन सशर्त निकासी शुरू करने का विकल्प प्रदान किया गया है।

(ii) प्रान खाते का सक्रियण/ निश्क्रियता

राज्य सरकार की आवश्यकता के अनुसार, अब:

(i) प्रान का पुनर्सक्रियन किसी नोडल कार्यालय द्वारा किया जा सकता है, भले ही निष्क्रिय करने का अनुरोध उसी नोडल कार्यालय द्वारा नहीं किया गया हो।

(ii) इसकी अनुमति केवल समान राज्य सरकार की संस्थाओं को दी जाएगी और इसे केवल राज्य सरकार क्षेत्र के लिए लागू किया जाएगा।

(iii) त्रुटि आशोधन मोड्यूल (ईआरएम)

नोडल कार्यालयों द्वारा एक ईआरएम अनुरोध प्रसंस्कृत किया जाता है जिनके द्वारा सीआरए प्रणाली में अंशदान अपलोड किये जाते है। इसके अतिरिक्त, अब राज्य सरकार के मामले में,नोडल कार्यालयों की ओर से एकल ईआरएम संव्यवहार करने की सुविधा निरीक्षण कार्यालय को प्रदान की गई है। यह विभिन्न नोडल कार्यालयों द्वारा एकत्रित बहु ईआरएम अनुरोध के लिए प्रयासों तथा समय को बचाएगी ।

(iv) कॉर्पोरेट अभिदाता पंजीकरण

इससे पहले, कॉर्पोरेट्स को अपने अंतर्निहित अभिदाता समूह के लिए अभिदाता पंजीकरण फॉर्म में प्रमाणित करना आवश्यक था। अब, सुविधा सक्षम हो गई है, जहां कॉर्पोरेट्स पीओपी के माध्यम से पंजीकृत अभिदाताओं के लिए या सीआरए को भौतिक फॉर्म जमा करते हुए अपने पंजीकृत अभिदाता समूह की ऑनलाइन पुष्टि कर सकते हैं। यह विकल्प उन कॉरपोरेट्स के लिए उपलब्ध होगा जो अपने कर्मचारियों की ऑनलाइन पुष्टि के लिए विकल्प चुनते हैं।

(v) सेवानिवृत्ति सलाहकार

सेवानिवृत्ति सलाहकारों (आरएज) को पीएफआरडीए द्वारा एनपीएस पर सलाह देते हुए उसकी पहुँच को बढाने के लिए की जाने वाली गतिविधियों में संलग्न रहने के लिए नियुक्त किया गया है। आरएज कोई भी व्यक्ति पंजीकृत साझेदारी कंपनी, कॉर्पोरेट निकाय या कोई पंजीकृत न्यास या संस्था हो सकती है। ऑनलाइन मंच को सीआरए प्रणाली में विकसित तथा जारी किया गया है जिससे व्यक्ति/ईकाई को आरए के रूप में कार्य करने की सुविधा प्रदान की जा सके।

(vi) अभिदाता विवरण पीओपी/इकाई लॉगिन में उपलब्ध है

यह अभिदाताओं का विवरण जैसे व्यक्तिगत विवरण, अन्य विवरण प्रदान करता है। अब, यह प्रान को फ्रीज करने का कारण भी प्रदान करेगा।

vii) **सीआरए टोल फ्री हेल्पलाइन**

उनके सामान्य प्रश्नों और शिकायतों के बारे में सीआरए से संपर्क करने के लिए समर्पित टोल–फ्री नंबर (1800222081) नोडल कार्यालयों के लिए उपलब्ध है। यह एनपीएस अभिदाताओं के लिए उपलब्ध मौजूदा टोल–फ्री नंबर (1800222080) के अतिरिक्त है।

3.14.5 पेंशन निधियां

पेंशन निधि का अर्थ एक मध्यस्थ इकाई है जिसे प्राधिकरण द्वारा पेंशन निधि के रूप में धारा 27 की उपधारा (3) के तहत अंशदान प्राप्त करने और उन्हें संचित करने और विनियमों में निर्दिष्ट तरीके से अभिदाता को भुगतान करने के लिए पेंशन निधि के रूप में कार्य करने के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र दिया जाता है।

नियुक्त और पंजीकृत पेंशन निधियां राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या किसी अन्य योजना के तहत विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पेंशन कोश का प्रबंधन करता है। पेंशन निधि अपने पहुंच कोड का उपयोग निवल संपत्तियों की प्राप्ति और निधि आवंटन के बारे में निर्देशों की पुष्टि करने और प्रत्येक योजना के एनएवी को सीआरए और अभिरक्षक को नियमित आधार पर सूचित करने के लिए करते हैं।

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) विनियम, 2015 को 14 मई, 2015 को अधिसूचित किया गया था और पेंशन निधियों को इन नियमों का पालन उनके संशोधनों सहित करना पड़ा था।

पेंशन निधियों के कार्य

पेंशन निधियों के कार्यों में निम्नलिखित शामिल है, लेकिन यह निम्नलिखित बिंदुओं तक सीमित नहीं है :

1. पेंशन स्कीमों का प्रबंधन स्कीमों, अधिनियम के प्रावधानों, न्यास विलेख, नियमों, विनियमों, प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों और परिपत्रों के अनुसार और प्राधिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा निर्धारित समयसीमाओं में किया जाएगा।
2. पेंशन निधियों का दैनिक प्रबंधन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की ओर से पेंशन निधि द्वारा किया जाएगा।
3. पेंशन निधि अपने कार्यों को करते समय अभिदाताओं के बेहतर हित में सेवा का उच्च स्तर, उपयुक्त सावधानी, समझदारी, कार्यकुशलता, निपुणता व सतर्कता बरतेगी। पेंशन निधियां सट्टेबाजी, काल्पनिक निवेश या लेनदेन नहीं करेगी।
4. पेंशन निधि अर्हता प्राप्त व निष्ठावान वृत्तिकों या कर्मचारियों को नियुक्त करेगी। पेंशन निधि अपने कार्मिको या प्राधिकृत व्यक्तियों जिनकी सेवाएं प्राप्त की गई हैं, के कार्यों व गलतियों के लिए उत्तरदायी होगी। यह जिम्मेदारी पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द करने या निलंबित या वापस लेने पर भी या प्राधिकरण द्वारा प्रबंधन अपने नियंत्रण में लेने पर भी बनी रहेगी।
5. पेंशन निधि अपने वित्तीय कार्यात्मक दायित्वों के निर्वहन के लिए अन्य मध्यवर्तियों से संपर्क व समन्वय करेगी और साथ ही करार करेगी, प्रौद्योगिकी मंच तैयार करेगी।
6. पेंशन निधि पेंशन स्कीमों के परिचालन से संबंधित खाते, अभिलेख, रजिस्टर और दस्तावेज़ों का रखरखाव करेगी तथा प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर जारी विनियमों, दिशानिर्देशों, परिपत्रों का अनुपालन सुनिश्चित हो और लेनदेन व कारोबारी गतिविधियों की लेखापरीक्षा में सुविधा हो।
7. पेंशन निधि इन विनियमों, दिशानिर्देशों या परिपत्रों के अनुसार या प्राधिकरण द्वारा जैसा कहा जाए या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा समय–समय पर अपेक्षित, आवधिक और अनुपालन रिर्पोटें प्रस्तुत करेगी।
8. पेंशन निधि अभिदाताओं के हित में अनुसूची–5 में प्राधिकरण द्वारा किये गए उल्लेखानुसार सूचना ऐसी रीति और प्ररूप में सार्वजनिक करेगी ।
9. पेंशन निधि निवेशों और जोखिम प्रबंधन के लिए

अनुसूची–10 में उल्लेखित निवेश समिति और जोखिम समिति का गठन, उसकी संरचना, कार्यों, नीतियों और अन्य समान मामलों के लिए बेहतर अभिशासन विधियों को अपनाएगी।

10. पेंशन निधि हितों के टकराव से बचेगी जो पेंशन निधि के रूप में अपने दायित्वों के निर्वहन के समय और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को उन घटनाओं की रिपोर्ट करते समय उठा सकते हैं।

11. पेंशन निधि अपने प्रायोजकों से पेंशन निधि संबंधी कारोबारी गतिविधियों को पृथक् रखना सुनिश्चित करेगी।

12. पेंशन निधि अभिदाताओं से संबंधित जानकारी और पेंशन निधि से संबंधित कार्रवाई की गोपनीयता तथा अपने नियंत्रणाधीन सभी सूचनाओं की सिवाय प्राधिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या किसी कानूनी प्रावधान के तहत अपेक्षित हो सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।

13. पेंशन निधि ऐसे प्रतिवेदन और वारंटियां देगी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की ओर से अभिदाताओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

एनपीएस योजनाओं के तहत पेंशन निधियों की सूची

i) एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कं लिमिटेड

ii) आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन मैनेजमेंट कं लिमिटेड

iii) कोटेक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड

iv) एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड

v) एसबीआई पेंशन फंडस प्राईवेट लिमिटेड

vi) यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड

vii) बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड

गैर–सरकारी क्षेत्र पोर्टफोलियो के लिए पेंशन निधियों द्वारा प्रभारित निवेश प्रबंधन शुल्क, प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति का 0.01 प्रतिशत है।

3.14.6 न्यासी बैंक

पीएफआरडीए (न्यासी बैंक) विनियम, 2015 को 23 मार्च 2015 को अधिसूचित किया गया था।

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (न्यासी बैंक) विनियमों का उद्देश्य न्यासी बैंक के रूप में चयनित होने वाली इकाई की पात्रता, शासन, संगठन और परिचालन आचरण के लिए मानक निर्धारित करना है। यह विनियम पीएफआरडीए अधिनियम की भावना के अनुरूप निरीक्षण, जांच, निगरानी और प्रवर्तन शक्तियों का प्रभावी और विश्वसनीय उपयोग सुनिश्चित करेंगे और एक कुशल अनुपालन कार्यक्रम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेंगे।

i) न्यासी बैंक:

पीएफआरडीए (न्यासी बैंक) विनियम, 2015 की शर्तों के अनुसार, एक्सिस बैंक लिमिटेड को 01 जुलाई, 2015 से खुली बोली प्रक्रिया के माध्यम से एनपीएस के तहत 5 वर्षों के लिए न्यासी बैंक के रूप में चुना गया था। एनपीएस के तहत अभिदाताओं और अन्य हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए वर्तमान के उभरते परिदृश्य को ध्यान में रखकर, प्राधिकरण ने एक्सिस बैंक लिमिटेड के पंजीकरण प्रमाणपत्र के कार्यकाल को 30.06.2021 तक या चयन प्रक्रिया, प्रणालीगत विकास, नए न्यासी बैंक के परिचालन तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया गया है।

ख) न्यासी बैंक की भूमिका और दायित्व :

1) न्यासी बैंक सीआरए प्रणाली की विभिन्न इकाईयों अर्थात् नोडल कार्यालय (अपलोडिंग कार्यालय), पेंशन निधि प्रबंधक, वार्षिकी सेवा प्रदाता और अभिदाताओं के लिए निधि स्थानान्तरण की सुविधा प्रदान करता है।

2) न्यासी बैंक, सीआरए प्रणाली में विभिन्न नोडल कार्यालयों द्वारा प्राप्त निधियों के विवरण वाली फाइल अपलोड करता है। उसके बाद इस विवरण का सीआरए प्रणाली में नोडल कार्यालयों द्वारा प्रदान किये गए

अंशदान विवरणों से मिलान किया जाता है।

3) सीआरए प्रणाली द्वारा न्यासी बैंक विभिन्न इकाईयों अर्थात् पेंशन निधि प्रबंधक, वार्षिकी सेवा प्रदाता, प्रत्याहरण खातों में निधि स्थानांतरित करने के लिए भुगतान प्रक्रिया के रूप में निधि स्थानान्तरण निदेश प्राप्त करेगा और पेंशन निधि प्रबंधकों से निधियां प्राप्त कर सकेगा।

4) अपरिचित प्रेशणों या अपूर्ण जानकारी वाले प्रेषणों को सम्बंधित इकाई को वापस कर दिया जाएगा।

5) प्रत्येक निपटान दिवस के अंत में, न्यासी बैंक खाते में शेष राशि को सीआरए प्रणाली के साथ मेल किया जाता है।

एनपीएस संरचना में न्यासी बैंक की भूमिका निम्नलिखित चित्र से दर्शाई जाएगी :

चार्ट 3.2 : एनपीएस संरचना और मध्यस्थ इकाईयां

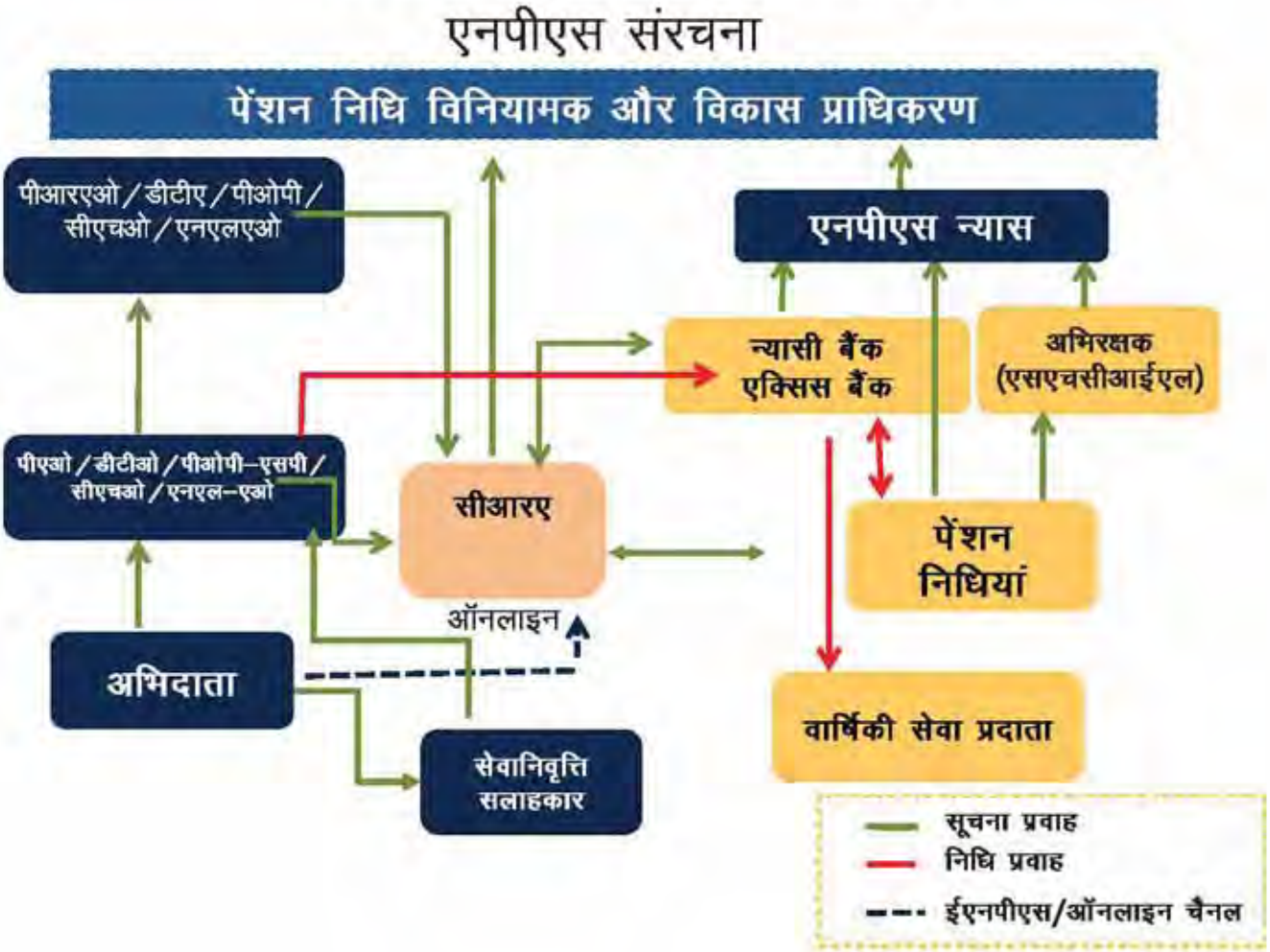

ii. **न्यासी बैंक के लिए समयसीमा**

न्यासी बैंक की व्यावसायिक गतिविधियाँ अन्य प्रक्रियाओं से जुड़ी हैं। इसलिए, बैंक यह सुनिश्चित करता है कि सभी गतिविधियों को निर्दिष्ट समयसीमा के भीतर पूरा किया जाए। नीचे दिया गया चार्ट प्रमुख गतिविधियों और समयसीमा, जिसमें बैंक द्वारा उन गतिविधियों को पूर्ण किया जाना है की चर्चा करता है :

तालिका 3.34: न्यासी बैंक के प्रमुख कार्य

कार्य प्रकृति	समयसीमा
अपरिचित निधियों की वापसी	टी+1
फंड प्राप्ति पुष्टिकरण फाइल अपलोड (एफआरसी)	टी+1 (प्रातः 9:15 बजे से)
सीआरए से पे–इन निर्देश फाइल डाउनलोड करना	प्रतिदिन
पेंशन निधि प्रबंधकों को मिलान और बुक्ड निधियों को स्थानांनतरित करना	टी+1
विवरणों और विभिन्न खातों का अंतिम शेष अपलोड	प्रतिदिन

टिप्पणीः (परिकल्पना– न्यासी बैंक में दिवस 'टी' पर निधि प्राप्ति)

iii) **ग्राहक के हितों की रक्षा के लिए किए गए उपायः**

न्यासी बैंक को नोडल कार्यालयों से पेंशन निधि प्रबंधकों को धन हस्तांतरण की सुविधा के लिए नियुक्त किया जाता है। अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए प्रणाली में सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) आवक प्रेषणों की वापसी

संबंधित नोडल कार्यालयों को प्रेषणों की वापसी के बारे में सूचना ईमेल के साथ–साथ भौतिक पत्रों द्वारा भी भेजी जाती है। प्रेषणों की अस्वीकृति के कारणों के अलावा, नोडल कार्यालय द्वारा की जाने वाली उपचारात्मक कार्रवाई और सावधानियों को त्रुटियों की पुनरावृत्ति से बचने और वापसी से बचने के लिए प्रदान किया जाता है। यह अभिदाताओं द्वारा किए गए योगदान का समय पर निवेश सुनिश्चित करता है।

इस तरह के फंड रिटर्न के मामलों को कम करने के लिए, एक प्रमुख पत्र तैयार किया गया है जो एससीएफ के साथ उत्पन्न होता है। इस पत्र में पहले से भरे हुए क्षेत्र जैसे कि लेनदेन आईडी, राशि आदि शामिल हैं, जिसे नोडल अधिकारी को न्यासी बैंक के लिए निधि स्थानांतरण के लिए अपने मान्यता प्राप्त बैंकर को अधिकृत और जमा करना होता है।

(ii) **चुनौतियाँ जिनका सामना किया गया**

i) **लंबित एससीएफ–** कई नोडल कार्यालयों ने एससीएफ को दो बार अपलोड किया है या इन एससीएफ से सम्बंधित निधियों को प्रेषित नहीं किया है। पीएफआरडीए इन एससीएफ का मिलान करने और निर्धारित समयसीमा में दर्ज कराने का सर्वोत्तम प्रयास कर रहा है।

ii) **राशि क्रेडिट न होना**–कई बार नोडल कार्यालय नियमित रूप से निधि प्रेषित नहीं करते। पीएफआरडीए अभिदाताओं के प्रान में अप्राप्त प्रान राशि मामले परसम्बंधित संगठनों के साथ नियमित रूप से चर्चा कर रहा है–पीएओस, ताकि विलम्ब के कारण अभिदाता निवेश अवसर को न खो दें।

iii) **अपूर्ण विवरण के साथ प्रेषित निधिया** कई नोडल कार्यालयों ने न्यासी बैंक को पीएओ आईडी, संव्यवहार आईडी आदि की अपूर्ण सूचना प्रदान की है। न्यासी बैंक के पास, मई 2012 से पूर्व प्राप्त धनराशि अज्ञात रूप से पड़ी है, जिसके लिए

नोडल कार्यालयों द्वारा नातो निधि स्थानान्तरण विवरण प्रदान किया गया ना ही एससीएफ अपलोड किए गए। पीएफआरडीए इसके समाधान के लिए नोडल कार्यालयों के साथ निरंतर चर्चा कर रहा है।

iv) **न्यासी बैंक द्वारा अभिदाताओं को जावक प्रेषणों की वापसी**– न्यासी बैंक द्वारा अभिदाताओं को प्रेषित निकास निधियां विभिन्न कारणों से वापस कर दी गई, इनमें से सबसे प्रमुख कारण अनुचित बैंक विवरण, अनुचित आईएफसी, लाभार्थी के नाम का बेमेल होना आदि था।

3.14.7 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत अभिरक्षक

'प्रतिभूतियों का अभिरक्षक' प्राधिकरण द्वारा विनियमित पेंशन स्कीमों के लिए अभिरक्षक और निक्षेपागार प्रतिभागी सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिनियम की धारा 27 की उप–धारा(3) के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र संस्था अभिप्रेत है :

"अभिरक्षक सेवाएं" राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और किसी अन्य पेंशन स्कीम के अधीन आस्तियों और प्रतिभूतियों को सुरक्षित रखना तथा उससे अनुषांगिक सेवाएं प्रदान करना अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलत है :–

(i) आस्तियों और प्रतिभूतियों के खातों को संधृत करना:

(ii) डिपाजिटरी अधिनियम, 1996(1996 का 22) के निबंधनों और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा अनुज्ञात घरेलू निक्षेपागार के रूप में कार्य करना :

(iii) आस्तियों और प्रतिभूतियों पर उद्भूत हकदारी और लाभों का संग्रहण करना :

(iv) प्रतिभूतियों के निगमकर्ता द्वारा की गई या की जाने वाली कार्रवाई के बारे में संसूचित करना जो प्रोद्भूत होने वाले लाभों या हकदारी से सम्बन्ध हो :

(v) उपखंड(i) से (iv) में संदर्भित सेवाओं के अभिलेखों को बनाए रखना और समाधान करना :

वर्तमान में, स्टॉक होल्डिंग कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्रतिभूतियों के अभिरक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं।

प्रतिभूतियों के अभिरक्षक के सामान्य उत्तरदायित्व

पीएफआरडीए (प्रतिभूतियों के अभिरक्षक) विनियम, 2015 के अनुसार प्रतिभूतियों के अभिरक्षक के सामान्य उत्तरदायित्व नीचे दिए गए हैं :

(1) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक अपने कर्तव्यों के निर्वहन के समय अभिदाताओं के सर्वोत्तम हित में सभी समय पर उचित सावधानी, विवेक, व्यवसायिक कुशलता और सम्यक् तत्परता बरतेगा।

(2) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक अन्य मध्यवर्तियों और संस्थाओं के साथ संयोजन करने में उसे समर्थ बनाने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं, प्रणालियों, पर्याप्त सूचना तकनीक अवसंरचना उपलब्ध कराएगा और भविष्य में होने वाले परिवर्तनों जिनमें तकनीक उन्नति में परिवर्तन, प्रणाली और सेवाओं के विनिर्देशन में परिवर्तन और प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट कार्य सम्बन्धी दायित्वों की उद्घोषणा में परिवर्तन के अनुरूप परिवर्तित होगा।

(3) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सावधानियां बरतेगा कि अभिलेखों की निरंतरता लुप्त या नष्ट न हो और इसके लिए अभिलेखों का पर्याप्त बैकअप उपलब्ध हो ।

(4) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि सभी समय पर पेंशन योजना खातों में संव्यवहार का स्तर पेंशन निधि अथवा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के निर्देशों के अनुसार हो और इन खातों में धारित आस्तियों का इस्तेमाल स्पष्टतया केवल पेंशन निधि अथवा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा अधिकृत संव्यवहार के लिए किया गया है।

(5) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि सभी समय पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की ओर से धारित प्रतिभूतियों को उसके खातों में

उसकी अपनी धारिताओं, अन्य ग्राहकों के खातों से स्पष्टतया पृथक और अलग रखा गया है और अन्य गतिविधियों से पृथक है। प्रतिभूतियों का अभिरक्षक प्राधिकरण द्वारा विनियमित पेंशन योजनाओं के लिए और प्रतिभूतियों के पंजीकरण के निर्दिष्ट रीति के अनुसार एक पृथक् अनुरक्षित खाता खोलेगा।

(6) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास अथवा पेंशन योजनाओं के लिए उसकी अनुरक्षा में धारित प्रतिभूतियों पर सभी अधिकार और हकदारी प्राधिकरण अथवा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा विनिर्दिष्ट रीति और समय पर प्राप्त हो।

(7) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि पेंशन योजना खातों में व्यक्तिगत धारित राशि दिन की समाप्ति पर निक्षेपागार धारित राशियों और ग्राहक सहायक सामान्य खाता बही के साथ समाधानकृत हो।

(8) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि पेंशन योजना खातों के अन्दर और बाहर की प्रतिभूतियों के अभिलेखों का निर्माण और इस रीति में उनका अनुरक्षण करेगा कि किसी कारण से मूल अभिलेखों के लुप्त होने पर प्रतिभूतियों के अनुरेखण अथवा दस्तावेजों के प्रतिरूप की सुविधा उपलब्ध हो।

(9) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक उसकी अभिरक्षा में धारित प्रतिभूतियों के अभिलेखों का निर्माण और इस रीति में उनका अनुरक्षण करेगा कि किसी कारण से मूल अभिलेखों के लुप्त होने पर प्रतिभूतियों के अनुरेखण अथवा दस्तावेज के प्रतिरूप की सुविधा उपलब्ध हो।

(10) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अथवा प्राधिकरण द्वारा विनियमित किसी अन्य पेंशन योजना के अंतर्गत उसके द्वारा धारित प्रतिभूतियां पर्याप्त रूप से सुरक्षित हैं।

(11) प्रतिभूतियों के अभिरक्षक के पास अभिलेखों और दस्तावेजों में जिनमें प्रतिभूतियों की संपरीक्षा, अधिकार अथवा इस करार के अधीन धारित आस्तियों पर हकदारी शामिल हैं किसी प्रकार के हेरफेर से रक्षा के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण होगा। प्रतिभूतियों के अभिरक्षक के पास ऐसी प्रतिभूतियों (आस्तियों और दस्तावेजों) को चोरी और प्राकृतिक आपदा से बचाव सुनिश्चित करता हुआ पर्याप्त सुरक्षा उपाय हैं।

(12) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक प्राधिकरण द्वारा विनियमित पेंशन खातों में उपलब्ध आस्तियों का निपटान करने का हकदार नहीं होगा अथवा पेंशन निधि अथवा अन्य प्रकार से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की ओर से उस पर देय राशियों के अंशतः और पूर्णतः समाधान के लिए उनके साथ समझौता बिना प्राधिकरण और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की पूर्व लिखित अनुमति के नहीं करेगा।

(13) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक प्रतिभूतियों पर ऋण भार नहीं लगाएगा जिनमें गिरवी रखने, उप्राधीयन अथवा किसी प्रकार के प्रभार का निर्माण शामिल है अथवा उक्त प्रतिभूति पर उसका दावा नहीं करेगा। प्रतिभूतियों का अभिरक्षक बिना प्राधिकरण अथवा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की अनुमति के किसी प्रकार से प्रतिभूतियों को परिवर्तित नहीं करेगा।

(14) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक ऐसी रिपोर्टों और विवरणों को पेंशन निधि अथवा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास अथवा प्राधिकरण अथवा अन्य मध्यवर्तियों को प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट अथवा समझौते में विनिर्दिष्ट अंतरालों पर तथा ऐसी रीति में प्रेषित करेगा।

(15) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक खाता बहियों, पुस्तकों, अभिलेखों और दस्तावेजों का समुचित निर्माण करेगा और उसके पास अपने नियंत्रण, प्रणालियों, प्रक्रियाओं तथा रक्षापायों के पुनर्विलेख, निरीक्षण और मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ पर्याप्त तंत्र होगा।

(16) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक आंतरिक संपरीक्षक के द्वारा तिमाही आधार पर लेखा बहियों की

संपरीक्षा कराएगा और आस्तियों अथवा पेंशन निधियों के कारबार से सम्बंधित उसके निष्कर्ष को प्राधिकरण अथवा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को यथाविनिर्दिष्ट संपरीक्षा की तिथि से तीस दिन के पश्चात् जमा कराएगा।

(17) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को प्रस्तावित सेवाओं और विभिन्न क्रियाकलापों के लिए किसी भी विनियामक, प्राधिकरण, समाशोधन निकाय, विनिमय अथवा निक्षेपागार द्वारा लागू सभी नियमों, विनियमों परिपत्रों अथवा मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार कार्य करेगा।

अभिरक्षक शुल्क

आस्ति सेवा शुल्क	इलेक्ट्रानिक और भौतिक भाग के तहत अभिरक्षित आस्तियों का 0.0032% प्रतिवर्ष

3.14.8 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास

एनपीएस न्यास की स्थापना, केंद्र सरकार के पत्र डी.ओ. छव 5(75)/2006–ECB – PR दिनांक 24 अप्रैल 2007 के अनुसार की गई, पीएफआरडीए न्यास का स्थापक है तथा पीएफआरडीए द्वारा एनपीएस न्यास विलेख 27 फरवरी 2008 को हुआ। पीएफआरडीए और एनपीएसन्यास के बीच एक समझौता ज्ञापन जो दोनों पक्षों के लिए अधिकारों तथा बाध्यताओं को अंकित करता है 1 जुलाई 2009 को हस्ताक्षरित हुआ।

एनपीएस न्यास की स्थापना तथा गठबंधन एनपीएस के तहत लाभार्थियों (अभिदाताओं) के हितों के लिए आस्तियों तथा हितों को धारण करने के लिए हुई है। न्यासियों के पास न्यास निधि का कानूनी स्वामित्व है तथा सामान्य अधीक्षण दिशा तथा न्यास के कार्यों का प्रबंधन तथा सभी शक्तियों प्राधिकार तथा अनुबध निर्णय या न्यास से सम्बंधित, पूर्ण रूप से न्यासियों के अधिकारों में निहित है जो फिर भी पीएफआरडीए अधिनियम–2013 भारतीय न्यास अधिनियम–1882 एनपीएस न्यास विलेख तथा इसके अतिरिक्त पीएफआरडीए द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों या मार्गदर्शन सिद्धांतों के अधीन हैं। जबकि लाभार्थी हित सदैव एनपीएस न्यास के लाभार्थियों के साथ रहेंगे।

(i) **एनपीएस न्यास पर बजट घोषणा:** बिंदु संख्या 97 के अनुसार बजट भाषण 2020–21 पीएफआरडीएआई की विनियमन भूमिका को मजबूत करने की आवश्यकता है। भारतीय पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे जो सरकारी कर्मचारियों के लिए पीएफआरडीएआई से एनपीएस न्यास को अलग करने की सुविधा प्रदान करेगा। यह सरकारी कर्मचारियों के अतिरिक्त कर्मचारियों द्वारा पेंशन न्यास की स्थापना को भी सक्षम करेगा।

31 मार्च, 2020 तक एनपीएस न्यास बोर्ड का गठन तालिका संख्या 3.35 में प्रदान किया गया है।

तालिका संख्या. 3.35: 31 मार्च, 2020 तक एनपीएस न्यास बोर्ड का गठन

क्र. सं	नाम	पद
1	श्री अतानु सेन	30.03.2020 तक अध्यक्ष और न्यासी
2	श्री दिनेश कुमार मेहरोत्रा	न्यासी
3	श्री राधाकृष्णन नायर	न्यासी
4	श्री संजीव चानना	न्यासी
5	श्री सूरजभान	न्यासी
6	श्री संजीव मित्तल	न्यासी
7	श्री सुधीर कुमार शर्मा	न्यासी
8	श्री मुनीष मलिक	मुख्य कार्यकारी अधिकारी

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान, एक न्यासी की नियुक्ति की गई थी और एनपीएस न्यास के नए अध्यक्ष को नामित किया गया है, जो कि निम्नानुसार है :

न्यासी : श्री सुधीर कुमार भार्मा (आईएएस, विशेष सचिव, वित्त (व्यय), राजस्थान राज्य सरकार को 17 सितंबर 2019 को नामित किया गया।

अध्यक्ष : श्री अतानु सेन (एनपीएस न्यास के न्यासी) को एनपीएस न्यास के अध्यक्ष के रूप में 30, मार्च 2020 को नियुक्त किया गया।

(ii) एनपीएस न्यास द्वारा एनपीएस निधियों का प्रबंधन

एनपीएस न्यास के नाम पर रखे गए अभिदाताओं की एनपीएस निधियों को अभिदाताओं के हित में एनपीएस न्यास के उद्देश्यों को ध्यान में रखने और पूरा करने के लिए न्यासी बोर्ड की ओर से सात नियुक्त पेंशन निधियों द्वारा प्रबंधित किया जाता है। पेंशन निधि के प्रदर्शन की समीक्षा एनपीएस न्यास द्वारा त्रैमासिक आधार पर की जाती है, और अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए उन्हें निर्देश/मार्गदर्शन दिया जा रहा है।

(iii) एनपीएस न्यास शुल्क/ शुल्क

एनपीएस न्यास को नियमित रूप से मध्यस्थ इकाईयों के पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए सशक्त किया जाता है और यह मध्यस्थ इकाई राजस्व की नियमित धारा के साथ एक आत्मनिर्भर इकाई होनी चाहिए। इसलिए, एनपीएस न्यास द्वारा शुल्क/शुल्कों की समीक्षा की गई है और तदनुसार पीएफआरडीए के बोर्ड ने निर्णय लिया है कि प्रबंधन के अधीन आस्ति**(एयूएम) के प्रति वर्ष शुल्क के आधार पर 0.005**: प्रतिदिन बीमांकिक आधार पर 01 अगस्त, 2019 से शुल्क/**प्रभार** को दोबारा शुरू करे क्योंकि एनपीएस न्यास वित्तीय स्वायत्तता की कुछ राशि की आवश्यकता हो सकती है, जिसके तहत न्यास द्वारा अभिदाताओं का दी गई सेवाओं के लिए शुल्क/प्रभार के माध्यम से आय का अलग स्रोत हो सकता है।

यह एनपीएस न्यास द्वारा शुल्क/प्रभार के अधीन होना अभिदाताओं के हित में होगा। शुल्क/प्रभार की मात्रा की समय–समय पर प्राधिकरण द्वारा समीक्षा की जाती है।

3.14.9 सेवानिवृत्ति सलाहकार

एनपीएस की सलाह प्रदान करने की गतिविधि में संलग्न होने के लिए पीएफआरडीए द्वारा सेवानिवृत्ति सलाहकार(रों) की नियुक्ति की जाती है, जिससे एनपीएस की पहुंच का विस्तार किया जा सके। आरएएस एक व्यक्तिगत, पंजीकृत साझेदारी निकाय, कॉर्पोरेट निकाय या कोई पंजीकृत न्यास या समाज हो सकता है। आरए के रूप में एक व्यक्ति/संस्था के पंजीकरण की सुविधा के लिए सीआरए प्रणाली में ऑनलाइन मंच विकसित और जारी किया गया है।

सेवानिवृत्ति सलाहकार उपभोक्ताओं को निवेश और भुगतान विकल्पों की बेहतर समझ रखने के लिए मार्गदर्शन और मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। रिटर्न में विभिन्न विकल्पों की कमी को समझने से होने वाले नुकसान के जोखिमों को कम करने के लिए, सेवानिवृत्त आबादी के हितों की रक्षा और अधिक महत्वपूर्ण रूप से, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव और संगठित और असंगठित श्रमिकों की भारतीय प्रणाली की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पीएफआरडीए ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट्स (एनआईएसएम) को रिटायरमेंट एडवाइजर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन के प्रमाणन के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान के रूप में मान्यता दी है।

सेवानिवृत्ति सलाहकार की पात्रता, पंजीकरण प्रक्रिया, शुल्क आदि के लिए एक ढांचा प्रदान करने और पेंशन क्षेत्र के क्रमिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए सेवानिवृत्ति सलाहकार के कार्य और जिम्मेदारी के दायरे को परिभाषित करने के उद्देश्य से पीएफआरडीए द्वारा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 को अधिसूचित किया गया था।

3.14.10 प्राधिकरण द्वारा पेंशन के क्षेत्र में किए गए अन्य कार्य

i) **साइबर सुरक्षा का क्रियान्वयनः**

पीएफआरडीए ने सूचना, प्रणाली एवं तकनीक और साइबर सुरक्षा पर मई 2019 में एक स्थायी समिति का गठन किया है। पीएफआरडीए की अपनी मध्यस्थ इकाईयों के लिए मौजूदा साइबर सुरक्षा नीति द्वारा समिति को निर्देशित किया गया था और पीएफआरडीए को अपनी नीति तैयार करने की सलाह दी जाती है।

पीएफआरडीए ने मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीसो) की पीएफआरडीए के भीतर सभी आईटी और साइबर मुद्दों के प्रबंधन के लिए नियुक्ति की है और साइबर सुरक्षा से सम्बंधित मुद्दों पर मध्यस्थों एवं अन्य इकाईयों जैसे सीईआरटी–इन, एनसीआईआईपीसी के साथ समन्वय स्थापित करेगा।

ii) **विनियामक तंत्र के माध्यम से फिनटेक**

वित्तीय क्षेत्र में तकनीकी विकास और नवाचार द्वारा आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए हैं। विनियामक तंत्र पद्धति का उपयोग पेंशन क्षेत्र के लिए सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण में वित्तीय तकनीक (फिनटेक) के प्रचार और विकास के लिए अनुगामी तकनीक और समाधानों पर प्रयोग करने के लिए किया जा सकता है। तदनुसार, पीएफआरडीए ने आरईबीआईटी, पीएफआरडीए, एनपीसीआई और एनएसडीएल से प्रतिनिधियों को लेकर एक समूह का गठन किया है जो विनियामक तंत्र के माध्यम से वित्तीय तकनीकों (फिनटेक) का उपयोग कर सके। समिति ने अपनी रिपोर्ट जमा कर दी है यह मामला विकासाधीन है।

भाग IV

4.1 पेंशन सलाहाकार समिति

पीएफआरडीए अधिनियम की धारा 45 पेंशन सलाहाकार समिति के गठन की चर्चा करती है, जिसमें कर्मचारियों, संघों, अभिदाताओं तथा वाणिज्य तथा उद्योग, मध्यस्थ इकाईयों तथा पेंशन अनुसंधान में संलग्न संगठन से अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं, जो प्राधिकरण को विनियम बनाने से संबंधी मामलों या उससे संबंधित मामलों पर सलाह दें। संदर्भित वर्ष के दौरान, 12 मार्च 2020 को नई दिल्ली में पेंशन सलाहाकार समिति की 13वी बैठक संपन्न हुई।

12 मार्च 2020 को संपन्न हुई पीएसी की तेरहवीं बैठक में निम्नलिखित एजेंडा मुद्दों पर चर्चा की गई :

तालिका संख्या. 4.1: पीएसी की 13वीं बैठक के दौरान चर्चित एजेंडा विषय

1.	पीएसी की रिपोर्ट– केंद्र सरकार अभिदाताओं के लिए पेंशन निधि 2019 के विकल्पों की शुरूआत के अनुसार विरासत निधियों को स्थानांतरित करने के लिए उप समिति
2.	पीएसी की रिपोर्ट– गैर–प्रदर्शनकारी आस्तियों के प्रावधानीकरण पर उप समिति
3.	पीएफआरडीए (पेंशन निधि) विनियम, 2015 के संशोधनों पर प्रस्ताव
4.	विदेशी और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा कोर्पोरेट के रूप में पंजीकृत होकर अपने भारतीय कर्मचारियों के लिए एनपीएस को अपनाने के प्रस्ताव पर अनुमति
5.	संकलनकर्त्ताओं (पीओपी), जिन्होंने विपंजीकरण के लिए आवेदन किया है, के साथ असंगत अंशदानों का एकबारगी निपटान।

पेंशन सलाहाकार समिति (पीएसी) के गठन के विषय में अनुलग्नक II में सूचना प्रदान की गई है।

4.2 नव निर्मित या संशोधित विनियम

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान विनियामक विकास से संबंधित सूचना निम्नानुसार है:

1. वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान अधिसूचित किए गए नव निर्मित अधिनियम : शून्य

2. विनियमों में संशोधन :

अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान निम्नलिखित संशोधन अधिसूचित किए गए :

तालिका संख्या. 4.2: नव निर्मित या संशोधित विनियम

क्रम सख्या	संशोधन	राजपत्रित अधिसूचना की तिथि
1.	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2019	29 जुलाई 2019
2.	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) (छठा संशोधन) विनियम, 2019	09 सितंबर 2019
3.	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) (पांचवा संशोधन) विनियम, 2019	02 दिसंबर 2019
4.	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020	04 फरवरी 2020

4.3 अभिदाता शिक्षा तथा सुरक्षा निधि के उपयोगीकरण पर समिति का गठन

पीएफआरडीए (अभिदाता शिक्षा तथा सुरक्षा निधि) विनियम 2015 की धारा 6 के अनुसार अभिदाता शिक्षा, जागरूकता एवं सुरक्षा गतिविधियों तथा निधियों के उपयोग पर सलाह देने के लिए 25 मार्च 2019 को एक समिति पुनर्गठित की। यह समिति अभिदाताओं की शिक्षा, जागरूकता और सुरक्षा के लिए निधि के उपयोगीकरण की सिफारिश करेगी।

यह समिति विभिन्न संस्थानों, संघों और संगठनों, जो अभिदाता जागरूकता, शिक्षा और सुरक्षा आदि मामलों से संबंधित क्रियाकलापों में संलग्न हैं, के साथ परियोजनाओं और विकास कदमों की अनुशंसा करेगी।

4.4 पीएफआरडीए में सूचना तकनीक और साइबर सुरक्षा पर स्थायी समिति :

पीएफआरडीए ने सूचना, प्रणाली एवं तकनीक और साइबर सुरक्षा पर अगस्त 2018 में द्रीव तकनीकी परिवर्तन और अभिदाताओं के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वित्तीय क्षेत्र पर उसके प्रभाव पर दृष्टि बनाए रखने के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति का कार्यक्षेत्र सूचना प्रणाली, तकनीक और साइबर सुरक्षा मुद्दों पर सलाह देना, प्रबंधन सूचना प्रणाली(एमआईएस), पर्यवेक्षी और विनियामक मंचों, वित्तीय तकनीकों के नए अवसरों और चुनौतियों को विकसित करना, पीएफआरडीए की साइबर सुरक्षा/प्रणाली/ सूचना सुरक्षा लेखापरीक्षा और एनपीएस संरचना के तहत मध्यस्थ इकाई की प्रक्रियाओं को सुदृढ़ बनाना है।

भाग V

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के संगठनात्मक मुद्दे

5.1 पीएफआरडीए बोर्ड का गठन

पीएफआरडीए अधिनियम की धारा 4 प्राधिकरण के गठन को दर्शाता है, जिसमें सम्मिलित है, पीएफआरडीए अध्यक्ष, 3 पूर्णकालिक सदस्य तथा 3 अंशकालिक सदस्य, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। 31.03.2020 तक के अनुसार, प्राधिकरण का गठन निम्नानुसार है :

(i) अध्यक्ष

श्री सुप्रतिम बंदोपाध्याय प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। वह पीएफआरडीए में अध्यक्ष के रूप में 21 फरवरी 2020 को शामिल हुए। इससे पूर्व, वह 12 मार्च 2018 से 16 जनवरी 2020 तक पीएफआरडीए में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यरत थे। पीएफआरडीए में नियुक्ति से पूर्व, उन्होंने 1985 में एलआईसी में नियुक्ति के बाद लगभग 35 वर्ष बीमा उद्योग में कार्यरत रहें।

(ii) पूर्णकालिक सदस्य

श्री प्रमोद कुमार सिंह, पूर्णकालिक सदस्य (विधि) 03 मार्च 2020 से आज तक

(iii) अंशकालिक सदस्य

1. सुश्री एनी जॉर्ज मैथ्यू (आईए और एस 1988), अपर सचिव (निजी), व्यय विभाग, 12 दिसंबर 2014 से आज तक
2. सुश्री सुजाता चतुर्वेदी (आईएएस 1989), अपर सचिव (स्थापना विभाग प्रमुख), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) 16 जनवरी 2020 से आज तक
3. श्री मदनेश कुमार मिश्रा (आईआरएस 1990), संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, 03 नवंबर 2017 से आज तक

5.2 प्राधिकरण की बैठक

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान प्राधिकरण की आठ बैठकें आयोजित हुई।

तालिका संख्या. 5.1 वित्त वर्ष 2019.20 के दौरान आयोजित प्राधिकरण की बैठकें:

क्र. सं.	प्राधिकरण बैठक	आयोजित की गई
1.	78वीं प्राधिकरणीय बैठक	11 अप्रैल 2019 (गुरूवार)
2.	79वी प्राधिकरणीय बैठक	परिचालन द्वारा
3.	80वी प्राधिकरणीय बैठक	05 जुलाई 2019 (शुक्रवार)
4.	81वी प्राधिकरणीय बैठक	09 अगस्त 2019 (शुक्रवार)
5.	82वी प्राधिकरणीय बैठक	01 अक्टूबर 2019 (मंगलवार)
6.	83वी प्राधिकरणीय बैठक	30 अक्टूबर 2019 (बुधवार)
7.	84वी प्राधिकरणीय बैठक	09 दिसंबर 2019 (सोमवार)
8.	85वी प्राधिकरणीय बैठक	20 मार्च 2020 (शुक्रवार)

5.3 पीएफआरडीए में सदस्य संख्या

31 मार्च, 2020 तक पीएफआरडीए की कर्मचारियों की संख्या सत्तावन (57) है, जिनमें से पचपन (55) अधिकारी संवर्ग में हैं, एक (01) कनिष्ठ सहायक और (01) एक स्टाफ कार ड्राईवर है। सत्तावन अधिकारियों (57) में से 7 अधिकारी वर्तमान में एनपीएस न्यास में नियुक्त हैं और तब तक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एनपीएस न्यास को

रिपोर्ट करते रहेंगे, जब तक कि वहां नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हो जाती।

5.4 पीएफआरडीए में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ और ओबीसी प्रकोष्ठ की स्थापना

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों के कल्याण के लिए सरकारी निर्देशों को लागू करने के लिए पीएफआरडीए में एक प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है एक महाप्रबंधक वर्ग के अधिकारी को अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ पीडब्ल्यूडी के लिए संपर्क अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। इसके अतिरिक्त, पीएफआरडीए में अन्य पिछड़ी जाति के कल्याण के लिए एक अलग प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। एक उप महाप्रबंधक वर्ग के अधिकारी को ओबीसी के लिए संपर्क अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। दोनों प्रकोष्ठों के सदस्य अपने सम्बंधित संपर्क अधिकारी से उनके कल्याणकारी उपायों पर चर्चा करने के लिए तिमाही आधार पर बैठक करेंगे।

5.5 कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए समिति

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार शिकायतें, पूछताछ आदि प्राप्त करने के लिए एक समिति को स्थापित किया गया है और तिमाही आधार पर इसकी बैठक होगी।

5.6 कर्मचारी कल्याण समिति

पीएफआरडीए में कर्मचारियों के कल्याण की विभिन्न गतिविधियों की पहचान और आयोजन करने के लिए एक कर्मचारी कल्याण समिति गठित की गई है। समिति सभी कर्मचारियों के बीच और कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच अच्छे संबंधों को सुरक्षित और संरक्षित करने के उपायों को विकसित करने में मदद करेगी। एक उप महाप्रबंधक वर्ग के अधिकारी को कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है।

5.7 पीएफआरडीए में कर्मचारियों का प्रशिक्षण

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान, पीएफआरडीए द्वारा विभिन्न विषयों जैसे बांड पोर्टफोलियो प्रबंधन, संगठनात्मक नेतृत्व, संगठनों के लिए डिजिटल रूपांतरण, आरक्षण रजिस्टर/ रोस्टर का पुनर्निमाण, प्रबंधन विकास (संप्रेषण कौशल और व्यवहार कौशल, प्रभाव कौशल, नेतृत्व कौशल, समय प्रबंधन और तनाव प्रबंधन), सरकारी खरीद और अनुबंध प्रबंधन पर क्षमता उत्पादन कार्यक्रम, वस्तु और सेवा कर, विकल्प और संरचना उत्पाद, गैर–एसएलआर निवेश को प्रबंधित करना, साइबर सुरक्षा और नीतिगत हैकिंग पर प्रशिक्षण/कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए अधिकारियों को नामित किया गया था।

5.8 राजभाषा का प्रचार

पीएफआरडीए ने भारत सरकार की राजभाषा नीति लागू करने, राजभाषा विनियम 1963 और राजभाषा नियम 1976 का पालन सुनिश्चित करने और पीएफआरडीए में हिंदी को बढावा देने के लिए राजभाषा प्रकोष्ठ का गठन किया है। राजभाषा में प्राप्त सामग्री का उत्तर राजभाषा में ही दिया जाता है। पीएफआरडीए द्वारा तैयार सभी विनियम दो भाषाओं में तैयार किए गए हैं। एनपीएस की बड़ी अभिदाता संख्या में समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल है, इसका ध्यान रखते हुए अंग्रेजी में उपलब्ध सामग्री का अभिदाताओं के लाभ के लिए हिंदी में अनुवाद कराया जा रहा है।

जनसूचना और प्राधिकरण द्वारा विनियमित योजनाओं जैसे एनपीएस और एपीवाई से संबंधित विज्ञापनों का भी हिंदी में अनुवाद किया जाता है। विभिन्न विषयों पर कार्यालय आदेशों को भी द्विभाषी रूप से जारी किया जाता है। सभी मानक मसौदे, मानक प्रपत्र और एमआईएस रिर्पोट को भी राजभाषा में अनूदित कराया जाता है। इसके अतिरिक्त, पीएफआरडीए की योजनाओं से संबंधित और मध्यस्थ इकाईयों द्वारा परिचालित एपलिकेशन (एप) को अभिदाताओं के हितों को ध्यान में रखकर अंग्रेज़ी के साथ–साथ हिंदी संस्करण उपलब्ध कराने के लिए भी निर्देश दिया जाता है।

5.9 सूचना का अधिकार:

पीएफआरडीए में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को क्रियान्वित करने के लिए एक समर्पित प्रकोष्ठ है। यह प्रकोष्ठ सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त किए जाने वाले आवेदनों को संसाधित करता है और केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के अधीन कार्य करता है। जैसा कि आरटीआई अधिनियम के तहत आवश्यक है, पीएफआरडीए ने एक अपीलीय प्राधिकारी (एए) को नामित किया है जिसके पास सीपीआईओ के आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है।

आरटीआई अधिनियम के अनुसार, कोई भी नागरिक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, प्रथम तल, छत्रपति शिवाजी भवन, बी–14/ए, कुतुब संस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली 110016 को पर्याप्त शुल्क के साथ लिखित में उचित आवेदन करते हुए सूचना की मांग कर सकता है और www.pfrda.org.in पर उपलब्ध ऑनलाइन पोर्टल पर आरटीआई आवेदन, 2005 के तहत आरटीआई दर्ज कर सकता है।

वर्ष 2019–20 के दौरान, 31 मार्च, 2020 तक 461 आरटीआई आवेदन और 57 अपील प्राप्त हुई जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत अंशदान के साथ–साथ, व्यक्तिगत खाता खोलने, स्थानान्तरण, एनपीएस के तहत प्रत्याहरण और निकास, एपीवाई योजना आदि के सम्बन्ध में थी। सभी आवेदन और अपील का आरटीआई आवेदन, 2005 के तहत निर्धारित समयसीमा के भीतर उत्तर दिया गया/ निपटाया गया। आरटीआई अधिनियम, की धारा 4 सभी प्राधिकरणों को अपनी वेबसाइट पर अपनी ओर से प्रकटीकरण करने के लिए बाध्य करती है। पीएफआरडीए ने भी अपनी वेबसाइट पर अपनी ओर से सूचना प्रकटीकृत की है। प्रकटीकरण का केंद्रबिंदु पीएफआरडीए की व्यावहारिकता और कार्य पद्धति के स्तर में पारदर्शिता को बढ़ाना है। इस सम्बन्ध में, पीएफआरडीए के विभिन्न कार्यों, शक्तियों और कर्तव्यों एवं उसके अधिकारियों आदि के सम्बन्ध में सूचना पीएफआरडीए की वेबसाइट पर दी गई है। इसके अलावा, पीएफआरडीए अधिनियम, उनके तहत बनाए गए नियम और विनियम, परिपत्र और जारी की गई नियमावली भी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

5.10 संसदीय प्रश्न

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान, पीएफआरडीए को 27 संसदीय प्रश्न प्राप्त हुए जो भारत सरकार द्वारा, विशेष रूप से वित्त मंत्रालय द्वारा भेजे गए थे, जिनमें वृद्धावस्था आय सुरक्षा से सम्बंधित विभिन्न मुद्दों पर एनपीएस और एपीवाई प्रश्न शामिल हैं। पीएफआरडीए ने उत्तर/ उत्तरों के लिए सूचना और सामग्री नियतकालिक समय में प्रस्तुत की है जिससे संसद के प्रश्नों के उत्तर दिए जा सके।

5.11 अन्य गतिविधियां

किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राधिकरण के संसाधनों की चोरी या दुरुपयोग का कोई मामला या उसके अध्यक्ष, सदस्यों या उसके किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या एजेंट द्वारा प्राधिकरण के अधिकारों का दुरुपयोग या उसके किसी भी अधिकारी, कर्मचारियों या एजेंटों द्वारा या पेंशन उद्योग के प्रचार और विकास के बारे में प्राधिकरण के किसी भी निर्णय का उल्लंघन नहीं बताया गया है।

5.12 पीएफआरडीए के खाते

वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष) 2019–20 के दौरान, पीएफआरडीए को अपने प्रशासन संबंधी व्ययों के लिए भारत सरकार से 13.80 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ।

वित्त वर्ष 2015–16 के बजट भाषण में अटल पेंशन योजना (एपीवाई) की घोषणा की गई थी। यह पेंशन योजना 18–40 वर्ष की आयु के सभी नागरिकों के लिए है, जो असंगठित क्षेत्र से संबंधित व्यक्तियों पर केंद्रित है। 18–40 वर्ष की आयु के बीच एनपीएस–लाइट/ स्वावलंबन के तहत सभी अभिदाता अटल पेंशन योजना में स्थानांतरित होने के लिए पात्र हैं। वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान, एपीवाई को सरकारी सह–अंशदान, सेवाप्रदाताओं के लिए प्रोत्साहरन राशि और अन्य प्रचारात्मक गतिविधियों के तहत रु. 338.69 का अनुदान मिला है।

पीएफआरडीए द्वारा 'नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन' (एनसीएफई) के शेयर कैपिटल में योगदान के लिए पीएफआरडीए को भारत सरकार से अनुदान के रूप में 10.00 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे।

प्राधिकरण के खातों के वार्षिक विवरण में पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (लेखो और अभिलेखों की वार्षिक विवरणी प्रारूप) नियम, 2015 के तहत दिनांक 31.03.2020 तक का तुलन पत्र शामिल है और 01.04.2019 से 31.03.2020 तक के लिए अनुसूचियों सहित आय और व्यय खाते और रसीद और भुगतान खाते शामिल हैं।

इन खातों को बोर्ड ने 27.08.2020 को आयोजित अपनी 88 वीं बोर्ड अनुमोदित किया गया था। इनकी पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा संपरीक्षा की गई है।

31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए प्राधिकरण के खातों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक् लेखापरीक्षा रिपोर्ट, और प्राधिकरण की टिप्पणियां अनुसूचियों सहित प्राधिकरण के खातों के प्रमाणित वार्षिक विवरण मे जोड़ी गई हैं, और अनुलग्नक III में रखी गई हैं।

भाग VI

अभिदाताओं के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले क्षेत्र

6.1 अभिदाताओं के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले क्षेत्र निम्नानुसार हैः

- पीएफआरडीए (पीओपी) विनियम, 2018 के तहत एपीवाई के तहत पीओपी के लिए परिचालन दिशानिर्देश जारी नहीं किए गए हैं। एपीवाई अभिदाताओं को समयबद्ध रूप से सेवाएं प्रदान करने के लिए एपीवाई के तहत पीओपी के लिए नियतकालिक समय (टीएटी) निर्धारित किया जाना है। एपीवाई के तहत पीओपी द्वारा सेवाएं प्रदान करने में किसी भी विचलन/देरी के मामले में, अभिदाताओं को पीओपी द्वारा मुआवजे का भुगतान किया जाना चाहिए।
- पीएफआरडीए के पेंशन निधि प्रबंधक के प्रमुख नियामक होने के कारण, सरकार/यूआईडीएआई पीओपी के रूप में काम करने वाले पीएफएम को एनपीएस के तहत नामांकन के लिए आधार के माध्यम से ऑनलाइन प्रमाणीकरण करने के लिए अनुमति देने पर विचार कर सकती है।
- सरकारी नोडल कार्यालयों द्वारा एनपीएस संबंधित गतिविधियों को पूरा करने में देरी चिंता के प्रमुख कारणों में से एक है। प्राधिकरण नियमित रूप से सभी सरकारी नोडल कार्यालयों को उनकी जानकारी दे रहा है और उनसे अपने अंतर्निहित कार्यालयों में एनपीएस के कार्यान्वयन में अनुशासन लाने का आग्रह कर रहा है, ताकि कर्मचारी–अभिदाताओं के हितों की रक्षा की जा सके। हालांकि, पीएफआरडीए अधिनियम 2013 के तहत किसी भी संबंधित विनियम की अनुपस्थिति में, वे पीएफआरडीए के साथ पंजीकृत एक मध्यस्थ की परिभाषा के दायरे से बाहर हैं और इसलिए पीएफआरडीए अधिनियम 2013 की धारा 28 के तहत प्रदान किए गए दंड प्रावधान के बाहर हैं।

6.2 एपीवाई में शामिल होने के लिए 40 साल की आयु सीमा

एनपीएस स्वावलंबन जो आम असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए शुरू की गई थी, अप्रैल 2015 से निष्क्रिय कर दी गई। एनपीएस लाइट/स्वावलंबन योजना के स्थान में एपीवाई को शुरू किया गया है, जो अंतर्निहित अभिदाताओं के लिए गारंटी लाभ प्रदान करती है। एनपीएस लाइट योजना के अभिदाताओं को एपीवाई में स्थानांतरित होने का विकल्प दिया गया है। हालांकि, एपीवाई योजना 40 साल तक की उम्र के अभिदाताओं को शामिल होने की अनुमति देती है। तदनुसार, संभावी अभिदाता जिनकी आयु 40 वर्ष से अधिक है और जो वर्तमान में कार्यरत हैं, अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए असक्षम है। अतः, इन लोगों को योजना उपलब्ध कराने के लिए पात्रता आयु को 40 वर्ष से बढाकर 50 वर्ष तक किया जा सकता है।

6.3 वैधानिक दायित्व, जिनका प्राधिकरण ने पालन नहीं किया है

6.3.1 न्यूनतम आश्वासित रिटर्न योजना (एमएआरएस)

पीएफआरडीए अधिनियम की धारा 20 (2) (d) (b) के तहत, कम से कम आश्वासित रिटर्न मांगने वाले अभिदाता के पास ऐसी निधियों में निवेश करने का विकल्प होगा, जो न्यूनतम आश्वासित रिटर्न प्रदान करती हैं, जैसा भी प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किया जाए। हालांकि, धारा 20 (2) (d) (g) अभिदाताओं द्वारा बाजार से खरीदे जाने वाले बाजार–आधारित गारंटी तंत्र को छोड़कर लाभों का कोई अव्यक्त या सुव्यक्त आश्वासन नहीं होगा।

पेंशन निधियों और अन्य हिस्सेधारकों के परामर्श से, पेश किए जाने वाले आश्वासित रिटर्न की मात्रा (पूंजी संरक्षण या बाजार आधारित रिटर्न), गारंटी प्रदाता और उनकी ऋण शोधन क्षमता आवश्यकताएं, गारंटी शुल्क, लॉकइन अवधि आदि चुनौतियों का सामना करते हुए एक संगत मार्स योजना के निर्माण का प्रयास किया जा रहा है। यह मामला अभी भी जांच के अधीन है और अभी तक इसे अधिसूचित नहीं किया गया है।

भाग VII

प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अधिनियम के तहत अन्य पेंशन योजनाओं के अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए किए गए अन्य उपाय।

7.1 पिछले अनुच्छेदों में वर्णित चरणों के अतिरिक्त, प्राधिकरण द्वारा अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए की गई कुछ अन्य पहल निम्नानुसार है :

1. एनपीएस लाइट अभिदाताओं के लिए ऑनलाइन अंशदान सुविधा ई–एनपीएस लाइट या एनपीएस लाइट अभिदाताओं की सुविधा सुनिश्चित करने और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए, एनएसडीएल–सीआरए ने एनपीएस लाइट अभिदाताओं के लिए ऑनलाइन अंशदान सुविधा 'ई एनपीएस लाइट' को सक्षम किया है। वैध मोबाइल नंबर वाले एनपीएस लाइट अभिदाता, जो अपने खातों में वैध मोबाइल नम्बर के साथ पंजीकृत हैं, (https://enps.nsdl.com/eNPS/InitialExistingUser.html) लिंक पर जा सकते हैं और कष्टमुक्त रूप से अपने एनपीएस लाइट खातों में ऑनलाइन अंशदान कर सकते हैं।

2. केंद्र सरकार के अभिदाताओं के लिए एनपीएस के टियर –1 में पेंशन निधि और निवेश पैटर्न के विकल्प की शुरुआत; सरकारी अधिसूचना पर, पीएफआरडीए ने 8 मई, 2019 को एक परिपत्र जारी किया था, जो केंद्र सरकार के अभिदाताओं के लिए एनपीएस के टियर –1 में पेंशन निधि और निवेश पैटर्न के विकल्प की चर्चा करता है।

3. प्राधिकरण नियमित रूप से एनपीएस न्यास को परिचालन दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित गतिविधियों में देरी के लिए पीओपी द्वारा सूचित विचलन और ऐसे देरी के कारण पीओपी द्वारा अभिदाताओं को मुआवजे के भुगतान की सलाह देता है।

4. पीएफआरडीए (एनपीएस के तहत निकास और प्रत्याहरण) (छठां संशोधन) विनियम की अधिसूचना, 2019: एनपीएस लाइट अभिदाताओं की समय पूर्व निकास को कुछ शर्तों के अधीन सक्षम करना।

5. वित्तीय वर्ष के दौरान सात (07) नई बीमा कंपनियों को वार्षिकी सेवा प्रदाता के रूप में सूचीबद्ध किया गया।

6. जैसा कि पहले खंड में संकेत दिया गया था, अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए पीएफआरडीए द्वारा परिपत्र के रूप में विभिन्न नई पहल की गई थीं और दिशानिर्देश जारी किए गए थे। साथ ही, हितधारकों से प्राप्त आवश्यकताओं और प्रतिक्रिया के आधार पर विनियमों में आवश्यक संशोधन किए गए।

7. राज्य सरकारों को सलाह दी गई थी कि वे अपने कर्मचारियों–अभिदाताओं को एनपीएस के तहत पेंशन निधि और निवेश पैटर्न के लिए विकल्प प्रदान करें, जैसा कि केंद्र सरकार ने अपनी राजपत्रित अधिसूचना दिनांक 31 जनवरी 2019, जिसे डीएफएस द्वारा जारी किया गया, के माध्यम से पहले ही प्रदान कर दिया है।

8. एससीएफ के अनियमित अपलोड वाले केंद्रीय स्वायत्त निकाय (सीएबी)/ राज्य स्वायत्त निकाय (एसएबी) को समय से एनपीएस अंशदान अपलोड और प्रेषण की सलाह दी गई।

9. एनपीएस अभिदाताओं का समय पर पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए नोडल कार्यालयों के सीआरए द्वारा प्रबंधित एनपीएसकैन (एनपीएस कन्ट्रीब्यूशन एकाउंटिंग नेटवर्क) के साथ वित्तीय सॉफ्टवेयर पैकेज के एकीकरण के लिए नोडल

कार्यालयों को ओपीजीएम (ऑनलाइन पीआरएएन जेनरेशन मॉड्यूल) और एसटीएस (सर्वर से सर्वर) को अपनाने के लिए लगातार सलाह दी जाती है।

10. वित्तीय वर्ष के दौरान केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरणों (सीआरए) द्वारा क्रियात्मक्ताओं के नवीनीकरण/अपग्रेड से सम्बंधित विभिन्न परिपत्र जारी किये गए।

11. पीएफआरडीए ने एनपीएस में अभिदाताओं की ऑनबोर्डिंग के लिए थर्डपार्टी क्लाइटं ड्यू डिजीलेंस (केवाईसी) पर निर्भर होने वाले उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी) पर एक परिपत्र जारी किया था – प्राधिकरण ने निर्णय किया है कि एनपीएस में ऑनबोर्डिंग करते समय अभिदाताओं के केवाईसी प्रमाणीकरण के लिए पीओपी थर्ड पार्टी क्लाइंट ड्यू डिजीलेंस (केवाईसी) पर कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए, निर्भर रह सकते हैं, जैसा कि पीएमएल (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) में प्रदान किया गया हो।

12. पीएफआरडीए ने अपने परिपत्र दिनांक 23 सितंबर 2019 के माध्यम से पीओपी द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में अभिदाताओं की ऑनबोर्डिंग के लिए सेबी केआरए के उपयोग की अनुमति दी है।

13. प्राधिकरण ने एनआरआई के समान ही ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में नामांकन की अनुमति दी है।

14. प्राधिकरण ने एनपीएस में ऑनलाइन ऑनबोर्डिंग के लिए डिजिटल हस्ताक्षर और बैंक खाता सत्यापन के लिए 'पेनी ड्रॉप प्रक्रिया' की शुरुआत की है।

15. प्राधिकरण ने एकदिवसीय निधि और उन सभी निधियों में निवेश की अनुमति दी है, जिनकी समय–समय पर सेबी द्वारा अनुमति दी जा सकती है।

16. प्राधिकरण ने एनपीएस योजनाओं और पीएफआरडीए द्वारा प्रशासित अन्य पेंशन योजनाओं के तहत प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन दिशानिर्देशों को संशोधित किया है ताकि हितधारकों को वास्तविक मूल्य दर्शाया जा सके।

17. एक कोविड उपाय के रूप में पीओपी (नियोक्ता/कॉर्पोरेट) को उनके कर्मचारियों द्व ारा उनकी ईमेल आईडी से जमा किये गए एनपीएस अभिदाता पंजीकरण फार्म को अधिकृत करना होगा यदि कुछ शर्तों के अधीन भौतिक प्रमाणीकरण आवश्यक हो, जैसा कि परिपत्र दिनांक 24 मार्च 2020 में उल्लिखित है।

अनुलग्नक ।

पेंशन सलाहाकार समिति का गठन

1. मुख्य महाप्रबंधक, गर्वनमेंट बिजनेस यूनिट, भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली
2. प्रबंधक निदेशक और सीईओ, एनएसडीएल, ई–गर्वनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
3. कार्यकारी निदेशक (रिटेल बैंकिंग), एक्सिस बैंक
4. उपमहालेखा नियंत्रक (तकनीकी सलाह), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी और पूर्णकालिक निदेशक, यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
7. उपाध्यक्ष और प्रमुख अभिरक्षा सेवाएं, स्टॉक होल्डिंग कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
8. श्री दिनेश पंत, नियुक्त एकचुरी लाइफ इंश्योरेंस कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया
9. अध्यक्ष, एनपीएस न्यास
10. निदेशक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, पुणे
11. रेणुका साने, एसोसियेट प्रोफेसर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंश एंड पॉलिसी (एनआईपीएफपी)
12. श्री कुलीन पटेल, वरिष्ठ बीमांकक और निदेशक– क्लांइट अकांउट मैनेजमेंट, टॉवर्स वाटसन, गुडगांव
13. अध्यक्ष, इंस्टीट्यूट एक्चुरीज़ ऑफ इंडिया
14. मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एक्सीक्यूटीव ऑफिसर फिक्सड इनकम मनी मार्किट एंड डेरीवेटीवस एशोसिएशन ऑफ इंडिया
15. उप सचिव (स्थापना II), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
16. निदेशक (लेखा) डाक विभाग, नई दिल्ली
17. श्री राजीव कपूर, कार्यकारी निदेशक– सीआईआई का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्रुप एचआरएम मिंडा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड
18. मुख्य कार्यकारी– भारतीय बैंक एशोसिएशन
19. निदेशक, बजट, भोपाल, मध्यप्रदेश राज्य सरकार

प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य पेंशन सलाहाकार समिति के पदेन अध्यक्ष और पदेन सदस्य होंगे ।

अनुलग्नक II

राज्यानुसार कुल पीओपी–एसपी की संख्या

क्र. सं	राज्य का नाम	2019	2020
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	128	131
2	आंध्रप्रदेश	15,451	15,603
3	अरूणाचल प्रदेश	377	377
4	असम	5,876	5,899
5	बिहार	13,141	13,205
6	चंडीगढ़	513	520
7	छतीसगढ़	4,759	4,854
8	दादरा और नगर हवेली	55	55
9	दमन और दीव	57	60
10	गोवा	887	892
11	गुजरात	13,364	13,633
12	हरियाणा	6,069	6,246
13	हिमाचल प्रदेश	3,123	3,140
14	जम्मू और कश्मीर	2,101	2,119
15	झारखंड	4,174	4,207
16	कर्नाटक	14,743	14,985
17	केरल	10,482	10,686
18	लक्षद्वीप	11	11
19	मध्यप्रदेश	13,132	13,284
20	महाराष्ट्र	24,345	24,768
21	मणिपुर	235	244
22	मेघालय	485	488
23	मिजोरम	221	225
24	नागालैंड	233	238
25	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (नई दिल्ली)	4,375	4,448
26	उड़ीसा	10,444	10,519
27	पुदुच्चेरी	310	314
28	पंजाब	9,678	9,908
29	राजस्थान	10,570	10,710
30	सिक्किम	133	140
31	तमिलनाडु	15,944	16,237
32	तेलंगाना	5,337	5,493
33	त्रिपुरा	635	646
34	उत्तराखंड	2,830	2,875
35	उत्तरप्रदेश	29,405	29,653
36	पश्चिम बंगाल	14,788	14,890
कुल (संपूर्ण भारत)		**2,38,411**	**2,41,703**

अनुलग्नक III

31 मार्च 2020 तक समाप्त हुए वर्श के लिए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के खातों पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा पृथक् लेखापरीक्षा रिपोर्ट

1. हमने 31 मार्च 2020 तक के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19 (2) और उसके साथ पठित पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 42 के तहत पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के उस वर्ष के लिए आय और व्यय खाते एवं प्राप्तियां और भुगतान खाते पर संलग्न तुलनपत्र की लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों के निर्माण की जिम्मेदारी पीएफआरडीए की है, हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है।

2. पृथक् लेखा परीक्षा रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की सर्वोत्तम लेखा प्रथाओं, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों आदि के वर्गीकरण, अनुरूपतानुसार लेखांकन उपचार पर टिप्पणियां शामिल है। कानून, नियम और विनियम (स्वामित्व और नियमितता) और दक्षता–सह–प्रदर्शन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा अवलोकन, यदि कोई हो, तो वह निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अलग से रिपोर्ट किए जाएंगे।

3. भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार हमने अपनी लेखापरीक्षा संपन्न की है। इन मानकों के अनुसार यह आवश्यक है कि हम लेखापरीक्षा को इस प्रकार से नियोजित और संपन्न करें ताकि वित्तीय विवरणों के त्रुटिमुक्त होने का उचित आश्वासन दिया जा सके। लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर जांच, राशियों और वित्तीय वक्तव्यों के प्रकटीकरण का समर्थन करने वाले साक्ष्य शामिल हैं। एक लेखा परीक्षा में उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का आंकलन करने के साथ–साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हम मानते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा, हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती है ।

हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हमने यह रिपोर्ट किया है कि:

(i) हमारी लेखापरीक्षा के लिए हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार, हमने रिपोर्ट में टिप्पणियों के अधीन सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किया है।

(ii) इस रिपोर्ट द्वारा निपटान किए गए तुलनपत्र, आय और व्यय खाते और रसीदें और भुगतान खाते को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (लेखों और अभिलेखों की वार्षिक विवरणी का प्रारूप) नियमों, 2015 में निर्धारित प्रारूप में तैयार किया गया है।

(iii) हमारी राय में, हमारी लेखापरीक्षा में जहां तक ऐसी खाताबहियों से प्रकट होता है, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा खातों और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों के उचित खाता बहियों को बनाए रखा गया है।

(iv) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

अ. तुलनपत्र

अ.1 देयताएं

अ.1.1 निर्धारित और धर्मादा निधियां (अनुसूची –3): रु 2.20 करोड़

उपरोक्त में स्वावलंबन योजना और अटल पेंशन योजना के लिए सरकार से प्राप्त रू.152.40 करोड़ का अनुप्रयुक्त अनुदान शामिल नहीं है।

पीएफआरडीए (लेखों और अभिलेखों की वार्षिक विवरणी का प्रारूप) नियम, 2015 के अनुसार, निर्धारित उद्देश्यों के लिए प्राप्त अनुदान को अनुसूची 3 के तहत निर्धारित/धर्मादा निधि के अधीन प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

इसी प्रकार, सरकार से प्राप्त योजना निधियों को अलग निधियों के रूप में दिखाया जाना चाहिए और किसी अन्य निधियों के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए। जैसा कि स्वावलंबन योजना और अटल पेंशन योजना के लिए प्राप्त अनुदान का उपयोग विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाना था, उन्हें निर्धारित निधियों के तहत दर्शाया जाना चाहिए था। वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान, उसके तहत किए गए भुगतान, वर्ष के अंत में अप्रयुक्त निधियों को केवल संबंधित निधियों के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए।

खातों बहियों में इन अनुदानों का परिणामस्वरूप खातों के विभिन्न शीर्षों में नामतः कॉर्पस /पूंजीगत निधि, आय और व्यय के रूप में गलत चित्रण हुआ है। इस तरह के उपचार के कारण इन खाता शीर्षों पर सटीक प्रभाव की गणना लेखापरीक्षा में नहीं की जा सकती है। हालाँकि, इसके परिणामस्वरूप निर्धारित निधियों में कमी और मौजूदा देनदारियों में रू 152.40 करोड की अधिकता प्रदर्शित हुई है।

31 मार्च 2017, 2018 और 2019 को समाप्त होने वाले वर्षों के लिए पृथक् लेखापरीक्षा रिपोर्ट में बार–बार इंगित किए जाने के बावजूद, पीएफआरडीए ने निर्धारित/धर्मादा निधि' के तहत उपरोक्त अनुदान को एक अलग कोष के रूप में नहीं दर्शाया है।

ख. आय और व्यय खाता

ख.1 ब्याज अर्जित (अनुसूची 17): रु.6.23 करोड

अन्य प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 21): 234.83 करोड़ रुपये

ऊपर सरकारी अनुदान (अटल पेंशन योजना रु. 1.47 करोड़ और स्वावलंबन योजना रु. 0.3 करोड़) पर रू.1.77 करोड़ रुपये शामिल हैं। विशिष्ट उद्देश्यों के लिए प्राप्त अनुदान पर अर्जित ब्याज को आय के रूप में मानने के बजाय 'निर्धारित/धर्मादा निधि' (अनुसूची 3) के तहत अनुदान में जोड़ा जाना चाहिए।

इसके अलावा, अटल पेंशन योजना से संबंधित रू. 209.61 करोड़ रुपये का व्यय अनुदान के माध्यम से कटौती करने के बजाय अन्य प्रशासनिक खर्चों के तहत किया गया है। इसके परिणामस्वरूप आय में रू.1.77 करोड़ रुपये, व्यय में रु 209.61 करोड़ की अधिकता हुई और निर्धारित निधि में रु 207.84 करोड़ की अधिकता हुई है।

ख.2 वर्तमान देयताएं और प्रावधान (अनुसूची 7)

प्रावधानः रु 5.48 करोड़

पीएफआरडीए ने मार्च 2020 के महीने के लिए बिजली शुल्क प्रदान नहीं किया है। परिणामस्वरूप, मौजूदा देनदारियों और प्रावधानों में कमी और व्यय से अधिक आय देखी गई है। हालाँकि, प्रदान किए जाने वाले बिजली शुल्क की मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकी।

ग. अनुदान

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान पीएफआरडीए को रू. 362.49 का अनुदान और रु 1.77 करोड़ का ब्याज मिला। इसकी रु 24. 23 करोड़ की आरंभिक राशि भी थी। पीएफआरडीए ने कुल राशि में से रु 236.09 करोड़ का उपयोग किया, जिसमें रु 152,40 करोड़ का अनपेक्षित शेष है।

घ. लेखापरीक्षा रिपोर्ट में जिन कमियों को शामिल नहीं किया गया है, उन्हें उपचारात्मक/ सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से प्रबंधन के संज्ञान में लाया गया है।

(v) पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में हमारी टिप्पणियों के आधार पर, हम कह सकते हैं कि इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए तुलनपत्र और आय एवं व्यय खाते/ रसीद और भुगतान खाते, खाता बहियों के अनुरूप हैं।

(vi) हमारी राय और हमारी पूर्ण जानकारी के अनुसार और हमें दी गई व्याख्याओं के अनुसार, लेखा नीतियों और खातों पर टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण और ऊपर बताए गए महत्वपूर्ण मामलों और पृथक् लेखा रिपोर्ट के अनुलग्नक में वर्णित अन्य मामलों के अधीन, यह भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

(क) अब तक यह 31 मार्च 2020 तक पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के तुलनपत्र से संबंधित है, और

(ख) यह उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अब तक के आय और व्यय खाते के अधिशेष से संबंधित है।

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण की पृथक् लेखापरीक्षा रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक

क. आंतरिक लेखा प्रणाली की पर्याप्तता

पीएफआरडीए में अप्रैल 2018 में आंतरिक लेखापरीक्षा संवर्ग स्थापित किया गया था। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2019–20 के लिए पीएफआरडीए के खातों की लेखापरीक्षा, पीएफआरडीए द्वारा अनुबंध आधार पर नियुक्त की गई सनदी लेखाकार फर्म द्वारा आयोजित की गई। इसमे प्राप्त परिणामों की चर्चा पीएफआरडीए प्रबंधन से की गई और सीए फर्म के अवलोकनों पर पीएफआरडीए द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट जमा की गई।

ख. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

विशिष्ट कारणों से प्राप्त अनुदान की बुकिंग के संबंध में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है।

ग. अचल आस्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

पीएफआरडीए द्वारा वर्ष के अंत मे अचल आस्तियों का भौतिक सत्यापन आयोजित किया गया और इसमें कोई विसंगति नहीं प्राप्त हुई।

घ. वस्तुसूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

वित्त वर्ष 2019–20 के लिए वस्तुसूचियों को 'शून्य' दर्शाया गया है।

ड. वैधानिक देय राशियों के भुगतान में नियमितता

लेखापरीक्षा में प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार 31.03.2020 तक के अनुसार 6 महीने से कोई वैधानिक बकाया राशि नहीं है।

पृथक् लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर पीएफआरडीए की टिप्पणियां

पृथक् लेखापरीक्षा रिपोर्ट के बिंदु क.1.1 और ख.1 तथा अनुलग्नक के बिंदु ख के लिए

यह उल्लेख करना उपयुक्त है कि पीएफआरडीए (लेखों और अभिलेखों की वार्षिक विवरणी का प्रारूप) नियम, 2015 को, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 42 की उपधारा(1) के साथ पठित धारा 51 की उपधारा (2) के खंड (ज) के तहत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। वार्षिक खातों के प्रपत्र और अनुसूचियां उपर्युक्त नियमों के तहत निर्धारित किए गए हैं, जिनमें स्वावलंबन योजना के अंतर्गत व्ययों को अनुसूची 21 अर्थात् अन्य प्रशासनिक खर्च के तहत दर्शाया गया है। इसी तरह, प्राप्त अनुदान/ सहायकी को अनुसूची 13 (अनुदान /सहायक) के तहत दर्शाया गया है, जो आय और व्यय खाते का हिस्सा है। तदनुसार, स्वावलंबन और एपीवाई योजना के तहत अनुदान और व्यय को पीएफआरडीए की खातों बहियों में आय और व्यय माना गया है। यह उपचारात्मक कार्रवाई उपरोक्त 'नियमों' के अनुसार की गई है :

इसके अतिरिक्त, विशिष्ट कारणों से प्राप्त अनुदान बहियों के संबंध में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर, यह उल्लेख किया जाता है कि पीएफआरडीए ने सरकारी अनुदान के लिए पृथक् अभिलेख, खाता बहियां और बैंक खाते प्रबंधित किए हैं। परिणामस्वरूप, मौजूदा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली उपयुक्त है।

पृथक् लेखापरीक्षा रिपोर्ट के बिंदु ख.2 के लिए

देशभर में लागू कोविड–19 लॉकडाउन के कारण, मार्च 2020 के लिए सामान्य गतिविधियां जैसे समय से बिजली के बिल को जारी करना प्रभावित हुआ और इसे समय से जारी नहीं किया जा सका। इसके अलावा, सरकार द्वारा राष्ट्व्यापी लॉकडाउन पर प्राप्त छूट के बाद वित्त वर्ष 2020–21 की इनवॉयस तिथि के साथ मार्च 2020 और अप्रैल 2020 के लिए एक समेकित बिजली का बिल जारी किया गया और जिस इनवायस पर मार्च 2020 के लिए बिजली के शुल्क की राशि का विशिष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया। जिसके परिणामस्वरूप, मार्च 2020 के लिए बिजली बिल की राशि निर्धारित नहीं की जा सकी है और जिसका नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा में भी समर्थन किया गया है।

प्रपत्र क
(नियम 3 (क) देखें)
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
31 मार्च 2020 तक तुलन पत्र के रुप में

(इकाई–भारतीय रुपया)

देनदारियां	सूची	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष	संपत्ति	सूची	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1. कोश/पूंजी भंडार	1	929,086,573	554,676,869	1. अचल संपत्तियां	8		
				सकल ब्लॉक		24,907,112	23,473,725
2. आरक्षित अधिशेष	2	-	-	कम मूल्यह्रास		16,402,729	14,766,875
3. निर्धारित / धर्मादा निधि	3	21,993,893	20,401,314	कुल ब्लॉक		**8,504,383**	**8,706,849**
4. सुरक्षित ऋण और उधारी	4	-	-	2. निर्धारित/ बंदोबस्ती कोश से निवेश	9	20,922,170	19,323,162
5. असुरक्षित ऋण और उधारी	5	-	-	3 निवेश–अन्य	10	733,888,980	361,840,229
6. आस्थगित ऋण और देनदारियां	6	-	-	4. मौजूदा परिसंपत्ति, ऋण, अग्रिम राशि आदि	11	1,783,631,420	499,006,771
7. मौजूदा देनदारियां और प्रावधान	7	1,595,866,488	313,798,828	5. विविध व्यय (कुछ हद तक नहीं लिखे या समायोजित किए गए)		-	-
कुल		**2,546,946,953**	**888,877,012**	कुल		**2,546,946,953**	**888,877,012**

नोट :–

तुलन पत्र में सभी अनुसूचियां खाते का हिस्सा हैं।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 11/08/2020

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

प्रमोद कुमार सिंह
सदस्य

मदनेश कुमार मिश्रा
सदस्य

एस. बंदोपाध्याय
सदस्य

प्रपत्र ख
(नियम 3 (ख) देखें)
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के लिए आय और व्यय का लेखा–जोखा

(इकाई–भारतीय रुपया)

देनदारियां	सूची	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष	संपत्ति	सूची	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1. स्थापना व्यय	20	165,008,832	194,152,441	1. बिक्री/सेवाओं से आय	12	-	-
2. अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	2,348,259,078	2,243,172,941	2. अनुदान/अनवृत्ति	13	3,624,900,000	1,779,937,800
3. अनुदान सब्सिडी पर व्यय आदि	22	100,128,457	-	3. शुल्क/सदस्यता	14	584,321,253	541,973,514
4. ब्याज	23	8,724	2,943	4. निवेशों से आय (निर्धारित/बंदोबस्ती निधि के हस्तांतरण से निवेश पर आय	15	-	-
5. मूल्यह्रास (वर्ष के अंत में कुल–अनुसूची 8 के तदनुसार)		2,321,441	2,057,488	5. रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	-	-
				6. अर्जित ब्याज	17	62,316,813	43,515,368
				7. अन्य आय	18	262,376	226,525
				8. तैयार माल और काम में प्रगति के शेयर में वृद्धि/(कमी)	19	-	-
कुल		2,615,726,329	2,439,385,812	कुल		4,271,802,442	2,365,653,207
आय का शेष व्यय से अधिक		1,656,076,113	(73,732,605)				
विशेष आरक्षित को स्थानांतरित प्रत्येक निर्दिष्ट करें)		-	-				
सामान्य आरक्षित को/से स्थानांतरित		-	-				
शेष को अधिशेष/घाटा के रूप में कोश /पूंजी निधि में रखा गया		**1,656,076,113**	**(73,732,605)**				
महत्वपूर्ण लेखांकन नीति	24						
आकस्मिक देयताएं और लेखा–जोखा पर नोट्स	25						

नोट :–

आय और व्यय खाते की सभी अनुसूचियां खाते का हिस्सा हैं।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 11/08/2020

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

प्रमोद कुमार सिंह
सदस्य

मदनेश कुमार मिश्रा
सदस्य

एस. बंदोपाध्याय
सदस्य

प्रपत्र ग

(नियम 3 (ग) देखें)

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के लिए प्राप्ति और भुगतान खाता

(इकाई–भारतीय रुपया)

क्र. सं	आवती	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष	क्र. सं	भुगतान	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1.	प्रारंभिक शेष राशि			1.	खर्च		
क.	नकदी	20,000	20,000	(क)	स्थापना पर खर्च	167,188,329	185,595,984
ख.	बैंक बैलेंस			(ख)	प्रशासनिक व्यय	272,022,393	297,344,838
	(i) चालू खातों में	-	-	2.	उपयोग किए गए अनुदान		
	(ii) आवधिक जमा खातों में	-	-	(क)	स्वावलंबन योगदान	(1,224)	181,855,819
	(iii) बैंक जमा खातों में	268,140,459	680,396,800	(ख)	स्वावलंबन पदोन्नति	-	484,000
2.	प्राप्त अनुदान			(ग)	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को अनुदान	-	-
(i)	भारत सरकार से			(घ)	एपीवाई अंशदान	1,073,813,296	814,581,688
	(क) अनुदान सहायता वेतन	138,000,000	126,000,000	(ङ)	एपीवाई संवर्धन एवं विकास	950,018,691	1,094,945,670
	(ख) अनुदान–सहायता–सामान्य	100,000,000	-	(च)	अनुदान की वापसी	128,458	-
	(ग) अनुदान सहायता–स्वावलंबन योगदान	-	100,900,000	(छ)	अन्य (एनसीएफई)	100,000,000	-
	(घ) अनुदान सहायता–स्वावलंबन प्रोत्साहन और विकास गतिविधियां	-	3,037,800	3.	निवेश और जमा राशि		
	(ङ) अनुदान सहायता एपीवाई अंशदान	1,681,400,000	750,000,000	(क)	निर्धारित/धर्मादा निधि से बाहर	1,00,000	2,278,104
	(च) अनुदान सहायता एपीवाई संवर्धन एवं विकास	1,706,500,000	800,000,000	(ख)	स्वयं के धन से बाहर (निवेश – अन्य)	384,206,109	88,300,000
	(छ) अन्य	-	-	4	अचल संपत्तियों और चालू काम पर लगी पूंजी पर व्यय		
(ii)	राज्य सरकार से			(क)	अचल संपत्तियों की खरीद	308,136	441,518
	(क) अनुदान सहायता वेतन	-	-	(ख)	चालू काम पर लगी पूंजी पर व्यय	-	-
	(ख) अनुदान–सहायता–सामान्य	-	-	5	अधिशेष पैसे / ऋणों की वापसी		
	(ग) अनुदान सहायता–स्वावलंबन योगदान	-	-	(क)	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास से वसूली	-	-
	(घ) अनुदान सहायता–स्वावलंबन प्रोत्साहन और विकास गतिविधियां	-					
				(ख)	राज्य सरकार को	-	-
	(ङ) अन्य	-	-	(ग)	धन के अन्य प्रदाताओं को	-	-
(iii)	वित्तीय संस्थाओं से	-	-	6.	वित्त शुल्क (ब्याज)		
3.	निवेश पर आय			(क)	बैंक शुल्क	8,724	2,943
(क)	निर्धारित/बंदोबस्ती धन	6,125	1,225,042	(ख)	अन्य	-	-
(ख)	स्वनिवेश (अन्य निवेश)	-	-	7.	अन्य भुगतान (निर्दिष्ट)		
4.	प्राप्त ब्याज			(क)	प्रीपेड	1,959,412	1,161,179
(क)	बैंक जमाराशियों पर	34,087,965	43,617,399	(ख)	ऋण / उधार कर्मचारियों के लिए	187,480	250,000
(ख)	ऋण, उधार आदि	-	-	(ग)	खर्चों के लिए अग्रिम राशि	41,980,703	48,804,303
(ग)	अन्य (ऋण पर ब्याज)	-	-	(घ)	सुरक्षा जमा	30,000	-
5.	अन्य आय (निर्दिष्ट)			8.	अंतिम शेष		
(क)	वार्षिक शुल्क	567,624,021	442,752,732	(क)	नकद	5,313	20,000
(ख)	विविध सेवाओं से प्राप्त आय	518,000	1,724,501	(ख)	बैंक अतिशेष		
(ग)	विविध आय	66,674	24,634		(i) चालू खातों में		
6	उधार ली गई राशि	-	-		(ii) समय जमा खातों में		
7	कोई भी अन्य रसीद				(iii) बचत बैंक जमा खातों में	1,556,494,648	268,140,459
(क)	सुरक्षा /ईएमडी रसीद	-	-				
(ख)	उधार की वसूली	32,088,379	33,135,430				
(ग)	संपत्ति के हस्तांतरण	41,615	142,145				
(घ)	अभिदाता शिक्षा और संरक्षण निधि	81,338	1,030,423				
(ङ)	अन्य	875,703					
	कुल	4,528,450,478	2,984,006,705		कुल	4,528,450,478	2,984,006,705

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 11 / 08 / 2020

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

प्रमोद कुमार सिंह
सदस्य

मदनेश कुमार मिश्रा
सदस्य

एस. बंदोपाध्याय
सदस्य

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 1

31 मार्च 2020 को तुलन पत्र से जुड़ना और उसका हिस्सा बनना

कोश/पूंजी भंडार

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
शेष राशि वर्ष के आरंभ में	554,676,869	208,966,154
जोड़ें: अप्रयुक्त कोष निधि की शुरुआती शेष राशि	242,336,366	661,779,686
कम: अप्रयुक्त कोष निधि की समापन शेष राशि	1,524,002,776	242,336,366
जोड़ें/ घटाएं: शुद्ध आय व्यय की शेष राशि जो आय और व्यय खाते से स्थानांतरित की गई है	1,656,076,113	(73,732,604)
जोड़ें: सरकार द्वारा प्राप्त होने वाली सरकारी अनुदान/आय और व्यय खाते से स्थानांतरित	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि के रुप में	**929,086,573**	**554,676,869**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 11/08/2020

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

प्रमोद कुमार सिंह
सदस्य

मदनेश कुमार मिश्रा
सदस्य

एस. बंदोपाध्याय
सदस्य

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 2

31 मार्च 2020 को तुलन पत्र से जुड़ना और उसका हिस्सा बनना

भंडार और अधिशेष

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1. पूंजी कोश		
क. वर्ष के आरंभ में	-	-
ख. वर्ष के दौरान जोड़ना	-	-
ग. कमः वर्ष के दौरान कटौती	-	-
2. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित		
क. वर्ष के आरंभ में	-	-
ख. वर्ष के दौरान जोड़ना	-	-
ग. कमः वर्ष के दौरान कटौती	-	-
3. विशेष आरक्षित		
क. वर्ष के आरंभ में	-	-
ख. वर्ष के दौरान जोड़ना	-	-
ग. कमः वर्ष के दौरान कटौती	-	-
4. सामान्य आरक्षित		
क. वर्ष के आरंभ में	-	-
ख. वर्ष के दौरान जोड़ना	-	-
ग. कमः वर्ष के दौरान कटौती	-	-
कुल	-	-

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 11/08/2020

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

प्रमोद कुमार सिंह
सदस्य

मदनेश कुमार मिश्रा
सदस्य

एस. बंदोपाध्याय
सदस्य

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
अनुसूची 3
31 मार्च 2020 को तुलन पत्र से जुड़ना और उसका हिस्सा बनना

धर्मादा/अक्षय निधि

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण	अभिदाता शिक्षा और संरक्षण निधि	
	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1. धन की प्रारंभिक शेष राशि	20,401,314	18,059,540
2. धन में जोड़		
(क) दान/अनुदान	-	-
(ख) धन के खाते में किए निवेश पर आय	1,519,479	1,311,351
(ग) एनपीएस न्यास जुर्माना खाते और एनपीएस न्यास निवेशक जागरुकता खाते में स्थानांतरण	-	-
	81,338	1,030,423
कुल (1+2)	**22,002,131**	**20,401,314**
3. निधियों के उद्देश्यों की दिशा में उपयोग/व्यय		
(क) पूंजीगत व्यय		
i. अचल संपत्तियाँ	-	-
ii. अन्य संपत्तियाँ	-	-
कुल	-	-
ख. राजस्व व्यय		
i. वेतन, मजदूरी और भत्ता आदि	-	-
ii. किराया	-	-
iii. अन्य प्रशासनिक खर्च	8,238	-
ग. अन्य	-	-
कुल (1+2)	**8,238**	-
कुल (3)	**8,238**	-
साल के अंत में शुद्ध बैलेंस (1+2+3)	**21,993,893**	**20,401,314**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 11/08/2020

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

प्रमोद कुमार सिंह
सदस्य

मदनेश कुमार मिश्रा
सदस्य

एस. बंदोपाध्याय
सदस्य

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 4

31 मार्च 2019 को तुलन पत्र से जुड़ना और उसका हिस्सा बनना

सुरक्षित ऋण तथा उधारी

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1. केंद्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकार	-	-
3. वित्तीय संस्थाएं		
i. सावधि ऋण	-	-
ii. अर्जित ब्याज और देय	-	-
4. बैंक		
i. सावधि ऋण	-	-
- अर्जित ब्याज और देय		
ii. अन्य ऋण (निर्दिष्ट)	-	-
- अर्जित ब्याज और देय		
5. अन्य संस्थान	-	-
6. डिबेंचर और बांड	-	-
7. अन्य	-	-
कुल	-	-

नोट: एक वर्ष के भीतर देय राशि–

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 11/08/2020

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

प्रमोद कुमार सिंह
सदस्य

मदनेश कुमार मिश्रा
सदस्य

एस. बंदोपाध्याय
सदस्य

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
अनुसूची 5
31 मार्च 2020 को तुलन पत्र से जुड़ना और उसका हिस्सा बनना

असुरक्षित ऋण तथा उधारी

(इकाई भारतीय रूपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1. केंद्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकार	-	-
3. वित्तीय संस्थाएं	-	-
4. बैंक		
i. सावधि ऋण	-	-
ii. अन्य ऋण (निर्दिष्ट)	-	-
5. अन्य संस्थान	-	-
6. डिबेंचर और बांड	-	-
7. सावधि जमा	-	-
8. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

नोटः एक वर्ष के भीतर देय राशि–

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
अनुसूची 6
31 मार्च 2020 को तुलन पत्र से जुड़ना और उसका हिस्सा बनना

आस्थगित क्रेडिट देनदारियाँ

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1. पूंजी उपकरणों और अन्य आस्तियों की उपप्राधीयन द्वारा सुरक्षित स्वीकृतियां	-	-
2. अन्य	-	-
कुल	-	-

नोटः एक वर्ष के भीतर देय राशि–

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 11/08/2020

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

प्रमोद कुमार सिंह
सदस्य

मदनेश कुमार मिश्रा
सदस्य

एस. बंदोपाध्याय
सदस्य

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 7

31 मार्च 2020 को तुलन पत्र से जुड़ना और उसका हिस्सा बनना

मौजूदा देयताएं और उपबंध

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
मौजूदा देयताएं		
1. स्वीकृतियां	-	-
2. फुटकर लेनदार और देनदारियां	10,520,184	9,461,969
3. उधार प्राप्त	-	-
4. अर्जित ब्याज पर देय नहीं है:		
क. सुरक्षित ऋण/उधारी	-	-
ख. असुरक्षित ऋण/उधारी	-	-
5. वैधानिक देनदारियां		
क. अतिदेय	-	-
ख. अन्य	-	-
6. अन्य चालू देनदारियां		
क. भारत सरकार को देय अप्रयुक्त अनुदान के रुप में	1,524,002,776	242,336,366
ख. अन्य : सुरक्षा जमा	6,581,000	6,646,000
कुल	**1,541,103,959**	**258,444,335**
प्रावधान		
1. कराधान के लिए	884,642	334,545
2. ऐच्छिक दान	20,152,162	20,711,598
3. व्यापार वारंटियां/दावे	-	-
4. संचित छुट्टी नकदीकरण	33,725,725	33,795,764
5. पेंशन अंशदान देय	-	279,151
6. छुट्टी नकदीकरण देय	-	233,435
7. अन्य– विनिर्दिष्ट	-	-
कुल	54,762,529	55,354,493
कुल योग	**1,595,866,488**	**313,798,828**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 11/08/2020

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

प्रमोद कुमार सिंह	मदनेश कुमार मिश्रा	एस. बंदोपाध्याय
सदस्य	सदस्य	सदस्य

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 8

31 मार्च 2020 को तुलन पत्र से जुड़ना और उसका हिस्सा बनना

अचल संपत्ति

(इकाई भारतीय रूपया)

विवरण	कुल संपत्तियां				मूल्यह्रास				कुल ब्लॉक	
	वर्ष के आरंभ में लागत/ मूल्यांकन के रुप में	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में लागत/ मूल्यांकन के रुप में	वर्ष के आरंभ के रुप में	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान कटौती पर	कुल वर्ष के अंत तक	चालू वर्ष के रुप में	पूर्व वर्ष के रुप में
अचल संपत्तियां										
1. भूमि										
क. फ्रीहोल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख. पट्टेदारी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. बिल्डिंग								-		
क. फ्रीहोल्ड जमीन पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख. पट्टेदारी जमीन पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. स्वामित्व फ्लैट/ परिसर जमीन पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ. सुपरस्ट्रक्चर जो किसी इकाई से संबंधित नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. संयंत्र मशीनरी और उपकरण	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. वाहन	1,726,221	-	408,119	1,318,102	900,951	117,499	366,177	652,273	665,829	825,270
5. फर्नीचर तथा अलमारियां	4,254,920	85,329	-	4,340,249	1,914,321	239,076	-	2,153,397	2,186,853	2,340,600
6. कार्यालय उपकरण	6,323,641	368,688	228,877	6,463,452	2,901,748	529,247	67,868	3,343,126	3,120,326	3,421,895
7. कंप्यूटर/ सहायक उपकरण	10,819,057	1,875,393	259,027	12,435,423	8,729,273	1,429,449	231,544	8,927,178	2,508,245	2,089,784
8. विद्युत प्रतिष्ठान	151,908	-	-	151,908	129,711	3,329	-	133,040	18,868	22,197
9. लाइब्रेरी की किताबें	197,977	-	-	197,977	190,874	2,841	-	193,715	4,262	7,103
10. अन्य अचल संपत्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
चालू वर्ष का कुल	**23,473,725**	**2,329,410**	**896,023**	**24,907,112**	**14,766,875**	**2,321,441**	**685,588**	**16,402,729**	**8,504,383**	**8,706,849**
पिछला वर्ष	21,192,797	2,750,232	469,304	23,473,725	12,939,764	2,057,488	230,377	14,766,875	8,706,849	8,253,032
पूंजीकार्य में प्रगति									-	-
कुल									8,504,383	8,706,849

नोटः (ऊपर शामिल संपत्ति की लागत पर किराया खरीद आधार पर दिया जाएगा।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 11/08/2020

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

प्रमोद कुमार सिंह
सदस्य

मदनेश कुमार मिश्रा
सदस्य

एस. बंदोपाध्याय
सदस्य

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
अनुसूची 9
31 मार्च 2020 को तुलन पत्र से जुड़ना और उसका हिस्सा बनना

उद्दिष्ट/धर्मादा निधि में निवेश

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियां	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-
3. शेयर	-	-
4. डिबेंचर और बांड	-	-
5. सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम	-	-
6. सावधि जमा	20,922,170	19,323,162
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	**20,922,170**	**19,323,162**

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
अनुसूची 10
31 मार्च 2020 को तुलन पत्र से जुड़ना और उसका हिस्सा बनना

निवेश–अन्य

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियां	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-
3. शेयर (एनसीएफई की सदस्यता)		-
रू.10 प्रति शेयर के अनुसार 1 करोड़ के इक्विटी शेयर :		
कम : सरकारी अनुदान से किया गया निवेश : 9,99,99,999/–	1.00	
4. डिबेंचर और बांड	-	-
5. सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम	-	-
6. सावधि जमा	733,888,979	361,840,229
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	**733,888,980**	**361,840,229**

अनुसूची 25 का बिंदु संख्या 7 देखें ।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 11/08/2020

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

प्रमोद कुमार सिंह	**मदनेश कुमार मिश्रा**	**एस. बंदोपाध्याय**
सदस्य	सदस्य	सदस्य

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 11

31.03.2020 को तुलन पत्र के भाग के रुप में मौजूदा

परिसंपत्तियां, ऋण और उधार

(इकाई–भारतीय रुपये)

विवरण			वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
(क)	वर्तमान संपत्तियां			
	1.	माल		
		• संचित और अतिरिक्त	-	-
		• शिथिल उपकरण	-	-
		• बिक्री के लिए माल		
		तैयार माल	-	-
		कार्य प्रगति पर है	-	-
		कच्चा माल	-	-
	2.	विविध देनदार:		
		• 6 महीने की अवधि के लिए बकाया ऋण	-	-
		• अन्य	-	-
	3.	नकदी	5,312	20,000
	4.	बैंक बैलेंस		
		क) अनुसूचित बैंकों के साथ		
		• चालू खातों पर	-	-
		• समय जमा खातों पर	-	-
		• बचत बैंक जमा खातों पर	1,556,494,848	268,140,459
		ख) गैर–अनुसूचित बैंकों के साथ		
		• चालू खातों पर	-	-
		• समय जमा खातों पर	-	-
		• बचत बैंक जमा खातों पर	-	-
	5.	डाकघर–बचत खाते	-	-
	6.	अन्य	-	-
		कुल (क)	1,556,499,961	268,160,459
(ख)	ऋण, उधार और अन्य परिसंपत्तियां:			
	1.	ऋण:		
		• स्टॉक	324,000	296,000
		• अन्य संस्था, जो संस्था की उक्त के गतिविधियों/उद्देश्यों में संलग्न है	-	-
		• अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
	2.	उधार और अन्य राशि जो नकद या वस्तु के रुप में या वसूली जाने वाली कीमत के रुप में प्राप्त हो:		
		• पूंजी खाते पर	-	-
		• पूर्वभुगतान (पूर्वदत्त खर्च)	1,959,412	1,181,179
		• सुरक्षा जमा	3,647,500	3,647,500
		• अन्य	7,68,83,466	116,004,339
	3.	आय अर्जित		
		• उदिष्ट और मर्यादा निधि से निवेश पर	935,043	920,897
		• अन्य पर निवेश	29,706,523	9,316,316
		• ऋणों तथा उधारों पर	-	-
		• अन्य (इसमें अधीतन देय राशि रु.____भी शामिल है।)	113,675,514	97,496,282
	4.	प्राप्ति योग्य दावे	-	-
कुल (ख)			227,131,460	230,846,312
कुल योग (क)(ख)			1,783,631,420	499,006,771

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 11/06/2020

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

प्रमोद कुमार सिंह	मदनेश कुमार मिश्रा	एस. बंदोपाध्याय
सदस्य	सदस्य	सदस्य

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 12

01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक तुलन पत्र से जुड़ना और उसका हिस्सा बनना

बिक्री/सेवाओं से आय

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1. बिक्री से आय		
(क) तैयार माल की बिक्री	-	-
(ख) कच्चे माल की बिक्री	-	-
(ग) कबाड़ की बिक्री	-	-
2. सेवाओं से आय		
(क) श्रम और प्रसंस्करण शुल्क	-	-
(ख) व्यवसायिक/परामर्श सेवाएं	-	-
(ग) ऐजेंसी कमीशन और ब्रोकरेज	-	-
(घ) रखरखाव सेवाएं (उपकरण/संपत्ति)	-	-
(ड) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 13

01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक आय तथा व्यय खाते से जुड़ना तथा उसके भाग के रुप में प्रस्तुत होना

अनुदान/अनवृत्ति

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
स्थिर अनुदान/अनवृत्ति		
1. केंद्र सरकार	3,624,900,000	1,779,937,800
2. राज्य सरकार	-	-
3. सरकारी अभिकरण	-	-
4. संस्थान/कल्याणकारी निकाय	-	
5. अंतर्राष्ट्रीय संगठन	-	-
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	3,624,900,000	1,779,937,800

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 11/08/2020

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

प्रमोद कुमार सिंह
सदस्य

मदनेश कुमार मिश्रा
सदस्य

एस. बंदोपाध्याय
सदस्य

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 14

1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक में आय तथा व्यय खाते से जुड़ना तथा उसके भाग के रुप में प्रस्तुत होना

शुल्क / सदस्यता

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1. प्रवेश शुल्क	-	-
2. वार्षिक शुल्क / सदस्यता	583,803,253	540,249,013
3. संगोष्ठी / कार्यक्रम शुल्क	-	-
4. सलाहकारी संस्था का शुल्क	-	-
5. लाइसेंस शुल्क	-	-
6. विविध सेवाओं के लिए शुल्क	518,000	1,724,501
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)		-
कुल	**584,321,253**	**541,973,514**

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 15

1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक में आय तथा व्यय खाते से जुड़ना तथा उसके भाग के रुप में प्रस्तुत होना

निवेश से आय

(उद्दिष्ट और धर्मादा निधियों के निधि में हस्तांतरण से निवेश आय)

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण	निर्धारित धनराशि से निवेश		निवेश–अन्य	
	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
1. ब्याज				
क. सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
ख. अन्य बांड / डिबेंचर्स	-	-	-	-
ग. अन्य	1,519,479	1,311,351	-	-
2. लाभांश				
क. शेयरों पर	-	-	-	-
ख. म्यूचुअल फंड पर	-	-	-	-
ग. अन्य	-	-	-	-
3. किराया	-	-	-	-
4. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
कुल	**1,519,479**	**1,311,351**	-	-
उद्दिष्ट और धर्मादा निधि को हस्तांतरित	1,519,479	1,311,351	-	-
कुल शेष	-	-	-	-

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 11 / 08 / 2020

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

प्रमोद कुमार सिंह	मदनेश कुमार मिश्रा	एस. बंदोपाध्याय
सदस्य	सदस्य	सदस्य

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 16

01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक में आय तथा व्यय खाते से जुड़ना तथा उसके भाग के रुप में प्रस्तुत होना

प्रभुत्व शुल्क, प्रकाशन आदि से आय

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
1. प्रभुत्व शुल्क से आय	-	-
2. प्रकाशन से आय	-	-
3. अन्य (निर्दिष्ट)	-	-
कुल	-	-

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 17

01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक में आय तथा व्यय खाते से जुड़ना तथा उसके भाग के रुप में प्रस्तुत होना

अर्जित ब्याज

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
1. सावधि जमा खातों पर		
क. अनुसूचित बैंकों के साथ	41,581,140	21,030,324
ख. गैर अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
ग. संस्थानों के साथ	-	-
घ. अन्य	-	-
2. बचत बैंक जमा खातों पर		
क. अनुसूचित बैंकों के साथ	20,736,732	22,483,560
ख. गैर अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
ग. डाकघरों के साथ	-	-
घ. अन्य		
3. ऋण पर:		
क. कर्मचारी/स्टॉफ	-	-
ख. अन्य	-	-
4. देनदार तथा अन्य प्राप्तियों पर ब्याज	941	1,484
कुल	**62,318,813**	**43,515,368**
स्रोत पर कर कटौती का संकेत दिया जाए		

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 11/08/2020

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

प्रमोद कुमार सिंह	मदनेश कुमार मिश्रा	एस. बंदोपाध्याय
सदस्य	सदस्य	सदस्य

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 18

01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक में आय तथा व्यय खाते से जुड़ना तथा उसके भाग के रुप में प्रस्तुत होना

अन्य आय

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
1. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ		
(क) स्वामित्व वाली संपत्ति	-	-
(ख) अनुदान से परे या निःशुल्क प्राप्त संपत्ति	-	-
2. निर्यात प्रोत्साहन वसूल	-	-
3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क	-	-
4. विविध आय	262,376	226,525
कुल	**262,376**	**226,525**

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 19

01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक के अंत में आय तथा व्यय खाते से जुड़ना तथा उसके भाग के रुप में प्रस्तुत होना

तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/कमी और काम में प्रगति

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
क) समापन स्टॉक		
– तैयार माल	-	-
– कार्य प्रगति पर	-	-
ख) कम– शुरुआती स्टॉक		
– तैयार माल	-	-
– कार्य प्रगति पर	-	-
कुल वृद्धि/(कमी) (क–ख)	-	-

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 11/08/2020

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

प्रमोद कुमार सिंह
सदस्य

मदनेश कुमार मिश्रा
सदस्य

एस. बंदोपाध्याय
सदस्य

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 20

01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक आय तथा व्यय खाते से जुड़ना तथा उसके भाग के रुप में प्रस्तुत होना

स्थापना व्यय

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
1. वेतन और मजदूरी	133,096,305	1,48,629,812
2. भत्ता और बोनस	-	-
3. भविष्य निधि अंशदान	-	-
4. पेंशन के लिए अंशदान	11,445,200	8,378,168
5. कर्मचारी कल्याण व्यय	-	-
6. कर्मचारी की सेवानिवृत्ति और आवधिक लाभ पर व्यय	-	-
7. छुट्टी का वेतन	10,517,892	29,136,433
8. ट्यूशन शुल्क अदायगी	-	-
9. चिकित्सा अदायगी	2,987,655	2,104,990
10. ग्रेच्युटी योगदान	6,961,580	5,903,037
11. अन्य (विशिष्ट)	-	-
कुल	**165,008,632**	**194,152,441**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 11/08/2020

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

प्रमोद कुमार सिंह
सदस्य

मदनेश कुमार मिश्रा
सदस्य

एस. बंदोपाध्याय
सदस्य

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 21

01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक के अंत में आय तथा व्यय खाते से जुड़ना तथा उसके भाग के रुप में प्रस्तुत होना

अन्य प्रशासनिक व्यय

(इकाई—भारतीय रुपया)

	विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
1.	खरीदारियां	-	-
2.	श्रम और प्रसंस्करण खर्चे	-	-
3.	ढुलाई और आतंरिक परिवहन	-	-
4.	बिजली और पावर	1,440,380	1,620,901
5.	जल शुल्क	298,625	429,465
6.	बीमा	1,143,461	1,806,860
7.	मरम्मत और रखरखाव	7,323,004	6,859,768
8.	उत्पाद शुल्क	-	-
9.	किराया, दरें और कर	73,482,987	71,524,782
10.	चलते वाहन और उनका रखरखाव	13,112,901	15,461,523
11.	डाक, टैलीफोन और संचार के शुल्क	4,290,762	4,603,012
12.	मुद्रण और स्टेशनरी	1,455,288	1,523,073
13.	यात्रा और वाहन खर्चें	10,896,121	8,817,437
14.	सेमिनार/कार्य ाालाएं/बैठकों और सम्मेलनों पर व्यय	18,200,214	12,237,465
15.	सदस्यता खर्च	-	-
16.	फीस और व्यय	-	-
17.	लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक	1,199,441	-
18.	आतिथ्य खर्च	-	-
19.	पेशेवर शुल्क	27,427,085	19,486,772
20.	पुस्तकें और पत्रिकाएं	205,351	182,665
21.	भर्ती खर्च	114,373	244,412
22.	आशोध्य और संदिग्ध ऋण/ उधार के लिए प्रावधान	-	-
23.	संकलनकर्ता के लिए प्रोत्साहन राशि	-	484,000
24.	स्वावलंबन सरकारी अंशदान	(1,224)	181,555,819
25.	एपीवाई सरकारी अंशदान	1,073,813,296	814,581,868
26.	उपस्थिति अस्तित्व के मुद्दे पर प्रोत्साहन राशि	-	-
27.	अप्रतिलभ्य शेष राशि का लेखा जोखा	1,008	311,559
28.	पैकिंग खर्च	-	-
29.	फ्रेट और अग्रेशन खर्च	-	-
30.	वितरण खर्च	-	-
31.	विज्ञापन और प्रचार खर्च	87,790,410	27,103,938
32.	सदस्यता शुल्क	8,850	878,780
33.	कर्मचारी कल्याण	1,006,994	1,201,134
34.	कंसल्टेंसी खर्च	1,100,149	1,968,625
35.	एपीवाई प्रचार	22,860,914	-
36.	एपीवाई के लिए प्रोत्साहन राशि	999,397,810	1,068,945,670
37.	बैठक शुल्क	36,500	30,000
38.	अन्य (वेबसाइट शुल्क खर्च, निधि प्रबंधन शुल्क, कम्प्यूटर सामग्री)	1,677,380	33,994
कुल		2,348,258,076	2,243,172,941

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 11/08/2020

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

प्रमोद कुमार सिंह
सदस्य

मदनेश कुमार मिश्रा
सदस्य

एस. बंदोपाध्याय
सदस्य

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 22

01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक के अंत में आय तथा व्यय खाते से जुड़ना तथा उसके भाग के रुप में प्रस्तुत होना

अनुदान सब्सिडी पर व्यय आदि

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
1. संस्थाओं/संगठनों/राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को दिया गया अनुदान	99,999,999	-
2. संस्थाओं/संगठनों को दी गई सब्सिडी	-	-
3. अन्य (विशिष्ट)	128,458	-
कुल	100,128,457	-

अनुसूची 25 का बिंदु संख्या 7 देखें ।

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 23

31 मार्च 2020 के अंत में आय तथा व्यय खाते से जुड़ना तथा उसके भाग के रुप में प्रस्तुत होना

ब्याज

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
1. निर्धारित ऋणों पर	-	-
2. अन्य ऋणों पर	-	-
3. बैंक के शुल्क	8,724	2,943
4. अन्य (विशिष्ट)	-	-
कुल	8,724	2,943

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 11/08/2020

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

प्रमोद कुमार सिंह	मदनेश कुमार मिश्रा	एस. बंदोपाध्याय
सदस्य	सदस्य	सदस्य

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
अनुसूची 24
31 मार्च 2020 को वर्श की समाप्ति पर खातों के भाग के रुप में

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन और वित्तीय बयान की तैयारी का आधार

प्राधिकरण का वित्तीय लेखा–जोखा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण नियम (लेखा और रिकॉर्ड के वार्षिक विवरण के रुप में), 2015 के अनुसार तैयार किया गया है। भारत सरकार की योजना होने के कारण स्वावलंबन योजना और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के अलावा वित्तीय लेखा–जोखा ऐतिहासिक लागत प्रथा के तहत प्रोद्भवन के आधार पर भुगतान आधार पर बनाया रखा जाता रहा है। वित्त वर्ष 2019–20 के लिए न्यासी बैंक और केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरणों से शुल्क बीमांकिक आधार पर गिना जाएगा।

2. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदान की गणना प्राप्ति के आधार पर की जाती है।

विशिष्ट संपत्ति से संबंधित सरकारी अनुदान को संबंधित परिसंपत्तियों के सकल मूल्य से कटौती के रूप में दिखाया गया है, उनके बुक वैल्यू पर पहुंचने में और संबंधित परिसंपत्तियों को मामूली मूल्य पर तुलनपत्र में दिखाया गया है।

3. अचल संपत्ति

अचल संपत्तियों को उनके करों और अन्य आनुशंगिक अधिग्रहण से संबंधित खर्च सहित मूल लागत के रुप में प्रस्तुत किया जाता है।

4. सेवानिवृत्ति लाभ

कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों अर्थात् अनुदान और छुट्टी नकदीकरण को भारतीय जीवन बीमा निगम से ली गई समूह अनुदान योजना और समूह छुट्टी नकदीकरण के तहत कवर किया गया है

5. मूल्यह्रास

5.1 इसे आयकर अधिनियम 1961 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार नीचे लिखे मूल्य विधि पर प्रदान किया जाता है।

5.2 5000/– या उससे कम की कीमतों की प्रत्येक आस्तियों को राजस्व खर्च के रूप में माना जाता है।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 11/08/2020

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

प्रमोद कुमार सिंह
सदस्य

मदनेश कुमार मिश्रा
सदस्य

एस. बंदोपाध्याय
सदस्य

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
अनुसूची 25
01.04.2019 से 31 मार्च 2020 की अवधि के लिए खातों से जुड़े होने और भाग के रुप में
आकस्मिक देयताएं और खातों में लेखन

1. **आकस्मिक देयताएं**

   प्राधिकरण की 31.03.2020 पर कोई आकस्मिक देयता नहीं है।

2. **वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और उधार**

   मौजूदा परिसंपत्तियों, ऋण और उधार का मूल्य कम से कम तुलनपत्र में दिखाई कुल राशि के बराबर मूल्य का है।

3. **कराधान**

   पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 की धारा 34 के दृश्य में, प्राधिकरण अपने धन, आय लाभ या लाभ के संबंध में संपत्ति कर, आयकर या किसी अन्य कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। तदनुसार, इस तरह का कोई प्रावधान लेखा बहियों में प्रदान नहीं किया गया है।

4. 31.03.2020 तक के अप्रयुक्त सरकारी अनुदान को प्रमुख मौजूदा देनदारियों और प्रावधान के तहत दर्शाया गया।

5. पिछले वर्ष के लिए संबंधित आंकड़ों को जहाँ आवश्यक था, पुनःसमूहीकृत/पुनःप्रबंधित किया गया।

6. अनुसूची 1 से 25 को 31.03.2019 के तुलनपत्र के रुप में एकत्रित किया गया और इसे तुलनपत्र के एक अभिन्न अंग के रूप में प्रस्तुत किया गया और 01.04.2019 से 31.03.20 तक की अवधि के लिए आय और व्यय लेखा के रुप में लिया गया है।

7. पीएफआरडीए ने केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान से राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई) की शेयर पूंजी में रूपये 10 करोड़ का योगदान दिया है। इसलिए, इस निवेश को अनुसूची 10 के तहत रू. 1 के संवैधानिक मूल्य पर दिखाया गया है।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 11/08/2020

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

प्रमोद कुमार सिंह
सदस्य

मदनेश कुमार मिश्रा
सदस्य

एस. बंदोपाध्याय
सदस्य

This Report is in conformity with the format of annual report prescribed in the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Reports, Returns and Statements) Rules, 2015

सुप्रतिम बंदोपाध्याय
अध्यक्ष
Supratim Bandyopadhyay
CHAIRPERSON

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
बी–14/ए, प्रथम तल, छत्रपति शिवाजी भवन,
कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय,
नई दिल्ली–110016
दूरभाष : 91-11-26517095, 45063672
फैक्स : 91-11-26517507
ई–मेल : chairman@pfrda.org.in
वेबसाईट : www.pfrda.org.in

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
B-14/A, First Floor,
Chhatrapati Shivaji Bhawan,
Qutub Institutional Area, Katwaria Sarai
New Delhi-110016
Tel : 91-11-26517095, 45063672
Fax : 91-11-26517507
E-mail : chairman@pfrda.org.in
Website : www.pfrda.org.in

Letter of Transmittal

F.No: PFRDA/09/02/0001/2020-ANNUAL RPT Dept

December 11, 2020

The Secretary,
Department of Financial Services,
Ministry of Finance,
Government of India,
Sansad Marg, Jeevandeep Building
New Delhi – 110 001

Subject: Annual Report of PFRDA FY 2019-20

Sir,

In accordance with the provision of Section 46 (2) of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013, I have pleasure in transmitting copies of the Annual Report of the Pension Fund Regulatory and Development Authority on the working of the Authority for the financial year ended March 31, 2020.

Yours sincerely,

(Supratim Bandyopadhyay)

CONTENTS

Statement of Goal and Objectives		**11**
Objective		**11**
Vision		**11**
Chairman's Message		**13**
Members of the Board		**15**
Senior Management of the Authority		**16**
Abbreviations		**17**
Part I		
Policies & Programmes		20
1.1	General Review of the Global Economic Scenario	20
1.1.1	Inflation	21
1.1.2	Global Commodities Prices	21
1.1.3	Global Financial Environment	21
1.1.4	Bond and Equity Markets	22
1.2	Domestic Economy	23
1.2.1	Macro-Economic Developments in India	23
1.2.2	Inflation	23
1.2.3	Monetary Management	24
1.3	Financial Markets	24
1.3.1	G-Sec Market	24
1.3.2	Corporate Bond Market	25
1.3.3	Equity Market	25
1.4	Review of Global Pension Market	26
1.4.1	Pension fund Assets in the OECD area in 2019	26
1.4.2	Equities Investments in 2019	27
1.5	Major Announcement for NPS in Budget 2020	28
1.6	Indian Demography and Old Age Income Security	28

1.7	Indian Pension Landscape	28
1.8	A Brief on the Review of the Objectives of PFRDA	30
1.9	Intermediaries under NPS	32
1.9.1	Intermediaries and Other Entities Associated with National Pension System and Other Pension Schemes Covered Under the Act	32
1.9.2	Types of Account	34
Part II		
Investment of Funds under NPS		36
2.1	Pension Funds (PFs)	36
2.1.1	Functions of Pension Funds	36
2.1.2	List of Pension Funds (PFs) for Government Sector NPS Schemes	37
2.1.3	List of Pension Funds (PFs) for Private Sector NPS schemes	37
2.2	Schemes	37
2.3	Exposure of Various Schemes Regulated and Administered by PFRDA.	42
2.4	Regulations, Notification, Issuance of Major Circulars / Guidelines w.r.t. Pension Fund	43
2.5	Inspection	44
Part- III		
Functions of the Authority		45
3.1	Registration of Intermediaries And Suspension, Cancellation, etc	45
3.2	Approval of Schemes, the Terms and Conditions Thereof Including Norms for the Management of Corpus of the Pension Funds and Investment Guidelines Under Such Schemes	47
3.3	Exit of Subscribers From the National Pension System	47
3.3.1	PFRDA (Exits & Withdrawals Under NPS) Regulations 2015 and Amendments thereof	47
3.3.2	Partial Withdrawal Under NPS	50
3.4	Activities Undertaken for Protection of Interests of Subscribers under The National Pension System and of Other Pension Schemes under The Act	55
3.5	Mechanism For Redressal of Grievances of Subscribers and Activities Undertaken For Redressal of Such Grievances	55
3.5.1	No. of Complaints Received, Resolved and Pending for FY 2019 -20	56

3.5.2	State-wise Complaints Received for FY 2019 – 20	56
3.6	Certification Programme for Retirement Advisers	57
3.7	Collection of Data By The Authority and The Intermediaries Including Undertaking and Commissioning of Studies, Research and Projects	58
3.8	Steps undertaken For Educating Subscribers and The General Public on Issues Relating to Pension, Retirement Savings and Related Issued and Details of Training of Intermediaries	58
3.8.1	Financial Literacy	58
3.8.2	Programme for Co-ordination with Financial Agencies and Other Agencies	59
3.8.3	NPS Awareness, Communication and Social Media	59
3.8.4	PFRDA on Social Media	60
3.8.5	Public Relation Agency	60
3.8.6	Training	61
3.8.7	NPS and APY Information Helpdesk	61
3.9	Conferences /Meetings and other initiatives undertaken during FY 2019-20	62
3.9.1	Conferences under Central and State Government Sector	62
3.9.2	Steps initiated for smooth implementation of NPS in Government Sector	63
3.9.3	Conferences under Corporate Sector	64
3.9.4	Conferences / Programmes / Meetings under Atal Pension Yojana	64
3.10	Performance of Pension Funds and Performance-Benchmarks	66
3.11	Regulated Assets	69
3.12	Fees and Other Charges Levied or Collected by the Authority During The Financial Year	69
3.13	Information Sought For, Inspections Undertaken, Inquiries Conducted And Investigations Undertaken Including Audit of Intermediaries and Other Entities or Organisations Connected with Pension Funds	71
3.13.1	Inquiries & Investigations	71
3.13.2	Inspection & Audits	71
3.14	Others	73
3.14.1	Subscribers (Category Wise) Covered Under The National Pension System and Other Pension Schemes Under The Act	73
3.14.2	Points of presence	76

3.14.3	Asset under Management Scheme wise	76
3.14.4	The Central Recordkeeping Agency, its Role and Functions	76
3.14.5	Functions of Pension Funds	83
3.14.6	The Trustee Bank	84
3.14.7	The Custodian under the National Pension System	87
3.14.8	The National Pension System Trust	88
3.14.9	Retirement Advisor	90
3.14.10	Other Functions Carried Out by The Authority in the Area of Pensions.	90
PART IV		
4.1	Pension Advisory Committee	91
4.2	Regulations Made or Amended	91
4.3	Constitution of Committee For Utilization of Subscriber Education and Protection Fund	92
4.4	Standing Committee on Information Technology and Cyber Security in PFRDA	92
PART V		
Organizational Matters of the Pension Fund Regulatory and Development Authority		93
5.1	Constitution of PFRDA Board	93
5.2	Meetings of the Authority	93
5.3	Staff Strength in PFRDA	93
5.4	Functioning of SC/ST Cell and OBC Cell in PFRDA	93
5.5	Committee for Prevention of Sexual Harassment at Workplace	94
5.6	Staff Welfare Committee	94
5.7	Training of employees in PFRDA	94
5.8	Promotion of Official Language	94
5.9	Right to Information:	94
5.10	Parliamentary Questions	95
5.11	Other Activities	95
5.12	Accounts of PFRDA	95
PART VI		

Any Critical Area Adversely Affecting The Interest of Subscribers		96
6.1	Some of The Area Affecting the Interest of the Subscribers	96
6.2	Age Limit of 40 Years for Joining APY	96
6.3	Statutory Obligations that the Authority has not Complied	96
6.3.1	Minimum Assured Returns Scheme (MARS)	96
PART VII		
Any other measure taken by the Authority to protect the interest of subscribers to the National Pension System and other pension schemes under the Act		97
7.1	Initiatives taken by the Authority to protect the interest of the subscribers	97
List of Annexure		
Annexure I		
Composition of Pension Advisory Committee		99
Annexure II		
State wise total no. of POP-SPs		100
Annexure III		
Balance Sheet		101

STATEMENT OF GOALS AND OBJECTIVES

Under rule 9(2) (C) of Pension Fund Regulatory and Development Authority (Reports, Returns and Statements) Rules, 2015

OBJECTIVE

The broad objectives of the PFRDA are contained in the Preamble to the PFRDA Act 2013 as under:

"To provide for the establishment of an Authority to promote old age income security by establishing, developing and regulating pension funds, to protect the interest of subscribers to schemes of pension funds and matters connected therewith and incidental thereto."

VISION

To be a model Regulator for promotion and development of an organized pension system to serve the old age income needs of people on a sustainable basis.

Chairman's Message

The world is in the midst of a COVID-19 pandemic. More than one million lives have been lost so far and the toll continues to rise. This unprecedented event has shocked the economies worldwide resulting in the worst contractions in global growth in recent memory. There are however, reasons to be hopeful: greater testing, better treatments, improved recovery rates and the final stage of vaccine trials, have provided strength to our economy. PFRDA has taken several proactive steps to support its NPS/ APY subscribers during this pandemic: be it monetary (permitting to treatment of Covid-19 as one of the purposes for partial withdrawal under NPS and stoppage of auto-debit of APY contributions) or operational ease.

Notwithstanding the headwind from COVID-19 and its negative impact on GDP and consequent volatility in stock market, NPS being regulated and prudentially managed has been able to absorb the shock to a large extent. Going by current indications, we anticipate that the economy will recover at a faster pace in the coming months putting the worst behind us.

The demographic changes in our country prod us to take timely action to tackle the imminent old age issues. As per UN Population Report 2017, India is expected to have 19 per cent of its people over the age of 60 years by 2050, which would be almost double that of the current level of 10 per cent. In such a scenario, they need to have a self-sustained regular stream of income to support their livelihood. Increasing longevity and falling fertility have increased the share of adult population. At the same time, due to changing social and economic moors, the traditional family support system is breaking down in many households, and this is one of the major reasons to aim for a self-reliant income security.

The Authority's vision is to create a sustainable pension system in the country and to provide pension coverage to the all segments of the society. This inspires us to explore and upgrade our products and the effort is to keep them ahead of other long-term investment products available in the market. PFRDA, over the years, has been engaged in developing the pension sector through focus on institution-building, capacity development and enabling framework for innovations in products, schemes and programmes across all stakeholders under the umbrella architecture of the National Pension System (NPS). The larger objective is to improve and expand the adequacy and scope of pension coverage both in the organised and unorganised sectors.

Despite the pandemic, as on 30th September, 2020, a total 374.32 lakh subscribers have been enrolled under NPS (including APY) registering a year-on-year growth of 22.17 per cent, whereas Assets Under Management (AUM) have grown to Rs. 4,94,930 crore, thereby recording year-on-year growth of 33.26 per cent.

Pension being a long-term financial product requires sustained contribution towards one's corpus in the accumulation phase during the working age of an individual. Therefore, it is imperative to start

early for pension. The earlier we start accumulating for pension, the more compounding benefit we reap at maturity. In this context, the task of financial literacy - in matters related to pension, retirement planning/savings along with the overarching mandate of developing the pension sector through various digital/social media and a dedicated website - becomes critical.

It is my pleasure to share this Annual Report of the PFRDA for financial year 2019-20. The Report endeavours to provide major activities and initiatives of the Authority. I am sure this Report will enhance understanding about the functionalities of the pension system in India. We welcome feedback on the Report.

Finally, I wish to reiterate the commitment and dedication of PFRDA to the overarching cause of making India a Pension Society to fulfill its objective of old age income security.

Chairman

Members of the Board

(Appointed under Section 4 of the PFRDA Act, 2013 (Act 23 of 2013))

(i) Chairperson

Shri Supratim Bandyopadhyay, Chairman, PFRDA from February 21, 2020 till date.

(ii) Whole-Time Members

1. Shri Pramod Kumar Singh, Whole Time Member (Law) from March 03, 2020 till date.
2. Dr. Deepak Mohanty, Whole Time Member (Economics) from September 01, 2020 till date.
3. Prof. (Dr.) Manoj Anand, Whole Time Member (Finance) from October 01, 2020 till date.

(iii) Part-Time Members

1. Ms. Annie George Mathew (IA & AS 1988), Additional Secretary (Pers), Department of Expenditure from December 12. 2014 till date.
2. Ms. Sujata Chaturvedi (IAS 1989), Additional Secretary (in-charge of Establishment Division), Department of Personnel & Training (DoPT) from January 16, 2020 till date.
3. Shri Madnesh Kumar Mishra (IRS 1990), Joint Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance from November 03, 2017 till date.

SENIOR MANAGEMENT OF THE AUTHORITY

(As on March 31, 2020)

EXECUTIVE DIRECTOR

Shri Ananta Gopal Das

Shri Praveen Trivedi

CHIEF GENERAL MANAGER

Ms. Mamta Rohit

Ms. Sumeet Kaur Kapoor

Shri Venkateswarlu Peri

Shri Ashish Kumar

GENERAL MANAGER

Shri K. Mohan Gandhi

Shri Pravesh Kumar

Shri Mono Mohon Gogoi Phukon

Shri Akhilesh Kumar (Deployed in NPS Trust)

Shri Vikas Kumar Singh

Shri Sumit Kumar

Shri P. Arumugarangarajan

Chief Vigilance Officer

Shri Satish K. Nagpal

Ombudsman

Shri Arnab Roy

ANNUAL REPORT TEAM

Shri Ashish Kumar, Chief General Manager

Smt. Manju Bhalla, Deputy General Manager

Shri Manish Mani, Manager

Abbreviations

AIF	Alternative Investment Fund
APY	Atal Pension Yojana
APY-SP	APY-Service Provider
ASP	Annuity Service Provider
AUM	Assets under Management
BSE	Bombay Stock Exchange
CAB	Central Autonomous Bodies
CAGR	Compounded Annual Growth Rate
CBO	Corporate Branch Office
CEO	Chief Executive Officer
CG	Central Government
CGMS	Central Grievance Management System
CHO	Corporate Head Office
CISO	Chief Information and Security Officer
COR	Certificate of Registration
CPI	Consumer Price Index
CPIO	Central Public Information Officer
CRA	Central Recordkeeping Agency
CSGL	Constituent Subsidiary General Ledger
DB	Defined Benefit
DDO	Drawing and Disbursing Office
DCCB	District Central Co-operative Bank
DFS	Department of Financial Services
DTA	Directorate of Treasuries and Accounts
DTO	District Treasury Office
EPF	Employee Provident Fund
EPFO	Employees' Provident Fund Organisation
EPS	Employees' Pension Scheme
ERM	Error Rectification Module
FATCA	Foreign Account Tax Compliance Act
FAQ	Frequently asked Question
Fin-Tech	Financial Technology
FRC	Funds Receipt Confirmation
FSDC	Financial Stability and Development Council
FY	Financial Year
GDP	Gross Domestic Product

G-Sec	Government security
IFSC	Indian Financial System Code
IMF	International Monetary Fund
IOS	iPhone Operating System
IPIN	Internet Personal Identification Number
TPIN	Telephonic Personal Identification number
IRDAI	Insurance Regulatory and Development Authority of India
IRF-FC	Inter Regulatory Forum for monitoring Financial Conglomerates
KYC	Know Your Customer
MFI	Micro Finance Institution
MFMG	Macro Financial and Monitoring Group
MIS	Management Information System
Mobile app	Mobile Application
MPC	Monetary Policy Committee
NAV	Net Asset Value
NBFC	Non-Banking Financial Company
NCFE	National Centre for Financial Education
NISM	National Institute of Securities Market
NLAO	NPS Lite Account office
NPCI	National Payments Corporation of India
NPS	National Pension System
NPSCAN	NPS Contribution Accounting Network
NPST	National Pension System Trust
NSDL	National Securities Depository Limited
NSE	National Stock Exchange
OECD	Organization for Economic Cooperation and Development
OMO	Open Market Operations
OPGM	Online PRAN Generation Module
OTP	One Time Password
PAC	Pension Advisory Committee
PAN	Permanent Account Number
PAO	Pay and Accounts Office
PrAO	Principal Accounting Office
PF	Pension Fund
PFM	Pension Fund Manager
PoP	Point of Presence
POP-SE	Point of Presence-Sub Entity

PoP-SP	Point of Presence-Service Provider
PPP	Purchasing Power Parity
PRAN	Permanent Retirement Account Number
QR code	Quick Response code
RA	Retirement Advisor
RBI	Reserve Bank of India
ReBIT	Reserve Bank Information Technology Private Limited
RRB	Regional Rural Bank
RTI	Right to Information
SCF	Subscriber Contribution File
SEBI	Securities and Exchange Board of India
SG	State Government
SHCIL	Stock Holding Corporation of India Ltd
SOT	Statement of Transactions
TB	Trustee Bank
TGFIFL	Technical Group on Financial Inclusion and Financial Literacy
TRAN-ID	Transaction ID
UNFPA	United Nations Population Fund
UOS	Unorganised Sector
WEO	World Economic Outlook
WPI	Wholesale Price Index
WTM	Whole Time Member

Part I

Policies and Programmes

The Preamble to PFRDA Act, 2013 sets out the objective of providing old age income security in India. The National Pension System (NPS) system is designed with a view to having a systemic approach towards designing and implementing a coherent and financially sustainable pension system. The introduction of the NPS in India marked a paradigm shift from defined benefit to defined contribution system. Success of the system depends on several factors such as; regular/consistent savings mechanism, prudential investment guidelines, and judicious draw down during the de-accumulation phase. Further, the pension sector is impacted by the global and domestic developments in the financial sector. On reaching a pivotal point, pension assets impact the economy in different ways by channelising resources to capital markets and infrastructure.

The global and domestic developments are reflected in GDP growth rates, inflation, commodity prices, as well as monetary and fiscal policy responses which in turn impact all segments of financial market, be it equity market, government securities market or bond markets. This part briefly reviews the global and domestic economy before delving into the developments in the global and domestic pension markets.

1.1 Global Economic Scenario

The world economy experienced a significant de-growth in 2020. As per October 2020 World Economic Outlook (WEO) report, Global growth is projected to contract by −4.4 per cent in 2020, a less severe contraction than forecast of -4.9 per cent in the June 2020 WEO update. The revision reflects better than anticipated second quarter GDP outturns, mostly in advanced economies, where activity began to improve sooner than expected after lockdowns. Global growth is projected at 5.2 per cent in 2021, a little lower than in the June 2020 WEO update of 5.4 per cent.

The report suggests that, after the rebound in 2021, global growth is expected to gradually slow to about 3.5 per cent in the medium-term. In 2021 the advanced economy growth rate is projected to strengthen to 3.9 per cent, leaving 2021 GDP for the group some 2 per cent below what it was in 2019. The US economy is projected to contract by 4.3 per cent, before expanding at 3.1 per cent in 2021. A deeper contraction of 8.3 per cent is projected for the Euro area in 2020, reflecting a sharper downturn than in the US in the first half of the year. The growth bounce-back of 5.2 per cent projected for 2021 is accordingly stronger from a lower base. Asian advanced economies are projected to have somewhat more moderate downturns than those of Europe, in light of the more contained pandemic, also reflected in smaller GDP declines during the first half of 2020.

Emerging market and developing economies (EMDEs) are forecast to contract at –3.3 per cent in 2020, 0.2 percentage point weaker than in the June 2020 WEO update, strengthening to 6 per cent in 2021. Prospects for China are however much better than for most other countries in this group. For China, activity normalized faster than expected after most of the country reopened in early April, and second quarter GDP registered a positive surprise on the back of strong policy support and resilient exports For many emerging market and developing economies, excluding China, prospects continue to remain difficult. All emerging market and developing economy regions are expected to contract this year, including notably emerging Asia, where large economies, such as India and Indonesia, continue to try to bring the pandemic under control. Revisions to the forecast are particularly large for India, where GDP contracted much more than expected in the second quarter. As a result, the economy is projected to contract by 10.3 per cent in 2020, before rebounding by 8.8 per cent in 2021. Growth for emerging market and developing economies excluding China is projected at –5.7 per cent for 2020 and 5 per cent for 2021.

1.1.1 Inflation

As per the WEO October 2020 report, inflation in the advanced economy group is projected at 0.8 per cent in 2020, rising to 1.6 per cent in 2021 as the recovery gains hold, and broadly stabilizing thereafter at 1.9 per cent. In the emerging market and developing economy group, inflation is projected at 5 per cent this year, declining to 4.7 per cent next year, and moderating thereafter to 4 per cent over the medium-term, below the historical average for the group. Inflation is expected to remain low in this year.

As with the growth outlook, considerable uncertainty surrounds the inflation projections for the projection horizon. Price pressures could increase, for example, due to the release of pent-up demand as consumers increase spending on items that they had been forced to delay consuming because of lockdowns and restrictions on movement. They could also increase due to higher production costs from persistent supply disruptions. The credibility of monetary policy frameworks can also affect price developments.

1.1.2 Global Commodities Prices

A per WEO report, average petroleum spot prices per barrel are projected at USD 41 in 2020 and USD 43.8 in 2021, higher than in the April and June forecasts. Oil futures curves indicate that prices are expected to rise thereafter toward USD 48, some 25 per cent below the 2019 average. Non-fuel commodity prices are expected to rise faster than assumed in April and June. The projected lower oil price augurs well for India in terms of their impact on inflation and balance of payments.

1.1.3 Global Financial Environment

As per Global Financial Stability Report (GFSR) October 2020, financial conditions have generally continued to ease. The aggressive policy counter measures have played a vital role in supporting sentiment and preventing further amplification of the COVID-19 shock through the financial system. Financial conditions have eased since June for advanced economies and for most emerging market and developing economies, implying a continuing disconnect between financial markets and the real economy that partly reflects the unprecedented policy support. Financial conditions are expected to remain approximately at current levels for both advanced and emerging market economies. The WEO October 2020 baseline global growth forecast of +5.2 per cent for 2021 assumes that continued unprecedented monetary policy accommodation and large fiscal lifelines will keep financial conditions easy and help offset COVID-19–related cash flow pressures on firms and households. While financial conditions have generally eased in emerging markets, external borrowing costs for many countries are still above pre–COVID-19 levels.

Risks to the Outlook

Downside risks remain significant. They broadly include the following:

- **Outbreaks could recur in places-** If the virus resurges, and progress on treatments and vaccines is slower than anticipated or countries' access to them remains unequal, economic activity could be lower than expected, with renewed social distancing and tighter lockdowns. Cross-border spillovers from weaker external demand could further magnify the impact of country- or region-specific shocks on global growth.
- **Premature withdrawal of policy support** or poor targeting of measures because of design and implementation challenges, could lead to the dissolution of otherwise viable and productive economic relationships, exacerbating misallocation.
- **Financial conditions may again tighten, as in March, exposing vulnerabilities-** A sudden stop in new lending (or failure to roll over existing debt) would tip some economies into debt crisis and slow activity further.
- **Liquidity shortfalls and insolvencies-** Deep recessions invariably entail widespread liquidity shortfalls as firms suffer immediate revenue losses. Prolonged liquidity shortfalls can readily translate into bankruptcies and firm closures. However, the aggressive and swift policy counter measures have so far likely prevented

even more widespread bankruptcies. But considering the severity of the recession and the possible withdrawal of some of the emergency support in some countries, the risk of a wider cross-section of firms experiencing deep liquidity shortfalls and bankruptcies is tangible.

1.1.4 Bond and Equity Markets.

While financial assets offer investment opportunities, investors try to diversify their portfolios to minimize the risks. Stocks and bonds are traded globally, so the international market for bond and the equities has significant impact on domestic market and therefore need to be closely tracked.

As per GFSR October 2020, global equity markets have rebounded strongly from pandemic lows, with notable differentiation across countries depending on the spread of the virus, the scope of policy support, and sectoral composition. Equity markets in China and the United States have outperformed other markets, driven by technology stocks notwithstanding the market correction in September 2020.

Further, as per WEO report, equity markets in advanced economies have mostly regained (and in some cases exceeded) their levels from the start of the year, sovereign bond yields are broadly unchanged or have declined further since June (as seen in Italy since the European Union's pandemic recovery package was established and the European Central Bank's pandemic emergency purchase program was expanded), and corporate spreads have dropped further, particularly for high yield credit (benefiting, in the United States, from the Federal Reserve's targeted lending facilities) safe assets (consistent with expectations of central bank policy rates remaining low into the predictable future) and compression of risk premiums.

Equity markets in emerging market and developing economies have also generally firmed up since June (notably in China). Steps to support dollar liquidity (such as central bank swap lines), together with the recovery under way in China, have helped rekindle portfolio flows to some emerging markets after the sharp reversal in March 2020.

Spreads over US Treasury securities, which had begun falling after the Federal Reserve's aggressive actions in March, 2020 to offset tighter financial conditions and dollar liquidity shortages, have continued to compress since June 2020 in line with stronger risk appetite. Sovereign yields in emerging markets have generally declined in recent months. As indicated in the GFSR October 2020, the recovery in portfolio flows is uneven, with some countries continuing to experience large outflows.

Chart 1.1 Advanced Economy Government Bond Yields (Per cent)

Yields collapsed initially on the back of lower-term premiums and expectations of central bank response.

Source: GFSR report, April, 2020

1.2 Domestic Economy

1.2.1 Macro-Economic Developments in India

As per RBI (reference MPC Report, October 2020), on the domestic front, high frequency indicators suggest that economic activity was stabilising in Q2:2020-21 after the 23.9 per cent year-on-year (y-o-y) decline in real GDP in Q1 (April-June). Supported by government spending and rural demand, manufacturing – especially consumer non-durables – and some categories of services, such as passenger vehicles and railway freight, have gradually recovered in Q2. The outlook for agriculture is robust. With merchandise exports slowly catching up to pre-COVID levels and some moderation in the pace of contraction of imports, the trade deficit widened marginally sequentially in Q2. High frequency advance indicates that recovery could take hold in Q3 (October -December 2020), GDP growth is projected at -9.5 per cent in 2020-21 with risk lifted to downside.

Domestic financial conditions have eased substantially, with systemic liquidity remaining in large surplus. Reserve money increased by 13.5 per cent on a year-on-year basis (as on October 2, 2020), driven by a surge in currency demand (21.5 per cent). Growth in money supply (M3), however, was contained at 12.2 per cent as on September 25, 2020. Banks' non-food credit growth remains subdued. India's foreign exchange reserves stood at USD 545.6 billion on October 2, 2020.

1.2.2 Inflation

Headline CPI inflation had remained below target in 2019-20(till October 2019). Headline CPI breached the upper tolerance band of the target in December 2019 and peaked in January 2020, before subsiding prices of vegetables, fruits and petroleum products produced a downward shift of 100 bps in February 2020. Again, Headline CPI inflation breached the upper tolerance band of the target during June-August 2020, propelled by a broad-based propagation of strong upside pressure. Supply chain disruptions and higher taxes on petroleum products and other items imparted these upward pressures on inflation in spite of muted demand conditions. RBI expects CPI inflation to gradually moderate from 5.4-4.5 per cent in H2:2020-21 to 4.3 per cent in Q1:2021-22.

Chart 1.2: Inflation rate CPI & WPI

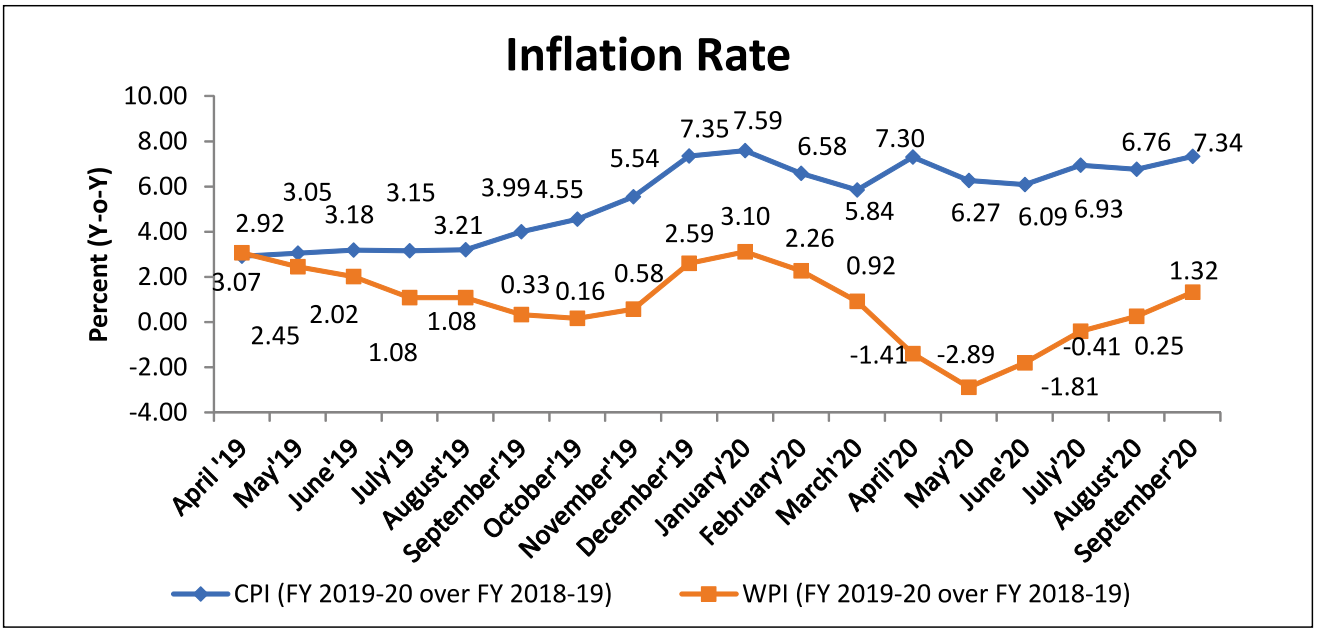

Souce: PIB and MoSPI

1.2.3 Monetary Management

In the First Bi-monthly Monetary Policy Statement for 2019-20, the MPC decided to reduce policy repo rate to 6.0 per cent from 6.25. Based on an assessment of the current and evolving macroeconomic situation, the Monetary Policy Committee (MPC) in the Second Bi-Monthly Policy decreased the policy repo rate by 25 basis points (bps) while in the Third Monthly Policy by 35 basis points to 5.40 per cent. The policy rates remained unchanged in the Fourth, Fifth and Sixth Bi-monthly Monetary Policy Statements to continue with the "accommodative" stance as long as it is necessary to revive growth, while ensuring that inflation remains within the target. In view of the COVID-19 pandemic, the Monetary Policy Committee (MPC) decided to advance its First Bi-Monthly meeting for FY 2020-21. MPC had reduced the policy repo rate by 40 bps to 4.0 per cent for 2020-21, which was kept unchanged in its Second Bimonthly meeting for 2020-21.

Chart 1.3: Movement in the repo rate during FY 2018-19 and FY 2019-20 is presented below:

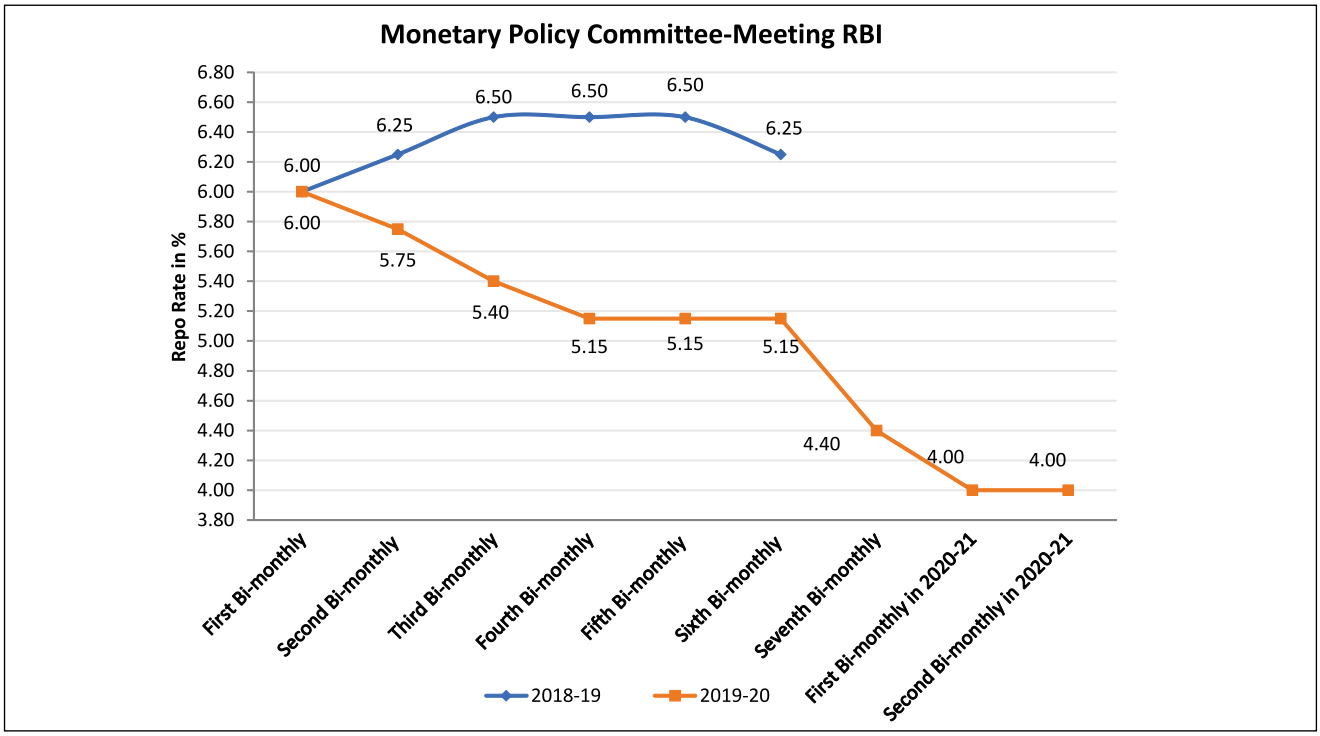

Source: MPC Report RBI.

1.3 Financial Markets

India has a diversified financial sector undergoing rapid expansion, both in terms of growth of existing financial services firms and new entities entering the market. The sector comprises commercial banks, non-banking financial companies, co-operatives, insurance companies, pension funds, mutual funds and other smaller financial entities.

1.3.1 G-Sec Market

As per monetary policy report of RBI, G-sec yields traded with a softening bias in Q1:2019-20. Yields aided by infusion of liquidity through open market operation (OMO) purchases and lower crude oil prices. Overall, the benchmark yield softened by 65 bps during H1:2019-20, closing at 6.70 per cent on September 30, 2019. In early-March, 2020 yields started with a softening bias, however, hardened thereafter due to (i) crude prices firming up in the wake of the US pledging fiscal stimulus to arrest the pandemic; (ii) a sharp depreciation of the INR triggered by COVID-19 driven panic sales by FPIs; and (iii) fears of global recession triggering a shortfall in global dollar liquidity. Further, injecting Rs. 40,000 crore through three open market operation (OMO)

purchase auctions on March 20, 24 and 26, 2020; injecting Rs. 77,745 crore through two fine-tuning variable rate 16-day repos on March 23 and 24, 2020; and injecting Rs. 11,772 crore through one fine-tuning variable rate repo auction of 12-days maturity on March 26. These liquidity measures helped flatten yields in those parts of the financial system where fire-sales have pushed up credit spreads. G-Sec yields have remained contained during 2020-21 so far, with 10-year G-Sec bench mark yield at 5.91 per cent in the end of October 2020.

Chart 1.4: 10 Year G-Sec Bond Yield (Per cent)

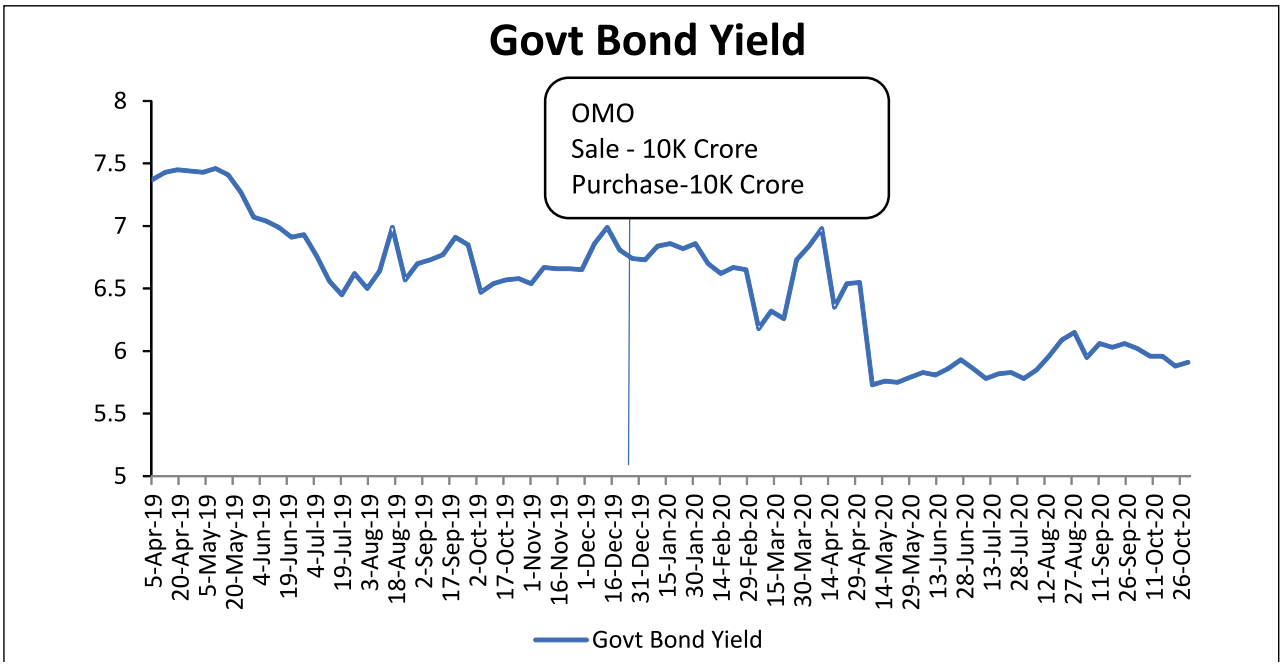

Data Source: RBI report.

1.3.2 Corporate Bond Market

As per RBI (MPC) report, Corporate bond yields eased sharply during H1:2019- 20, largely tracking G-sec yields and reflecting transmission of policy repo rate cuts. During this period, 5-year AAA corporate bond yields softened by 66 basis points – from 8.10 per cent at end-March 2019 to 7.44 per cent at end- September 2019.

Corporate bond yields eased further during H2:2019-20, largely tracking G-sec yields and reflecting surplus systemic liquidity conditions. AAA 5-year corporate bond yields softened from 7.44 per cent at end-September 2019 to 7.02 per cent at end-March 2020. Overall, AAA 5-year yields moderated by 108 bps during 2019-20, reflecting the transmission of monetary policy actions to the corporate bond market and the impact of special OMOs and LTRO auctions during December 2019 - March 2020. The risk premia on bonds (5-year AAA corporate bonds over 5-year G-sec) issued by public sector undertakings (PSUs), financial institutions (FIs) and banks reduced by 26 bps while those issued by NBFCs reduced by 14 bps.

The corporate bond market, which experienced severe stress during March-April 2020 after the outbreak of COVID-19, regained normalcy during the rest of H1:2020-21 with decadal low yields, record primary market issuances and increased secondary market turnover. During H1:2020-21, yields on AAA-rated 3-year bonds issued by NBFCs; corporates; and public sector undertakings (PSUs), financial institutions (FIs) and banks moderated significantly – by 157 bps, 170 bps and 114 bps, respectively – aided by surplus liquidity conditions, targeted long-term repo operations (TLTROs) and "operation twist" auctions.

1.3.3 Equity Market

The equity market in India, had made sizable gains till mid-January 2020, before recording a

sharp decline in the remaining part of 2019-20 due to the deteriorating global equity market sentiment due to COVID-19. The benchmark index of Bombay Stock Exchange (BSE), closed at 29,468.49 on March 31, 2020, witnessing a decline of 23.67 per cent from its closing value of 38,673 as on March 31, 2019. During this period, S&P BSE Sensitivity Index touched its highest level of 41,952.63 on January 14, 2020 and lowest of 25,981.24 on March 23, 2020. Further, Nifty 50, the benchmark index of National Stock. Exchange (NSE) closed at 8,281.1 on March 31, 2020, witnessing decline of 15.70 per cent from its closing value of 10,114 as on March 31, 2019. During the period Nifty 50 touched its highest level of 12,362.3 on January 14, 2020 and its lowest level of 7,610.25 on March 23, 2020.

As per RBI report, during H2 2019:20, while MFs were net buyers to the tune of Rs. 38,989 crore (up to March 30), FPIs were net sellers at Rs. 5,599 crore in the Indian equity markets, in particular, sold heavily with net sales amounting to Rs. 62,433 crore in March 2020.

The performance of the bench mark index of BSE during FY 2020-21 remained on the recovery path and closed at 39614.07 point by end of October 2020 while Nifty 50, closed at 11678.45 by end of October, 2020.

Chart 1.5: Sensex and Nifty Movement

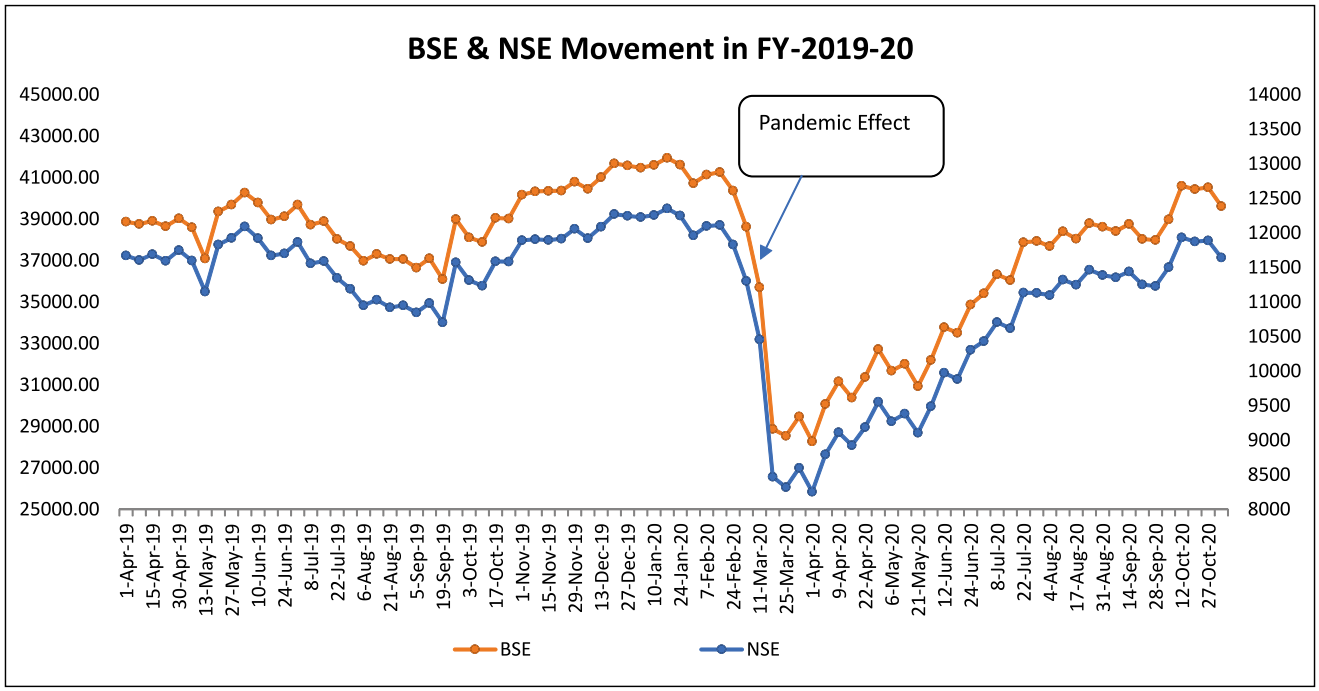

Data Source: BSE/NSE website

1.4 Review of Global Pension Markets

1.4.1 Pension fund Assets in the OECD Area in 2019

Preliminary data for 2019 show that pension funds held USD 32.3 trillion in the OECD area and USD 0.7 trillion in 29 other reporting jurisdictions. The United States exhibited the largest amount of assets in pension funds at end 2019 (USD 18.8 trillion), followed by the United Kingdom (USD 3.6 trillion), Australia (USD 1.8 trillion), the Netherlands (USD 1.7 trillion), Canada (USD 1.5 trillion), Japan (USD 1.4 trillion) and Switzerland (USD 1.0 trillion). These seven countries held over 90 per cent of all pension fund assets in the OECD area.

The amount of assets in pension funds soared in 2019, following a decline in 2018, growing by 13.9 per cent in the OECD area and by 11.3 per cent in other reporting jurisdictions.

All reporting countries except Poland and Ukraine showed increase. The largest increase occurred in Armenia (58.2 per cent) and Turkey (37.3 per cent) , which introduced recently mandatory private pension arrangements (2014 in Armenia)

or automatic-enrollment programmes (2017 in Turkey). These plans are in an accrual phase as they gain contributing members while none or few have yet to receive benefits. The Polish Financial Supervision Authority explains that one of the reasons for the decline in pension fund assets was a negative cash flow resulting from gradual transfers of assets of members before retirement to the Social Insurance Institute.

Assets in pension funds exceeded the size of the domestic economy in five countries:

Australia (132 per cent), Iceland (167.6 per cent), the Netherlands (191.4 per cent), Switzerland (141.1 per cent) and the United Kingdom (123.3 per cent) . By contrast, pension fund assets were below 20 per cent of GDP in 44 out of 66 reporting jurisdictions.

Chart 1.6: Real investment rates of return of pension funds, Dec 2018 - Dec 2019

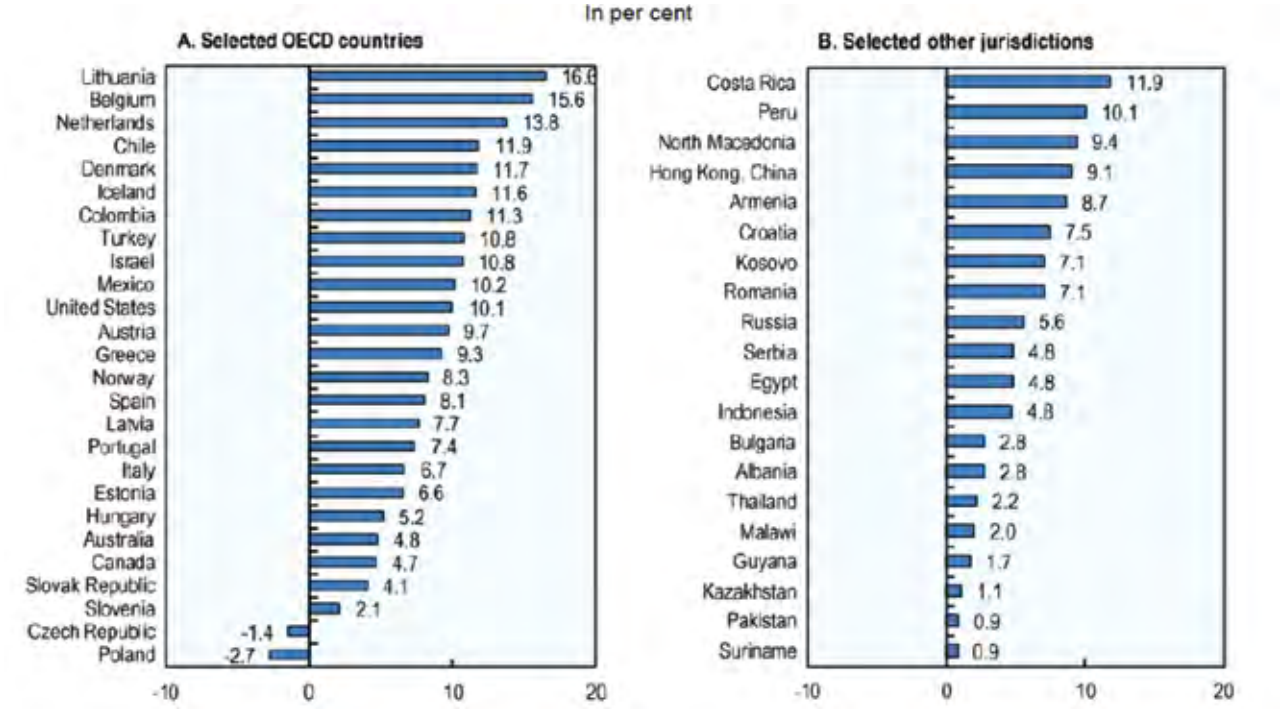

Data Source: OECD Report (PMF 2019)

The strong investment performance in 2019 is probably the result of recovering financial markets, bouncing back after heavy losses in the last quarter of 2018. Major stock market indices recorded higher levels at the end of 2019 than at the end of 2018 (e.g. plus 25 per cent for the FTSE 250, plus 26.5 per cent for the DAX and plus 28.9 per cent for the S&P 500 according to the Market Data-Centre of the Wall Street Journal).

Pension funds in only two countries did not achieve a positive investment performance: the Czech Republic (-1.4 per cent) and Poland (-2.7 per cent). Pension funds in the Czech Republic have a conservative investment strategy that yielded a nominal investment rate of return (1.7 per cent) below inflation (3.2 per cent). The poor performance of Polish domestic equities in 2019 may partly explain the negative performance of Polish pension funds.

1.4.2 Equities Investments in 2019

As per the OECD report, pension funds were mostly invested in equities and bonds at the end of 2019. Pension funds held more 75 per cent of their portfolios in equities and bonds in 16 out of 36 reporting OECD countries and in 17 out of 28 other reporting jurisdictions. Pension funds invested in these instruments directly or indirectly through collective investment schemes (CIS).

Equities represented over 50 per cent of pension fund investments at the end of 2019 in two OECD countries (Lithuania and Poland) and three non-OECD jurisdictions Hong Kong (China), Malawi and Namibia.

Bonds accounted for more than half of the investments of pension funds in 18 OECD countries, and 16 out of 28 reporting non-OECD

jurisdictions. Countries where pension funds invested the most in bonds in 2019 include Albania (94.8 per cent), Costa Rica (84.5 per cent) , Kazakhstan (85.5 per cent) , Mexico (81.1 per cent) and Serbia (80.9 per cent) .

1.5 Major Announcement for NPS in Budget 2020

The following announcements were made in the budget 2020 relating to NPS:

(i) To help easy mobility while in jobs, the Universal Pension coverage with auto enrollment is to be infused to place such mechanisms which can enable inter-operability and provide safeguards for the accumulated corpus.

(ii) In order to strengthen the regulating role of PFRDA necessary amendments would be carried out in Pension Fund Regulatory Development Authority Act that will also facilitate separation of NPS trust for government employees from PFRDA. This would also enable establishment of a pension trust by the employees other than Government and will motivate citizens to plan for their old age.

(iii) Limit on exemption of employer's contribution to certain funds: It is proposed to put an upper cap of Rs. 750,000 in a year on tax exempt employer's contribution in recognized provident fund, superannuation fund and NPS in the accounts of an employee.

1.6 Indian Demography and Old Age Income Security

Due to rising and unsustainable pension liabilities, in keeping with the global practices and after deep deliberations on the issue, government made a conscious move to shift from the defined benefit pension scheme to the defined contribution pension scheme. The New Pension Scheme, now renamed as National Pension System (NPS) was introduced by the Government through a notification No. 5/7/2003-ECB & PR dated December 22, 2003 and it was made mandatory for Central Government employees (except armed forces) who join service w.e.f. January 1, 2004.

The NPS, which was introduced initially for the Central government subscribers, has now been adopted by all the state governments except West Bengal, and most of the Central and State autonomous bodies. NPS has also been extended to the private and unorganized sector on voluntary basis from May 2009.

Government of India vide notification dated January 31, 2019 has notified the increase in its contribution to central government employees NPS accounts from 10 per cent to 14 per cent with effect from April 1, 2019.As per the notification, "The monthly contribution would be 10 per cent of the Basic Pay plus Dearness Allowance (DA) to be paid by the employee and 14 per cent of the Basic Pay plus DA by the Central Government". Greater freedom in choosing pension funds and pattern of investment to central government employees has also been notified along with compensation for non/delayed deposit of NPS contribution.

1.7 Indian Pension Landscape

The landscape of Indian pension system includes non-contributory social pension schemes financed by the government to provide minimum level of protection like National Social Assistance Programme (NSAP), mandatory defined benefit pension scheme on pay-as-you-go basis like Civil Service Pension for employees who joined service before 2004, Employees' Provident Fund (EPF) and Employees' Pension Scheme(EPS) under the EPFO, other statutory provident funds like Coal Mines, Seamen's and Assam Tea Plantations schemes; the National Pension System (NPS) for the Central Government employees joining on or after January 1, 2004 on mandatory basis, employees of those State Governments who have joined NPS, NPS for all citizens on voluntary basis covering both employees and self-employed including those in the unorganised sector, Public Provident Fund, retirement and superannuation plans offered by insurance companies and mutual funds.

The fiscal stress of the defined benefit pension system was the major factor driving pension reforms for government employees and introduction of NPS for government employees. Owing to the financial and practical difficulties

of extending coverage to the unorganised sector through the mandatory scheme like EPF (specially for organized sector workers), voluntary retirement savings are seen as an important policy tool to extend the coverage of pension provision in India. The important policy measure to achieve a higher coverage of the unorganised sector workers under the pension system is the extension of the NPS, which is a financially self-sufficient, low cost and efficient system.

NPS introduced earlier for the government sector has also been extended to other segments, such as, autonomous bodies, state governments and unorganised sector. NPS has been adopted resoundingly by the state governments. Twenty-nine state governments and Union Territories have notified adoption of NPS for their new employees. To encourage people from the unorganised sector to voluntarily save for their old age, government had launched the co contribution scheme – NPS Lite/Swavlamban scheme in September, 2010, subsequently, Atal Pension Yojana (APY) was launched on May 9, 2015 by the Prime Minister and the Scheme is being implemented with effect from June 1, 2015 with the focus on unorganized sector. The Subscribers under APY shall get a Government guaranteed pension of Rs. 1000, Rs. 2000, Rs. 3000, Rs. 4000 or Rs. 5000 depending upon the contribution level opted by them.The number of subscribers and Assets under Management under NPS are given in table below**:**

Table no 1.1: Number of Subscribers under NPS/APY

(As on September 30, 2020)

(Y-o-Y growth)

Sector	No. of subscribers (In Lakh) (as on March 31, 2019)	No. of subscribers (In Lakh) (as on September 31, 2019)	No. of subscribers (In Lakh) (as on March 31, 2020)	No. of subscribers (In Lakh) (as on September 31, 2020)	Growth (%) (March 2020 over March 2019) Y-o-Y	Growth (%) (September 2020 over September 2019) (Y-o-Y)
Central Government	19.85	20.26	21.02	21.30	5.89	5.13
State Government	43.21	45.51	47.54	48.97	10.02	7.60
Corporate	8.03	8.77	9.74	10.46	21.24	19.33
All Citizen Model	9.30	10.24	12.52	13.58	34.62	32.62
NPS Lite	43.63	43.40	43.32	43.17	-	-
APY	149.53	178.21	211.42	236.85	41.39	32.90
Grand Total	**273.55**	**306.39**	**345.55**	**374.32**	**26.32**	**22.17**

Source: NPST & CRA Report

As on March 31, 2020, a total of 345.55 lakh members/ subscribers have been enrolled under the NPS and APY and recorded a year on year growth of 26.32 per cent. These figures as on September 30, 2020, has grown to a total of 374.32 lakh for number of subscribers, recording a year on year growth of 22.17 per cent.

APY, a defined benefit pension scheme had 211.42 lakh subscribers as on March 31, 2020 with year on year growth of 32.90 per cent to 236.85 lakh as on September 30, 2020.

As on end of March, 20, 403 banks are registered as APY – Service Providers which include Public Sector Banks, Private Banks, Foreign Banks, Regional Rural Banks, District Commercial Banks, Schedule Commercial Banks, Urban Commercial Banks, Payment Banks, Small Finance Bank and Department of Post.

Table 1.2: Assets under Management under NPS/APY

(As on September 30, 2020)

(Y-o-Y growth)

Sector	AUM (Rs. Crore) (as on March 31, 2019)	AUM (Rs. Crore) (as on September 30, 2019)	AUM (Rs. Crore) (as on March 31, 2020)	AUM (Rs. Crore) (as on September 30, 2020)	Growth (%) AUM (March 2020 over 2019) (Y-o-Y)	Growth (%) AUM (September 2020 over 2019) (Y-o-Y)
Central Government	1,09,010	124,703	1,38,046	160,606	26.64	28.79
State Government	1,58,491	186,849	2,11,023	250,260	33.15	33.94
Corporate	30,875	3,631	41,231	50,730	33.54	39.60
All Citizen Model	9,569	8,743	12,924	16,224	35.06	45.81
NPS Lite	3,409	36,340	3,729	4,068	9.39	12.04
APY	6,860	11,127	10,526	13,042	53.44	49.17
Grand Total	**318,214**	**371,393**	**417,479**	**494,930**	**31.19**	**33.26**

Assets under Management which includes the returns on the corpus, under the NPS and APY have witnessed an increase from Rs. 318,214 crore as on March 31, 2019 to Rs. 417,479 crore as on March 31, 2020, registering an year on year increase of 31.19 per cent. The corpus under NPS/ APY have further grown to Rs 494,930 crore by the end of September 2020, recording a year on year growth of 33.26 per cent.

Government support to these schemes in the form of tax benefits and guarantee for APY increases the appeal of these schemes. However, considering the vast uncovered population of the country a lot more needs to be done. The major challenge in extending the NPS to all citizens is increasing the awareness and financial literacy among potential subscribers. PFRDA has been taking several steps to increase the awareness through different mass media and capacity building programmes. Further, to ensure dissemination of NPS awareness, PFRDA has aggressively undertaken promotional and developmental activities by engaging dedicated agency for imparting training and capacity building for officials of Service Providers.

To improve ease of access to NPS for the potential subscribers and service providers, PFRDA has been further enhancing the technology across the value chain whether it is e-NPS, Mobile apps, e-KYC. These channels have been driving the efficiencies. Through e-NPS, a person can conveniently register and contribute online. Online contribution facility under NPS is also available for the existing subscribers. e-NPS facilitates opening of Individual Pension Account under NPS and making initial and subsequent contribution to the Tier I as well as Tier II account online. This feature also enables the subscribers to change their Pension Funds, asset class, allocation ratio, and scheme options after authentication. NPS subscribers can initiate withdrawal request from Tier II account by using their login credentials and OTP authentication on registered mobile number.

1.8 A Brief on the Review of the Objectives of PFRDA during the year.

The preamble to the PFRDA Act 2013, lays down the objectives of the Authority as the promotion of old age income security, through regulation and development and protection of the interests of the subscribers to schemes of Pension Funds and for matters connected therewith or incidental thereto.

PFRDA has been actively engaged in the promotion and development of NPS (all its variants) and Atal Pension Yojana, regulation and supervision of all intermediaries under NPS towards the overall objective of provision of old age income security and protection of subscriber's interest. While engaged in these activities, in keeping with the preamble of PFRDA Act 2013 and the best global practices, the PFRDA endeavours to achieve the following broad objectives/outcomes:

- Increasing Coverage
- Security
- Efficiency
- Adequacy
- Sustainability

Increasing Coverage

Provision of the old age income security to all sections of the population has been one of the important objectives of the Authority. While PFRDA Act 2013 mandates regulation of NPS, a number of variants of NPS have been introduced to cover different sections of the population like Central Government, State Government, Corporate, All-Citizen, NPS Lite, Atal Pension Yojana (a GOI scheme, administered by PFRDA). The Authority has been engaged in expanding coverage through creation of mass awareness through print, electronic and social media, engaging a training agency for imparting training and capacity building for officials of banks, post offices, POPs, Nodal Offices, appointment of retirement advisors, facilitating ease of on-boarding and transaction through e-NPS etc. Consequently, the subscriber base under NPS has grown from 273.55 lakh in end of March 2019 to 345.55 lakh by end of March 2020 i.e. a growth of 26%.

Security

PFRDA has put in place an extensive framework of regulations under the PFRDA Act 2013 to ensure the security of pension assets to minimize the risk to the pension funds that have been accumulated to provide retirement benefits. These regulations include strenuous eligibility criteria for selection, detailed Corporate Governance frameworks, fit and proper criteria, extensive code of conduct, detailed roles and responsibilities, penalty structures for all intermediaries including Pension Funds to ensure the security of assets. These regulations have been reviewed and strengthened from time to time. In order to further strengthen the IT supervisory processes, the PFRDA, is focusing on implementation of cyber security, and will ensure the coverage.

Efficiency

It has been the endeavour of the Authority to optimize the efficiency in the system through maximizing returns to the subscribers subject to acceptable risks. This has been done through review of the investment guidelines from time to time to optimize the returns. Introduction of two new life cycle funds like LC 25 and LC 75 and introduction of a new Asset Class "A" for private sector subscribers are some of the steps in this direction.

Efficiency also relates to the efficiency of the labor and capital markets, as each interacts with the pension system through direct contributions to pensions (through longer working lives and contributions, lower costs of capital, or greater financial inclusion) as well as through indirect contributions to jobs and investment. PFRDA has been actively engaged in financial inclusion through awareness creation for APY subscribers in particular and NPS in general.

For capital markets, efficiency relates to capital market depth through the development of non-bank financial capital to fund productive investment and maximize the benefits of wider capital market reforms. PFRDA has been parts of inter regulatory groups and committees in furtherance of these objectives.

The other endeavour of the Authority is to strengthen the intermediaries under NPS. The strengthening of intermediaries is very important as to have a fair and transparent system. Strengthening by the means of sharing and imparting correct knowledge to intermediaries about the product and process, laying of proper guidelines enables the entire system to function properly. The disciplined system ensures and protects the subscribers' interest.

Adequacy

One of the important objectives of any pension system is to have the adequate pension wealth to the subscribers at the time of retirement i.e. facilitating accumulation of retirement benefit entitlements to enable them for old age income security. While NPS is a defined contribution scheme, without guarantee of any benefits, however, as a measure of good practice, Authority's endeavour has been to work towards ensuring adequate pension wealth on retirement, through various measures including increasing the age of contribution to NPS beyond 60 years, review of investment guidelines for optimizing returns, increasing contributions through engaging with the government for tax concessions etc. Further going ahead, under voluntary sector like All Citizen Model, Corporate Model has been allowed to onboard NPS even after 60 years of age.

Sustainability

Sustainability is one of focal point of any contributory pension system. Through NPS, there is an effort to offer pension product to different segment of society of the country, which can sustain in a long run to achieve the ultimate goal of providing a secured old age income. NPS is a defined contribution scheme, with institutional framework and product design, it empowers itself to sustain in a long run. The continued savings habit and investment discipline has important role to play in achieving the endeavour of a sustainable pension system. PFRDA has initiated several steps to increase the awareness level of retirement saving/pension and to in furtherance of these objectives.

1.9 Intermediaries under NPS

1.9.1 Intermediaries and Other Entities Associated with National Pension System and Other Pension Schemes Covered under the Act

The National Pension System (NPS) works under an unbundled architecture with each function assigned to specialized entities in the field. The NPS architecture consists of Points of Presence (POP), Government Department Nodal Offices, Central Recordkeeping Agency (CRA), Trustee Bank, Pension Fund Managers (PFM's), NPS Trust, Custodian, Annuity Service Providers and Retirement Advisers.

1.9.1.1 Points of Presence (PoPs)

Points of Presence are banks and non-banking financial companies etc registered with PFRDA for registration and servicing of the subscribers to the NPS. A PoP is the first point of interaction between the subscriber and the NPS. The registered PoPs have authorized branches called POP-Service providers (PoP-SPs) to act as collection points and extend services to customers. The functions of the PoPs include: subscribers registration, processing subscriber contributions, change in personal details, change in investment scheme/fund manager, processing subscriber shifting from one model to the other, issuing printed account statement, processing of withdrawal/ exit request on superannuation etc.

1.9.1.2 Government Nodal Offices

(i) Central Government Nodal Offices

PrAO, PAO and DDO

The Principal Accounts Office (PrAO), Pay and Accounts Office (PAO) and Drawing & Disbursing Office (DDO) under the Central Government or analogous offices under Central Government and Central Autonomous Bodies are intermediaries which interact with CRA on behalf of the Subscribers for purpose of NPS.

(ii) State Government Nodal Offices

DTA, DTO and DDO

The Directorate of Treasury and Accounts (DTA), District Treasury Office (DTO) and Drawing & Disbursing Office (DDO) under the State Governments or analogous offices under State Governments and State Autonomous Bodies are intermediaries which interact with CRA on behalf of the Subscribers for purpose of NPS.

Nodal Offices are the identified offices of government agencies register under CRA system for various operational works under NPS. These offices are identified by a unique number, i.e., Pr.AO /PAO/ DDO registration number that is allotted to them

by the CRA on successful registration. These office have major role to play few of them are as below:

- Submission of Subscriber Registration Forms for subscriber registration
- Distribution of PRAN kits to subscribers
- Providing timely and accurate information about contributions of the subscribers
- Forwarding request of the subscribers for necessary action
- Resolving grievances of the subscribers
- Forwarding approved withdrawal requests of the subscribers

1.9.1.3 Central Record-keeping Agency (CRA)

NSDL e-Governance Infrastructure Ltd. and Kfin Technologies Pvt. Ltd. have been designated the CRAs for the NPS. Their main functions include:

(i) Maintaining subscriber records, administration and customer service functions.

(ii) Issuing Permanent Retirement Account Number (PRAN) for each subscriber, maintaining the database of all PRANs and recording transactions relating to each PRAN.

(iii) Acting as the interface between the various intermediaries of the NPS system. This includes monitoring contributions by each member and instructions and communication of the same to the pension funds. Periodically, they also send PRAN statement to each member.

(iv) Providing a centralized grievance management system.

(v) Providing timely fund transfer related information to the fund managers.

(vi) Co-ordination with the Trustee Bank for remitting withdrawal funds to subscriber's account and to annuity service provider for the annuity scheme.

1.9.1.4 Trustee Bank

The Trustee Bank handles the flow of funds between various intermediaries under NPS. Presently, Axis Bank Ltd is the designated bank to facilitate fund transfers across subscribers, fund managers and the annuity service providers based on the instructions received from the CRA. The Trustee Bank receives funds from the Nodal Offices/PoPs/Aggregators and reconciles it with the Subscriber Contribution File. The Trustee Bank holds the funds in the name of the NPS Trust and the subscribers are the beneficial owners.

1.9.1.5 Pension Funds (PFs)

These are professional pension fund managers appointed to invest, judiciously and prudently, the pension corpus in a portfolio of securities and manage them. Currently the pension fund managers under NPS are –ICICI Prudential Pension Funds Management Company Ltd., LIC Pension Fund Ltd, Kotak Mahindra Pension Fund Ltd., Reliance Capital Pension Fund Ltd. (operation ceased w.e.f. 10 August 2019 due to surrender of Certificate of Registration), SBI Pension Fund Private Ltd., UTI Retirement Solutions Ltd, and HDFC Pension Management Co Ltd., Birla Sun Life Pension Management Limited their functions include:

(i) Ensuring investment as per investment guidelines

(ii) Investing the contributions in the schemes as per the instructions provided by CRA.

(iii) Constructing the scheme portfolio.

(iv) Maintenance of books and records, reporting to the Authority and making disclosures.

1.9.1.6 Custodian of Securities

The securities purchased from NPS corpus in the name of the NPS trust are held by the Custodian of Securities, who also facilitates securities transactions by making and accepting delivery of securities. The PFRDA has appointed the Stock Holding Corporation of India Ltd as the Custodian. The functions include:

(i) Having Custody of the Securities held in the name of NPS Trust, purchased out of NPS Corpus.

(ii) Maintaining details of securities held.

(iii) Collecting the benefits like dividend, rights, bonus etc. on securities.

(iv) Informing about the actions of the issuers of securities held that may impact the benefits.

1.9.1.7 NPS Trust

NPS Trust is a trust set up under the Indian Trusts Act, which holds the assets of the NPS for the benefit of subscribers. The Trust has the fiduciary responsibility of taking care of the funds and protecting the subscriber interests. The NPS Trust monitors and supervises the functioning of the Pension Funds and interacts with other intermediaries like the Central Recordkeeping Agency (CRA), Trustee Bank, Custodians and other entities.

1.9.1.8 Annuity Service Providers

Annuity Service Providers (ASPs) are insurance companies regulated by IRDAI, and empanelled by the PFRDA to provide the annuity to the NPS subscribers from the bouquet of annuities offered by them

1.9.1.9 Retirement Advisers

Retirement Adviser means any person being an individual, registered partnership firm, body corporate, or any registered trust or society, who desires to engage in the activity of providing advice on National Pension System or other pension scheme regulated by PFRDA to prospects/subscribers or other persons or group of persons and is registered as such under PFRDA (Retirement Adviser) Regulations, 2016. The list of Individual and Other than Individual Retirement Adviser is available on PFRDAs' website.

1.9.2 Types of Account

Under NPS following two types of accounts are available:

(i) **Tier-I account:** Under Tier-I account the subscriber contributes his savings for retirement/ pension into this partially withdraw-able account. Premature withdrawals are allowed subject to certain conditions.

(ii) **Tier-II account:** This is a voluntary investment account where the subscriber is free to deposit and withdraw the savings from this account whenever he/she wishes.

Beside NPS, PFRDA also administers and regulates the Atal Pension Yojana.

Table 1.3: Performance Highlights of National Pension System/ Atal Pension Yojana during FY 2019-20

(In numbers)

Measures	At the end of FY 2018-19	At the end of FY 2019-20	Growth (In per cent)
Government Subscribers	63,05,889	68,55,842	8.72
All Citizen + Corporate Subscribers	17,32,946	22,25,134	28.40
APY Subscribers	1,49,53,432	2,11,42,262	41.39
No. of POP-SPs#	2,38,411	2,41,703	1.38
No. of APY-SPs	406	403	-
No. of CABs	579	603	4.14
No. of SABs	1,185	1,318	11.22
No. of Corporate	5,964	7,571	26.95
No. of officials trained (FY wise)	36,706*	86,835	136.56

*Incremental conducted by Hero Mindmine Institute Private Ltd.

Data considered state-wise highest number of POP-SPs of NSDL and Kfntech CRAs.

Other represented figures are registered with CRAs.

- Government subscribers have increased from 63.06 lakh at the end of March 2019 to 68.56 lakh subscribers at the end of March 2020, registering an increase of 5.50 lakh (8.72 per cent).
- Under Private Sector, corporate subscribers have increased from 8.03 lakh at the end of March 2019 to 9.74 lakh at the end of March 2020, an increase of 1.71 lakh (21.30 per cent) subscribers. The subscribers under UoS/All Citizen have increased from 9.30 lakh at the end of March 2019 to 12.52 lakh at the end of March 2020, an increase of 3.22 lakh (34.62 per cent) subscribers.
- No. of APY subscribers have recorded steady growth. It has increased from 149.53 lakh subscribers at the end of March 2019 to 211.42 lakh at the end of March 2020. In percentage terms, it witnessed a growth of 41.39%.
- PoP-SPs increased from 238,411 at the end of March 2019 to 241,703 at the end of March 2020. (Refer Annexure II for State-wise Details)
- The no. of Service Providers for APY has marginally decreased from 406 at end of March 2019 to 403 at end of March 2020 due to merger and amalgamation of Regional Rural Banks (RRBs).
- All employees of Central Government along with CABs and State Governments along with SABs which have adopted NPS are to be mandatorily covered under NPS. This year 24 new CABs and 133 SABs have been brought under NPS taking total no. of CABs and SABs to 603 and 1318, respectively.
- Corporate sector offers NPS to their employees on mandatory or voluntary basis. At the end of March 2020, as per CRAs reports total 7571 Corporate are registered under NPS against 5964 Corporate at the end of March 2019.
- For fulfilling PFRDA's mandate of creating awareness about the need of saving for retirement and retirement planning, PFRDA undertakes various activities including imparting training through training agencies selected by PFRDA. These training agencies impart training to the Central and State Government Nodal Officers, Pay & Accounts Offices (PAOs), Drawing & Offices (DDOs), Points of Presence/ Banks/ Post Offices involved in the registration of subscribers, about the salient features of the NPS / APY, the process of joining etc. Further, training workshops/ camps have been organized for subscribers across the sector and geography as a part of a wider financial consumer protection policy. Total 2050 batches in four zones viz. East, West, North & South and a total of 86,835 individuals were trained during FY 2019-20.

Part II

Investment of Funds under NPS

This chapter deals with the investments of funds under NPS and other pension schemes covered under the Act, and the extent of exposure in the National Pension System, in different categories of investments including Government securities, debt securities and equities in accordance with Appendix II of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Reports, Returns and Statements) Rules, 2015.

2.1 Pension Funds (PFs)

Pension Fund is an intermediary which has been granted a certificate of registration under sub - section (3) of section 27 by the Authority as a pension fund for receiving contributions, investing the funds and making payments to the subscriber on withdrawal/exit in the manner as may be specified by regulations.

Appointed and registered Pension Funds manages pension corpus through various schemes under National Pension System or any other Scheme. Pension Funds use their access codes to confirm receipt of netted assets and instructions regarding fund allocation, confirm allocation of funds and communicate the NAV of each scheme to CRAs and the custodian on a regular basis.

Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) Regulations, 2015 were notified on May 14, 2015 and the Pension Funds had to abide by these regulations including any amendments there under.

2.1.1 Functions of Pension Funds

The functions of the Pension Funds include, but are not limited to the points mentioned below:

(i) The management of pensions schemes shall be carried in accordance with the objects of the schemes, provisions of the Act, Trust Deed, rules, regulations, guidelines and circulars issued by the Authority from time to time and within the time lines as specified by the Authority or the National Pension System Trust.

(ii) The day-to-day management of the pension funds shall be done by the pension fund on behalf of the National Pension System Trust.

(iii) The Pension Fund shall, at all times render high standards of service, exercise reasonable care, prudence, professional skill, promptness, diligence and vigilance while discharging its duties in the best interests of the subscribers. The pension funds shall avoid speculative investments or transactions.

(iv) The Pension Fund shall employ well qualified professionals or staff with high integrity. The pension fund shall be responsible for the acts of commissions or omissions by its employees or authorized persons whose services have been procured and its liability for such acts of commissions or omissions. This liability shall survive despite the cancellation or suspension or withdrawal of certificate of registration or supersession of management by the Authority.

(v) The Pension Fund shall facilitate and co-ordinate with other intermediaries and other entities inter-alia through agreements, technological platforms for undertaking its functional obligations.

(vi) The Pension Fund shall maintain books of accounts, records, registers and documents relating to the operations of the pension schemes to ensure compliance with the regulations, guidelines, circulars issued by the Authority from time to time, and facilitate audit trail of transactions and business continuity at all times.

(vii) The Pension Fund shall submit periodical and compliance reports as required under these regulations, guidelines or circulars, or as may be called for by the Authority, or as required by the National Pension System Trust from time to time.

(viii) The Pension Fund shall undertake public disclosure of information for the benefit of subscribers in the mode and manner as may be specified by the Authority in Schedule V.

(ix) The Pension Fund shall adopt best governance practices for investments and risk management like constitution of Investment Committee and Risk Committee, its composition, functions, policy contents and other like matters as specified in Schedule X.

(x) The Pension Fund shall prevent conflict of interests that may arise while discharging the obligations as a pension fund and reporting of such instances to the National Pension System Trust.

(xi) The Pension Fund shall ensure exclusivity and segregation of pension fund business activities from its sponsors.

(xii) The Pension Fund shall ensure confidentiality with respect to subscribers' information and activities relating to the pension fund and protection of all information within its control except as required by the Authority or the National Pension System Trust or provisions of any law.

(xiii) The Pension Fund shall provide such representations and warranties as may be necessary for the protection of subscribers' interest on behalf of the National Pension System Trust.

2.1.2 List of Pension Funds (PFs) for Government Sector NPS Schemes (i.e. CG and SG), NPS Lite and APY.

i) LIC Pension Fund Limited

ii) SBI Pension Funds Private Ltd

iii) UTI Retirement Solutions Ltd

The investment management fee charged by Pension Funds for managing the Government sector schemes is presently 0.0102 per cent per annum of the assets under management.

2.1.3 List of Pension Funds (PFs) for Private Sector NPS schemes

(i) HDFC Pension Management Co. Ltd.

(ii) ICICI Prudential Pension Fund Management Co. Ltd.

(iii) Kotak Mahindra Pension Fund Ltd.

(iv) LIC Pension Fund Ltd.

(v) SBI Pension Funds Pvt. Ltd

(vi) UTI Retirement Solutions Pvt. Ltd

(vii) Birla Sun Life Pension Management Limited

The Investment management fee charged by Pension funds for the non-government sector schemes is 0.01 per cent per annum of the Assets under Management.

2.2 Schemes

The subscribers in NPS fall under the following sectors:

(i) Government Sector (Central Government/ State Government including Autonomous Bodies)

(ii) NPS Lite

(iii) Atal Pension Yojana (APY)

(iv) All Citizen/UoS

(v) Corporate Sector

Investments under NPS for the above sectors are made as prescribed under the investment guidelines issued by the Authority and equity exposure has been specified since inception for all the schemes /segments. The investment options under NPS vary from Sector to Sector.

2.2.1 Government Sector (Central Government/ State Governments including Central Autonomous Bodies and State Autonomous Bodies)

As per the PFRDA's investment guidelines, following exposure limits have been decided for the Government sector including CABs/SABs under NPS:

Table No. 2.1: Allocation of Assets in Government Sector

Particulars	Maximum Exposure Limits (In Per cent)
Government Securities & related investments	55
Debt Instruments & Related investments	45
Asset backed, trust structured & Miscellaneous investments	5
Short term debt instruments & related investments	10
Equity & related investments	15

Under the government sector, 03 public sector Pension Funds i.e. LIC Pension Fund Limited, SBI Pension Funds Private Limited and UTI Retirement Solutions Limited manage and invest the contributions in the ratio (among the 3 pension funds) as decided by the Authority from time to time.

Further, based on the Government's OM no. 1/3/2016-PR dated 31st January, 2019 and as per the Authority's circular dated 8th May, 2019; Government employees **(Central Government only**) have been given the following options:

Choice of Pension Fund

As in the case of subscribers in the private sector, the government subscribers shall also be allowed to choose any one of the pension funds including private sector pension funds. They could change their option once in a year. However, the current provision of combination of the public sector pension funds will be available as the default option for both existing as well as new government subscribers.

Choice of Investment Pattern

i. Existing scheme in which funds are allocated by the PFRDA among three Public Sector Undertaking fund managers based on their past performance in accordance with the guidelines of PFRDA for Government employees shall continue as default scheme for both existing and new subscribers.

ii. Government employees who prefer a fixed return with minimum amount of risk shall be given an option to invest 100% of the funds in Government securities (Scheme G)

iii. Government employees who prefer higher returns shall be given the options of the following two life-cycle based schemes:

   a) Conservative life cycle fund with maximum exposure to equity capped at 25% - LC-25

   b) Moderate life cycle fund with maximum exposure to equity capped at 50% - LC-50

   The Central Government subscribers under NPS may exercise one of the above choices of investment pattern twice in a financial year.

   Some of the State Governments have also extended above choice of investments.

2.2.2 NPS Lite

The fresh enrollments under NPS Lite had been discontinued w.e.f 01.04.2015. However, for the existing NPS Lite subscribers, as per the PFRDA's investment guidelines, following exposure limits have been decided for the NPS Lite sector

Table No. 2.2: Allocation of assets in NPS Lite Sector

Particulars	Maximum Exposure Limits (In Per cent)
Government Securities & related investments	55
Debt Instruments & related investments	45
Asset backed, trust structured & Miscellaneous investments	5
Short term debt instruments & related investments	10
Equity & related investments	15

Under NPS Lite, only 03 public sector Pension Funds i.e. LIC Pension Fund Limited, SBI Pension Funds Private Limited and UTI Retirement Solutions Limited manage and invest the contributions in the ratio (among the 3 pension funds) as decided by the Authority from time to time. Further, a single private sector Pension Fund i.e. Kotak Mahindra Pension Fund Limited has been chosen by one of the aggregator for managing the contributions.Under NPS- Lite scheme, no selection of Pension Fund or the asset allocation is offered to the subscribers.

2.2.3 Atal Pension Yojana

Atal Pension Yojana (APY), a Government pension scheme for citizens of India, is focused on the unorganised sector workers. Under the APY, guaranteed minimum pension of Rs. 1,000/- or 2,000/- or 3,000/-or 4,000 or 5,000/- per month will be given at the age of 60 years depending on the contributions made by the subscribers.

Under Atal Pension Yojana (APY), no selection of Pension Fund or the asset allocation is offered to the subscribers because it is a guaranteed government scheme and the asset allocation is kept same as for the Government sector employees under NPS as per the following:

Table No. 2.3: Allocation of assets in Atal Pension Yojana Sector

Particulars	Maximum Exposure Limits (In Per cent)
Government Securities & related investments	55
Debt Instruments & related investments	45
Asset backed, trust structured & Miscellaneous investments	5
Short term debt instruments & related investments	10
Equity & related investments	15

Under Atal Pension Yojana, 3 public sector Pension Funds i.e. LIC Pension Fund Limited/ SBI Pension Funds Private Limited and UTI Retirement Solutions Limited manage and invest the contributions in the ratio (among the 3 pension funds) as decided by the Authority from time to time.

2.2.4 All Citizen Sector

The subscribers under All Citizen Un-Organized Sector may opt for any of the investment pattern i.e. "Active Choice" or "Auto Choice".

As per the PFRDA's investment guidelines, following exposure limits have been decided for the All Citizen Un-Organized Sector under NPS:

Table No. 2.4: Allocation of Assets in All Citizen/UoS Sector

Particulars	Maximum Exposure Limits (In Per cent)
Equity & related investments	75
Debt Instruments & related investments	100
Government Securities & related investments	100
Money Market Instruments (Tier I accounts only)	5

Option of change of Pension Fund and investment choice:

Further, Pension Fund can be changed once in a financial year and Investment Option can be changed twice in a financial year by the subscriber.

2.2.5 Corporate Sector

For subscribers belonging to Corporate Sector – where the employer has adopted NPS for its employees, the investment options and choices have been kept flexible.

There are two types of schemes under this segment:

(i) Corporate CG scheme

This scheme has been discontinued and it is not available under corporate segment but those corporates which were already

covered under this scheme and have not changed this scheme are still continuing under this scheme.

As per the PFRDA's investment guidelines, following exposure limits have been decided for the Corporate CG sector under NPS:

Table No. 2.5: Allocation of assets in Corporate Sector

Particulars	Maximum Exposure Limits (In Per cent)
Government Securities & related investments	55
Debt Instruments & related investments	45
Asset backed, trust structured & Miscellaneous investments	5
Short term debt instruments & related investments	10
Equity & related investments	15

Under this Corporate CG scheme, investments are with 2 Pension Funds i.e. LIC Pension Fund Limited or SBI Pension Funds Private Limited.

(ii) Other schemes presently available under corporate segment

Under this scheme, the employer may delegate the responsibility of selecting a Pension Fund and/or mode of investment to employees or the employer may select a Pension Fund and/or the Life Cycle Fund on behalf of its employees. These aspects related to NPS may form part of the employer-employee arrangement. As per the investment option exercised, the employer or the subscriber has to select any of the one registered Pension Fund and further selection of asset allocation among the four asset classes as per the following:

- **Asset class E** -Equity and related instruments
- **Asset class C** -Corporate debt and related instruments
- **Asset class G** –Government Bonds and related instruments
- **Asset Class A** -Alternative Investment Funds including instruments like CMBS, MBS, REITS, AIFs, InvlTs.

The subscribers under this sector may opt for any of the investment pattern i.e. "Active Choice" or "Auto Choice".

As per the PFRDA's investment guidelines, following exposure limits have been decided for the corporate Sector under NPS:

Table No. 2.6: Allocation of assets in Other Sector

Particulars	Maximum Exposure Limits (In Per cent)
Equity & related investments	75
Debt Instruments & related investments	100
Government Securities & related investments	100
Money Market Instruments (Tier I accounts only)	5

Options of Change of Pension Funds and Investment Choice

Further, Pension Fund can be changed once in a financial year and Investment Option can be changed twice in a financial year by the subscriber.

The details of the schemes wise asset under management is given in the table below: -

Table 2.7: Details of Asset under Management

(Amt. in Rs. Crore)

Scheme	March 31, 2019	March 31, 2020	Growth (In per cent)
CG	1,09,010.70	1,38,014.59	
SG	1,58,881.11	2,11,499.67	30.47
Sub total	**2,67,891.81**	**3,49,514.26**	
Cor.CG	20,682.83	27,143.03	
E-I	7,234.21	7,932.05	
C-I	4,422.07	6,495.76	
G-I	6,896.75	10,992.80	
A-I	19.52	39.60	
E-II	325.44	352.55	35.06
C-II	209.08	297.26	
G-II	262.69	457.16	
NPS Lite	3,409.23	3,728.40	
APY	6,860.30	10,526.26	
Sub total	**50,322.12**	**67,964.87**	
Grand Total	**3,18,213.95**	**4,17,479.13**	**31.19**

*Source NPS-Trust

The above table indicates that the Asset Under Management for Government Sector NPS schemes (CG and SG) has grown by 30.47 per cent however the Asset Under Management of the schemes other than these two schemes has grown by 35.06 per cent. In terms of absolute number, the government sector schemes grew by Rs. 81,622 crore whereas other than Government Sector schemes in aggregate grew by Rs. 17,642 crore.

Various schemes are managed by all Pension Funds (PFs). The details of Asset under Management of various schemes under the respective Pension Funds are given below;

Table No. 2.8: Pension Fund wise and Sector-wise (CG, SG, NPS Lite, APY & Corporate CG) Asset under Management as on March 31, 2020

(Amt. in Rs.Crore)

Name of Pension Fund/ Schemes	CG	SG	NPS Lite	APY	Corp. CG	Grand Total
SBI Pension Funds Pvt. Ltd	48,832.59	72,542.49	1,544.13	3,615.28	24,604.12	1,51,138.60
LIC Pension Fund Ltd.	43,080.56	68,581.42	1,070.15	3,457.12	2,538.95	1,18,728.19
UTI Retirement Solutions Ltd	46,101.70	70,375.80	1,056.70	3,453.86		1,20,988.05
ICICI Prudential Pension Fund Management Co. Ltd.						
Kotak Mahindra Pension Fund Ltd.			57.44			57.44
HDFC Pension Management Co. Ltd.						
Birla Sun Life Pension Management Ltd.						

Table No. 2.9: Pension Fund wise vis-a-vis Scheme-wise (E-I, C-I, G-I ,A-I ,E-II , C-II & G-II) Asset under Management as on March 31, 2020

(Amt. in Rs.Crore)

Name of Pension Fund/ Schemes	E-I	C-I	G-I	A-I	E-II	C-II	G-II	Grand Total
SBI Pension Funds Pvt. Ltd	2,511.90	2,201.32	4,294.90	8.66	102.61	90.02	143.53	9,352.94
LIC Pension Fund Ltd.	630.15	572.46	1,001.58	2.31	19.64	18.75	54.58	2,299.48
UTI Retirement Solutions Ltd	370.04	299.42	479.04	1.99	21.63	16.54	24.22	1,212.89
ICICI Prudential Pension Fund Management Co. Ltd.	1,351.77	1,127.22	1,626.93	5.28	73.89	73.89	93.58	4,352.55
Kotak Mahindra Pension Fund Ltd.	282.84	235.30	357.43	1.96	18.92	14.89	22.60	933.94
HDFC Pension Management Co. Ltd.	2,734.00	2,025.15	3,184.48	18.59	110.58	79.30	113.27	8,265.36
Birla Sun Life Pension Management Ltd.	51.38	34.92	48.45	0.81	5.30	3.87	5.37	150.09

2.3 Exposure of various schemes regulated and administered by PFRDA to different categories of investments.

i) The maximum prescribed exposure, as per the investment guideline of PFRDA in respect of the portfolio under CG, SG, Corporate CG and NPS Lite and APY scheme in various investment instruments has been provided in the table below:

Table No. 2.10: Allocation of Assets in Asset Class in Government Sector

Sl. No.	Asset Class / Instruments	Maximum Exposure Limits (In Per cent)
i	Government Securities & related investments	55
ii	Debt Instruments & related investments	45
iii	Asset backed, trust structured & Miscellaneous investments	5
iv	Short term debt instruments & related investments	10
v	Equity & related investments	15

ii) Subscribers opting for the schemes other than the Government sector schemes (CG and SG), NPS Lite, corporate CG and APY, can decide the allocation of their assets in Asset class E (Equity), asset class C (Corporate Debt), asset class G (Government Securities) and Asset class A (Alternate Assets) as per the table below:

Table No. 2.11: Allocation of their Assets in Asset Class other than the Government Sector

Sl. No.	Asset Class / Instruments	Maximum Exposure Limits (In Per cent)
i	Government Securities and Related Investments including State Development loans	100
ii	Debt Instruments and Related Investments	100
iii.	Equities and Related Investments	75
iv	Short term Debt Instruments and Related Investments	5
v	Asset Backed, Trust Structured and Miscellaneous Investments	5

In case of Tier - II accounts, no investment is permitted in Asset class A, other prudential ceilings remaining the same.

The asset class wise bifurcation of the assets under management as on March, 2020 vis-a-vis March 2019 is given below: -

Table No. 2.12: Asset Class wise bifurcation of Asset under Management

Asset Class	March 31, 2019		March 31, 2020	
	Amount (Rs. crore)	Percentage of Investment	Amount (Rs. crore)	Percentage of Investment
G-Sec	150,575.34	47.32	214,303.11	51.33
Corporate Bond	111,384.07	35.00	143,607.74	34.40
Equity	45,085.92	14.17	42,826.57	10.26
Money Market	2,802.22	0.88	8,827.22	2.11
Cash & Net Current Assets	8,366.39	2.63	7,914.90	1.90
Total	**318,213.93**	**100**	**417,479.54**	**100**

Source: NPS Trust

Chart No. 2.1: Asset Class wise bifurcation of Assets under Management

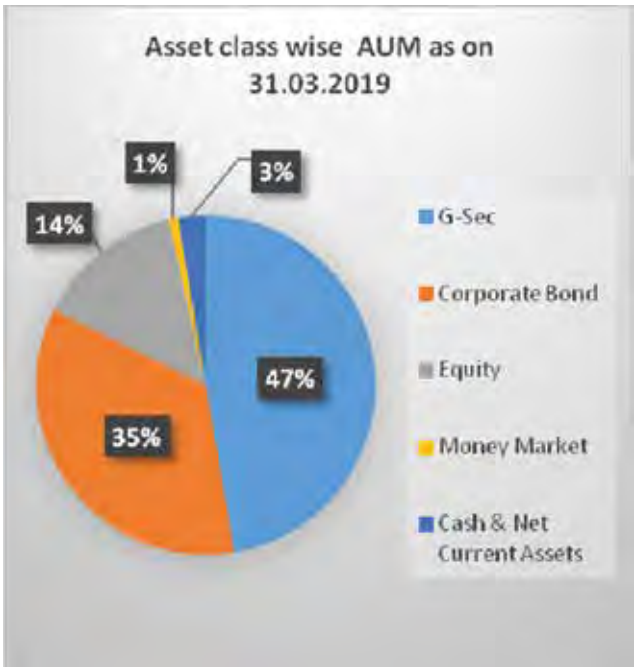

2.4 Regulations, Notification, issuance of major Circulars / Guidelines w.r.t. Pension Fund.

(i) Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) (Second Amendment) Regulations, 2020 dated February 04, 2020.

The amendment in regulation clarifies points on "sponsor" which means any body Corporate who holds not less than twenty per cent of equity capital in the pension fund and as has been defined under sub-regulation 8(h). Also, "The sponsors, individually or jointly, shall have a positive tangible net worth of at least fifty crore rupees on the last day of each of the preceding five financial years out of which at least twenty-five crore rupees should be the capital. Apart from this there are few other amendments.

ii) **Revised Valuation Guidelines for Valuation of Securities under NPS Schemes and other Pension Scheme(s) administered by PFRDA dated November 21, 2019.**

PFRDA issued valuation guidelines in April, 2012 for valuation of securities for NPS Schemes under PFRDA (Preparation of Financial Statements and Auditors Report of Schemes under NPS) guidelines-2012. After consultation with PFs, Authority decided to issue revised valuation guidelines under NPS Schemes and other pension scheme(s) administered by PFRDA. The guidelines may be referred on PFRDA web-site.

iii) **Change in Investment Guidelines for NPS Schemes - Permitting Pension Funds to invest in Overnight Funds and all such short duration funds as may be permitted by SEBI from time to time dated November 20, 2019.**

The Circular permits the Investments in units of Overnight Funds and all such short duration funds as may be permitted by SEBI from time to time with the condition that the average total asset under management of AMC for the most recent six-month period should be at least Rs 5000 crore.

iv) **Guidelines for Pension Funds on Self-Dealing, Front Running and Insider Trading dated July 25, 2019.**

A guideline on Pension Funds on Self-Dealing, Front Running and Insider Trading has been issued by the Authority in exercise of the powers under sub clause (b) of sub-section (2) of Section 14 read with Section 23 of the PFRDA Act, 2013 and regulation 21 of PFRDA (Pension Fund) Regulation, 2015. These guidelines are in step to protect the interest of the subscribers.

v) **Introduction of choice of Pension Funds and Investment Pattern in Tier-1 of NPS for Central Government Subscribers dated May 08, 2019.**

This circular refers to a Gazette Notification F. No. 1/3/2016-PR dated January 31, 2019 issued by Ministry of Finance, Department of Financial Services where in Government decision on streamline the implementation of NPS has been mentioned. The Government has introduced options for central government subscribers for choice of Pension Funds and choice of investment pattern along-with few other operation matters. The detailed circular may be referred on PFRDA's website.

2.5 Inspection

During the Financial Year 2019-20, inspection of 07 Pension Funds for the FY 2018-19 was conducted -namely;

(i) SBI Pension Funds Pvt Ltd

(ii) LIC Pension Fund Ltd

(iii) UTI Retirement Solutions Ltd

(iv) HDFC Pension Management Company Ltd.

(v) Kotak Mahindra Pension Fund Ltd.

(vi) ICICI Prudential Pension Funds Mgmt. Co. Ltd

(vii) Birla Sun Life Pension Management Ltd

The inspection was conducted as per the pre-defined scope of inspection and checking of compliance pertaining to the Regulations, Guidelines, Directives issued by the Authority.

Part- III

The chapter deals with duty, power and functions of the Authority for promotion and orderly growth of the National Pension System and pension schemes in accordance with Section 14 of Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 to protect the interests of subscribers of such System and schemes.

Functions of the Authority

3.1 Registration of intermediaries and suspension, cancellation, etc., of such registration; and regulation of activities of the intermediaries associated with the National Pension System or the pension schemes

Section 14 of the PFRDA Act, 2013 lays down the duties, powers and functions of the Authority to regulate, promote and ensure orderly growth of the National Pension System and pension schemes, and to protect the interests of subscribers of such system and schemes.

The National Pension System and any other Pension Scheme which are operationalized by PFRDA through large number of entities such as **Pay & Accounts offices / Treasury Offices** at the central and state government , they are responsible for the registration and upload of the periodic NPS subscription of the Government employees on the NPSCAN, the **Point of Presence (PoPs)** which are banks, non-banking financial companies (NBFC), micro finance institutions (MFI) etc. which assist in the registration and upload of NPS subscription for the corporate, private sector and unorganized sector subscribers, the **Aggregators** (now POPs) which help in the last-mile reach to the potential subscribers particularly in the informal sector, the **Central Recordkeeping Agency (CRA)**, which is responsible for the recordkeeping of individual pension accounts called PRAN of the subscribers and acts as a coordinator for the NPS architecture, **Trustee Bank,** responsible for the day-to-day flow of funds and banking facilities, the **Pension Funds (PFs)**, mandated to invest and manage the pension assets of the subscribers covered under NPS as per the investment guidelines prescribed by PFRDA and Annuity Service Providers (**ASPs),** empaneled with PFRDA to provide a monthly annuity pension to the subscriber.

i) Government Sector - Central and State Autonomous Bodies

Registration of Autonomous Bodies: Continuous efforts have been made to register Central and State Autonomous bodies by interacting with them as well as with the respective financial advisors of Central Ministries and Nodal Officer of the state governments. PFRDA also assisted state governments towards streamlining guidelines and notifications for registration of SABs.

Further, processing of Letters of Consent (LoCs) received from CABs and SABs after ensuring the compliance of stipulated guidelines issued by central government and state governments and also handles queries of NPS during pre- registration process are undertaken.

Letters of consent processed in FY 2019-20

(i) CABs – 23 (ii) SABs -182

As on 31st March, 2020, the number of PrAOs/ DTAs, PAOs/DTOs and DDOs are as under

Table No. 3.1 Number of PrAOs/ DTAs, No. of PAOs/DTOs and No. of DDOs

Sector	No. of PrAOs/ DTAs	No. of PAOs/ DTOs	No. of DDOs
Central Government	134	2,946	16,071
Central Autonomous Body	604	1,940	4,020
Total	**738**	**4,886**	**20,091**

Table No. 3.2 Number of DTA/DTOs/DDOs

Sector	No. of DTA	No. of DTOs	No. of DDOs
State Government	72	2,018	2,17,224
State Autonomous Body	462	4,564	13,484
Total	**534**	**6,582**	**2,30,708**

Table No. 3.3 Registration of new SABs and CABs during FY 2019-20

Details	As on March 31, 2019	As on March 31, 2020	Registration during the FY 2019-20
SABs	1,185	1,318	133
CABs	579	603	24

Source: P&D (CAB/SAB)

As on March 31, 2020, there total 1,318 State Autonomous Bodies and 604 Central Autonomous Bodies are registered under NPS.

Further, there are 513 PoPs (registered with CRAs), two Central Recordkeeping Agency, one Trustee Bank, seven Pension Funds and twelve Annuity Service Providers as on 31st March 2020.

ii) Points of Presence (PoPs)

Registration of POPs: Though, Atal Pension Yojana (APY) is administered by PFRDA but there were no regulations for entities offering APY services. To bring APY under the ambit of PFRDA, PFRDA (POP) Regulations, 2018 were notified and APY was also included under it as a separate category of POP.

Categories of POPs under current regulations are as below:

(i) National Pension System (NPS) – Distribution and servicing for public at large through physical as well as online platforms.

(ii) National Pension System (NPS) – Distribution and servicing for citizens at large through online platforms only.

(iii) National Pension System (NPS) – Distribution and servicing only for own employees and other personnel either through physical or online platforms. Provided that only such entities shall be permitted to function which has covered its employees for social security benefits under the provisions of the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 or the Employees State Insurance Act, 1948 or under the Goods and Services Act, 2017 and is registered with authorities under the said enactments, for not less than a period of two years, from the date of the application.

(iv) NPS Lite- scheme

(v) Atal Pension Yojana

(vi) Any other scheme regulated or administered by Authority

Under POP Regulations, 2018, PFRDA has issued Certificate of Registration (CoR) to PoPs and PoP-SEs, number of CoR issued as on March 31, 2020 are as below:

(ii) PoPs – 317 (ii) PoP-SEs – 28

However, 13 RRBs were also de-registered due to their amalgamation.

iii) Retirement Advisers

Certificate of Registrations were issued after evaluation of applications as per eligibility criteria defined in PFRDA (Retirement Adviser) Regulations, 2016 and subsequent amendments.

During the FY 2019-20, 19 Individual Retirement Advisors & 3 other than Individual Retirement Advisors were registered under the NPS architecture. To expedite the registration process, online platform for registration is available where applicants can apply online.

iv) Central Recordkeeping Agency

Extension to the tenure of registration certificate was granted to M/s NSDL E-Governance Infrastructure Ltd as Central

Recordkeeping Agency for a further period of one year from April 01, 2020 till March 31, 2021 or the date of grant of registration certificate under the first amendment to PFRDA (CRA) Regulations, 2015 and amendments there under, whichever is earlier.

v) Trustee Bank

No regulatory changes were introduced. However, timely collection of annual fee and compliance certificate was ensured.

vi) NPS Trust

During the FY 2019-20, One trustees was appointed and new chairperson of NPS Trust were designated as per details given below:

Trustee: Shri Sudhir Kumar Sharma (IAS, Special Secretary, Finance (Expenditure), Government of Rajasthan, on September 17, 2019.

Chairperson: Shri Atanu Sen (Trustee of NPS Trust) was appointed as Chairperson, NPS Trust on March 30, 2020.

vii) Exit and Annuity Service Providers (ASPs):

a. Amendment, notification and dissemination of amendment to Regulations

PFRDA (Exits and Withdrawals under NPS) (Sixth Amendment) Regulations 2020 issued to facilitate ease of exit to the NPS Lite subscribers.

b. Empanelment of new Annuity Service Providers

i. India First Life Insurance Company Limited.

ii. Edelweiss Tokio Life Insurance Company Limited.

iii. Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited.

iv. Canara HSBC Oriental bank of Commerce Life Insurance Company Limited.

v. Kotak Mahindra Life Insurance Company Limited.

vi. Tata AIA Life Insurance Company Limited.

vii. Max Life Insurance Company Limited.

3.2 Approval of schemes, the terms and conditions thereof including norms for the management of corpus of the pension funds and investment guidelines under such schemes

The details of schemes administered by the Authority may be referred in Part II of the report.

Further under Central Government and Central Autonomous Bodies, the Assets under Management for the FY 2019-20 have been allocated to SBI Pension Fund Pvt. Ltd, UTI Retirement Solution Ltd. and LIC Pension Fund Ltd. in the ratio 34:33:33 (w.e.f. May 07, 2019), this ratio of allocation was 33.5:34.5:32 for SBI Pension Fund Pvt. Ltd, UTI Retirement Solution Ltd. and LIC Pension Fund Ltd. during FY 2018-19 (w.e.f. May 07, 2018).

For the scheme applicable to State Government employees and employees of State Autonomous bodies it follows the same investment pattern and pension funds as the CG scheme. The Assets under Management for the FY 2019-20 have been allocated to SBI Pension Fund Pvt. Ltd, UTI Retirement Solution Ltd. and LIC Pension Fund Ltd. in the ratio of 34:33.5:32.5 respectively (w.e.f. May 07, 2019), this ratio of allocation was 33.5:34:32.5 SBI Pension Fund Pvt. Ltd, UTI Retirement Solution Ltd. and LIC Pension Fund Ltd. during FY 2018-19 (w.e.f. May 07, 2018)

3.3 Exit of subscribers from the National Pension System

3.3.1 As per PFRDA (Exits & Withdrawals under NPS) Regulations 2015 and amendments thereto, following Withdrawal categories are allowed:

(i) Exit of subscribers from the National Pension System

As per PFRDA (Exits & Withdrawals under NPS) Regulations 2015, following Withdrawal categories are applicable:

Table No. 3.4: PFRDA (Exits & Withdrawals under NPS) Regulations 2015 and amendments

Sl. No.	Withdrawal Categories	Conditions in Government Sector	Conditions in Non- Government Sector
1	**Upon Normal Superannuation**	At least 40% of the accumulated pension wealth of the Subscriber has to be utilized for purchase of an Annuity providing for monthly pension to the Subscriber and the balance is paid as lump sum to the Subscriber. If the accumulated pension wealth in the PRAN is equal to or less than 2 lakh, the subscriber shall have the option to withdraw the entire accumulated pension wealth without purchasing annuity.	Same as Government Sector
2	**Upon Death**	At least 80% of the accumulated pension wealth of the Subscriber has to be utilized for purchase of an Annuity providing for monthly pension to the Spouse and the balance is paid as lump sum to the nominee/ legal heir. If the accumulated pension wealth in the PRAN at the time of his death is equal to or less than 2 lakh, the nominee or legal heirs as shall have the option to withdraw the entire accumulated pension wealth without purchasing annuity.	If subscriber before attaining the age of 60 years or superannuation dies, then the entire accumulated pension wealth of the subscriber shall be paid to the nominee or nominees or legal heirs. The nominee or family members of the deceased subscriber shall have the option to purchase any of the annuities being offered upon exit, if they so desire, while applying for withdrawal of benefits on account of deceased subscribers' Permanent Retirement Account;
3	**Pre-mature Exit**	At least 80% of the accumulated pension wealth of the Subscriber has to be utilized for purchase of an Annuity providing the monthly pension to the Subscriber and the balance is paid as a lump sum to the Subscriber. If the accumulated pension wealth in the PRAN is equal to or less than 1 lakh, such subscriber shall have the option to withdraw the entire accumulated pension wealth without purchasing any annuity.	The option so exercised shall be allowed only upon such subscriber having subscribed to the national pension system for at least a minimum period of ten years. At least 80% of the accumulated pension wealth of the Subscriber has to be utilized for purchase of an Annuity providing the monthly pension to the Subscriber and the balance is paid as a lump sum to the Subscriber. If the accumulated pension wealth in the PRAN is equal to or less than 1 lakh, such subscriber shall have the option to withdraw the entire accumulated pension wealth without purchasing any annuity.

For the purpose of exit from the NPS, the subscribers are categorized and defined as:

(i) Government sector,

(ii) All citizens including Corporate sector and

(iii) NPS Lite subscribers.

The exit regulations specified shall apply accordingly to the category to which the subscribers belong to.

Table No. 3.5: No. of Withdrawal Reported, Accepted and Settled during April 1, 2019 to March 31, 2020

Sl. No.	Sector	Online Withdrawal			Physical Withdrawal		
		Reported *	Accepted USD	Settled	Reported #	Accepted ***	Settled
1	Central Government	5,365	4,997	4,943	30	30	30
2	State Government	13,939	12,418	12,386	1	1	1
3	All Citizen/UoS	4,812	4,422	4,296	78	78	78
4	Corporate	2,382	2,198	2,167	2	2	2

***(Source of Data:** NSDL – CRA & Kfintech-CRA)*

Note:

** **Online Withdrawal:** Reported implies the cases authorized by Nodal Office and pending for authorization by Nodal Office.*

***USD Online Withdrawal:** Accepted implies the cases where Nodal Office has authorized the withdrawal request in CRA system.*

*# **Physical Withdrawal:** These cases includes Physical forms received at CRA for processing whose online withdrawal module is not yet developed or under development. For e.g Subscriber whose contribution amount uploaded in CRA system was pending for matching and booking (i.e. was not reconciled), subscribers who was registered in system after 60 years of age etc. CRA processed such cases in an offline i.e physical mode.*

**** **Physical Withdrawal:** Accepted implies the cases which were On Hold at CRA and for which necessary documents received from Nodal Office/Subscriber.*

Table No. 3.6: Withdrawal claims outstanding as on March 31, 2019 & March 31, 2020.

Sl. No.	Sector	Physical Withdrawal Pending		Online Withdrawal Pending	
		As on March 31, 2019	As on March 31, 2020	As on March 31, 2019	As on March 31, 2020
1	Central Government	Nil	Nil	345	408
2	State Government	Nil	Nil	1,191	1,689
3	All Citzen/UoS	Nil	Nil	406	445
4	Corporate	Nil	Nil	124	189
5	NPS Lite	Nil	Nil	239	190
	Total			**2,305**	**2,921**

***(Source of Data:** NSDL – CRA & Kfintech-CRA)*

Note:

***Physical Withdrawal:** Withdrawal claims outstanding at the end of the year are the cases where Subscriber/ Nodal Office is yet to submit necessary documents to CRA.*

***Online Withdrawal:** Withdrawal claims outstanding at end of the year are the cases where Nodal Office is yet to authorize the withdrawal request in CRA system.*

It has been observed that in majority of the cases the withdrawal applications pending for processing is due to missing/ inadequate documents submitted by the subscribers or the Nodal Offices.

3.3.2 Partial Withdrawal under NPS

NPS subscribers can do partial withdrawals, not exceeding 25 per cent of the contribution made by the subscriber, excluding contribution made by employer, if any, at any time before exit from National Pension System subject to the terms and conditions, purpose, frequency and limits specified below:

(a) **Purpose:** A subscriber on the date of submission of the withdrawal form, shall be permitted to withdraw not exceeding twenty-five per cent of the contributions made by such subscriber to his individual pension account, for any of the following purposes only:-

(i) for Higher education of his or her children including a legally adopted child;

(ii) for the marriage of his or her children, including a legally adopted child;

(iii) for the purchase or construction of a residential house or flat in his or her own name or in a joint name with his or her legally wedded spouse. In case, the subscriber already owns either individually or in the joint name a residential house or flat, other than ancestral property, no withdrawal under these regulations shall be permitted;

(iv) for treatment of specified illnesses: if the subscriber, his legally wedded spouse, children, including a legally adopted child or dependent parents suffer from any specified illness, which shall comprise of hospitalization and treatment in respect of the following diseases:

i. Cancer;

ii. Kidney Failure (End Stage Renal Failure);

iii. Primary Pulmonary Arterial Hypertension;

iv. Multiple Sclerosis;

v. Major Organ Transplant;

vi. Coronary Artery Bypass Graft;

vii. Aorta Graft Surgery;

viii. Heart Valve Surgery;

ix. Stroke;

x. Myocardial Infarction

xi. Coma;

xii. Total blindness;

xiii. Paralysis;

xiv. Accident of serious/ life threatening nature.

xv. any other critical illness of a life-threatening nature as stipulated in the circulars, guidelines or notifications issued by the Authority from time to time.

xvi. to meet medical and incidental expenses arising out of the disability or incapacitation suffered by the subscriber.

xvii. Towards meeting the expenses by subscriber for skill development/re-skilling or for any other self-development activities, as may be permitted by the Authority by issuance of appropriate guidelines, in that behalf.

xviii. Towards meeting the expenses by subscriber for establishment of own venture or any start-ups, as may be permitted by the Authority by issuance of appropriate guidelines, in that behalf.

(b) Limits: the permitted withdrawal shall be allowed only if the following eligibility criteria and limit for availing the benefit are complied-with, by the subscribers:

(a) the subscriber shall have been in the National Pension System at least for a period of three years from the date of his or her joining;

(b) the subscriber shall be permitted to withdraw accumulations not exceeding twenty- five per cent of the contributions made by him or her and standing to his or her credit in his or her individual pension account, as on the date of application for withdrawal;

(c) Frequency: the subscriber shall be allowed to withdraw only a maximum of three times during the entire tenure of subscription under the National Pension System. The request for withdrawal shall be submitted by the subscriber, along with relevant documents to the central recordkeeping agency or the National Pension System Trust, as may be specified, for processing of such withdrawal claim through their nodal office. Provided that where a subscriber is suffering from any illness, specified in sub-clause (d), the request for withdrawal may be submitted, through any family member of such subscriber.

Table No. 3.7: No. of Partial Withdrawal Cases Reported and Settled during the period FY 2019-20

Sl. No.	Sector	Partial Withdrawal		
		Reported *		Settled**
		Initiated By Nodal Office #	Approved By Nodal Office	
1	Central Government	7,227	6,921	6,919
2	State Government	20,898	20,007	19,984
3	All Citizen/UoS	293	151	151
4	Corporate	895	670	670
	Total	**29,313**	**27,749**	**27,724 ^**

***(Source of Data:** NSDL – CRA & KFintech-CRA)*

Note:

** Reported cases includes authorized by Nodal Office and pending for authorization by Nodal Office.*

***Settled cases are where funds have been transferred to subscriber's bank account*

 # Cases Initiated by Subscriber is also added in Initiated by Nodal Office

^Some cases pertain to accepted cases of previous years.

i) Details of Annuity Service Providers (ASPs) and Annuity Schemes opted by subscribers

Annuity provides for a monthly payment of pension against deposit of a lump sum amount. The subscriber has to mandatorily purchase the annuity as specified in the exit rules of NPS, from a PFRDA empaneled Annuity Service Providers.

Annuity Service Providers are Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) licensed and regulated life insurance companies, transacting annuity business in India and these are empaneled by PFRDA for servicing the annuity requirements of the NPS subscribers.

Presently, the following ASPs are empaneled with PFRDA to provide annuity services to NPS subscribers:

i) Life Insurance Corporation of India

ii) SBI Life Insurance Co. Ltd.

iii) ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.

iv) HDFC Standard Life Insurance Co Ltd

v) Star Union Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd

vi) Kotak Mahindra Life Insurance Company Ltd

vii) India First Life Insurance Company Ltd

viii) Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd

ix) Bajaj Allianz Life Insurance Co Ltd.

x) Canara HSBC Oriental bank of Commerce Life Insurance co Ltd.

xi) Tata AIA Life Insurance Company Limited

xii) Max Life Insurance Company Limited

Under National Pension System (NPS), the subscriber has the option to choose the type of Annuity and the ASPs. The subscriber may choose the annuity type/scheme basing on his requirements from the available schemes offered by the respective ASPs.

Table No. 3.8: Online Annuity Requests Processed during FY 2019-20

Sl. No.	Annuity Service Providers/Annuity Schemes *	No. of Cases	Amount Transferred (in Rs.)
HDFC Life Insurance Co. Ltd			
1	Annuity for life	410	10,27,20,550.97
2	Annuity for life with return of purchase price on death	1,174	63,92,53,830.20
3	Annuity payable for life with 100% annuity payable to spouse on death of annuitant	467	13,97,66,843.51
4	Annuity payable for life with 100% annuity payable to spouse on death of annuitant with return on purchase of annuity	537	31,21,08,019.59
5	Life Annuity with Return of Premium/Purchase Price in parts	6	18,58,683.57
6	Life Annuity with Return of Premium/Purchase Price on diagnosis of Critical Illness	23	1,29,63,835.84
	Sub-Total	**2,617**	**1,20,86,71,763.68**
Life Insurance Corporation of India			
1	Annuity for life	793	21,56,20,226.11
2	Annuity for life with return of purchase price on death	1,219	39,10,15,905.33
3	Annuity payable for life with 100% annuity payable to spouse on death of annuitant	1,206	36,97,19,141.90
4	Annuity payable for life with 100% annuity payable to spouse on death of annuitant with return on purchase of annuity	924	30,09,26,193.93
5	NPS - Family Income Option	555	24,22,63,585.27
	Sub-Total	**4,697**	**1,51,95,45,052.54**

Sl. No.	Annuity Service Providers/Annuity Schemes *	No. of Cases	Amount Transferred (in Rs.)
SBI Life Insurance Co. Ltd.			
1	Annuity for life	455	15,47,60,126.99
2	Annuity for life with return of purchase price on death	658	25,49,49,910.64
3	Annuity payable for life with 100% annuity payable to spouse on death of annuitant	600	22,55,40,547.36
4	Annuity payable for life with 100% annuity payable to spouse on death of annuitant with return on purchase of annuity	362	14,11,95,887.69
5	NPS - Family Income Option	402	17,84,11,146.99
	Sub-Total	**2,477**	**95,48,57,619.67**
ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd			
1	Annuity for life	108	2,85,22,869.15
2	Annuity for life with return of purchase price on death	524	24,01,35,647.02
3	Annuity payable for life with 100% annuity payable to spouse on death of annuitant	240	8,27,51,613.90
4	Annuity payable for life with 100% annuity payable to spouse on death of annuitant with return on purchase of annuity	459	38,56,78,592.44
5	NPS - Family Income Option	126	4,95,22,638.51
	Sub-Total	**1,457**	**78,66,11,361.02**
Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company Ltd			
1	Annuity for life	-	-
	Sub-Total		
Kotak Mahindra Life Insurance Company Ltd			
1	Annuity for life	1	2,08,689.13
2	Annuity for life with return of purchase price on death	26	1,22,36,263.79
3	Annuity payable for life with 100% annuity payable to spouse on death of annuitant	4	48,96,578.28
4	Annuity payable for life with 100% annuity payable to spouse on death of annuitant with return on purchase of annuity	10	52,32,967.99
	Sub-Total	**41**	**2,25,74,499.19**
India First Life Insurance Company Ltd			
1	Annuity for life with return of purchase price on death	1	1,20,529.68
2	Annuity payable for life with 100% annuity payable to spouse on death of annuitant with return on purchase of annuity	1	78,741.78
	Sub-Total	**2**	**1,99,271.46**
	Grand Total	**11,291**	**4,49,24,59,567.56**

***(Source of Data:** NSDL – CRA & Kfintech-CRA)*

* Out of the 12 empaneled ASPs, 7 ASPs have started their operation.

ii) Issuance of Annuity.

i. Turn Around time defined for issuance of annuity

PFRDA proposes to issue specific timeline for completion of documentation, issuance of annuity in FY 2020-21.

ii. Single KYC for Lump-sum and Annuity - engagement with IRDAI

PFRDA is engaging with IRDAI for the simultaneous issue of Lump-sum payment and annuity to NPS subscribers exiting from the NPS system.

iii) Annuity literacy program

- PFRDA initiated Annuity literacy program (ALP) across the country for the benefit of all NPS Subscribers who are going to retire in the next few years. The purpose of the program is to make the Subscribers aware of NPS exit process and issue annuity in a seamless manner in coordination with Annuity Service Providers (ASP).
- PFRDA had recently carried out a survey where the primary reason for pendency of annuity cases was found to be lack of awareness among the subscribers.
- To address the issue PFRDA has taken various steps to increase awareness regarding annuity and one such step is organizing Annuity Literacy Program(ALP). PFRDA has conducted various ALPs for the benefit of the retiring employees in the states in coordination with State Governments and these events are well appreciated by the participants and attended by NPS subscribers in large numbers.
- In ALP, two sets of subscribers are identified and invited by PFRDA. First, who are yet to attain the age of 60 years in coming years viz 3, 5 years and also who have already retired but not availed annuities due to any reason.
- In the program, PFRDA, NSDL and Annuity Service Providers give a presentation to all subscribers on their annuity products and distribute their brochures as well as share contact details to subscribers. NSDL makes presentation on the overall architecture of NPS and withdrawal procedure to follow at the time of Exit from NPS. A Q& A session is also organized in the last leg of ALP where the various issues are raised by participant.
- Till date, ALPs have been conducted in eight different cities across the country. The locations are mentioned in the table below:

Table No. 3.9: Annuity literacy program:

Sl. No.	Location	Date of Annuity literacy program
1	Kangra	June 28-29, 2019
2	Ahmedabad	August 2-3, 2019
3	Bangalore	September 6-7, 2019
4	Guwahati	September 27-28, 2019
5	Delhi	October 17-18, 2019
6	Patna	November 22, 2019
7	Lucknow	December 23, 2019
8	Bhopal	December 12-13, 2020

The authority is regularly taking up the matter with empaneled annuity service providers for facilitating subscribers during the purchase of annuity, creating awareness on annuity products among subscribers and also bringing an online platform for making the annuity purchase process completely online.

3.4 Activities undertaken for protection of interests of subscribers under the National Pension System and of other pension schemes under the Act

One of the major aims of PFRDA is protection of subscribers' interest and PFRDA has been engaged in multifarious activities in furtherance of this cause.

Measures taken to protect subscribers' interest

(i) Online contribution facility for NPS lite subscribers-eNPS lite In order to ensure convenience of the NPS Lite subscribers and to promote Digital payments, NSDL-CRA has enabled 'e NPS lite', the online contribution facility for NPS Lite subscribers. NPS Lite subscribers with valid registered mobile number, can visit the link (https://enps.nsdl.com/eNPS / InitialExistingUser.html) and make online contributions in their NPS Lite accounts hassle free.

(ii) Introduction of choice of Pension Funds and Investment Pattern in Tier-I of NPS for Central Government subscribers-reg- Upon Government Notification, PFRDA issued a circular dated May 08, 2019 which states about the introduction of choice of Pension Funds and Investment Pattern in Tier-I of NPS for Central Government subscribers.

(iii) Authority regularly advises NPS Trust on the deviations reported by POPs for delay in prescribed activities under operational guidelines and the payment of compensation to subscribers by POPs on account of such delays.

(iv) Notification of PFRDA (Exits and withdrawals under NPS) (Sixth Amendment) Regulations 2019 to enable pre-mature exit of NPS Lite subscribers subject to fulfillment of certain conditions.

(v) Circular on functionality developed by CRA was issued (for the purpose of dissemination of information)

(vi) Seven (07) new insurance companies were empaneled as Annuity Service Provider during last year.

(vii) As indicated in earlier section, various new initiatives were taken and guidelines were issued in the form of Circulars by the department to protect the interest of subscribers. Also, necessary amendments to Regulations were carried out based on the requirements and feedback received from stakeholders.

(viii) State Governments were advised to examine providing choices for Pension Fund and Investment pattern under NPS to their employees-subscriber, as have already provided by the Central Government vide its Gazette notification dated January 31,2019 issued by DFS.

(ix) The Central Autonomous Bodies (CABs) / State Autonomous Bodies (SABs) with irregular upload of SCF were advised to undertake upload and remittance of NPS contribution in a timely manner.

(x) Various circular issued related to New/ Up gradation of functionalities by Central Recordkeeping Agencies (CRAs) during the Financial Year.

3.5 Mechanism for Redressal of Grievances of Subscribers and Activities undertaken for Redressal of such Grievances

A subscriber can lodge grievance against the employer (Nodal Office) /CRA through the Grievance Redressal Mechanism established by CRA under NPS. The grievance be escalated to NPS Trust. The procedure for raising grievance is given below:

(i) Online Grievance Registration - A subscriber can log grievances in Central Grievance Management System (CGMS) by login to CRA website www.cransdl.com, authenticate himself by using User ID - 'PRAN' and I-PIN (provided at the time of PRAN generation) or by clicking on the link (https://www.npscra.nsdl.co.in/Log-your-grievance.php) with or without PRAN details.

(ii) CRA Helpline – A subscriber can call at our toll-free number 1800 222 080, authenticate himself through the 'PRAN' and 'T-PIN ' (provided at the time of PRAN generation)

and register complaint through our Customer Care Executive.

After successful logging of the grievance, a token number will be generated by the CRA system with the help of which a subscriber can track the status of grievance on CRA website. The grievance is then resolved by the intermediary in 30 days. If the complainant is not satisfied with the redressal of his grievance or if it has not been resolved by the intermediary by the end of thirty days of filing of complaint, he/she may escalate the complaint to the National Pension System Trust. The National Pension System Trust shall follow up the grievance with the concerned intermediary for redressal of the subscriber grievance. National Pension System Trust shall call for the resolution of the subscriber grievance and respond to the subscriber within 30 days from the date of receipt of the grievance.

After the above two levels of grievance resolution have been exhausted by the subscriber, at the third level of escalation he/she can file an appeal with the Ombudsman. An appeal may be filed with the Ombudsman by a complainant in the following circumstances: where

i. a complainant whose grievance has not been resolved within 30 days from the escalation of the grievance by filing a representation with the National Pension System Trust or

ii. by a complainant, where a complaint has been made directly against the National Pension System Trust and no other intermediary and the same remains unresolved within the specified period of thirty days; or

iii. by a complainant, in relation to a complaint against any other pension scheme regulated by the Authority, whose grievance remains unresolved for a period of 30 days.

At present, Shri Arnab Roy is appointed as the Stipendiary Ombudsman in terms of PFRDA (Redressal of Subscriber Grievance) Regulations, 2015.

Address:

C/o **Pension Fund Regulatory and Development Authority**

Plot No - B - 14/A,

Chhatrapati Shivaji Bhawan,

Qutab Institutional Area,

Katwaria Sarai, New Delhi - 110016.

Email id: *ombudsman@pfrda.org.in*

3.5.1 No. of Complaints Received, Resolved and Pending for FY 2019-20 at the Office of Ombudsman

Table No. 3.10: No. of Complaints Received, Resolved and Pending for FY 2019 -20

Sl. No.	Sector		
	CG/ CAB	SG/ SAB	UOS
No. of Complaints received	4	13	3
No. of Complaints Resolved	0	10	1
No. of Complaints pending	4	3	2

3.5.2 State-wise Complaints Received for FY 2019-20 at the Office of Ombudsman

Table No. 3.11: State-Wise Complaints received for FY 2019 – 20

Sl No.	Name of State	No. of Grievance received State - wise
1	Karnataka	10
2	Delhi	3
3	Andhra Pradesh	1
4	Maharashtra	1
5	Kerala	1
6	Madhya Pradesh	2
7	Across States by Central Government employees	2

The position of grievances received during the year at CGMS as on March 31, 2019 and its status is furnished in the table below:

Table No. 3.12: Grievances Pending, Received and Closed in CGMS from April 1, 2019 to March 31, 2020.

Sl. No.	Sector	Pending As on March 31, 2019	Received Till March 31, 2020	Resolved Till March 31, 2020
1	NPS Regular#	3,619	1,33,723	1,33,186
2	NPS Lite	46	2,129	2,146
3	APY	414	21,604	21,634
	Total	**4,079**	**1,57,456**	**1,56,966**

Source: As per CRAs

Notes: **Referrals opted as Grievance by the subscriber in CGMS.*

 # NPS Regular consists of CG/SG/SAB/CAB/ Corporate and All Citizen Sector

The position of Grievances received to various intermediaries during the year at CGMS as on March 31, 2020 and its status is furnished in the table below:

Table No. 3.13: Grievances Pending, Received and Closed in different sectors in CGMS during April 1, 2019 to March 31, 2020.

Sl. No.	Referrals Raised Against	Pending as on March 31, 2019	Received till March 31, 2020	Resolved till March 31, 2020
1	Central Government	633	3,523	3,588
2	State Government	533	5,368	5,415
3	POP	379	14,539	14,429
4	Corporate	25	34	59
5	Trustee Bank	202	37	38
6	NPS Lite	18	560	563
7	APY (APY-SP)	297	11,590	11,569
8	eNPS	505	18,706	18,725
9	CRA	1,428	101,410	100,965
10	NPS Trust	59	1,689	1,615
	Total	**4,079**	**157,456**	**156,966**

Source: CRAs

The major grievances received are related to Statement of Transactions related, Contribution amount not reflected in account, PRAN Card related, incorrect processing of subscriber details, delays in uploading of contribution amounts etc. Grievances are registered in CGMS by the subscriber and are directly routed to concerned intermediaries for necessary action. Thus, it is for the concerned intermediaries to resolve and close grievance in the CGMS which are raised against them. The periodic reminders are sent to concerned intermediary for resolving and closing grievances in CGMS.

3.6 Certification Programme for Retirement Advisers

Pension Fund Regulatory and Development Authority registers Retirement Advisers for widening the coverage of NPS and providing advisory services to the subscribers for allocating assets under NPS and choosing PFMs. The scope of work and responsibility of the Retirement Adviser is to ensure orderly growth of pension sector.

PFRDA is providing registrations to individuals as Retirement Advisers as per PFRDA (Retirement Adviser) Regulations 2016. PFRDA

has accredited National Institute of Securities Market (NISM) as institute for certification of Retirement Adviser Certification Examination. Upto March 2020, total 14,619 candidates certified with NISM Series-XVII: Retirement Adviser Certification Examination. In the FY 2019-20, 19 RAs, in the category of Individual, were registered by PFRDA and 03 RA Other than Individual category were registered by PFRDA. A quarterly summary of the candidates enrolled, appeared and passed during the FY 2019-20 is as under:

Table No. 3.14: Retirement Adviser Certification details

NISM Series-XVII: Retirement Adviser Certification			
Month	**Enrolled**	**Appeared**	**Passed**
Apr-June 2019	1765	1613	1040
July – September 2019	2054	1847	1271
Oct – December 2019	1383	1263	911
Jan – March 2020	1316	1226	831
Total	**6518**	**5949**	**4053**

3.7 Collection of Data by the Authority and the intermediaries including undertaking and commissioning of studies, research and project.

Collection and compilation of a comprehensive data based on demographics, retirement savings and investments, the different financial products/ schemes issued by the different organizations to cater to the old age income security of the underlying subscribers, the returns generated thereon, the disclosure and protection provided to the subscribers etc. under different scheme are the on - going activities of PFRDA. Towards this end, PFRDA is compiling information on people covered under various pension schemes and also people receiving pensions under various schemes. PFRDA is currently in the process of gathering information from other pension providers in the country.

3.8 Steps undertaken for educating subscribers and the general public on issues related to pension, retirement savings and related issued and details of training of intermediaries

3.8.1 Financial Literacy

Pension Literacy

PFRDA as a member of Financial Stability and Development Council (FSDC), its sub-committee, working groups and various inter-regulatory forums viz. Inter Regulatory Technical Group (IR-TG), Technical Group on Financial Inclusion and Financial Literacy (TGFIFL), Inter Regulatory Forum for monitoring Financial Conglomerates (IRF-FC), Working Group on resolution regime for financial institutions actively contributes to the furtherance of the objectives of these committee's/groups/forums.

PFRDA has hosted the website pensionsanchay.org.in to spread awareness and educate the subscribers and general public on the fundamental elements and concepts related to money, financial planning, retirement planning, investment evaluation and annuity. PFRDA has dedicated Pension-Sanchay website *(pensionsanchay.org.in)* which intended for pension literacy. The website provides references to topics and fundamental elements and concepts related to money, financial planning and retirement planning and feature a blog section that discusses topics related to Pension, Saving & Investing, Retirement Planning, Fundamentals of Money & Finance and Behavioral Aspects of Retirement Planning. The website also has a blog section for discussions and sharing of information on the topics hosted in the website. The blog section has 30 articles on Behavioural Aspects of Retirement Planning, Fundamentals of Money & Finance, Retirement Planning, Saving & Investing, Pension, which were contributed by writers from across the country.

पेंशन संचय

Pension Sanchay

PFRDA is also the co-promoter of **National Centre for Financial Education (NCFE)** along with RBI, SEBI and IRDAI which was incorporated as a Section 8 (Not for Profit Company) on September 05, 2018 for promoting financial education across the country to all sections of the society as per the National Strategy for Financial Education of Financial Stability and Development Council.

3.8.2 Programme for co-ordination with financial agencies and other agencies

PFRDA is promoting National Centre for Financial Education (NCFE), a Section 8 (Not for Profit) Company along with Reserve Bank of India (RBI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI). NCFE's mission is to undertake massive Financial Education campaign to help people manage money more effectively to achieve financial well-being by accessing appropriate financial products and services through regulated entities with fair and transparent machinery for consumer protection and grievance redressal.

The objectives of the company are to promote Financial Education across India for all sections of the population as per the National strategy for Financial Education, to create financial awareness and empowerment through financial education campaigns across the country for all sections of the population through seminars, workshops, conclaves, trainings, programs, campaigns, discussion forums by itself or with help of institutions, organisations and to provide training in financial education and create financial education material in electronic or non-electronic formats, workbooks, worksheets, literature, pamphlets, booklets, fliers, technical aids and to prepare appropriate financial literature for target based audience on financial markets and financial digital modes for improving financial literacy so as to improve their knowledge, understanding, skills and competence in finance.

APY has been incorporated in the NCFE modules as one of the Government schemes providing minimum guaranteed pension. Further, NPS has also been incorporated in the NCFE modules as a solution to retirement needs.

The National Strategy for Financial Education for India (NSFE: 2020-25) has been drafted and finalized during this which intends to support the vision of the Government of India and Financial Sector Regulators to develop adequate knowledge, skills, attitudes and behaviors which are needed to manage their money better and to plan for the future. The Strategy recommends adoption of a multi-stakeholder approach to achieve financial well-being of Indians.

3.8.3 NPS awareness, Communication and Social Media

The Authority constantly assumes varied activities for educating the subscribers and the general public on issues relating to pension, retirement savings and related issues. Apart from disseminating information directly to recipients through seminars/workshops/conferences, PFRDA has been leveraging on different media platforms - print media, electronic media, digital domain and social media to outreach the public at large for enhancing financial and pension literacy, dispersing the features and benefits of NPS and APY. The necessity and benefits of having a retirement savings plan, NPS/ APY product features, eligibility for joining the schemes, procedure of joining the schemes, tax implications etc. are propagated in the sessions conducted or through the print media/electronic media and social media platforms.

The theme of "NPS-Pension for All" was introduced with the intention of intimating the public at large that with NPS, pension can be availed by any citizen of India and also to remove the general notion that pension is available only to individuals employed in the organized sector. Further, extensive print media and radio campaigns were undertaken with this theme wherein - what is NPS, why NPS, who can join, tax benefits/NPS EEE product, contact details of NPS Help Desk were propagated and the print advertisements were inscribed with QR code of NPS Trust. The print and radio campaigns were carried out in Hindi, English and 11 other regional languages with pan India coverage considering that the messages need to be delivered to the general public of the country irrespective of language and region. In order to keep the citizens and subscribers aware about the fraudulent activities inimical to economic and social well-being of the general public - fraud and phishing in name of PFRDA/NPS, social media messages/ videos and Radio (FM Channels) Ads were also released during the year.

3.8.4 PFRDA on Social Media

Considering the challenges in traditional media as quantification of its effect and generally labeled as a one-way communication to the public at large, the social media platforms provides a multi-pronged channel of communication and delivery of message to target audience with feedbacks from the targeted audiences. Social media plays a vital role for outreach and engagement with the public and PFRDA in its effort of connecting and engaging with subscribers has proactively been maintaining its accounts with Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube for NPS, APY and Pension Sanchay website – a financial literacy initiative of PFRDA. In these specific social media handles, the cumulative followership is more than 1 lakh followers and regular sharing of information or updates is undertaken so as to remain fully engaged with the targeted audience.

3.8.5 Public Relations Agency

For ensuring media visibility through a high impact communication and to enhance awareness and disseminate information regarding the various policies, activities and schemes of the Authority for the purpose of promoting old age income security and thereby empowering every citizen of the country to participate in securing his/her old age income, PFRDA has engaged a Public Relations Agency for designing and executing an ongoing public relations strategy and communication programme.

3.8.6 Training

For furtherance of PFRDA's mandate to create awareness on pension, retirement savings and training of intermediaries, PFRDA has appointed a training agency for imparting training to the Central and State Government. Nodal Officers - Pay & Accounts Offices (PAOs), Drawing & Offices (DDOs), Corporate, Points of Presence – Banks/Non-Banks/Dept. of Post, APY Service Providers involved in the registration of subscribers, Business Correspondents of Banks, DCCBs (District Central Cooperative Banks), RRBs (Regional Rural Banks) etc. about the salient features of NPS/APY, the process of joining the schemes, option of annuity, resolution of grievances, etc. These training workshops/camps are organized, for the employees of nodal offices in the government sector and for subscribers in the non-government sector, across the country as a part of a wider policy for educating and empowering the subscribers.

The training agency has conducted a total of 2050 batches in the four zones viz. East, West, North & South and a total of 86,835 participants were trained during the period FY 2019-20. The Zone wise sector wise break and the state-wise distribution of the number of trainings conducted are as under:

Table No. 3.15: The Sector Wise Distribution of the Number of Training Sessions and Participants under NPS

Sl. No.	NPS-Sectors	Training Sessions	Participants Count	Zone wise training sessions			
				South	East	North	West
1	CG	143	6,104	7	23	37	76
2	SG	518	22,426	183	254	44	37
3	CAB	7	206	0	4	1	2
4	SAB	21	1,044	3	5	3	10
5	Corporate	226	9,126	44	23	66	93
6	POP	164	6,932	55	26	37	46
Total		**1,079**	**45,838**	**292**	**335**	**188**	**264**

Table No. 3.16: Details of Training Session under APY

Sl. No.	APY-Sectors	Training Sessions	Participants Count	Zone wise training sessions			
				South	East	North	West
1	BC-APY	344	14,769	25	112	149	58
2	DCCB-APY	166	6,932	9	24	69	64
3	DOP-APY	168	7,383	3	10	87	68
4	PSBs	127	5,354	34	25	35	33
5	RRBs	124	5,368	14	19	45	46
6	Small Finance Bank	42	1,191	30	2	5	5
Total		**971**	**40,997**	**115**	**192**	**390**	**274**

3.8.7 NPS and APY Information Helpdesk

For providing accessibility of information on NPS and APY across the country and facilitating the citizens to procure information on the developments in NPS/APY, PFRDA is operating a dedicated NPS/APY Information Helpdesk for providing information and responding to the queries from existing as well as potential subscribers in respect of NPS/APY product features, policies, regulations etc. The call center is also utilized for making outbound call to subscribers for insisting persistency of APY

contributions, gauging the awareness of NPS/ APY product features, inviting subscribers to awareness sessions conducted by PFRDA etc. across various sections of the Indian society. The NPS Information Helpdesk has received a total of 1.02 lakh calls during the financial year and had made a total of 4.52 lakh outbound calls to individuals.

Presently two toll free numbers are being operated through the NPS information helpdesk i.e. 1800110708 for NPS and 1800110069 for APY. For call back services from NPS Help Desk, SMS facility is also available through- *'SMS NPS to 56677'*. The NPS Information Desk is operational for 8 hours a day (9.30 a.m. – 5.30 p.m.), 7 days a week (including Sundays) throughout the year excluding National holidays.

3.9 Conferences, Meetings and Other Initiatives under taken during FY 2019-20

3.9.1 Conferences under Central and State Government Sector

PFRDA engages with the government Nodal Offices on various platforms, in order to improve the efficiency of NPS in the government sector. In pursuance of the same, PFRDA conducts review meetings/ video conferences /Conferences/ workshops with the Government Nodal offices at the Centre / State /CABs/SABs.

The list of programs conducted in coordination with various ministries/ departments/State Governments / attended by the department during the period April 1, 2019 to March 31, 2020 are given below:

Table No. 3.17: List of Conferences held during FY 2019-20

Video Conferences *(no. of VCs held with Govt Nodal offices)*	**Department of Post**	**Workshops/ Lecture series**	**MHA (workshops)**
a) CG- 40 b) CABs- 31 c) SG- 49 d) SABs- 19	a) Meeting with Secretary, DoP b) One day workshop/ lecture at PrAO, DoP, Delhi	A. Border Security Force (BSF) at locations • Bengaluru • Gwalior • Jammu • Delhi B. National Institute of Communication Finance (NICF), Ghitorni	a) Delhi b) Chennai c) Kolkata d) Mumbai e) Jammu f) Shillong

Workshop/Conference under State Government sector	**Meeting with senior officials of Central Autonomous Bodies (CABs)**
a. Uttarakhand b. Karnataka c. Maharashtra d. Andhra Pradesh e. Assam f. North East State Conference *(8 states of the NE region)*	a. Employees State Insurance Corporation b. Council of Scientific and Industrial Research c. East Delhi Municipal Corporation d. Kendriya Vidyalaya Sangathan

3.9.2 Steps initiated for smooth implementation of NPS in Government Sector

3.9.2.1 Measures suggested to CG Ministries/ Central Autonomous Bodies/ State Governments /State Autonomous Bodies for smooth implementation of NPS

a. Central Ministries have been advised to strictly comply with the timelines prescribed by the Department of Expenditure for completion of various NPS related activities.

b. The oversight offices like Principal Account Offices (PrAOs) / Directorate of Treasuries and Accounts (DTAs) were advised to review the performance of their underlying Pay and Account office (PAOs) / District Treasury Office (DTOs) and ensure that these timelines are adhered to. PrAOs / DTAs were also advised to sensitize the importance of following timelines and ensure that the PAOs / DTOs are further reviewing the performance of their underlying Drawing and Disbursing officer (DDOs).

c. State governments were advised to examine providing choices for Pension Fund and Investment pattern under NPS to their employee-subscribers, as have already provided by the central government *vide* its Gazette notification dated January 31, 2019 issued by DFS.

d. The Central Autonomous Bodies (CABs) / State Autonomous Bodies (SABs) with irregular upload of SCF were advised to undertake upload and remittance of NPS contribution in a timely manner.

3.9.2.2 Leveraging Technology for efficiency - Server to Server Integration and OPGM (Online PRAN Generation Module)

a) In order to ensure timely registration of NPS subscribers, the Nodal offices are being constantly advised and pursued for adopting OPGM (Online PRAN Generation Module) and STS (Server to Server) integration of the nodal offices' financial software package with the NPSCAN (NPS Contribution Accounting Network) maintained by the CRAs.

b) The Status of adoption of STS / OPGM by State Government Nodal offices is as under:

Table No. 3.18: The Status of adoption of STS / OPGM by State Government. Nodal offices:

Particulars	State
Names of State Governments which have adopted STS as on March 31, 2020	Karnataka, Maharashtra, Odisha, Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Uttarakhand, Tripura, Jharkhand, Bihar and Assam.

Particulars	State
Names of State Governments which have adopted OPGM as on March 31, 2020	Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chandigarh, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Karnataka, Madhya Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Odisha, Puducherry, Punjab, Tripura, Uttar Pradesh, West Bengal (Only for AIS), Chhattisgarh and Telangana

c) The Status of adoption of OPGM by Central Government Nodal offices is placed under:

Table No. 3.19: The Status of adoption of STS / OPGM by State Government Nodal offices

Accounting Formation	Ministry/ Office Name	No. of Offices Adopted OPGM
Civil	Ministry of Home Affairs	1
	Ministry of Agriculture	47
	Ministry of Home Affairs	44
	Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution	1
	Department of Space	2
	Ministry of Law and Justice	37
	Ministry of Corporate Affairs	9
	Ministry of Petroleum and Natural Gas	1
	Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, New Delhi	10
Defense	CDA (R&D), Hyderabad	4
Post	General Manager Finance, Postal Accounts, Delhi	24
Railways	FA and CAO, South Western Railway, Hubli	7
	FA and CAO, Diesel Loco Modernisation Works, Patiala	1
	FA and CAO, Rail Coach Factory, Kapurthala	1

3.9.3 Conferences under Corporate Sector

In financial year 2019-20, to have a better outreach to corporate and prospective NPS subscribers, PFRDA in coordination with FICCI had organized the workshops / seminars at different cities (Mumbai, Chennai, Pune and Bengaluru) considering the corporate base in these locations. PFRDA along with FICCI invited the prospective corporates for the workshops with the objective of creating a buzz among them about retirement savings /planning / NPS and the format of these workshops / seminars were designed as Welcome Address by FICCI, Keynote Address by WTM (Finance), Presentation by Retirement Consultant, NPS Presentation, NPS Taxation by Tax Expert and open session for question and answer. Workshops / Seminars that were successfully completed are as under:

Table No. 3.20: Corporate Sector Conferences held during FY 2019-20

Sl. No.	Location	Conference/Seminar held date
1	Y.B. Chavan Center, Mumbai	November 18, 2019
2	Hotel Raj park, Chennai	November 29, 2019
3	MCCIA, Pune	December 24, 2019
4	Federation House, Bengaluru	January 07, 2020

3.9.4 Conferences/ Programmes/ Meetings under Atal Pension Yojana

Major steps have been initiated by the Government of India/PFRDA to popularize and create awareness about APY:

- Periodic advertisements in print and electronic media.
- Capacity building of bank officials by conducting training programs by empaneled training agency.
- Participation in town hall meetings, SLBC meetings.
- Engagement with NCFE, NABARD, NRLM, National and State Cooperative Federations for broad basing of APY.

Table No. 3.21: APY Programmes and Meetings held during FY 2019-20

APY Felicitation Programmes		
The Programmes were organized to Felicitate the winners from APY SPs under various APY Campaigns and share success stories by High performing banks		
Sl. No.	**Date**	**Location**
1	July 1, 2019	PHD Chamber, Delhi
2	October 18, 2019	PHD Chamber, Delhi
3	January 9, 2020	PHD Chamber, Delhi
APY Zonal Strategy & Review Meetings		
The meetings were organized with the objective of reviewing performance of various banks for the previous year and their strategies for the current financial year		
Sl. No.	**Date**	**Venue**
1	May 7, 2019	North-Delhi
2	May 10, 2019	West-Mumbai
3	May 17, 2019	East-Kolkata
4	May 30, 2019	South- Bangalore
5	May 31, 2019	South-Chennai
6	June 21, 2019	Guwahati, Assam
7	November 15, 2019	West-Mumbai
8	November 19, 2019	North-Delhi
9	November 22, 2019	East-Kolkata
10	November 28, 2019	South-Bengaluru
11	November 29, 2019	South-Chennai
APY SLBC Town hall Meetings		
The Meetings were organized in various Districts in the States & UTs across the country in association with SLBCs and Lead District Managers to generate awareness about the APY scheme and to increase enrolments under APY in line with APY Citizen's Choice Campaign		
Sl. No.	**Name of SLBC**	**Date and Venue**
1	SLBC, NCT of Delhi	August 21, 2019
		August 26, 2019
2	SLBC, Himachal Pradesh	July 26, 2019
3	SLBC, Punjab	August 16, 2019
		August 27, 2019
4	Port Blair	August 9, 2019
5	SLBC, Rajasthan	August 9, 2019, Alwar
		August 7, 2019, Bhilwara
		August 8, 2019, Jaipur
		August 5, 2019, Udaipur

6	SLBC, Bihar	August 31, 2019, Jehanabad
7	SLBC, Haryana	August 7, 2019, Karnal
		August 9, 2019, Rohtak
		August 19, 2019, Gurugram
8	SLBC, Telangana	August 8, 2019, Warangal
		August 9, 2019, Hyderabad
9	SLBC, Andhra Pradesh	August 29, 2019, Krishna, Vijaywada
		August 22, 2019, Vishakhapatnam
		August 7, 2019, Srikakulam
		August 9, 2019, Anantpur
		August 13, 2019, YSR Kadapa District
10	SLBC, Odisha	August 14, 2019, Puri
		August 20, 2019, Cuttack
		August 26, 2019, Bhubaneswar (Khurda)
11	SLBC, Maharashtra	August 22, 2019, Amravati
12	SLBC, Gujarat	August 14, 2019, Rajkot
		August 8, 2019, Vadodara
13	SLBC, Karnataka	August 28, 2019, Mangalore
14	SLBC, Maharashtra	August 22, 2019, Amravati
		August 20, 2019, Aurangabad
		August 13, 2019, Nasik
		August 21, 2019, Nagpur
		August 9, 2019, Pune
		August 19, 2019, Satara
15	SLBC, Tamil Nadu	August 30, 2019, Chennai
16	SLBC, Tamil Nadu	August 27, 2019, Salem
17	SLBC Jharkhand	August 7, 2019, Ranchi
		August 13, 2019, East Singhbum
18	SLBC, West Bengal	August 20, 2019, Hooghly
		August 8, 2019, 24 Parganas
		August 8, 2019, Murshidabad

3.10 Performance of pension funds and performance benchmarks

Reference Table no. 3.22, NPS Schemes have shown a robust overall growth of 31.19 per cent during the financial year 2019-20. APY has recorded a growth of 53 per cent, where as scheme CG for central government employees has registered a growth of 27 per cent and scheme SG's assets grew by 33 per cent during the year.

Table 3.22: Asset Under Management (AUM) Break up in NPS - Growth Scheme Wise Position as on March 31, 2020

Asset Under Management (AUM) break up in NPS - Growth – Scheme Wise Position as on March 31, 2020							
Schemes				Growth in AUM			
	March 2018	March 2019	March 2020	YoY March 2019 over March 2018		YoY March 2020 over March 2019	
				Amount	Percent	Amount	Percent
Equity Tier I	4308.22	7234.21	7932.05	2925.99	67.92	**697.83**	**9.65**
Equity Tier II	217.78	325.44	352.55	107.66	49.43	**27.11**	**8.33**
Equity Total	**4526.00**	**7559.65**	**8284.60**	**3033.65**	**67.03**	**724.94**	**9.59**
% Share in Total AUM	1.93	2.38	1.98	*3.63*		*0.73*	
Bonds (C)Tier I	2846.55	4422.07	6495.76	1575.52	55.35	**2073.69**	**46.89**
Bonds (C)Tier II	162.16	209.08	297.26	46.92	28.94	**88.18**	**42.17**
Bonds (C) Total	**3008.71**	**4631.15**	**6793.02**	**1622.44**	**53.92**	**2161.87**	**46.68**
% Share in Total AUM	1.28	1.46	1.63	*1.94*		*2.18*	
G Sec (G) Tier I	4243.06	6896.75	10992.80	2653.69	62.54	**4096.04**	**59.39**
G Sec (G) Tier II	181.47	262.69	457.16	81.21	44.75	**194.47**	**74.03**
G Sec (G) Total	**4424.53**	**7159.44**	**11,449.95**	**2734.91**	**61.81**	**4290.51**	**59.93**
% Share in Total AUM	*1.89*	*2.25*	*2.74*	*3.27*		*4.32*	
Scheme A Tier I	6.53	19.52	39.60	12.99	198.77	**20.08**	**102.86**
Scheme A Tier II	-	0	0	-	-	**0**	**0.00**
Scheme A Total	**6.53**	**19.52**	**39.60**	**12.99**	**198.77**	20.08	**102.86**
% Share in Total AUM	0.0	0.01	0.01	*0.02*		*0.02*	
Sub Total Tier I	11404.37	18572.56	25460.24	7168.19	62.85	**6887.65**	**37.09**
Sub Total Tier II	561.41	797.21	1106.97	235.80	42.00	**309.76**	**38.86**
Tier I + Tier II	11965.78	19369.77	26567.21	7403.99	61.88	**7197.40**	**37.16**
NPS Lite	3005.82	3409.23	3728.40	403.42	13.42	**319.17**	**9.36**
APY	3817.86	6860.30	10526.26	3042.45	79.69	**3665.95**	**53.44**
Corporate CG	14846.33	20682.83	27143.03	5836.50	39.31	**6460.20**	**31.23**
Sub Total (Pvt Sector)	33635.79	50322.14	67964.87	16686.36	49.61	**17642.73**	**35.06**
% Share in Total AUM	14.34	15.81	16.28	*19.95*		*17.77*	
Central Govt	84954.60	109010.70	138014.59	24056.10	28.32	**29003.89**	**26.61**
% Share in Total AUM	36.22	34.26	33.06	*28.76*		*29.22*	
State Govt	115988.48	158881.11	211499.67	42892.63	36.98	**52618.56**	**33.12**
% Share in Total AUM	49.45	49.93	50.66	*51.29*		*53.01*	
Sub Total (Government)	**200943.08**	**267891.81**	**349514.26**	**66948.73**	**33.32**	**81622.45**	**30.47**
% Share in Total AUM	85.66	84.19	83.72	*80.05*		*82.23*	
Grand Total	**234578.86**	**318213.95**	**4,17,479.13**	**83635.09**	**35.65**	**99265.18**	**31.19**

Source: NPS Trust

Performance of Pension Funds

Table 3.23: The Position of the AUM with the Pension Funds

Sl. No.	PFM	AUM (In Rs. crore)		Increase in AUM	
		March 2019	March 2020	Amount	Percent
1	SBI Pension Funds Pvt. Ltd	1,21,959	1,60,491	38,532	31.59
2	UTI Retirement Solutions Ltd.	93,708	1,22,201	28,493	30.41
3	LIC Pension Fund Ltd.	92,719	1,21,028	28,308	30.53
4	HDFC Pension Management Co. Ltd.	5,165	8,265	3,101	60.04
5	ICICI Prudential Pension Fund Management Co. Ltd.	3,476	4,353	877	25.22
6	Kotak Mahindra Pension Fund Ltd.	785	991	207	26.35
7	Birla Sun Life Pension Management Ltd.	113	150	37	32.56
8	Reliance Capital Pension Fund Ltd. *	289	-	-	-
	Total	**3,18,214**	**4,17,479**	**99,555**	**31.29**

* Operation of the PF has been ceased due to surrender of license w.e.f. August 9, 2019.

Table 3.24: Scheme wise Pension Fund wise returns as on March 31, 2020

Since inception (in per cent)

Scheme	SBI	LIC	UTI	KOTAK	HDFC	ICICI	BIRLA
CG	9.82	9.39	9.43				
SG	9.48	9.37	9.39				
NPS Lite	9.98	9.78	9.84	9.59			
APY	8.73	8.86	8.93				
Corporate CG	9.56	9.38					
E-I	6.20	4.94	7.38	6.83	8.26	7.54	-2.55
C-I	10.54	10.14	9.40	10.26	10.42	10.44	10.02
G I	10.05	11.87	8.94	9.24	10.61	9.30	9.72
A-I	7.66	7.46	6.78	7.35	7.90	5.61	6.69
E-II	5.69	2.13	5.11	5.99	5.93	5.55	-2.70
C-II	10.14	9.08	9.52	9.42	9.50	10.25	8.75
G-II	10.10	12.28	9.78	9.00	10.91	9.43	8.27

Source: NPS Trust Annual report. The date of inception is different for different schemes.
Returns above 1 year periods are annualized
Inception dates: LIC, SBI & UTI April 01,2008 for CG scheme
Inception dates: LIC, SBI & UTI June 25, 2009 for SG Scheme
Inception dates: Birla May 09, 2017, HDFC August, 01, 2013, ICICI May 18, 2009, Kotak May 5,2009, LIC July 03, 2013, SBI May 15, 2009 and UTI May 21, 2009 for (E-I)
Inception date : LIC October 04, 2010; Kotak Jan 30, 2012; SBI September 16 2010; UTI October, 04, 2010 (NPS Lite)

UTI Scheme Corporate CG ended in the financial year 2013-14 (corporate CG)
Inception dates: Birla May 09, 2017, HDFC August, 01, 2013, ICICI Dec 21, 2009, Kotak Dec 14,2009, LIC August 12, 2013, SBI Dec 14, 2009 and UTI Dec 14, 2009 for (E-II)
Inception dates: LIC July 23, 2013; HDFC August 01, 2013; Birla May,9 2017 , ICICI May 18, 2009, Kotak May 15, 2009, SBI May 15, 2009 and UTI May, 21 2009 (C-I)
Inception dates: LIC August 12, 2013; HDFC August 01, 2013); Birla May, 9, 2017, ICICI December 21,2009, Kotak December 14, 2009, SBI December 14, 2009 and UTI December 14, 2009 C-II
Inception dates: LIC July 23, 2013; HDFC August 01, 2013; Birla May, 9, 2017, ICICI May 18,2009, Kotak May 15, 2009, SBI May 15, 2009 and UTI 21 May, 2009 (G-I)
Inception dates: LIC August 12, 2013; HDFC August 01, 2013; Birla May,9, 2017 ICICI December 30, 2009; Kotak December 14, 2009; SBI December 14, 2009 and UTI December 14, 2009 (G-II);
Inception dates: LIC October 13, 2016; HDFC October 10, 2016; Birla May 15, 2017 ICICI November 21, 2016; Kotak October 14, 2016; SBI October 13, 2016 and UTI October 14, 2016 (Scheme A-I)

3.11 Regulated Assets

"Regulated Assets" means and includes tangible and intangible assets created exclusively for the purpose of operations of CRA comprising bespoke software with all the components required for running the application, any third party software and component off the shelf specific to the CRA application system, all relevant CRA project data, dedicated specific hardware/software components of Data Centre and Disaster Recovery Centre, networks and all other facilities excluding physical infrastructure (building, air conditioners, power supply infrastructure, furniture).

On the expiry of the tenure of the registration or in the event of termination of the CRA, information and regulated assets held by CRA shall be transferred to another CRA registered with the Authority, within the time period and in the manner, as may be required under the PFRDA Act, rules or regulations or as may be directed by the Authority.

3.12 Fees and other charges levied or collected by the Authority during the financial year

Fees and charges are levied on the subscribers of the NPS at various stages by the intermediaries serving to the subscribers. At the entry to the NPS system, the intermediaries responsible for registration of the subscribers in NPS i.e. PoPs, charge fees which are collected upfront from the subscribers. The charge for registration of Atal Pension Yojana (APY) is borne by the government. In the next stage, CRA, the recordkeeping agency, levies fee for opening account and generation of PRAN, maintenance of account by cancellation of units. Thereafter, for each transaction involving contribution of the subscribers there is charge by both CRA and POP. Investment management fee is charged by the Pension Funds for managing the investment portfolio of the subscribers. The custodian of the securities charges for the assets under its custody and reimbursement of NPS Trust expenses are charged from the subscribers.

Table No. 3.25: Fees and Charges to the Subscribers at Various Stages

Intermediary	Fees / Charges	Private	Government*	NPS Lite/ APY
Central Recordkeeping Agency	PRA Opening charges	NSDL: Rs. 40.00	NSDL: Rs. 40.00	NSDL: Rs. 15.00
		Kfintech #: Rs 39.36	Kfintech : Rs 39.36	Kfintech: Rs.15.00
	Annual PRA Maintenance cost per account	NSDL: Rs. 95.00	NSDL: Rs. 95.00	NSDL: Rs. 25.00
		Kfintech : Rs 57.63	Kfintech : Rs 57.63	Kfintech : Rs 14.40
	Charge per transaction	NSDL: Rs. 3.75	NSDL: Rs. 3.75	NIL
		Kfintech : Rs 3.36	Kfintech : Rs 3.36	

Intermediary	Fees / Charges	Private	Government*	NPS Lite/ APY
Point of Presence	Initial subscriber registration and contribution upload	Rs. 200	NA	NA
	Any Subsequent Transactions	0.25% of contribution, Min. Rs 20 Max. Rs 25000	NA	0.25% of the total contribution in a financial year subject to a minimum of Rs. 20/- under NPS lite.
	All non-financial charges	Rs 20		Rs. 10/- per transaction under NPS lite.
	Persistency Charge > 6 months & Minimum contribution Rs. 1000 p.a	Rs. 50 per annum	NA	NA
	Contribution through eNPS	0.10% of contribution** Min. Rs 10 Max.Rs.10000	NA	NA
Trustee Bank		NIL		
Custodian	Asset Servicing charges	0.0032% p.a. for Electronic segment & Physical segment		
Pension Funds	Investment Management Fee	0.01% p.a.	0.0102% p.a.	0.0102% p.a.
NPS Trust	Reimbursement of expenses	1. from 01.04.2018 till 24.01.2019 charges were @0.005% p.a. of the AUM on daily accrual basis. 2. Since 25.01.2019 charges were stopped. 3. The same charges (i.e. @0.005%p.a. of AUM, daily accrual basis) were again levied since 01.08.2019.		
Retirement Advisers	On Boarding	Rs. 200	NA	NA
	Subsequent transaction charges	Rs. 20 per transaction or max Rs. 100/- annually	NA	NA
	Advisory Fee	0.02% of AUM subject to a minimum Rs. 100/- and maximum Rs.1000/- per annum, for providing advice to the subscribers.	NA	NA

** In case of Government employees, CRA charges are being paid by the respective Governments.*

 # Erst-while Karvy Computershare Pvt. Ltd (K Fintech Pvt. Ltd) has started operation w.e,f. February 15, 2017.

The fees received by PFRDA from the various intermediaries during the Financial Year 2019-20 is provided in the table below:

Table 3.26: Fees Received during the Financial Year 2019-20

Sl. no.	Intermediary	Fee receipt (Rs. In Lakh)*
1	Trustee Bank -Axis Bank	3050.09
2	Pension Fund	1615.13
3	CRA - NSDL - E Governance Infrastructure ltd.	860.19
4	CRA- Kfintech Pvt. Ltd.	4.75
5	Custodian - SHCIL	146.08
6	Retirement Advisor / POP/Aggregator/ASP/RFP Processing Fee	5.18
Total		**5681.42**
Note: Fees and receipts are accounted on realization basis (Cash basis)		

3.13 Information sought for, inspections undertaken, inquiries conducted and investigations undertaken including audit of intermediaries and other entities or organizations connected with pension funds.

3.13.1 Inquiries and Investigations

PFRDA and NPS Trust review the reports submitted by CRA, Trustee Bank and their auditors to ensure that the intermediary is following the turnaround time as defined in service level agreements.

3.13.2 Inspection and Audits

(i) PFRDA, Central Recordkeeping Agency and Trustee Bank regulations also have provision to conduct audit and inspection of CRA and Trustee Bank to protect the interests of the subscribers. During FY 2019-20. Internal audit of all the Pension Funds were undertaken by the Internal Auditors appointed by Pension Funds as per the guidance note for the appointment of Internal Auditor issued by the Authority.

During the Financial Year 2019-20, inspection of 07 Pension Funds for the FY 2018-19 was conducted -namely;

- SBI Pension Funds Pvt Ltd
- LIC Pension Fund Ltd
- UTI Retirement Solutions Ltd
- HDFC Pension Management Company Ltd.
- Kotak Mahindra Pension Fund Ltd.
- ICICI Prudential Pension Funds Mgmt. Co. Ltd
- Birla Sun Life Pension Management Ltd

The inspection was conducted as per the pre-defined scope of inspection and checking of compliance pertaining to the Regulations, Guidelines, Directives issued by the Authority.

The audit of the schemes managed by the respective Pension Funds was also done. Pension Funds are also subject to Statutory Audit.

During the FY 2019-20, the inspection was conducted for Custodian i.e. Stockholding Corporation of India for the FY 2018-19.

PFRDA also undertakes supervision of Non-Government Sector such as Points of Presence under NPS, NPS Lite and APY with respect to their compliance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Point of Presence) Regulations, 2018 and the operational guidelines issued there under.

(ii) Authority regulates and supervises the PoPs through offsite and onsite monitoring

mechanism, the details of which are as under:

(a) Offsite monitoring:

The offsite monitoring and supervision include review of the following reports submitted to the NPST / PFRDA:

a) Monthly/quarterly exception reports on the delays in SCF uploads and remittance of contributions and other subsequent services;

b) Quarterly/half yearly compliance certificates;

c) Account balance certificate on un-reconciled balances in NPS collection accounts;

d) Half yearly/yearly internal audit reports;

e) Cyber security certificate submitted by the POPs;

f) Pending grievances.

The defaulting intermediaries are advised to take corrective action, adhere to the specified operational Turn Around Times and to pay compensation for delays.

In serious cases, the matter could be referred to Adjudication Department for initiating adjudication proceedings wherein if found guilty, monitory penalty could be imposed.

(b) Onsite monitoring:

(i) The Authority conducts onsite inspections of the POPs based on certain parameters *viz*. NPS subscribers' enrollment processes, customer due diligence including compliance of KYC as per PMLA Act and other pertinent issues such as grievances pending for resolution for more than thirty days, completion of activities by the POPs as per TATs prescribed under the operational guidelines.

(ii) Observations are being shared with POPs after the inspection which includes deviations and process improvement to protect the interests of subscribers. Further, it is ensured that the POPs comply with the observations made and the closure of the Inspection report.

(iii) During the year 2019-20, 20 onsite inspections of POPs for activities under NPS (11 POPs) and APY (9 POPs) were conducted.

(iv) NPS Trust has also conducted the audit of all POPs registered for activities under NPS and NPS Lite through empaneled auditors for FY 2017-18 and FY 2018-19. Authority, in coordination with NPS Trust, also follows up the matter so that POPs rectify the deviations observed by the auditors.

(iii) Issuance of advisories/directions/notices under Regulation 14(2)(o) of PFRDA Act,2013 to PoPs under NPS, NPS Lite, APY and RAs

The Authority issues advisories / directions / notices to POPs to ensure the compliance and smooth functioning of activities carried out by them.

(iv) Submission of preliminary report

In the event of any alleged violations having been detected, which *prima facie* discloses any act of omission or commission covered under Section 28 of the Act, the Department, submits a formal preliminary report to Member in Charge (Investigation and Surveillance) in accordance to PFRDA (Procedure for inquiry by Adjudicating Officer) Regulations, 2015.

(v) Policy Matters

Based on the requirement and suggestions received from various stakeholders for improvement in process and procedures, PFRDA examines and recommends the

improvements for the benefit of subscribers and stakeholders.

For all other intermediaries under NPS, similar mechanism exists for offsite/onsite inspections.

3.14 Others

3.14.1 Subscribers (category wise) covered under the National Pension System and other pension schemes under the Act

i) Number of Subscribers under NPS over the Years

Enrollment of subscribers in NPS increased from 273.55 lakh in March 2019 to 345.55 lakh in March, 2020. The growth of number of subscribers during 2019-20 is 26.32 per cent. A year-wise number of NPS subscribers is provided in below chart.

Table 3.27: Sector wise number of Subscribers under NPS/APY

Sectors	March 2019 (No. in lakh)	March 2020 (No. in lakh)	Growth over year	
			Absolute increase (No. in lakh)	Percent
Central Government	19.85	21.02	1.17	5.89
% to total	7.25	6.08		
State Government	43.21	47.54	4.33	10.02
% to total	15.8	13.76		
Corporate	8.03	9.74	1.71	21.30
% to total	2.94	2.82		
All Citizen/UoS	9.3	12.52	3.22	34.62
% to total	3.40	3.62		
NPS Lite*	43.63	43.31	-	-
% to total	15.95	12.54		
APY	149.54	211.42	61.88	41.38
% to total	59.66	61.18		
Total	**273.55**	**345.55**	**72.00**	**26.32**

***(No fresh registration permitted after 01st April, 2015)**

Chart 3.1: Year wise number of subscribers under NPS & APY

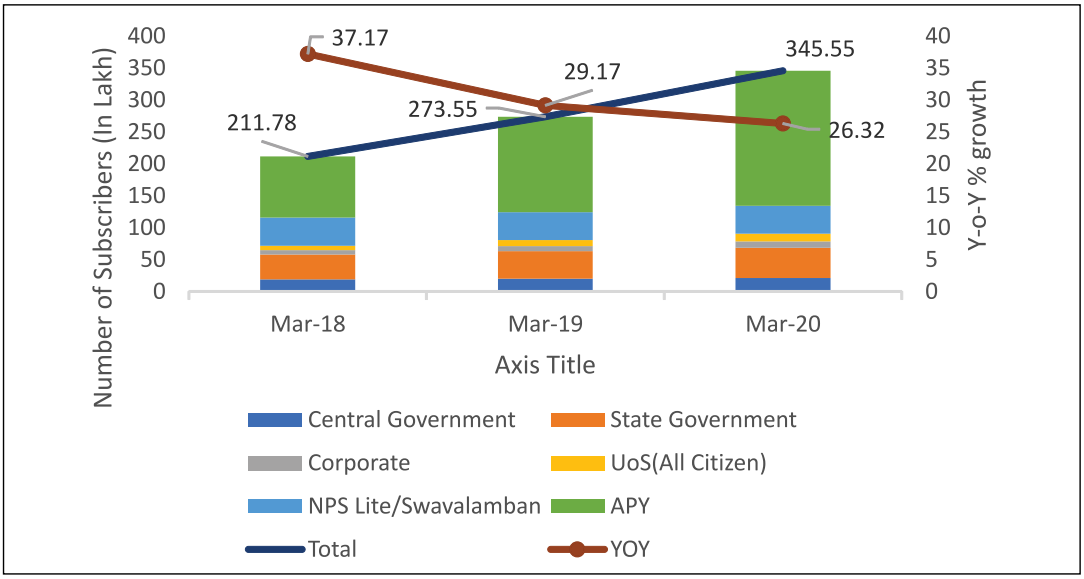

ii) No. of subscribers – Sector wise

Government Sector

Table 3.28 No. of Subscribers, Contribution & AUM of Government Sector as on March 31, 2020

Sector	No. of subscribers	Contributions (Rs. crore)	AUM (Rs. crore)
Central Government	2101,972	99,739.87	138,046.28
State Government	4753,870	165,189.88	211,022.52
Total	**6855,842**	**264,929.75**	**349,068.80**

- Government subscribers have increased from 63.06 lakh as end of March 2019 to 68.56 lakh subscribers as end of March 2020, registering an increase of 5.50 lakh (8.72 per cent) .

iii) Private Sector

Table 3.29: No. of Subscribers, Contribution & AUM of Private Sector as on March 31, 2020

Particulars	No. of subscribers	Contributions (Rs. in crore)	AUM (Rs. in crore)
Corporate Sector	973,560	32,828.57	41,231.12
All Citizen/UoS	1251,574	15,011.86	12,924.30
Total	**2225,134**	**47,840.43**	**54,155.42**

*mainly attributed to shifting of PRAN from one sector to another sector.

- Under Private sector, number of corporate subscribers has increased from 8.03 lakh to 9.74 lakh, an increase of 1.71 lakh (21.30 per cent) subscribers. The subscribers under UoS/All Citizen have increased from 9.30 lakh as end of March 2019 to 12.52 lakh as end of March 2020, an increase of 3.22 lakh (34.62 per cent) subscribers.

iv) Unorganised Sector

Table 3.30: No. of Subscribers, Contribution & AUM of NPS Lite and APY as on March 31, 2020

Particulars	Subscribers (In No.)	Contributions (Rs. in crore)	AUM (Rs. in crore)
NPS Lite	43,31,664	2,700.51	3,728.40
Atal Pension Yojana	2,11,42,262	9,747.36	10,526.26
Total	**2,54,73,926**	**12,447.87**	**14,254.66**

- Number of subscribers under NPS Lite and APY, together, has increased from 193.16 lakh in March 2019 to 254.74 lakh in March 2020, increasing by 61.58 lakh subscribers (31.88 per cent) .
- New entry into NPS Lite scheme has been discontinued w.e.f. April 1, 2015 and APY was launched on May 9, 2015 and it became operational from 1st July, 2015. APY is focused on the poor and the under-privileged citizen of India; it will provide a defined pension after 60 years of age.
- Under the APY, the subscribers would receive the minimum guaranteed pension of Rs. 1000 per month, Rs. 2000 per month, Rs. 3000 per month, Rs. 4000 per month, Rs. 5000 per month, at the age of 60 years, depending on their contributions, which itself would be based on the

subscriber's age on joining the APY. The minimum age of joining APY is 18 years and maximum age is 40 years. Therefore, minimum period of contribution by any subscriber under APY would be 20 years or more.

- Scheme operates through all Bank Branches /Post Offices/Payment Banks registered with Central Recordkeeping Agency (CRA).

v) Performance in terms of returns

- As on end of FY 2019-20, 211.42 lakh subscribers have been registered under APY, further 8.60 lakh subscribers were eligible for Government co-contribution in Tranche 1. Under APY,

a. 18 per cent of the subscribers have opted for Rs 5000 pension amount

b. 26 per cent of the pension aspirants are in the age group of 21-26 years

c. The ratio of female and male subscribers is 57:43

APY scheme is managed by three public sector pension Funds namely LIC, SBI and UTI. The asset under management of this scheme as on March 31, 2020 is Rs. 10,526.26 crore. The scheme has generated around 8.84 per cent CAGR since inception till March 2020.

Table 3.31: Detailed Analysis of registered APY subscribers (PRANs Generated) on the basis of Gender, Pension Amount and Age.

Gender wise			
Sl. No.	**Gender**	**PRAN Count**	**Percentage**
1	Female	96,20,622	43.14
2	Male	1,26,75,526	56.84
3	Transgender	5,510	0.02
	Total	**2,23,01,658**	**100.00**

Pension Amount wise			
Sl. No.	**Pension Amount (Rs. Per month)**	**PRAN Count**	**Percentage**
1	1,000	1,62,45,708	72.85
2	2,000	12,50,195	5.61
3	3,000	6,33,896	2.84
4	4,000	2,52,879	1.13
5	5,000	39,18,980	17.57
	Total	**2,23,01,658**	**100.00**

Age wise			
Sl. No.	**Age Range**	**PRAN Count**	**Percentage**
1	Between 18 to 20 Years	32,15,107	14.42
2	Between 21 to 25 Years	59,76,402	26.80
3	Between 26 to 30 Years	57,12,028	25.61
4	Between 31 to 35 Years	46,42,280	20.82
5	Above 35 Years	27,55,841	12.36
	Total	**2,23,01,658**	**100.00**

APY scheme is managed by three public sector pension Funds namely LIC, SBI and UTI. The asset under management of this scheme as on March 31, 2020 is Rs. 10,526.26 crore.

3.14.2 Points of Presence

Under POP Regulations, 2018, PFRDA has issued Certificate of Registration to 317 PoPs.

3.14.3 Asset under Management Scheme wise

The details of the scheme wise asset under management in given in the table below:

Table 3.32: Scheme wise Asset under Management

(Rs. in crore)

Scheme	March 31, 2019	March 31, 2020	Growth (In per cent)
CG	1,09,010.70	1,38,014.59	
SG	1,58,881.11	2,11,499.67	30.47
Sub total	**2,67,891.81**	**3,49,514.26**	
Cor.CG	20,682.83	27,143.03	
E-I	7,234.21	7,932.05	
C-I	4,422.07	6,495.76	
G-I	6,896.75	10,992.80	
A-I	19.52	39.60	
E-II	325.44	352.55	35.06
C-II	209.08	297.26	
G-II	262.69	457.16	
NPS Lite	3,409.23	3,728.40	
APY	6,860.30	10,526.26	
Sub total	**50,322.12**	**67,964.87**	
Grand Total	**3,18,213.95**	**4,17,479.13**	**31.19**

The table above indicate that the asset under management for government sector NPS schemes (CG and SG) has grown by around 30 percent, however the Asset Under Management of the schemes other than these two schemes has grown by around 35 percent. In terms of absolute number, the government sector schemes grew by Rs. 81,622 crore whereas other than government sector schemes in aggregate grew by Rs. 17,642 crore.

3.14.4 The Central Recordkeeping Agency, its role and functions

i) Introduction

NSDL e-Governance Infrastructure Ltd, was appointed by PFRDA, as the Central Recordkeeping Agency and an agreement was executed on November 26, 2007.

After notification of the PFRDA (Central Recordkeeping Agency) Regulations, 2015 with effect from April 27, 2015, NSDL e-Governance Infrastructure Ltd was issued certificate of registration to work as Central Recordkeeping Agency effective from December 18, 2015 for the remaining period of the original contract dated November 26, 2007 effective from December 01, 2007 for 10 years and after that periodic extensions were granted.

CRA acts as an operational interface for all intermediaries. The role includes liasoning with all necessary external agencies and recordkeeping, administration and customer service functions for all subscribers of the NPS.

During the FY 2016-17, the Authority had registered M/s Karvy Computershare Private Limited as second CRA and allowed them to start its operations for servicing of

accounts sourced through e-NPS module of NPS Trust wherein the subscriber was provided an option to choose between NSDL e-governance Ltd (1st CRA) and M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd (2nd CRA) with effect from February 15, 2017 and other distribution channels thereafter. M/s Karvy Computershare was allowed to service the new accounts till March 31, 2017 and thereafter it was allowed to function as a full-fledged CRA with interoperability functionality providing for option to shift for existing subscribers of NPS from April 01, 2017 onwards. Now the same is known as KFin Technologies Private Limited.

Under sub regulation 4 of regulation 3 the CRA regulations, the allocation of the subscribers between the existing central recordkeeping agency and the other central recordkeeping agency or agencies, if appointed, shall be based on a transparent criteria and process as may be notified by the Authority from time to time having regard to the subscribers' interest. Accordingly, the criterion for allocation of subscribers is mentioned as under:

In case where there is employee- employer relationship, including corporate, if the CRA charges are being borne by the employer, the decision to select the CRA shall rest with the employer, unless they specifically delegate the option to individual employees and in all other cases, the choice of selection of CRA will rest with the employee/ subscriber under NPS. In case of voluntary subscribers (without existence of any employee-employer relationship) the option to choose a CRA rests with the subscriber in general. In case of subscribers registered under Atal Pension Yojana, the respective government will choose the CRA for rendering the services. In case of NPS Lite subscribers the PoP/Aggregator had the option to choose the CRA.

ii) Role and responsibilities of CRA

The major role and responsibilities of CRA are as follows:

i. Continuous Enhancements and developments of new functionalities

It is the responsibility of the CRA to create and establish Facilitation-Centres network across country. They have to develop various new functionalities/utilities and do continuous enhancements and development of modules to address changing requirements of various stakeholders.

ii. Services to Subscribers of all sectors

The primary role of CRA is of recordkeeping, administration, providing customer service functions for all NPS subscribers, issuance of unique Permanent Retirement Account Number (PRAN) and IPIN/ TPIN to the subscribers. The various services to the subscribers include sending SMS alerts and emails at the time of registration, credit/ debit of units, withdrawal, balance in the PRAN, conducting subscriber awareness programs and providing web-based access to all the NPS stakeholders. CRA also provides Centralized Grievance Management System and Call-Centre facility to the subscribers and Nodal offices. Besides these services all subscriber maintenance services such as change of scheme, change of demographic details, grievance handling etc. are being handled by CRA.

iii. Services to Intermediaries

(i) PFMs

It is the primary responsibility of CRA to timely intimate the position of the funds to PFMs, prepare and send consolidated Investment Preference Scheme information, sending net fund transfer report to PFMs on the basis of confirmation of fund transfer report received from Trustee bank and to measure the Scheme performance reports

using NAVs send by PFMs to CRA.

(ii) TB

To reconcile pension fund reports received from Trustee Account with pension fund contribution information report and generate error/discrepancy report on fund reconciliation, sending instruction to Trustee Bank to remit withdrawal fund to subscribers' account and remit remaining amount to Annuity Service Providers' account against the annuity scheme

(iii) ASPs

To collect physical application forms from the subscribers and forward them to ASPs and sending funds transfer details for the subscriber's annuity to ASPs. Transferring electronic data transfer to ASPs with respect to subscriber details and sending instruction on Annuity scheme.

(iv) Others

Provide periodic and ad-hoc MIS (including Grievance redressal) to PFRDA, State Governments, Central Government and Ministry of Finance, conduct periodic orientation programs for nodal offices and to provide seamless and error-free system operations involving CRA system, PFMs, TB and other entities in NPS.

i. Annual fee

The Central recordkeeping agency will pay an annual fee at the rate of 0.05 times of the service charges as specified in regulation 22 of PFRDA (Central Recordkeeping Agency) Regulations, 2015.

ii. CRA Service Charges

The charge structure for NPS regular and NPS Lite/APY subscribers is provided hereunder the information of all concerned:

Table 3.33: Charge Structure for NPS Regular and NPS Lite/APY

Sl. No.	Service Charge head	M/s NSDL e-governance Infrastructure Ltd (1st CRA)		M/s Kfintech Pvt Ltd (2nd CRA)	
		NPS Regular (Rs.)	NPS Lite/ APY (Rs.)	NPS Regular (Rs.)	NPS Lite/ APY (Rs.)
1	PRA opening charges	40.00	15.00	39.36	15.00
2	PRA Annual maintenance charges	95.00	25.00	57.63	14.40
3	Transaction charges	3.75	NIL	3.36	NIL

v) Regulations

The PFRDA (Central Recordkeeping Agency) Regulations, 2015, have been notified on April 27, 2015. Subsequently, PFRDA (Central Recordkeeping Agency) (First Amendment) Regulations, 2018 have been notified on June 25, 2018.

The objective of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Central Recordkeeping Agency) Regulations, 2015 is to set standards for the eligibility, governance, organization and operational conduct of the entity who wish to function as Central Recordkeeping Agency. Regulations would ensure an

effective and credible use of inspection, investigation, surveillance and enforcement powers and implementation of an efficient compliance program in tune with the spirit of PFRDA Act.

Entity registered as Central Recordkeeping Agency through this regulation is required to establish an internal system that delivers compliance with standards for internal organization and operational conduct, with the aim of protecting the interests of NPS subscribers and their assets.

v) Development of New Functionalities

Continuous enhancements and development of modules to address changing requirements of various stakeholders is one the main objective of CRA. Various functionalities were developed by CRA to ensure the seamless functioning of NPS system. Few of the major developments are as under:

Facilities available to Subscribers under NPS

- **Direct Remittance as a mode of Payment** an additional option/ mode of contribution namely Direct Remittance (D-Remit) is proposed wherein the existing NPS Subscribers under Government/ Non-Government/All Citizens Model would be able to deposit their voluntary contributions by creating a Virtual ID linked to their PRANs. NPS subscribers who are intending to make their voluntary contributions through D-Remit would be required to access CRA System and generate Virtual ID linked to their PRAN. Post authorization of Virtual ID, subscribers can log-in to their Net Banking and add Virtual ID generated as above with IFSC details as a Beneficiary, to transfer their voluntary contributions. Subscribers shall thus be able to give Standing instructions for making periodic payments into NPS.
- **e-PRAN to be treated at par with Physical PRAN card** Subscribers will be given the option to select e-PRAN or Physical PRAN card at the time of subscriber registration. Accordingly, the CRA charges for account opening will be reduced in case the subscriber opts for e-PRAN card. Further, the same will be considered of equal value as Physical PRAN card for availing various services under NPS.
- **Contribution facility to give effect to Government notification on increase in Government contribution from 10 per cent to 14 per cent** for Central Government subscribers w.e.f. 01.04.2019.
- **e-Sign facility** made available for e-NPS platform for PAN based registration and for Tier II subscribers which shall eliminate paper work for the subscribers.
- **UPI Payment option to e-NPS subscribers** in addition to the current payment options such as net banking, credit/debit card.
- **Choice of CRA to subscribers:** Subscribers can now change their CRAs two times in a year from the current once in a year.
- **Aadhaar based offline paperless KYC verification process for NPS on-boarding** PFRDA gave approval to make Aadhaar based offline paperless KYC verification process through Aadhaar XML file available to NPS subscribers on voluntary basis for on-boarding of subscribers through e-NPS portal. Subscriber would be required to select 'Aadhaar' option to enroll through offline Aadhaar based registration process. The new offline process shall maintain privacy and security wherein only a part of Aadhaar number would be shared with entity/service provider doing paperless KYC, in compliance to order of Hon'ble Supreme Court. The entities like CRAs (Central

Recordkeeping Agencies) can verify the KYC details shared by the subscriber with his/her due consent.

- **Online Nomination Module:** PFRDA has approved the functionality related to updation/change of Nomination by Subscribers based on the logics defined in on-boarding process (through CSRF) under NPS and considering PFRDA (Exits and Withdrawals Under the NPS) Regulations 2015, Chapter VII and Regulation 32, sub-regulation (iv, v and vi), complete nomination process under NPS including nomination registration.

- **E-NPS exit process**

i. Normal/Pre-mature exit under e-NPS: a. An option will be available on CRA website for the subscriber to submit withdrawal request. For this purpose, limited access will be provided on CRA Website to the subscriber to provide withdrawal request details and upload scanned documents; b. The subscriber will provide details such as Bank details, address details etc. and upload scanned copies of their KYC documents and bank proof; c. E-Sign withdrawal request - The subscriber will e-Sign withdrawal request using Aadhaar, and d. Once withdrawal request is successfully submitted by the subscriber, KYC documents will be displayed to Bank-POP for verification. The verification of the request will be done by Subscriber's bank.	**Exit related services from e-NPS due to death:** Under the approved process, the nominee has to submit the exit form to NPS Trust with required documents post verification of his KYC by his bank. The nominee has to get a Bank KYC confirmation on bank's letterhead containing the photo and signature of the nominee and signed with seal by the designated bank official where the nominee has his bank account and in which he wants to receive the lump sum and/ or annuity and submit to NPS Trust. Post receiving of required documents NPS Trust will authorize the withdrawal request after carrying out appropriate due-diligence.

- **OCI subscribers allowed to register under NPS Private sector** The OCI Subscriber should have valid documents such as OCI card and existing foreign address proof & other details to register in NPS.

- **Penny drop facility** for instant bank account verification of the subscriber in lieu of providing cancelled cheque/ passbook copy/ bank statement etc.

- **Addition of following sub-categories in CGMS for Withdrawal**

  1. Partial withdrawal not initiated / not authorised / amount not received
  2. Exit not initiated / not authorised / amount not received
  3. Pre-mature withdrawal not initiated / not authorised / amount not received
  4. Death withdrawal not initiated / not authorised / amount not received

- **'NPS ki Paathshala' videos** on Youtube for making the subscribers and nodal offices more aware about the various functionalities and benefits of NPS.

- **Frequently Asked Questions (FAQs)** along with answers against respective query category are now available to Subscriber & Entity (raising grievance on behalf of NPS Subscriber) in CGMS. The Subscriber,

raising any query through CGMS will have a provision to view the FAQs & relevant answers based on the category of grievance selected.

- **For Facility of document (Exit Applications/KYC documents) upload** (in .pdf format) to Subscribers /DDOs/ Nodal Offices for Superannuation, Premature and Death Exit requests.

Features in NPS Mobile App

i) Tier II Withdrawal

Subscriber can now initiate Tier II account withdrawal under NPS using Mobile App. The Subscriber will log into the App with their User ID and password. An option to select Tier II withdrawal and generate One Time Password (OTP) is available in Mobile App. On entering the correct OTP, Subscriber will have an option to select mode of Withdrawal - (i) lumpsum (amount), or (ii) scheme wise units. Once the option is selected and relevant details are submitted by the Subscriber, the same will get executed in the CRA system and funds will get transferred to Subscriber's Bank Account registered with CRA.

ii) Reset password using OTP

Subscriber can now reset his/her password using Mobile App through OTP. The Subscriber is required to enter his/her PRAN, Date of Birth and set his/her new password and generate OTP. On entering the correct OTP received on his/her mobile (registered with CRA), the password becomes active. This option is in addition to the option of resetting password using secret question.

iii) Mobile app for IOS and Windows platform users

Mobile app has been made available for subscribers using IOS and Windows platform

iv) Mobile app has been made available for NPS Lite and APY subscribers

v) Features under Atal Pension Yojana (APY)

(i) Shifting of APY-SP/APY-SP Branch

APY subscribers can shift their Bank/Branch mapped to their APY account.

(ii) e-PRAN for NPS Lite Subscribers

Subscribers of NPS Lite can now view their e-PRAN card. To view PRAN card subscribers are required to provide their PRAN no. and bank account no. However, in case the subscriber does not remember their PRAN no., e-PRAN card can be obtained by inputting other details such as bank account no., name and date of birth.

(iii) Upgrade/Downgrade minimum pension under APY

Under APY, the Subscriber is required to select the minimum pension of Rs. 1,000/-, 2,000/-, 3,000/-, 4,000 and 5,000/- per month that will be given at the age of 60 years depending on the contributions by the Subscribers. Accordingly, the contribution is deducted from Subscriber's Bank Account as per the frequency opted i.e. monthly/quarterly/half yearly. As per PFRDA guidelines, APY Subscribers have an option to upgrade/downgrade the opted pension amount, throughout the year.

iv) Online contribution facility for NPS Lite subscribers Option given to NPS Lite Subscribers to contribute online through e-NPS platform. Subscriber has to

access eNPS website & select the menu 'Contribution' and further, provide the details by selecting the option 'NPS Subscriber type' i.e. NPS Lite and PRAN details. The contribution can be done after OTP authentication and confirmation of captcha details. The payment gateway and CRA charges will be applicable on contributing through e-NPS.

vi) Features for Nodal Offices/ POPs/ Corporate/Retirement Advisors

(i) Online Subscriber Registration by DDOs

The facility to register Subscriber online using Online PRAN Generation Module (OPGM) is made available to Drawing and Disbursing Office (DDOs) for Government Sector. DDOs are allowed to capture the registration details of underlying subscribers and the same are verified by the associated DTOs/DTAs. Now based on requests received from some states, changes have been made in the OPGM such that DTO shall raise the registration details and associated DTA shall verify the same.

Earlier the nodal Offices were required to provide 26-digit PAOFIN, in fund transfer instruction at the time of transfer of funds to TB. This has now been reduced to 13 digits to reduce instances of fund return due to incorrect PAOFIN.

Option for initiating online conditional withdrawal has been provided to DDOs.

(ii) Activation/ De activation of PRAN account

As per the State Government requirement, now:

(i) reactivation of PRAN can be done by any Nodal Office even if the deactivation request was not raised by the same Nodal Office.

(ii) This will be allowed only for the entities from same State Government and implemented only for State Government sector.

(iii) Error Rectification Module (ERM)

An ERM request can be processed by the Nodal Office through whom the contributions were uploaded in CRA system. In addition, now in case of State Government, the facility to perform a single ERM transaction on behalf of all the underlying Nodal Offices is provided to the Oversight Office. This will save efforts and time of multiple ERM requests being captured by different Nodal Offices.

(iv) Corporate Subscriber Registration

Earlier, Corporates were required to certify in Subscriber Registration Form for their underlying Subscribers association. Now, feature has been enabled where Corporates can confirm online their Subscriber association for Subscribers registered through POP or through submission of physical form to CRA. This option would be available to those Corporates who opt for online confirmation of their Employees.

(v) Retirement Adviser

The Retirement Advisers (RAs) are appointed by PFRDA

to engage in the activity of providing advice on NPS thereby to extend the reach of NPS. The RAs can be an individual, registered partnership firm, body corporate, or any registered Trust or society. The online platform has been developed and released in the CRA system to facilitate registration of an individual/entity as RA.

(vi) Subscriber details view available in POP/Entity login

It provides details of Subscribers such as Personal details, other details. Now, it will also provide the reason for freeze of PRAN.

vii) CRA Toll Free Helpline

Dedicated toll-free number (1800222081) is available to Nodal Offices for contacting CRA regarding their general queries / complaints. This is in addition to an existing toll-free number (1800222080) available for NPS Subscribers.

3.14.5 Pension funds

Pension fund means an intermediary which has been granted a certificate of registration under sub - section (3) of section 27 by the Authority as a pension fund for receiving contributions, accumulating them and making payments to the subscriber in the manner as may be specified by regulations.

Appointed and registered Pension Funds manages pension corpus through various schemes under National Pension System or any other Scheme. Pension Funds use their access codes to confirm receipt of netted assets and instructions regarding fund allocation, confirm allocation of funds and communicate the NAV of each scheme to CRA and the custodian on a regular basis.

Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) Regulations, 2015 were notified on 14th May, 2015 and the Pension Funds had to abide by these regulations including any amendments there under.

Functions of Pension Funds

The functions of the Pension Funds include, but are not limited to the points mentioned below:

a) The management of pensions schemes shall be carried in accordance with the objects of the schemes, provisions of the Act, Trust Deed, rules, regulations, guidelines and circulars issued by the Authority from time to time and within the time lines as specified by the Authority or the National Pension System Trust.

b) The day-to-day management of the pension funds shall be done by the pension fund on behalf of the National Pension System Trust.

c) The pension fund shall, at all times render high standards of service, exercise reasonable care, prudence, professional skill, promptness, diligence and vigilance while discharging its duties in the best interests of the subscribers. The pension funds shall avoid speculative investments or transactions.

d) The pension fund shall employ well qualified professionals or staff with high integrity. The pension fund shall be responsible for the acts of commissions or omissions by its employees or authorised persons whose services have been procured and its liability for such acts of commissions or omissions. This liability shall survive despite the cancellation or suspension or withdrawal of certificate of registration or supersession of management by the Authority.

e) The pension fund shall facilitate and co-ordinate with other intermediaries and other entities inter-alia through agreements, technological platforms for undertaking its functional obligations.

f) The pension fund shall maintain books of accounts, records, registers and documents relating to the operations of the pension schemes to ensure compliance with the regulations, guidelines, circulars issued

by the Authority from time to time, and facilitate audit trail of transactions and business continuity at all times.

g) The pension fund shall submit periodical and compliance reports as required under these regulations, guidelines or circulars, or as may be called for by the Authority, or as required by the National Pension System Trust from time to time.

h) The pension fund shall undertake public disclosure of information for the benefit of subscribers in the mode and manner as may be specified by the Authority in Schedule V.

i) The pension fund shall adopt best governance practices for investments and risk management like constitution of Investment Committee and Risk Committee, its composition, functions, policy contents and other like matters as specified in Schedule X.

j) The pension fund shall prevent conflict of interests that may arise while discharging the obligations as a pension fund and reporting of such instances to the National Pension System Trust.

k) The pension fund shall ensure exclusivity and segregation of pension fund business activities from its sponsors.

l) The pension fund shall ensure confidentiality with respect to subscribers' information and activities relating to the pension fund and protection of all information within its control except as required by the Authority or the National Pension System Trust or provisions of any law.

m) The pension fund shall provide such representations and warranties as may be necessary for the protection of subscribers' interest on behalf of the National Pension System Trust.

List of Pension Funds (PFs) under NPS schemes

i) HDFC Pension Management Co. Ltd.

ii) ICICI Prudential Pension Fund Management Co. Ltd.

iii) Kotak Mahindra Pension Fund Ltd.

iv) LIC Pension Fund Ltd.

v) SBI Pension Funds Pvt. Ltd

vi) UTI Retirement Solutions Pvt. Ltd

vii) Birla Sun Life Pension Management Limited

The Investment management fee charged by Pension funds for the non-Government sector portfolio is 0.01 per cent per annum of the assets under management.

3.14.6 The Trustee Bank

PFRDA (Trustee Bank) regulations, 2015 had been notified on March 23, 2015.

The objective of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Trustee Bank) Regulations is to set standards for the eligibility, governance, organization and operational conduct of the entity which gets selected as Trustee Bank. Regulations would ensure an effective and credible use of inspection, investigation, surveillance and enforcement powers and implementation of an efficient compliance program in tune with the spirit of PFRDA Act.

i) Trustee Bank:

Axis Bank Ltd. was selected as Trustee Bank under NPS through an open bidding process with effect from July 01, 2015 for a period of 5 years, as per the terms of the PFRDA (Trustee Bank) Regulations, 2015. Considering the emerging scenario, in order to protect the interest of the subscribers and other stakeholders under NPS, Authority extended the tenure of certificate of registration granted to Axis Bank Ltd to act as a Trustee Bank under NPS till 30.06.2021 or completion of the selection process, system development and operationalisation of the new Trustee Bank, whichever is earlier.

Roles and responsibilities of Trustee Bank:

(i) Trustee Bank facilitates fund transfers across various entities of CRA system viz. Nodal Offices (uploading offices),

Pension Fund Managers, Annuity Service Providers and subscribers.

(ii) Trustee Bank uploads a file containing the details of the funds received from various Nodal Offices to the CRA system. These details are then matched with contribution details provided by Nodal Office(s) to CRA system.

(iii) Trustee Bank receives fund transfer instructions from CRA system as a part of Pay-in process to transfer funds to various entities viz. PFMs, Annuity Providers, Withdrawal Account and may also receive funds from Pension Fund Manager(s).

(iv) Return of unidentified remittances or remittances with incomplete information to the concerned entity.

(v) At the end of each settlement day, the balance funds at Trustee Bank account are reconciled with CRA system.

The following diagram depicts the role of Trustee Bank in the NPS architecture:

Chart 3.2: NPS Architecture and Intermediaries

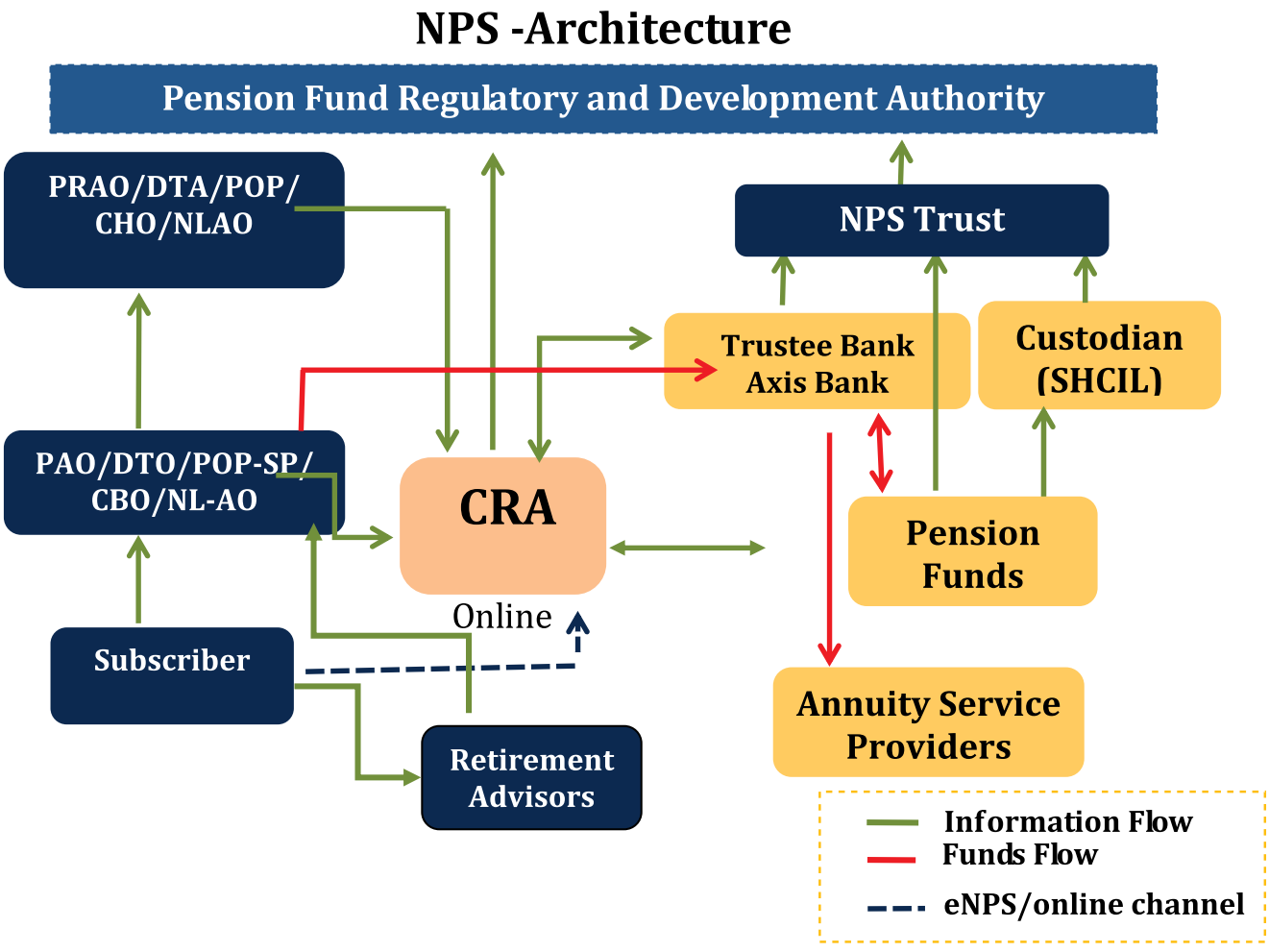

ii) Timelines for Trustee Bank

The business activities of Trustee Bank are linked with the other processes at CRA. Therefore, bank ensures that the activities are completed within the timelines specified. The chart given below gives the basic idea of the core activities and time limit within which the same is carried out by the Bank:

Table 3.34: Core activities of the Trustee Bank

Nature of Activity	Timelines
Return of unidentified funds	T+1
Upload of Fund Receipt Confirmation file (FRC)	T+1 (by 9:15 a.m.)
Download Pay- in instruction files from CRA	Daily
Transfer of matched and booked funds to Pension Fund Managers	T+1
Upload of statements and closing balance of various accounts	Daily

Note: (Assumption- Fund realisation at TB on day T)

iii) Measures taken to protect subscriber's interest:

Trustee Bank is appointed to facilitate transfer of funds from Nodal Offices to Pension Fund Managers. The following measures have been undertaken to improve the system in order to protect the interest of subscribers:

(i) Return of Inward remittances

Intimation about return of remittances to the respective Nodal Offices is sent through emails as well as physical letters. Apart from reasons for rejection of the remittances, remedial action and precautions to be taken by the nodal office is provided to them to avoid repetition of the errors and avoid return. This ensures timely investment of the contribution made by subscribers.

To reduce such fund return cases, a covering letter has been devised which is generated along with the SCF. The letter contains pre populated fields such as Tran ID, amount etc. which the Nodal Officer is to authorize and submit to its accredited banker for fund transfer to TB.

(ii) Challenges faced

i) Pending SCFs- Many Nodal Offices have uploaded SCFs twice or have not remitted funds corresponding to these SCFs. PFRDA tries its best to get these SCFs matched and booked within the prescribed timelines.

ii) Missing credit- At times many Nodal Offices are not regular in remitting funds timely. PFRDA has continuously taken up the matter of missing credits in the PRAN of the subscribers with the concerned organisations/ PAOs, so that the subscribers do not lose on investment opportunity as a result of the delay.

iii) Funds remitted with incomplete details- Many Nodal Offices remitted funds to the Trustee Bank without complete details like PAO id, Transaction Id, etc. These funds received by the Trustee Bank prior to May 2012, are lying unidentified for which Nodal Offices have neither provided Fund Transfer Details (FTDs) nor uploaded SCFs. PFRDA is continuously following it up with the Nodal offices for resolution of the same.

iv) Return of Outward remittances by TB to Subscribers –_The withdrawal funds remitted by TB to the subscribers gets returned due to various reasons, the most important of these being Incorrect bank details, Incorrect IFSC, mismatch in beneficiary name etc.

3.14.7 The Custodian under the National Pension System

Custodian of Securities" means an entity which has been granted a certificate of registration under sub-section (3) of section 27 of the Act by the Authority as a custodian of securities for the purpose of providing custodial and depository participant services for the pension schemes regulated by the Authority;

"Custodial services" means safekeeping of securities or assets held under the National Pension System or any other pension scheme and providing services incidental thereto and includes-

(i) maintaining accounts of securities or assets held;

(ii) undertaking activities as a Domestic Depository in terms of the Depositories Act, 1996 (22 of 1996) or as permitted by the Securities and Exchange Board of India;

(iii) collecting the benefits or rights accruing on the securities or assets;

(iv) informing about the actions taken or to be taken by the issuer of the securities, having a bearing on the benefits or rights accruing on the securities or assets held; and

(v) maintaining and reconciling records of the services referred to in sub-clauses (i) to (iv);

Presently, the Stock Holding Corporation of India (SHCIL) is acting as Custodian of Securities.

General obligations of Custodian of Securities

As per the Regulation no. 19 of the PFRDA (Custodian of Securities) Regulations, 2015, general obligations of Custodian of Securities are listed below:

(i) The custodian of securities shall exercise at all times reasonable care, prudence, professional skill and diligence while discharging its duties in the best interest of the subscribers.

(ii) The custodian of securities shall facilitate adequate infrastructure information technology, systems and procedures that are required for enabling it to co-ordinate with other intermediaries and entities and adapt to future changes including changes on account of technology advancements, changes in system specifications and services and undertake functional obligations specified by the Authority.

(iii) The custodian of securities shall take all necessary precautions to ensure that continuity of the record keeping is not lost or destroyed and that sufficient back up of records are available.

(iv) The custodian of securities shall ensure at all times that transactions in the pension schemes accounts are put through according to the instructions of the pension fund or the National Pension System Trust and the securities held in such accounts are used only for transactions explicitly authorised by the pension fund or the National Pension System Trust.

(v) The custodian of securities shall ensure at all times that, the securities held on behalf of the National Pension System Trust are separate and clearly segregated in its books from its own holdings, other client accounts and separated from all other activities. The custodian of securities shall open a separate custody account for pension schemes regulated by the Authority and in accordance with the manner specified for registration of securities.

(vi) The custodian of securities shall ensure that all the rights or entitlements on the securities held in its custody for pension schemes or the National Pension System Trust are received on time and in the manner specified by the Authority or the National Pension System Trust.

(vii) The custodian of securities shall ensure that the individual holdings of securities in the pension scheme accounts are reconciled with the depository holdings and Constituents' Subsidiary General Ledger (CSGL) account at the end of the day.

(viii) The custodian of securities shall be continuously accountable for the movement of securities in and out of the pension scheme

accounts and shall provide complete audit trail whenever called for by the Authority or the National Pension System Trust.

(ix) The custodian of securities shall create and maintain the records of securities held in its custody in such manner that the tracing of securities or obtaining duplicate of the documents is facilitated, in the event of loss of original records for any reason.

(x) The custodian of securities shall ensure that the securities handled by it under the National Pension System or any pension scheme regulated by the Authority are adequately insured.

(xi) The custodian of securities shall have adequate systems for internal controls to prevent any manipulation of records and documents including audits for securities and rights or entitlements arising from the securities held under this agreement. The custodian of securities shall have appropriate safekeeping measures to ensure that such securities (assets or documents) are protected from theft or natural hazard.

(xii) The custodian of securities shall not be entitled to setting off securities held in the pension scheme accounts regulated by the Authority or otherwise deal with them to extinguish partly or fully any amounts due to it from the pension fund or the National Pension System Trust without the prior consent in writing from the Authority or the National Pension System Trust.

(xiii) The custodian of securities shall not encumber the securities in any manner including by an act of pledging, hypothecating or creating any charge or lien on the said securities. The custodian of securities shall not convert the securities in any manner without the approval of the Authority or the National Pension System Trust.

(xiv) The custodian of securities shall transmit such reports and statements to the pension fund or the National Pension System Trust or the Authority or to such other intermediaries at such periodic intervals as may be specified by the Authority from time to time or as specified in the agreements

(xv) The custodian of securities shall maintain proper books of accounts, registers, records, documents and have adequate mechanisms for the purposes of reviewing, monitoring and evaluating the custodian's controls, systems, procedures and safeguards.

(xvi) The custodian of securities shall have its books of accounts audited quarterly by an internal auditor and submit an extract thereof relating to the assets or business of the pension funds to the Authority or the National Pension System Trust, as specified, within thirty days from the date of audit.

(xvii) The custodian of securities shall adhere to all applicable rules, regulations, circulars or guidelines framed, recommended, mandated by any regulator, authority, clearing corporation, exchange or depository for various functions or services offerings to the National Pension System Trust.

Custodian Charges

Asset Servicing Charges	0.0032% per annum of asset under custody for electronic and physical segment

3.14.8 The National Pension System Trust

The NPS Trust was established in terms of the Central Government letter D.O. No 5(75)/2006-ECB & PR dated April 24, 2007. PFRDA is the settlor of the Trust and the execution of the NPS Trust Deed by PFRDA took place on February 27, 2008. A memorandum of Understanding was signed between PFRDA and the NPS Trust highlighting the rights and obligations of both the parties on July 01, 2009.

The NPS Trust has been set up and constituted to hold the assets and funds under the NPS for the benefit of the beneficiaries (subscribers). Trustees have the legal ownership of the Trust Fund and the general superintendence, direction and management of the affairs of the Trust and all powers, authorities and discretions appurtenant to or incidental to the purpose of the trust absolutely vest in the Trustees, subject

nevertheless to the provision of the PFRDA Act-2013, Indian Trust Act – 1882, NPS Trust Deed and further subject to such directions or guidelines that may be issued by PFRDA from time to time. However, the beneficial interest shall always vest with the beneficiaries of the NPS Trust.

(i) Budget announcement regarding NPS Trust: As per point no. 97 of budget speech 2020-21 Regulating role of PFRDAI requires strengthening. Necessary amendments would be carried out in Pension Fund Regulatory Development Authority of India Act that will also facilitate separation of NPS trust for government employees from PFRDAI. This would also enable establishment of a Pension Trust by the employees other than Government.

The constitution of the NPS Trust Board as on March 31, 2020 is provided in Table No. 3.35.

Table No. 3.35: The Constitution of the NPS Trust Board as on March 31, 2020

Sl. No.	Name	Designation
1	Sh. Atanu Sen	Chairman & Trustee till 30.03.2020
2	Sh. Dinesh Kumar Mehrotra	Trustee
3	Sh. Radhakrishnan Nair	Trustee
4	Sh Sanjeev Chanana	Trustee
5	Sh. Suraj Bhan	Trustee
6	Sh. Sanjiv Mittal	Trustee
7	Sh. Sudhir Kumar Sharma	Trustee
8	Sh. Munish Malik	Chief Executive Officer

During the FY 2019-20, One (1) Trustees was appointed and new Chairperson of NPS Trust were designated as per details given below:

Trustee: Shri Sudhir Kumar Sharma (IAS, Special Secretary, Finance (Expenditure), Government of Rajasthan, on September 17, 2019.

Chairperson: Shri Atanu Sen (Trustee of NPS Trust) was appointed as Chairperson, NPS Trust on March 30, 2020.

(ii) Management of NPS Funds by the NPS Trust

The NPS funds of subscribers held in the name of NPS Trust are managed by seven appointed pension funds on behalf of the Board of Trustees to realize and fulfill the objectives of the NPS Trust in the interest of the Subscribers. The Performance of the Pension funds are reviewed on a quarterly basis by NPS Trust, and instructions/ guidance is being given to them for protecting the interest of the subscribers.

(iii) NPS Trust fee/charges

NPS Trust is empowered for supervision and monitoring intermediaries regularly and it should be a self-sufficient entity with a regular stream of revenue. Hence, the levy of fee/ charges by NPS Trust has been reviewed and accordingly the Board of PFRDA has decided to restart the fee/ charge @0.005% per annum of Asset Under Management (AUM) on a daily accrual basis w.e.f. August 01, 2019 as NPS Trust may need certain amount of financial autonomy whereby the Trust may have separate source of income through levy of fee/ charges from the subscribers for the services rendered,

It will be in the interest of the subscribers to be subject to fee/charge by NPS Trust

The quantum of fee/charges is reviewed by the Authority from time to time.

3.14.9 Retirement Adviser

The Retirement Advisers (RAs) are appointed by PFRDA to engage in the activity of providing advice on NPS thereby to extend the reach of NPS. The RAs can be an individual, registered partnership firm, body corporate, or any registered Trust or society. The online platform has been developed and released in the CRA system to facilitate registration of an individual/ entity as RA.

Retirement Advisers are playing an important role in guiding and helping consumers to have a better understanding of investment and pay-out options. Taking into account international experience and the needs of the Indian system of organised and unorganised workers, with a view to protecting the interests of retiring population and more importantly, for minimising risks of losses arising out of deficient understanding of the various options in the returns from the NPS, PFRDA has accredited National Institute of Securities Markets (NISM) as the accredited institute for Certification of the Retirement Adviser Certification Examination.

With the objective to provide a framework for eligibility, registration process, fees etc. of Retirement Adviser and to define the scope of work and responsibility of the Retirement Adviser to ensure orderly growth of pension sector, Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser) Regulations, 2016 were notified by PFRDA.

3.14.10 Other functions carried out by the Authority in the area of pensions.

i) Implementation of Cyber Security

PFRDA has constituted a Standing Committee on Information, Systems & Technology and Cyber Security in May 2019. The Committee was be guided by the extant cyber security policy of PFRDA for its intermediaries and is advised to formulate PFRDA's own policy.

PFRDA has also engaged Chief Information Security Officer (CISO), to manage all IT and Cyber issues within PFRDA and to coordinate with the intermediaries and other agencies like CERT-In, NCIIPC on matters related to cyber security.

ii) Fin-Tech through Regulatory Sandbox

There has been tremendous change in the financial sector due to technological advancements and innovations. Regulatory sandbox approach could be utilised to experiment upcoming technologies and solutions in order to promote the development of Financial Technology (Fin Tech) for the pension sector in a safe and controlled environment. Accordingly, PFRDA has constituted a Group with representative from ReBIT, PFRDA, NPCI & NSDL to identify areas under NPS which could utilize financial technologies (Fin-Tech) through Regulatory Sandbox. The committee has submitted its report. This issue is under development.

PART IV

4.1 Pension Advisory Committee

Section 45 of PFRDA Act provides for constitution of a Pension Advisory Committee with representations from employees, associations, subscribers, commerce & industry, intermediaries and organizations engaged in pension research to advise the Authority on matter relating to the making of regulations or as may be referred to it. During the year under reference, the thirteenth Pension Advisory Committee Meeting was held on March 12, 2020 at New Delhi.

The following agenda items were taken up for discussion in thirteenth Meeting of the PAC held on March 12, 2020:

Table No. 4.1: Agenda items were discussed in 13th Meeting of the PAC

1.	Report of the PAC – Sub Committee on Transfer of Legacy Funds of Central Government Subscribers pursuant to opening of choices of Pension Funds 2019
2.	Report of the PAC – Sub Committee on Provisioning of Non-Performing Assets
3.	Proposal on Amendments to the PFRDA (Pension Fund) Regulations,2015
4.	Proposal to permit foreign and international institutions to register as a corporate for adopting NPS for its Indian employees
5.	One-time settlement for Un-reconciled Contributions with Aggregators (POPs) who have applied for de-registration

Composition of Pension Advisory Committee (PAC) is at **Annexure II.**

4.2 Regulations Made or Amended

The information pertaining to Regulatory Developments made during financial year 2019-20 are as under

1. New Regulations notified during FY 2019-20: Nil
2. Amendments to the Regulations:

Following amendments have been notified during April 2019 - March 2020:

Table No. 4.2: Regulations Made or Amended

Sl. No.	Amendment	Date of Gazette Notification
1.	Pension Fund Regulatory and Development Authority (National Pension System Trust) (First Amendment) Regulations, 2019	July 29, 2019
2.	Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) (Sixth Amendment) Regulations, 2019	September 09, 2019
3.	Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser) (Fifth Amendment) Regulations, 2019	December 02, 2019
4.	Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) (Second Amendment) Regulations, 2020	February 04, 2020

4.3 Constitution of Committee for utilization of Subscriber Education and Protection Fund

As per Section 6 of PFRDA (Subscriber Education and Protection Fund), Regulations, 2015 a committee was re-constituted on March 25, 2019 for recommending subscriber education, awareness and protection activities and for utilization of the Fund. The Committee shall recommend utilization of funds for subscribers' education, awareness and protection.

The committee may recommend projects and initiatives in association with various institutions, associations and organization etc. which are engaged in activities, related to subscriber awareness, education and protection.

4.4 Standing Committee on Information Technology and Cyber Security in PFRDA

PFRDA has constituted a Standing Committee on Information, Systems & Technology and Cyber Security in August 2018 with a view to keep an eye on rapid technological change and its effect on the financial sector in order to safeguard the subscribers' interest. The terms of reference of the said committee are to advise on Information Systems, Technology & cyber security issues, development of Management Information Systems (MIS), Supervisory and Regulatory platforms, new opportunities and challenges of Financial Technologies, Regulatory Technologies, strengthen the processes of cyber security/system/information security audit of PFRDA and intermediaries under the NPS architecture.

PART V

Organizational Matters of the Pension Fund Regulatory and Development Authority

5.1 Constitution of PFRDA Board

Section 4 of the PFRDA Act provides for the composition of the Authority consisting of a Chairperson, three whole time members; and three part-time members to be appointed by the Central Government. As on 31.03.2020, the composition of the Authority is as under:

(i) Chairperson

Shri Supratim Bandyopadhyay is the Chairperson. He joined PFRDA as Chairperson on February 21, 2020. Prior to this, he was Whole Time Member (Finance)-PFRDA from March 12, 2018 to January 16, 2020. Prior to joining PFRDA, he has spent almost three and a half decades in the Insurance industry after joining LIC in the year 1985.

(ii) Whole-Time Members

1. Shri Pramod Kumar Singh, Whole-Time Member (Law) from March 03, 2020 till date.

(iii) Part-Time Members

1. Ms. Annie George Mathew (IA & AS 1988), Additional Secretary (Pers), Department of Expenditure from December 12, 2014 till date.
2. Ms. Sujata Chaturvedi (IAS 1989), Additional Secretary (in-charge of Establishment Division), Department of Personnel & Training (DoPT) from January 16, 2020 till date.
3. Shri Madnesh Kumar Mishra (IRS 1990), Joint Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance from November 03, 2017 till date.

5.2 Meetings of the Authority

Eight Meetings of the Authority were held during Financial Year 2019-20.

Table No. 5.1 Authority Meetings held in FY 2019-20:

Sl. No.	Authority Meeting	Held on
1.	78th Authority Meeting	April 11, 2019 (Thursday)
2.	79th Authority Meeting	By Circulation
3.	80th Authority Meeting	July 05, 2019 (Friday)
4.	81st Authority Meeting	August 09, 2019 (Friday)
5.	82ndAuthority Meeting	October 01, 2019 (Tuesday)
6.	83rdAuthority Meeting	October 30, 2019 (Wednesday)
7.	84th Authority Meeting	December 09, 2019 (Monday)
8.	85th Authority Meeting	March 20, 2020 (Friday)

5.3. Staff Strength in PFRDA.

As on March 31, 2020, the regular staff strength of PFRDA is fifty-seven (57) out of which fifty-five (55) are in officer cadre, one (01) Junior Assistant & one (01) Staff Car Driver. Out of fifty-seven (57), seven (07) of its officers are presently stationed at NPST trust and reporting to C.E.O, NPS Trust, till the regular staff is deployed in NPS Trust.

5.4. Functioning of SC/ST Cell and OBC Cell in PFRDA.

To implement Government instructions on welfare of SC/ST/PWD employees, a cell has

been set up in PFRDA. A General Manager grade officer has been nominated as Liaison Officer for SCs/STs/PWDs. Further, a separate cell for welfare of OBCs has been set up. A Deputy General Manager grade officer has been nominated as Liaison Officer for OBCs. Members of both the Cell meet with their respective Liaison Officers on quarterly basis to discuss welfare measures related to them.

5.5. Committee for Prevention of Sexual Harassment at Workplace.

A Committee for prevention of Sexual Harassment at workplace is in place for receiving complaints, holding enquiry etc. in accordance with the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and meets on quarterly basis.

5.6 Staff Welfare Committee

A Staff Welfare Committee has been constituted in PFRDA to identify and organize various staff welfare activities. The Committee will help evolve measures for securing and preserving good relations amongst the employees and also between employees and the management. A General Manager grade officer has been nominated as Chairperson of the Staff Welfare Committee.

5.7 Training of employees in PFRDA

During the FY 2019-20, officers were nominated by PFRDA for trainings/workshops on various subject areas like Bond Portfolio Management, Organizational Leadership, Digital Transformation for Organisation, Recasting/ Maintenance of reservation registers/rosters, Management Development (Communication Skills and Negotiation Skills, Influence Skills, Leadership Skills, Time Management & Stress Management), Capacity Building Programme on Procurement and Contracts Management, Goods and Services Tax, Options and Structure Products, Managing Non-SLR investments, Cyber Security and Ethical Hacking.

5.8 Promotion of Official Language

PFRDA has constituted Official Language Cell to implement the Official Language Policy of the Government of India, to ensure adherence to Official Language Regulations 1963 and Official Language Rules 1976 and to promote Hindi in PFRDA. The communication received in the official language is answered in the official language itself. All the regulations prepared by PFRDA have been prepared in two languages. Along with this, monthly pension magazine Pension Bulletin is also released bilingually by PFRDA every month. Keeping in mind that the large subscriber number of NPS includes people from different sections of the society, the material available in English is being translated into the official language for the benefit of the subscribers. Public information and advertisements related to authority regulated schemes like NPS and APY are also translated into Hindi. Office orders on various subjects are also issued bilingually. All standard drafts, standard forms and MIS reports are also translated in official Language. In addition, applications (apps) related to the schemes of PFRDA are operated by the intermediary units and keeping in view the benefit of the subscribers, they have also been instructed that along with English- Hindi version should also be made available.

5.9 Right to Information

There is a dedicated cell in PFRDA to implement the Right to Information Act, 2005 (RTI Act). This Cell processes the applications received under the Right to Information Act, 2005 and works under Central Public Information Officer (CPIO). As required under the RTI Act, PFRDA has designated an officer as the Appellate Authority (AA) with whom the appeals can be filed against an order of the CPIO.

As per RTI Act, any citizen can seek information under RTI by making an appropriate application in writing along-with the prescribed fees to the Central Public Information Officer, Pension Fund Regulatory and Development Authority, First Floor, Chhatrapati Shivaji Bhawan, B-14/A, Qutab Institutional Area, New Delhi 110016 and/ or can also file an RTI under RTI Act, 2005 on Online Portal available at www.pfrda.org.in.

During the year 2019-20, 461 RTI Applications and 57 First Appeals were

received till March 31, 2020 inter-alia regarding contribution under National Pension System (NPS), opening of individual pension account, transfer, withdrawal & exit under NPS, APY scheme etc. All the applications and appeals were replied/disposed of within the stipulated time as prescribed under RTI Act, 2005. Section 4 of the RTI Act casts an obligation on every public authority to make certain suo-moto disclosures on its website. PFRDA has also made such suo-moto disclosures on its website. The focus of the disclosure is to improve the level of transparency in the working and functioning of PFRDA. In this regard, information regarding various functions, powers and duties of PFRDA & its officers etc. has been provided on PFRDA's website. Further, the PFRDA Act, rules and regulations made thereunder, circulars and manuals issued by PFRDA are also available on the website.

5.10 Parliamentary Questions

During 2019-20, PFRDA received around 27 Parliamentary Questions referred by the Government of India, mainly from the Ministry of Finance on various aspects related to the old age income security comprising queries on NPS and APY. PFRDA has furnished information and material for reply/ replies in a time bound manner for facilitating replies to the same to the Parliament.

5.11 Others Activities

No case of theft or misappropriation of resources of the Authority by any person or abuse of powers of the Authority by its Chairperson, members or by any of its officers, employees or agent or violation of any decision of the Authority by any of its officers, employees or agents or promotion and development of the pension industry have been reported.

5.12 Accounts of PFRDA

During the financial year (FY) 2019-20, PFRDA received a grant of Rs 13.80 crores from Government of India for its establishment expenses.

The Atal Pension Yojna (APY) was announced in the budget speech for the FY 2015-16. This pension scheme is meant for all citizens in the age group of 18-40 years, with a focus on persons belonging to unorganized sector. All subscribers under NPS- lite/Swavalamban between the age of 18-40 years are eligible to shift to Atal Pension Yojana. During the FY 2019-20, PFRDA has received a grant of Rs. 338.69 crores under APY towards Government co-contribution, incentive to service providers and other promotional activities.

An amount of Rs. 10.00 crores was received as a grant from Government of India toward PFRDA's contribution to the Share Capital of 'National Center for Financial Education' (NCFE).

The annual statement of accounts of the Authority consisting of Balance Sheet as on 31.03.2020, Income & Expenditure A/c and Receipt & Payment A/c for the period 01.04.2019 to 31.03.2020, along with the schedules have been finalized as per the *Pension Fund Regulatory and Development Authority (Form of Annual Statement of Accounts and Records) Rules, 2015.* These accounts were approved by the Board in its 88th Board meeting held on 27.08.2020. In accordance with the provisions of the PFRDA Act, 2013, the same have been audited by the Comptroller and Auditor General of India (C&AG).

The Separate Audit report of the C&AG on the accounts of the Authority for the year ended 31.03.2020, and the comments of the Authority are attached to the certified annual statement of accounts of the Authority along with the Schedules, and are placed at Annexure III.

PART VI

Any critical area adversely affecting the interest of subscribers

6.1 Some of the area affecting the interest of the subscribers are as below:

- Operational guidelines are not issued for PoPs under APY under PFRDA (PoP) Regulations, 2018. Turn-Around-Time (TATs) to be prescribed for POPs under APY for the timely servicing of APY subscribers. In case of any deviation /delay by POPs under APY in providing services, the compensation to be paid by POPs to the subscribers.
- PFRDA being a principal regulator of PFMs, Government /UIDAI may consider allowing PFMs working as PoPs to carry out online authentication through Aadhar for enrollment under NPS.
- The delay in completion of NPS related activities by the Government Nodal offices is one of the major areas of concern. The Authority has been continuously highlighting them to all the Government Nodal offices and urging them to bring discipline in the implementation of NPS in their underlying offices, so as to protect the interest of the employee-subscribers. However, in the absence of any related Regulations under PFRDA Act 2013, they remain outside the purview of the definition of an intermediary registered with PFRDA and hence outside the penalty provision provided under Section 28 of the PFRDA Act 2013.

6.2 Age limit of 40 years for joining APY

NPS Lite/Swavalamban which was started for unprivileged unorganised sector workers has been discontinued from w.e.f. April 2015. In place of NPS Lite/Swavalamban scheme, Atal Pension Yojana (APY) was launched which provides guaranteed benefits to the underlying subscribers. Subscribers of NPS Lite scheme have been given option to migrate to APY. However, APY scheme allows entry of subscribers from 18 years to 40 years. Accordingly, potential subscribers beyond 40 years of age who are currently generating income are unable to join Atal Pension Yojana. Therefore, to make the scheme available to these people, the age of eligibility may be considered for increase from 40 years to at least 50 years.

6.3 Statutory obligations that the Authority has not complied

6.3.1 Minimum Assured Returns Scheme (MARS)

Under sub-section 2(d)(b) of Section 20 of PFRDA Act, the subscriber seeking minimum assured returns shall have an option to invest his funds in such schemes providing minimum assured returns as may be notified by the Authority. However, sub-section 2(g) of Sec 20 states that there shall not be any implicit or explicit assurance of benefits except market-based guarantee mechanism to be purchased by the subscriber. Efforts are underway to formulate a feasible MAR Scheme in consultation with the Pension Funds and other stakeholders by overcoming the challenges faced for quantum of assured returns (capital protection or market-based returns) to be offered, guarantee providers and their solvency requirements, guarantee fees, lock-in period, etc. The matter is still under consideration and has not been notified yet.

PART VII

Any other measure taken by the Authority to protect the interest of subscribers to the National Pension System and other pension schemes under the Act.

7.1 In addition to the steps mentioned in previous paras, some other initiatives taken by the Authority to protect the interest of the subscribers are as below.

1. Online contribution facility e-NPS Lite for NPS Lite subscribers; in order to ensure convenience of the NPS Lite subscribers and to promote Digital payments, NSDL-CRA has enabled 'e NPS Lite', the online contribution facility for NPS Lite subscribers. NPS Lite subscribers with valid mobile number registered in their accounts, can visit the link (https://enps.nsdl.com/eNPS/InitialExistingUser.html) and make online contributions in their NPS Lite accounts hassle free.

2. Introduction of choice of Pension Funds and Investment Pattern in Tier-I of NPS for Central Government subscribers; upon Government Notification, PFRDA had come up with a circular dated May 8, 2019; which states about the introduction of choice of Pension Funds and Investment Pattern in Tier-I of NPS for Central Government subscribers.

3. Authority regularly advises NPS Trust on the deviations reported by POPs for delays in prescribed activities under operational guidelines and the payment of compensation to the subscribers by POPs on account of such delays.

4. Notification of PFRDA (Exits and withdrawals under NPS) Regulations (Sixth Amendment); 2019 to enable pre-mature exit of NPS Lite subscribers, subject to certain conditions.

5. Seven (07) new insurance companies were empaneled as Annuity Service Providers during the financial year.

6. As indicated in earlier section, various new initiatives were taken and guidelines were issued in the form of Circulars by PFRDA to protect the interest of subscribers. Also, necessary amendments to Regulations were carried out based on the requirements and feedback received from stakeholders.

7. State Governments were advised to examine providing choices for Pension Fund and Investment pattern under NPS to their employees-subscriber, as have already provided by the Central Government vide its Gazette notification dated January 31,2019; issued by DFS.

8. The Central Autonomous Bodies (CABs) / State Autonomous Bodies (SABs) with irregular upload of SCF were advised to undertake upload and remittance of NPS contribution in a timely manner.

9. In order to ensure timely registration of NPS subscribers, the Nodal offices are being constantly advised and pursued for adopting OPGM (Online PRAN Generation Module) and STS (Server to Server) integration of the nodal offices' financial software package with the NPSCAN (NPS Contribution Accounting Network) maintained by the CRAs.

10. Various circular issued related to New/ Up gradation of functionalities by Central Recordkeeping Agencies (CRAs) during the FY.

11. PFRDA had issued a circular on Point of Presence (PoP) relying on third party client due diligence (KYC) for on-boarding subscribers in NPS - Authority has decided that for KYC authentication of subscribers while on-boarding in NPS, the PoP may also rely on third party 'client due diligence' as provided under Sub rule 2 of Rule 9 of PML (Maintenance of Records) Rules, 2005

(as amended for time to time) subject to the conditions there under.

12. PFRDA vide its circular dated 23rd September 2019 has allowed utilization of SEBI KRAs by PoPs for on-boarding of subscriber in National Pension System (NPS).

13. Authority has permitted enrollment of Overseas Citizen of India (OCI) in National Pension System at par with NRI subscribing to NPS.

14. Authority has introduced Digital Signature for online on boarding in NPS and 'Penny Drop Procedure' for Bank Account Verification.

15. Authority has permitted investment in units of overnight fund and all such as may be permitted by the SEBI from time to time.

16. Authority has revised Valuation guidelines for valuation of securities under NPS schemes and other Pension scheme(s) administered by PFRDA in-order to replicate actual value to the stakeholders.

17. As a COVID measure, POPs were (employers/Corporate) to authorize the NPS Subscriber registration Form submitted by their employees through email id instead if physical authentication with certain condition as mention in the circular dated 24th March 2020.

Annexure I

Composition of Pension Advisory Committee

1. Chief General Manager, Government Business Unit, State Bank of India, New Delhi
2. Managing Director & CEO, NSDL e-Governance Infrastructure Ltd
3. Executive Director (Retail Banking), Axis Bank
4. Deputy Controller General of Accounts (Technical Advice), Department of Expenditure, Ministry of Finance
5. Chief Executive Officer & Whole Time Director, UTI Retirement Solutions Ltd.
6. Chief Executive Officer, HDFC Pension Management Company Ltd.
7. Vice President and Head Custodial Services, Stock Holding Corporation of India Ltd.
8. Shri Dinesh Pant, Appointed Actuary Life Insurance Corporation of India
9. Chairman, NPS Trust
10. Director, National Institute of Bank Management, Pune
11. Dr. Renuka Sane, Associate Professor, National Institute of Public Finance and Policy (NIPFP)
12. Shri Kulin Patel, Senior Actuary and Director – Client Account Management, Towers Watson, Gurgaon
13. President, Institute of Actuaries of India
14. Chief Executive Officer Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India
15. Deputy Secretary (Establishment II), Department of Personnel & Training
16. Director (A/Cs), Department of Posts, New Delhi
17. Shri Rajiv Kapoor, Executive Director – Group HRM Minda Industries Ltd. representing CII
18. Chief Executive-Indian Banks' Association
19. Director, Budget, Department of Finance, Bhopal, Government of Madhya Pradesh

The Chairperson and the Members of the Authority shall be the ex officio Chairperson and ex officio members of the Pension Advisory Committee.

Annexure II

State wise total no. of POP-SPs

Sl. No.	State Name	2019	2020
1	Andaman & Nicobar Islands	128	131
2	Andhra Pradesh	15,451	15,603
3	Arunachal Pradesh	377	377
4	Assam	5,876	5,899
5	Bihar	13,141	13,205
6	Chandigarh	513	520
7	Chhattisgarh	4,759	4,854
8	Dadra & Nagar Haveli	55	55
9	Daman & Diu	57	60
10	Goa	887	892
11	Gujarat	13,364	13,633
12	Haryana	6,069	6,246
13	Himachal Pradesh	3,123	3,140
14	Jammu & Kashmir	2,101	2,119
15	Jharkhand	4,174	4,207
16	Karnataka	14,743	14,985
17	Kerala	10,482	10,686
18	Lakshadweep	11	11
19	Madhya Pradesh	13,132	13,284
20	Maharashtra	24,345	24,768
21	Manipur	235	244
22	Meghalaya	485	488
23	Mizoram	221	225
24	Nagaland	233	238
25	Nct of Delhi (New Delhi)	4,375	4,448
26	Odisha	10,444	10,519
27	Puducherry	310	314
28	Punjab	9,678	9,908
29	Rajasthan	10,570	10,710
30	Sikkim	133	140
31	Tamil Nadu	15,944	16,237
32	Telangana	5,337	5,493
33	Tripura	635	646
34	Uttarakhand	2,830	2,875
35	Uttar Pradesh	29,405	29,653
36	West Bengal	14,788	14,890
Total (All India)		**2,38,411**	**2,41,703**

Annexure III

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of Pension Fund Regulatory and Development Authority for the year ended 31 March 2020

1. We have audited the attached Balance Sheet of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) as at 31 March 2020, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account for the year ended on that date under Section 19 (2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 42 of Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013. The preparation of these financial statements is the responsibility of the PFRDA's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. The Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

(i) We have obtained all the information and explanations, subject to the observations in the report, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

(ii) The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format as prescribed in Pension Fund Regulatory and Development Authority (Form of Annual Statement of Accounts and Records) Rules, 2015.

(iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA), in so far as it appears from our examination of such books.

(iv) We further report that:

A. Balance Sheet
A.1 Liabilities
A.1.1 Earmarked/Endowment Funds- (Schedule-3): ₹ 2.20 crore

The above does not include unutilised Grants of ₹ 152.40 crore received from Government on account of Swavalamban Scheme and Atal Pension Yojana. As per PFRDA (Form of Annual Statement of Accounts and Records) Rules, 2015, amounts received as grants for earmarked purposes are required to be disclosed under Schedule 3 "Earmarked/Endowment Funds". Similarly, Plan Funds received from Government are to be shown as separate Funds and not mixed up with any other Funds. As grant received for Swavalamban Scheme and Atal Pension Yojana were to be utilised for specific purpose, they should have been depicted separately under Earmarked Funds. Grants received during the year, payments made thereto, unutilized balance at year end should be depicted under the respective Funds only.

The treatment of these grants as income in the books of accounts has resulted in incorrect depiction of various heads of accounts namely Corpus/Capital Fund, Income and Expenditure. The exact impact on these heads of accounts due to such treatment could not be computed in audit. However, this has resulted in understatement of Earmarked Funds and overstatement of Current Liabilities by ₹ 152.40 crore.

Despite being pointed out repeatedly in SARs for the years ending on 31 March 2017, 2018 and 2019, PFRDA has not depicted the above mentioned grant as a separate fund under 'Earmarked/Endowment Funds'.

B Income & Expenditure Account
B.1 Interest Earned (Schedule 17): ₹ 6.23 crore
Other Administration Expenses (Schedule 21): ₹ 234.83 crore

Above includes ₹ 1.77 crore being interest earned on government grant (Atal Pension Yojana ₹ 1.47 crore and Swavalamban Yojana ₹ 0.3 crore). The interest earned on the grants received for specific purposes, should be added to the grants under 'Earmarked/Endowment Fund' (Schedule 3) instead of treating it as income.

Further, an expenditure of ₹ 209.61 crore[1] pertaining to Atal Pension Yojana has been charged to the Other Administration expenses instead of deducting it through the grants.

This has resulted in overstatement of Income by ₹ 1.77 crore, overstatement of expenditure by ₹ 209.61 crore and overstatement of Earmarked Fund by ₹ 207.84 crore.

B.2 Current Liabilities and Provisions (Schedule 7)
Provisions: ₹ 5.48 crore

PFRDA has not provided for electricity charges for the month of March 2020. Consequently, Current Liabilities & Provisions have been understated and Income over Expenditure overstated. However, the amount of electricity charges to be provided for could not be quantified.

C. Grants in Aid

PFRDA received Grants-in-aid of ₹ 362.49 crore from Government during 2019-20 and received interest of ₹1.77 crore during the year. It also had an opening balance of ₹ 24.23 crore. Out of the total balance of Grants, PFRDA utilised ₹ 236.09 crore leaving an unspent balance of ₹ 152.40 crore.

D. Deficiencies which have not been included in the Audit Report have been brought to the notice of the Management through a Management letter issued separately for remedial/corrective action.

(v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and Income and Expenditure Account/Receipt and Payment Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

(vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the accounting policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Separate Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India;

[1] APY Government Contribution ₹ 107.38 crore, APY Promotion ₹ 2.29 crore and incentives under APY ₹ 99.94 crore

a. In so far as it relates to Balance Sheet, of the state of affairs of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) as at 31 March 2020 and

b. In so far as it relates to Income and Expenditure Account, of the surplus for the year ended on that date.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

(C. Nedunchezhian)
Principal Director of Audit
(Industry & Corporate Affairs)
New Delhi

Place:
Date:

Annexure to Separate Audit Report of

Pension Fund Regulatory and Development Authority

A. Adequacy of Internal Audit System

Internal Audit Wing was set up in PFRDA in April 2018. Additionally, internal audit of accounts of PFRDA for the year 2019-20 was conducted by a Chartered accountant firm engaged by PFRDA on contract basis. The findings were reported to PFRDA management and PFRDA submitted the action taken report on the observations given by CA firm.

B. Adequacy of Internal Control System

Internal control system regarding booking of grants received for specific purpose needs improvement.

C. System of physical verification of fixed assets

The physical verification of fixed assets was conducted at the end of financial year by PFRDA and no discrepancy was noticed.

D. System of physical verification of inventory

There were 'Nil' inventories during the financial year 2019-20.

E. Regularity in payment of statutory dues

As per the records furnished to the audit, no statutory dues over six month were outstanding as on 31.03.2020.

Deputy Director/AMG-II

PFRDA Comments to the Separate Audit Report

For Point A.1.1 and Point B.1 of SAR and Point B of Annexure to SAR:

It is pertinent to mention that the PFRDA (Forms of Annual Statement of Accounts and Records) Rules, 2015 ('Rules') has been notified by Central Government inferring powers under clause (h) of subsection (2) of Section 51 read with subsection (1) of Section 42 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), in consultation with the Comptroller and Auditor-General of India (C&AG). The Forms and schedules of Annual Accounts are prescribed under the above mentioned Rules in which the expenditure under Swavalamban scheme is shown under the Schedule 21 i.e Other administrative expenses. Similarly, Grant/Subsidies received are shown under the Schedule 13 (Grant/Subsidiaries) which is a part of Income and expenditure account. Accordingly, the Grant and expenditure under Swavalamban and APY scheme are considered as income and expenditure in the books of accounts of PFRDA. This treatment is in accordance with the above mentioned 'Rules'.

Further, with reference to the internal control system regarding booking of grants received for specific purpose, it is mentioned that PFRDA maintains separate records, ledgers and bank accounts in respect of Government grants. Hence, the internal control system in place are adequate.

For Point B.2 of SAR:

Due to the COVID-19 lockdown imposed across the country, the normal activities such as timely generation of electricity bills were affected and electricity bill for the month of March'2020 was not generated on time. Further, after some relaxation provided by the Government on the nation-wide lockdown, a consolidated electricity bills were generated for March'2020 & AprilI'2020 with the invoice date of FY 2020-21 and where the electricity charges amount for the month of March 2020 was not specifically mentioned on the invoice. Hence, figure of electricity bill amount of March 2020 could not be ascertained which is also supported by the C&AG in the above audit observation.

FORM A
[See Rule 3(a)]
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
BALANCE SHEET AS ON 31-03-2020

(Unit-Indian Rupee)

Liabilities	Schedule	Current year	Previous year	Assets	Schedule	Current year	Previous year
1. Corpus/Capital Fund	1	929,086,573	554,676,869	1. Fixed Assets	8		
				Gross block		24,907,112	23,473,725
2. Reserves and Surplus	2	-	-	Less: Depreciation		16,402,729	14,766,875
				Net Block		**8,504,383**	**8,706,849**
3. Earmarked/ Endowment funds	3	21,993,893	20,401,314				
				2. Investments from Earmarked/ Endowment Fund	9	20,922,170	19,323,162
4. Secured loans and borrowings	4	-	-				
				3. Investment-Others	10	733,888,980	361,840,229
5. Unsecured loans and borrowings	5	-	-				
				4. Current assets, Loans, Advances etc.	11	1,783,631,420	499,006,771
6. Deferred credit liabilities	6	-	-				
				5. Miscellaneous expenditure (to the extent not written off or adjusted)		-	-
7. Current liabilities and provisions	7	1,595,866,488	313,798,828				
Total		**2,546,946,953**	**888,877,012**	**Total**		**2,546,946,953**	**888,877,012**

Note:-

All Schedules to Balance Sheet shall form part of Account.

Place: New Delhi
Date:11/08/2020

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

Pramod Kumar Singh
Member

Madnesh Kumar Mishra
Member

S. Bandyopadhyay
Chairperson

FORM B
[See rule 3(b)]
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD 01-04-2019 TO 31-03-2020

(Unit-Indian Rupee)

Expenditure	Schedule	Current year	Previous year	Income	Schedule	Current year	Previous year
1. Establishment Expenses	20	165,008,632	194,152,441	1. Income from Sales/ Services	12	-	-
2. Other Administrative expenses etc.	21	2,348,259,076	2,243,172,941	2. Grants/ Subsidies	13	3,624,900,000	1,779,937,800
3. Expenditure on Grants, Subsidies etc.	22	100,128,457	-	3. Fee/ Subscription	14	584,321,253	541,973,514
4. Interest	23	8,724	2,943	4. Income from Investments (Income on investment from earmarked/ endowment funds transferred to Funds)	15	-	-
5. Depreciation (Net Total at the year end- corresponding to Schedule 8)		2,321,441	2,057,488	5. Income from Royalty, Publications etc.	16	-	-
				6. Interest Earned	17	62,318,813	43,515,368
				7. Other Income	18	262,376	226,525
				8. Increase/ (decrease) in stock of Finished goods and Work-in-progess	19	-	-
TOTAL		2,615,726,329	2,439,385,812	**TOTAL**		4,271,802,442	2,365,653,207
Balance being excess of Income over Expenditure		1,656,076,113	**(73,732,605)**				
Transfer to Special Reserve (specify each)		-	-				
Transfer to/from General Reserve		-	-				
BALANCE BEING SURPLUS/(DEFICIT) CARRIED TO CORPUS/ CAPITAL FUND		**1,656,076,113**	**(73,732,605)**				
Significant Accounting Policy	24						
Contigent Liabilities and Notes on Accounts	25						

Notes :-

All Schedules to Income and Expenditure Account shall form part of account.

Place: New Delhi
Date:11/08/2020

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

Pramod Kumar Singh
Member

Madnesh Kumar Mishra
Member

S. Bandyopadhyay
Chairperson

FORM C
[See rule 3(c)]
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE PERIOD 01-04-2019 to 31-03-2020

(Unit–Indian Rupee)

Sl No.	Receipts	Current year	Previous year	Sl No.	Payments	Current year	Previous year
1.	**Opening Balances**			1.	**Expenses**		
(a)	Cash in hand	20,000	20,000	(a)	Establishment Expenses	167,188,329	185,595,984
(b)	Bank Balances			(b)	Administrative Expenses	272,022,393	297,344,838
	(i) In Current accounts	-	-	2.	**Grants Utilised**		
	(ii) In Time Deposit accounts	-	-	(a)	Swavalamban Contribution	(1,224)	181,855,819
	(iii) In Saving Bank deposit accounts	268,140,459	680,396,600	(b)	Swavalamban Promotion	-	484,000
2.	**Grants Received**			(c)	Grant to National Pension system Trust	-	-
(i)	**From Government of India**			(d)	APY Contribution	1,07,38,13,296	81,45,81,888
	(a) Grant-in-aid Salaries	138,000,000	126,000,000	(e)	APY Promotion and Development	950,018,691	1,094,945,670
	(b) Grant-in-aid-General	100,000,000	-	(f)	Refund of Grant	128,458	-
	(c) Grant-in-aid-Swavalamban Contribution	-	100,900,000	(g)	Others (NCFE)	100,000,000	-
	(d) Grant-in-aid-Swavalamban Promotional & Development activities	-	3,037,800	3.	**Investments and deposits made**		
	(e) Grant-in-aid APY Contribution	1,681,400,000	750,000,000	(a)	Out of Earmarked/ Endowment funds	100,000	2,278,104
	(f) Grant-in-aid APY Promotion & Development	1,705,500,000	800,000,000	(b)	Out of Own Funds (Investments-Others)	364,206,109	88,300,000
	(g) Others	-	-	4.	**Expenditure on Fixed Assets and Capital Work-in-progress**		
(ii)	**From State Government**			(a)	Purchase of Fixed Assets	308,136	441,518
	(a) Grant-in-aid Salaries	-	-	(b)	Expenditure on Capital Work-in-progress	-	-
	(b) Grant-aid-General	-	-	5.	**Refund of surplus money/ Loans**		
	(c) Grant-in-aid-Swavalamban Contribution	-	-	(a)	Recoverable from National pension system trust	-	-
	(d) Grant-in-aid-Swavalamban Promotional & Development activities	-	-	(b)	To the State Government	-	-
	(e) Others	-	-	(c)	To other providers of funds	-	-
(iii)	From Financial Institutions	-	-	6.	**Finance Charges (Interest)**		
3.	Income on Investments			(a)	Bank charges	8,724	2,943
(a)	Earmarked/Endowment Funds	6,125	1,225,042	(b)	Others	-	-
(b)	Own Funds (other investment)	-	-	7.	**Other Payments (Specify)**		
4.	**Interest Received**			(a)	Prepaid	1,959,412	1,161,179
(a)	On Bank deposits	34,087,965	43,617,399	(b)	Loan/ Advance to employees	187,490	250,000
(b)	Loans, Advances etc.	-	-	(c)	Advance against Expenses	41,980,703	48,604,303
(c)	Others (Interest on Loan)	-	-	(d)	Security Deposits	30,000	-
5.	**Other Income (Specify)**			8.	**Closing Balances**		
(a)	Annual Fees	567,624,021	442,752,732	(a)	Cash in hand	5,313	20,000
(b)	Fees from Miscellaneous Services	518,000	1,724,501	(b)	Bank Balances		
(c)	Miscellaneous Income	66,874	24,634		(i) In Current accounts		
6	**Amount Borrowed**	-	-		(ii) In Time Deposit accounts		
7	**Any Other receipts**				(iii) in Saving Bank deposit accounts	1,556,494,648	268,140,459
(a)	Security/EMD receipts	-	-				
(b)	Recovery of Advance	32,088,379	33,135,430				
(C)	Transfer of Assets	41,615	142,145				
(d)	Subscribers Education and Protection Fund	81,338	1,030,423				
(e)	Others	875,703					
	TOTAL	4,528,450,478	2,984,006,705		**TOTAL**	4,528,450,478	2,984,006,705

Place: New Delhi
Date:11/08/2020

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

Pramod Kumar Singh
Member

Madnesh Kumar Mishra
Member

S. Bandyopadhyay
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE 1
ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st March, 2020

CORPUS/ CAPITAL FUND

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
Balance as at the beginning of the year	554,676,869	208,966,154
Add : Opening Balance of unutilized corpus fund	242,336,366	661,779,686
Less: Closing Balance of unutilized corpus fund	1,524,002,776	242,336,366
Add/Deduct: Balance of net income/expenditure transferred from the Income and Expenditure	1,656,076,113	(73,732,604)
Add : Government Grant to be received from government/transferred from the Income and Expenditure Account	-	-
BALANCE AS AT THE PERIOD END	**929,086,573**	**554,676,869**

Place: New Delhi
Date:11/08/2020

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

Pramod Kumar Singh
Member

Madnesh Kumar Mishra
Member

S. Bandyopadhyay
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE 2
ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st March, 2020

RESERVES AND SURPLUS

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
1. Capital Reserve		
a) At the beginning of the year	-	-
b) Addition during the year	-	-
c) Less: Deductions during the year	-	-
2. Revaluation Reserve		
a) At the beginning of the year	-	-
b) Addition during the year	-	-
c) Less: Deductions during the year	-	-
3. Special Reserve		
a) At the beginning of the year	-	-
b) Addition during the year	-	-
c) Less: Deductions during the year	-	-
4. General Reserve		
a) At the beginning of the year	-	-
b) Addition during the year	-	-
c) Less: Deductions during the year	-	-
Total	**-**	**-**

Place: New Delhi
Date:11/08/2020

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

Pramod Kumar Singh
Member

Madnesh Kumar Mishra
Member

S. Bandyopadhyay
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE 3
ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st March, 2020

EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Subscriber's Education and Protection Fund	
	Current Year	Previous Year
1. Opening balance of the funds	20,401,314	18,059,540
2. Additions to the funds		
a) Donations / grants	-	-
b) Income on Investments made on account of funds	1,519,479	1,311,351
c) Transfer from NPS Trust Penalty A/c and NPS Trust Investor Awareness Fund A/c	-	-
d) Receipts during the year	81,338	1,030,423
e) Other Additions (Specify nature)		
TOTAL (1+2)	**22,002,131**	**20,401,314**
3. Utilisation/Expenditure towards objectives of funds		
a) Capital Expenditure		
i) Fixed assets	-	-
ii) Others	-	-
Total	-	-
b) Revenue Expenditure		
i) Salaries, wages and allowances, etc.	-	-
ii) Rent	-	-
iii) Other Administrative expenses	8,238	-
c) Others	-	-
Total	8,238	-
TOTAL (3)	**8,238**	-
NET BALANCE AT THE PERIOD END (1+2-3)	**21,993,893**	**20,401,314**

Place: New Delhi
Date:11/08/2020

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

Pramod Kumar Singh
Member

Madnesh Kumar Mishra
Member

S. Bandyopadhyay
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE 4
ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st March, 2020

SECURED LOANS AND BORROWINGS

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
1. Central Government	-	-
2. State Government	-	-
3. Financial Instituitions		
a) Term Loans	-	-
b) Interest accrued and due	-	-
4. Banks		
a) Term Loans	-	-
- Interest accrued and due		
b) Other Loans (specify)	-	-
- Interest accrued and due		
5. Other Instituitions	-	-
6. Debentures and Bonds	-	-
7. Others	-	-
TOTAL	**-**	**-**

Note:- Amount due within one year -

Place: New Delhi
Date:11/08/2020

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

Pramod Kumar Singh
Member

Madnesh Kumar Mishra
Member

S. Bandyopadhyay
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE 5
ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st March, 2020

UNSECURED LOANS AND BORROWINGS

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
1. Central Government	-	-
2. State Government	-	-
3. Financial Instituitions	-	-
4. Banks		
a) Term Loans	-	-
b) Other Loans (specify)	-	-
5. Other Instituitions	-	-
6. Debentures and Bonds	-	-
7. Fixed Deposits	-	-
8. Others (specify)	-	-
TOTAL	**-**	**-**

Note:- Amount due within one year -

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE 6
ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st March, 2020

DEFERRED CREDIT LIABILITIES

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
1. Acceptances secured by hypothecation of Capital Equipment and Other Assets	-	-
2. Others	-	-
TOTAL	**-**	**-**

Note:- Amount due within one year -

Place: New Delhi
Date:11/08/2020

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

Pramod Kumar Singh
Member

Madnesh Kumar Mishra
Member

S. Bandyopadhyay
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE 7
ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st March, 2020

CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
Current Liabilities		
1. Acceptances	-	-
2. Sundry Creditors & Payables	10,520,184	9,461,969
3. Advances Received	-	-
4. Interest Accrued but not due on:		
a) Secured Loans / Borrowings	-	-
b) Unsecured Loans/ Borrowings	-	-
5. Statutory Liabilities:		
a) Overdue	-	-
b) Others	-	-
6. Other Current Liabilities		
a) Unutilised grant payable to GOI	1,524,002,776	242,336,366
b) Others: Security Deposits	65,81,000	66,46,000
TOTAL	**1,541,103,959**	**258,444,335**
Provisions		
1. For Taxation	884,642	3,34,545
2. Gratuity	20,152,162	20,711,598
3. Trade Warranties/ Claims	-	-
4. Accumulated Leave encashment	33,725,725	33,795,764
5. Pension Contribution Payable	-	279,151
6. Leave salary payable	-	233,435
7. Others - Specify	-	-
TOTAL	**54,762,529**	**55,354,493**
GRAND TOTAL	**1,595,866,488**	**313,798,828**

Place: New Delhi
Date:11/08/2020

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

Pramod Kumar Singh
Member

Madnesh Kumar Mishra
Member

S. Bandyopadhyay
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE 8
ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st March, 2020

FIXED ASSETS

(Unit-Indian Rupee)

Description	Gross Block				Depreciation				Net Block	
	Cost/ Valuation as at the beginning of the year	Additions during the year	Deductions during the year	Cost/ Valuation as at the year end	As at beginning of the year	For the year	On Deductions during the year	Total upto the year	As at the Current year	As at the previous year
Fixed Assets										
1. Land:										
a) Freehold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Leasehold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Buildings:								-		
a) On Freehold Land	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) On Leasehold Land	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Ownership flats/ premises	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Superstructures on Land not belonging to the entity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Plant Machinery and Equipment	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. Vehicle	1,726,221	-	408,119	1,318,102	900,951	117,499	366,177	652,273	665,829	825,270
5. Furniture & Fixtures	4,254,920	85,329	-	4,340,249	1,914,321	239,076	-	2,153,397	2,186,853	2,340,600
6. Office Equipments	6,323,641	368,688	228,877	6,463,452	2,901,746	529,247	87,866	3,343,126	3,120,326	3,421,895
7. Computer/ Peripherals	10,819,057	1,875,393	259,027	12,435,423	8,729,273	1,429,449	231,544	9,927,178	2,508,245	2,089,784
8. Electrical Installations	151,908	-	-	151,908	129,711	3,329	-	133,040	18,868	22,197
9. Liabrary Books	197,977	-	-	197,977	190,874	2,841	-	193,715	4,262	7,103
10. Other Fixed Assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Of Current Year	**23,473,725**	**2,329,410**	**896,023**	**24,907,112**	**14,766,875**	**2,321,441**	**685,588**	**16,402,729**	**8,504,383**	**8,706,849**
Previous Year	**21,192,797**	**2,750,232**	**469,304**	**23,473,725**	**12,939,764**	**2,057,488**	**230,377**	**14,766,875**	**8,706,849**	**8,253,032**
Capital work-in-progress									-	-
Total									**8,504,383**	**8,706,849**

Note to be given as to cost of assets on hire purchase basis included above.

Place: New Delhi
Date:11/08/2020

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

Pramod Kumar Singh
Member

Madnesh Kumar Mishra
Member

S. Bandyopadhyay
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE 9
ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st March, 2020

INVESTMENTS FROM EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
1. Government securities	-	-
2. Other approved securities	-	-
3. Shares	-	-
4. Debentures and Bonds	-	-
5. Subsidiaries and Joint ventures	-	-
6. Fixed Deposits	20,922,170	19,323,162
7. Others (to be specified)	-	-
TOTAL	**20,922,170**	**19,323,162**

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE 10
ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st March, 2020

INVESTMENT- OTHERS

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
1. Government securities	-	-
2. Other approved securities	-	-
3. Shares (Subscription towards NCFE)		-
1 crore equity shares of Rs.10 each: 10,00,00,000/-		
Less: Investment made from Government Grant: 9,99,99,999/-	1.00	
4. Debentures and Bonds	-	-
5. Subsidiaries and Joint ventures	-	-
6. Fixed Deposits	733,888,979	361,840,229
7. Others	-	-
TOTAL	**733,888,980**	**361,840,229**

Refer point 7 to Schedule 25.

Place: New Delhi
Date:11/08/2020

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

Pramod Kumar Singh
Member

Madnesh Kumar Mishra
Member

S. Bandyopadhyay
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE 11
ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st March, 2020

CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
(A) Current Assets		
1. Inventories :		
a) Stores and Spares	-	-
b) Loose Tools	-	-
c) Stock-in-trade		
Finished goods	-	-
Work-in-progress	-	-
Raw Materials	-	-
2. Sundry Debtors :		
a) Debt outstanding for a period exceeding six months	-	-
b) Others:-	-	-
3. Cash in hand	5,313	20,000
4. Bank Balances :		
a) with Scheduled Banks:		
i) On Current Accounts	-	-
ii) On Time Deposit Accounts	-	-
iii) On Savings Bank Deposit A/c	1,556,494,648	268,140,459
b) with Non- Scheduled Banks:		
i) On Current Accounts	-	-
ii) On Time Deposit Accounts	-	-
iii) On Savings Bank Deposit A/c	-	-
5. Post Office- Savings Accounts	-	-
6. Others	-	-
TOTAL (A)	**1,556,499,961**	**26,81,60,459**
(B) Loans, Advances And Other Assets :		
1. Loans:		
a) Staff	324,000	298,000
b) Other Entities engagaed in activities/objectives similar to that of the Entity	-	-
c) Others (specify)	-	-
2. Advances and Other Amounts Recoverable in cash or in kind or for value to be received:		
a) On Capital Account	-	-
b) Prepayments (Prepaid exp)	1,959,412	1,161,179
c) Security Deposits	3,647,500	3,647,500
d) Others:	76,883,468	118,004,339
3. Income Accrued:		
a) On Investments from Earmarked/ Endowment funds	935,043	920,697
b) On Investments- Others	29,706,523	9,318,316
c) On Loans and Advances	-	-
d) Others (includes income due unrealized: NIL)	113,675,514	97,496,282
4. Claims Receivable	-	-
Total (B)	**227,131,460**	**230,846,312**
Grand Total (A)+(B)	**1,783,631,420**	**499,006,771**

Place: New Delhi
Date: 11/08/2020

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

Pramod Kumar Singh
Member

Madnesh Kumar Mishra
Member

S. Bandyopadhyay
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE 12
ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD 01-04-2019 TO 31-03-2020

INCOME FROM SALES/SERVICES

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
1. Income from Sales		
a) Sale of Finished goods	-	-
b) Sale of Raw Materials	-	-
c) Sale of Scraps	-	-
2. Income from Services		
a) Labour and Processing Charges	-	-
b) Professional/ Consultancy Services	-	-
c) Agency Commission and Brokerage	-	-
d) Maintenance Services(Equipment/Property)	-	-
e) Others(specify)	-	-
TOTAL	**-**	**-**

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE 13
ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD 01-04-2019 TO 31-03-2020

GRANT/ SUBSIDIES

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
Irrevocable Grants and Subsidies Received		
1. Central Government	3,624,900,000	1,779,937,800
2. State Government	-	-
3. Government agencies	-	-
4. Instituition / Welfares bodies	-	
5. International Organisations	-	-
6. Others : (Specify)	-	-
Total	**3,624,900,000**	**1,779,937,800**

Place: New Delhi
Date:11/08/2020

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

Pramod Kumar Singh
Member

Madnesh Kumar Mishra
Member

S. Bandyopadhyay
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE 14
ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD 01-04-2019 TO 31-03-2020

FEES / SUBSCRIPTIONS

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
1. Entrance Fees	-	-
2. Annual Fees	583,803,253	540,249,013
3. Seminar/ Program Fee	-	-
4. Consultancy Fees	-	-
5. Licence Fees	-	-
6. Fees from Miscellaneous Services	518,000	1,724,501
7. Others (Specify)		-
Total	**584,321,253**	**541,973,514**

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE 15
ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD 01-04-2019 TO 31-03-2020

INCOME FROM INVESTMENTS

(Income on investment from Earmarked / Endowmennt funds transferred to Funds)

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Investment From Earmarked Fund		Investment- Others	
	Current year	Previous year	Current year	Previous year
1. Interest				
a) On Govt. Securities	-	-	-	-
b) Other Bonds/Debentures	-	-	-	-
c) Others	1,519,479	1,311,351	-	-
2. Dividend				
a) On Shares	-	-	-	-
b) On Mutual Funds	-	-	-	-
c) Others	-	-	-	-
3. Rents	-	-	-	-
4. Others (specify)	-	-	-	-
Total	**1,519,479**	**1,311,351**	**-**	**-**
Less: Transferred to Earmarked/ Endowment Funds	1,519,479	1,311,351	-	-
Net balance	**-**	**-**	**-**	**-**

Place: New Delhi
Date:11/08/2020

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

Pramod Kumar Singh
Member

Madnesh Kumar Mishra
Member

S. Bandyopadhyay
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE 16
ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD 01-04-2019 TO 31-03-2020

INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC.

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
1. Income from Royalty	-	-
2. Income from Publications	-	-
3. Others (specify)	-	-
Total	-	-

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE 17
ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD 01-04-2019 TO 31-03-2020

INTEREST EARNED

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
1. On Term Deposits Accounts		
a) with Scheduled Banks	41,581,140	21,030,324
b with Non-Scheduled Bank	-	-
c) with Instituitions	-	-
d) Others	-	-
2. On Savings Bank Deposits Accounts		
a) with Scheduled Banks	20,736,732	22,483,560
b) with Non-Scheduled Bank	-	-
c) Post Office Savings Accounts	-	-
d) Others:		
3. On Loans:		
a) Employee/ Staff	-	-
b) Others	-	-
4. Interest on Debtors and Other Receivables	941	1,484
Total	**62,318,813**	**43,515,368**
Tax deducted at source to be indicated	-	-

Place: New Delhi
Date:11/08/2020

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

Pramod Kumar Singh
Member

Madnesh Kumar Mishra
Member

S. Bandyopadhyay
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE 18
ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD 01-04-2019 TO 31-03-2020

OTHER INCOME

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
1. Profit on Sale/ Disposal of Assets		
a) Owned Assets	-	-
b) Assets acquired out of grants or received free of cost	-	-
2. Export Incentives Realized	-	-
3. Fees for Miscellaneous Services	-	-
4. Miscellaneous Income	262,376	226,525
Total	**262,376**	**226,525**

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE 19
ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD 01-04-2019 TO 31-03-2020

INCREASE/(DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS AND WORK IN PROGRESS

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
A) Closing Stock		
1. Finished Goods	-	-
2. Work-in-progress	-	-
B) Less: Opening Stock		
1. Finished Goods	-	-
2. Work-in-progress	-	-
Net Increase/(Decrease) (A-B)	**-**	**-**

Place: New Delhi
Date:11/08/2020

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

Pramod Kumar Singh
Member

Madnesh Kumar Mishra
Member

S. Bandyopadhyay
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE 20
ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD 01-04-2019 TO 31-03-2020

ESTABLISHMENT EXPENSES

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
1. Salaries and Wages	133,096,305	148,629,812
2. Allowances and Bonus	-	-
3. Contribution to Provident Fund	-	-
4. Contribution to Pension	11,445,200	8,378,168
5. Staff Welfare Expenses	-	-
6. Expense on Employee Retirement and Terminal Benefits	-	-
7. Leave Salary	10,517,892	29,136,433
8. Tution Fees reiumbursement	-	-
9. Medical reiumbursement	2,987,655	2,104,990
10. Gratuity Contribution	6,961,580	5,903,037
11. Others: (specify)	-	-
Total	**165,008,632**	**194,152,441**

Place: New Delhi
Date:11/08/2020

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

Pramod Kumar Singh
Member

Madnesh Kumar Mishra
Member

S. Bandyopadhyay
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE 21
ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD 01-04-2019 TO 31-03-2020

OTHER ADMINISTRATION EXPENSES

(Unit-Indian Rupee)

	Particulars	Current year	Previous year
1.	Purchases	-	-
2.	Labour and Processing Expenses	-	-
3.	Cartage and Carriage Inwards	-	-
4.	Electricity and Power	1,440,380	1,620,901
5.	Water Charges	266,625	429,465
6.	Insurance	1,143,461	1,805,860
7.	Repair and Maintenance	7,323,004	6,859,768
8.	Excise Duty	-	-
9.	Rent, Rates and Taxes	73,482,987	71,524,782
10.	Vehicles Running and Maintenance	13,112,901	15,461,523
11.	Postage, Telephone and Communication Charges	4,290,762	4,603,012
12.	Printing and Stationary	1,455,288	1,523,073
13.	Travelling and Conveyance Expenses	10,896,121	8,817,437
14.	Expenses on Seminar/ Workshops/ Meetings and conferences	18,200,214	12,237,465
15.	Subscription Expenses	-	-
16.	Expenses on Fees	-	-
17.	Auditors Remuneration	1,199,441	-
18.	Hospitality Expenses	-	-
19.	Professional Charges	27,427,085	19,486,772
20.	Books and Periodicals	205,351	162,865
21.	Recruitment Expenses	114,373	244,412
22.	Provision for Bad and Doubtful Debts/ Advances	-	-
23.	Incentive to Aggregator	-	484,000
24.	Swavalamban Government Contribution	(1,224)	181,855,819
25.	APY Government Contribution	1,073,813,296	814,581,888
26.	Incentive to Point of presence	-	-
27.	Irrevocable balances Written off	1,006	311,559
28.	Packing charges	-	-
29.	Freight and Forwarding Expenses	-	-
30.	Distribution Expenses	-	-
31.	Advertisement and Publicity Expenses	87,799,410	27,103,936
32.	Membership fees	8,850	878,780
33.	Staff Welfare expenses	1,006,994	1,201,134
34.	Consultancy expenses	1,100,148	1,968,825
35.	APY Promotion	22,860,914	-
36.	Incentive under APY	999,397,810	1,069,945,670
37.	Sitting Fees	36,500	30,000
38.	Others (Website fee expense, Fund management expense, Computer consumables)	1,677,380	33,994
Total		**2,348,259,076**	**2,243,172,941**

Place: New Delhi
Date:11/08/2020

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

Pramod Kumar Singh
Member

Madnesh Kumar Mishra
Member

S. Bandyopadhyay
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE 22
ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD 01-04-2019 TO 31-03-2020

EXPENDITURE ON GRANT SUBSIDIES ETC.

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
1. Grants given to Instituitions/ Organisations/National Pension System Trust	99,999,999	-
2. Subsidies given to Instituitions/ Organisations	-	-
3. Others : (Refund of Grants)	128,458	-
Total	**100,128,457**	**-**

Refer point 7 to Schedule 25.

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE 23
ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD 01-04-2019 TO 31-03-2020

INTEREST

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
1. On Fixed Loans	-	-
2. On Other Loans	-	-
3. Bank charges	8,724	2,943
4. Other(specify)	-	-
Total	**8,724**	**2,943**

Place: New Delhi
Date:11/08/2020

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

Pramod Kumar Singh
Member

Madnesh Kumar Mishra
Member

S. Bandyopadhyay
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE 24
ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD 01-04-2019 TO 31-03-2020

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. Basis of accounting and preparation of financial statements

The financial statements of the Authority have been prepared in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Form of Annual Statement of Accounts and Records) Rules, 2015. The financial statements have been prepared on accrual basis under the historical cost convention except for Swavlamban scheme and Atal Pension Yojna (APY) maintained on payment basis, being the scheme of Government of India.

Fee from Trustee Bank and Central Record Keeping Agencies for the last quarter have been accounted on accrual basis for 2019-20.

2. Government Grants

Government grants are accounted on realisation basis.

Government grants relating to specific assets have been shown as a deduction from the gross value of the assets concerned, in arriving at their book value and the related assets have been shown in the balance sheets at a nominal value.

3. Fixed Assets

Fixed assets are stated at their original cost including taxes and other incidental expenses related to acquisition.

4. Retirement benefits

The retirement benefits of employees i.e Gratuity and leave encashment, are covered through Group Gratuity Scheme and Group Leave Encashment Scheme taken from Life Insurance Corporation of India.

5. Depreciation

5.1 Depreciation is provided on the written down value method as per rates specified in The Income tax Act 1961.

5.2 Items costing Rs. 5,000/- or less each are treated as revenue expenditure.

Place: New Delhi
Date:11/08/2020

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

Pramod Kumar Singh
Member

Madnesh Kumar Mishra
Member

S. Bandyopadhyay
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE 25
ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD 01-04-2019 TO 31-03-2020

CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES TO ACCOUNTS

1. Contingent Liabilities

There is no contingent liability of the Authority as at 31.03.2020.

2. Current Assets, Loans & Advances

The Current assets, Loans and advances have a value on realisation equal at least to the aggregate amount shown in the Balance Sheet.

3. Taxation

In view of the Section 34 of The Pension Fund Regulatory and Development Authority Act 2013, the Authority shall not be liable to pay wealth-tax, income-tax or any other tax in respect of its wealth, income, profits or gains derived. Accordingly, no provision for the same has been provided in the books of accounts.

4. The unutilised Government grants as on 31.03.2020 has been shown under the head Current Liabilities and Provisions.

5. Corresponding figures for the previous year has been regrouped/rearranged, wherever necessary.

6. The schedule 1 to 25 are annexed to and form an integral part of the Balance sheet as at 31-03-2020 and the Income and Expenditure account for the period 01-04-2019 to 31-03-2020.

7. PFRDA has contributed Rs.10 crores towards Share Capital of 'National Center for Financial Education (NCFE)' from the Grants received from Central Government. Hence, this investment has been shown at a notional value of Re.1 under Schedule 10.

Place: New Delhi
Date:11/08/2020

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

Pramod Kumar Singh
Member

Madnesh Kumar Mishra
Member

S. Bandyopadhyay
Chairperson

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
बी–14 / ए, छत्रपति शिवाजी भवन, कुतुब संस्थागत क्षेत्र, कटवारिया सराय, नई दिल्ली – 110016
B-14/A, Chhatrapati Shivaji Bhawan, Qutab Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi - 110016
फैक्स / Fax : +91-11-26517507 www.pfrda.org.in